खण्ड–500, अंक–2
मंगलवार 26 वैशाख, शक संवत् 1939
(16 मई, 2017 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2017)

(खण्ड 500 में 10 अंक है)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2017

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (जारी)	7–11
प्रश्नोत्तर	11–52
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	52–53
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियम–311 की सूचना लिये जाने की मांग ..	53–57
औचित्य के प्रश्न की सूचना	57
दिनांक 15 मई, 2017 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय मा0 सदस्यों द्वारा पीठ पर कागज के गोले फेंके जाने, शोर मचाने एवं श्री राज्यपाल के ऊपर प्रहार करके संवैधानिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	57–70
नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70–71
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुही राज में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	71–72
प्रदेश में अवैध बूचड़ खानों एवं अवैध मांस के व्यवसाय से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण पर रोक	72–73

लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा के अन्तर्गत सोलानी नदी पर बरसात से पूर्व बांध बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 73

जनपद बुलन्दशहर के किसान इण्टर कालेज, खानपुर, विकास खण्ड सिकन्दराबाद में अध्यापकों के रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 73

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मागों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 74

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत कतिपय सेतुओं के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 74

जनपद बस्ती में सरयू नहर परियोजना के माध्यम से किसानों को सस्ती एवं सुलभ सिंचाई योजनाओं को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में --

विषय **पृष्ठ–संख्या**

जनपद सीतापुर अन्तर्गत शेखपुर बिजौली–बजेहरा मार्ग पर आलायपुर के पास नाले पर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत 75

सूचना

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज अन्तर्गत निजामाबाद मेहनगर विद्युत वितरण खण्ड–3 के मुख्यालय को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 75

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र हड़िया अन्तर्गत ग्राम सराय कस्तूरिया से श्री अमर बहादुर भारतीय इण्टरमीडिएट कालेज, दिलीपचन्दपुर से औसानपुर तक के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 76

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र के क्षेत्र सिधौली के विकास खण्ड कसमण्डा के ग्राम अहमदपुर में सड़क का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 76

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के ग्रामीण इलाकों में व्याप्त विद्युत आपूर्ति की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 76

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी अन्तर्गत ग्राम बिलोलपुर में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 77

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर की ऐरा शुगर मिल, खमरिया द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण की रोकथाम किये जाने हेतु समुचित प्रबन्ध किये जाने के 77

सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर अन्तर्गत ग्राम व ब्लाक भियोंव में ओवर हेड टैंक के अपूर्ण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 77–78

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) 78

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (पारित) 79–238

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (चर्चा जारी) 238–252

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 252–253

नत्थी 254–291

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थिति सदस्य–380

1. अक्षयवर लाल, श्री बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
3. अजय कुमार लल्लू, श्री कुशीनगर
4. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री बस्ती
5. अजय प्रताप सिंह, ''लल्ला भइया'' कुंवर गोण्डा
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री सम्भल
7. अजीत पाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
8. अदिति सिंह, सुश्री रायबरेली
9. अनिल कुमार, श्रीबुलन्दशहर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
11. अनिल कुमार मौर्य, श्री सोनभद्र
12. अनिल पाराशर, श्री अलीगढ़
13. अनिल राजभर, श्री वाराणसी
14. अनिल सिंह, श्री उन्नाव
15. अनीता, श्रीमती अम्बेडकर नगर
16. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 बुलन्दशहर
17. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती बहराइच
18. अनुराग सिंह, श्री मिर्जापुर
19. अनूप, श्री अलीगढ़
20. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री प्रतापगढ़
21. अभिजीत सिंह सांगा, श्री कानपुर नगर
22. अमर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
23. अमर सिंह चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
24. अमिताभ बाजपेई, श्रीकानपुर नगर
25. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री लखनऊ
26. अरविन्द गिरि, श्री खीरी
27. अरूण कुमार, डॉ0 बरेली

28. अरूण कुमार यादव, श्री आजमगढ़
29. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती कन्नौज
30. अलका राय, श्रीमती गाजीपुर
31. अवतार सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
32. अवधेश सिंह, श्री वाराणसी
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री खीरी
34. अविनाश त्रिवेदी, श्रीलखनऊ
35. अविनाश कुमार राणा, श्री बिजनौर
36. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री हमीरपुर
37. असलम अली, श्री हापुड़
38. आजाद अरिमर्दन, श्री आजमगढ़
39. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री बलिया
40. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
41. आलमबदी, श्री आजमगढ़
42. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री हरदोई
43. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
44. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
45. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
46. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
47. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
48. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
49. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
50. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
51. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
52. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
53. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
54. ओमकुमार, श्री बिजनौर
55. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
56. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
57. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
58. कमल सिंह मलिक, श्रीहापुड़
59. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
60. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
61. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
62. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़

63. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
64. काली प्रसाद, श्री देवरिया
65. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
66. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
67. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
68. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
69. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
70. केसर सिंह, श्री बरेली
71. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
72. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
73. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
74. गंगा, श्री कुशीनगर
75. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
76. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
77. गिर्राज सिंह धर्मेश, श्री आगरा
78. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
79. गौरी शंकर, श्री जालौन
80. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
81. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
82. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
83. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
84. छत्र पाल गंगवार, श्री बरेली
85. जगदीश सोनकर, श्रीजौनपुर
86. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
87. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
88. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
89. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
90. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
91. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
92. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
93. जयमंगल, श्री महराजगंज
94. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
95. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
96. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
97. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
98. ज्ञानेन्द्र, श्री महराजगंज
99. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली

100. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
101. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
102. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
103. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
104. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
105. दल बहादुर, श्री रायबरेली
106. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
107. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
108. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
109. दिनेश खटिक, श्री मेरठ
110. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
111. दीनानाथ भाष्कर, श्रीभदोही
112. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
113. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
114. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
115. देवेन्द्र प्रताप, श्री कासगंज
116. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
117. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
118. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
119. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
120. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
121. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य उर्फ पप्पू भइया, श्री बदायूं
122. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
123. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद
124. नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री इलाहाबाद
125. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
126. नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
127. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
128. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
129. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
130. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
131. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
132. नाहिद हसन, श्री शामली
133. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई

134. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
135. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
136. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
137. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
138. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
139. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
140. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
141. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
142. पक्षालिका सिंह, रानीआगरा
143. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
144. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
145. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
146. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
147. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
148. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
149. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
150. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
151. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
152. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
153. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
154. प्रभु नारायण यादव, श्री चन्दौली
155. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
156. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
157. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
158. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
159. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
160. फागू चौहान, श्री मऊ
161. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
162. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
163. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
164. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
165. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
166. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
167. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
168. बावन सिंह, श्री गोण्डा

169. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
170. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
171. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
172. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
173. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
174. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
175. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
176. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
177. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
178. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
179. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
180. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
181. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
182. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
183. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
184. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
185. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
186. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
187. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
188. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
189. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
190. महबूब अली, श्री अमरोहा
191. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
192. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
193. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
194. महेश चन्द्र, श्री कानपुर नगर
195. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
196. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
197. माधुरी वर्मा, श्रीमतीबहराइच
198. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
199. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
200. मुकेश बर्मा, श्री फिरोजाबाद
201. मुख्तार अन्सारी, श्री मऊ
202. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
203. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद

204. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
205. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
206. मौ0 फईम, श्री मुरादाबाद
207. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
208. योगेन्द्र उपाध्याय, श्रीआगरा
209. योगेश वर्मा, श्री खीरी
210. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
211. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
212. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
213. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
214. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
215. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
216. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
217. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
218. रमेश चन्द्र, श्री औरैया
219. रमेश चन्द्र मिश्र, श्रीजौनपुर
220. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
221. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
222. रवि शर्मा, श्री झांसी
223. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
224. रवेन्द्रपाल सिंह, श्रीअलीगढ़
225. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
226. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के वर्मा, श्री प्रतापगढ़
227. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
228. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
229. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
230. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
231. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
232. राज करन कबीर, श्री बांदा
233. राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजिया, श्री हरदोई
234. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
235. राजबाला, श्रीमती रामपुर
236. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
237. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
238. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
239. राजीव कुमार सिंह उर्फ

बब्बू भइया, श्री बदायूं

240. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी

241. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़

242. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली

243. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली

244. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद

245. राजेश गौतम, श्रीसुल्तानपुर

246. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं

247. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर

248. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर

249. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी

250. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर

251. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद

252. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया

253. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद

254. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी

255. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली

256. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई

257. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा

258. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर

259. राम फेरन, श्री श्रावस्ती

260. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर

261. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस

262. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर

263. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर

264. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद

265. रितेश पाण्डेय, श्रीअम्बेडकर नगर

266. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ

267. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर

268. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा

269. लाखन सिंह, श्री औरैया

270. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर

271. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी

272. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
273. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
274. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
275. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
276. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
277. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
278. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
279. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
280. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
281. विजय मिश्र, श्री भदोही
282. विजेन्द्र सिंह, श्रीबुलन्दशहर
283. विनय कुमार, श्री गोण्डा
284. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
285. विनय शाक्य, श्री औरैया
286. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
287. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
288. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
289. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
290. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
291. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
292. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
293. वीरेन्द्र, श्री एटा
294. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
295. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
296. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
297. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
298. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
299. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
300. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
301. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
302. शीतल पाण्डेय, श्रीगोरखपुर
303. शीतला प्रसाद, श्रीकौशाम्बी
304. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
305. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
306. शैलेश कुमार सिंह, श्री बलरामपुर

307. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
308. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
309. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
310. श्याम सुन्दर शर्मा, श्रीमथुरा
311. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
312. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
313. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
314. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
315. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
316. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
317. संगीता, श्रीमती गाजीपुर
318. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
319. संजय, श्री बुलन्दशहर
320. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
321. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
322. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
323. संजय यादव, श्री बलिया
324. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
325. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
326. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
327. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
328. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
329. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
330. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
331. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
332. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
333. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
334. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
335. सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री मेरठ
336. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
337. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
338. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
339. सहेन्द्र सिंह रमाला, श्री बागपत
340. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी

341. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
342. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
343. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
344. सीताराम, श्री सुल्तानपुर
345. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
346. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
347. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
348. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
349. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
350. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
351. सुरेन्द्र, श्री बलिया
352. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
353. सुरेश कुमार, श्री शामली
354. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
355. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
356. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
357. सुरेश राही, श्री सीतापुर
358. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
359. सुशान्त कुमार, श्री बिजनौर
360. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
361. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
362. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
363. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
364. सूर्यभान सिंह, श्रीसुल्तानपुर
365. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
366. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
367. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
368. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
369. सौरभ सिंह, श्री खीरी
370. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
371. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
372. हरगोविन्द भार्गव, श्री सीतापुर
373. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
374. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद

375. हरिशंकर माहौर, श्रीहाथरस
376. हरीराम, श्री सोनभद्र
377. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
378. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
379. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
380. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), ग्राम्य विकास एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह), परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री स्वतन्त्रदेव सिंह) तथा मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

(श्री रामगोविन्द चौधरी तथा श्री अजय कुमार 'लल्लू' तथा विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने के प्रयास पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम गोविन्द जी और अन्य नेतागण कृपया हमारी बात सुन लें । उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता इस विधान सभा के प्रति बहुत टकटकी लगाकर देख रही है। प्रश्नोत्तकाल हो जाने दें आप लोगों के ही प्रश्न लगे हुए हैं। अगर किसी भी तरह का व्यवधान होता है तो वह उचित नहीं होगा। पहले प्रश्न हो जाने दें फिर नियमों में लिया जायेगा।

नेता विरोधी दल (श्री रामगोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आग्रह है कि नियमावली के अन्तर्गत ही यह विधान सभा चलेगी। मान्यवर, आज आप नियम–56 ले नहीं रहे हैं इसकी लिखित सूचना हम लोगों के पास आई है और प्रदेश में डकैती, हत्या, लूट आदि की घटनायें हो रही हैं। कल श्रीमन् मथुरा में 4–4 व्यापारियों की हत्या कर दी गयी। चार व्यापारियों को मार दिया गया और 4 करोड़ की लूट हो गई है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष आप वरिष्ठ नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, आप सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। यह उचित नहीं है। माननीय लालजी वर्मा जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष आपकी जो नोटिस आई है उसके सम्बन्ध में एक मिनट आप लोग हमको सुन लें। आपकी जो नियम–311 के अन्तर्गत नोटिस आई है हमारे कार्यालय को, उसमें पहले ही लिखा है कि अध्यक्ष की सहमति से और दूसरी बात हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं,

प्रार्थना कर रहे हैं कि सवाल का घण्टा चलने दीजिये। तीसरी बात यह है कि नियमावली के नियम–314 में यह लिखा गया है कि अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं होगी। चौथी बात है कि आपने अनुरोध नियमों के निलम्बन का नहीं किया है, आपने काम रोको अनुरोध किया है, जो पहले तय हो चुका है कि आज नहीं लेना है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नों का घण्टा होने दें।

नेता विरोधी दल–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है व्यापारियों की जानमाल का खतरा उत्पन्न होने पर, दुकानदार यदि कोई दुकान में बैठ नहीं पा रहे हैं, कोई अपना सामान बेच नहीं पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप सर्वोच्च संरक्षक हैं हम लोगों के। आप यदि संरक्षण नहीं देंगे तो हम कहां जायेंगे। हम तो आपको संरक्षक मान रहे हैं, हम कहां जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

रामगोविन्द चौधरी जी आप पूरे सदन और सदन के सदस्यों के अधिकारों का हनन न करिये। आप आदरणीय हैं। आप सब आदरणीय हैं। आपके क्षेत्रों की आदरणीय जनता कल बहुत आहत थी।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

मान्यवर, हम तो आपसे संरक्षण मांग रहे हैं। मथुरा में कल 4–4 व्यापारियों की हत्या करके, 4 करोड़ से अधिक रुपये की लूट हो गई है। इसी लखनऊ में रात भर एक युवती से बलात्कार होता रहा।

श्री अध्यक्ष–

आप हमारी व्यवस्था सुन लें।

(मा0 अजय कुमार 'लल्लू' के अपनी सीट पर खड़े रहकर सदन में सी0डी0 तथा अन्य कागज दिखाये जाने पर)

माननीय सदस्य यह अनुचित है, यह आप जो दिखा रहे हैं यह अनुचित है। ये कार्यवाही का भाग नहीं होगा। माननीय सदस्य जी आपकी कही हुई कोई भी बात कार्यवाही का भाग नहीं होगी, मैं आदर सहित कह रहा हूं। आप यहां पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। सदन नियमों से चलता है और कोई एक सदस्य सदन के नियमों को बंधक नहीं बना सकता। मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि आपकी तीन सूचनायें नियम–311 में थी, वह पोषणीय नहीं है। आपने किसी ने 311 में अनुरोध नहीं किया है, मैं उन्हें निरस्त करता हूं और अब प्रश्न लेता हूं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के स्थान पर खड़े होने की स्थिति में)

माननीय रामगोविन्द चौधरी जी आप बैठिये, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिये। प्रश्नोत्तरकाल के बाद नियमानुसार कार्यवाही चलेगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप वरिष्ठ हैं, सब नये लोग आपको देख रहे हैं। सब नये विधायक आप की तरफ देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता कल शाम को बहुत आहत थी। बहुत बेइज्जत हुई थी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी यह प्रश्नोत्तरकाल है, आप भी कृपया बैठिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननयी अध्यक्ष जी, यह जो आरोप लगा रहे हैं, वह कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियन्त्रण में है और सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। पूरी संवेदनशीलता के साथ जहां–जहां

कोई अपराध होता है, कोई घटना होती है उसका संज्ञान लेकर सरकार कार्यवाही करती है। यह आरोप पूरी तरह से मिथ्या और निराधार है।

(विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अपने सदस्यों को रोकें। माननीय नेता प्रतिपक्ष आज आप फिर कार्ड ले कर आये हैं। आप सदस्यों को रोकें। यह शोभनीय नहीं है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष कृपया अपने दल के सदस्यों को रोकें। माननीय वर्मा जी कृपया अपने दल के सदस्यों को रोकिये।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के आग्रह पर वेल में आये हुए माननीय सदस्य वापस अपने स्थान पर चले गये)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, 311 का प्राविधान नियमावली में इसीलिए किया गया है कि जब माननीय विपक्ष के साथ कोई भी नियम नहीं रहता है तो 311 के अन्तर्गत विपक्ष जनता की समस्याओं को उठाने का काम करेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी नोटिस पढ़िये, आपने 311 में अनुरोध नहीं किया है इसलिए निरस्त किया गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, सिवाय आपसे आग्रह करने, प्रार्थना करने और आपसे अपनी बात को कहने की छूट लेने की मैं आज्ञा मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्नोत्तरकाल होने दीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, इसके बाद प्रश्नोत्तरकाल ले लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप सबके क्षेत्र के लोग बहुत नाराज हो रहे हैं। प्रश्नोत्तरकाल के बाद यथानियम सबको सुना जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जहां पर हत्या हो रही हो, बलात्कार हो रहा हो ऐसे में जनता की सुरक्षा की गारण्टी सदन नहीं देगा तो फिर कौन देगा। मान्यवर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिये। पहले मथुरा काण्ड पर हमारे सदस्यों की बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नोत्तरकाल के बाद यथानियम सब अपनी बात को उठा सकेंगे। प्रश्न होने दीजिये। माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रश्न होने दीजिये।

(अजय कुमार 'लल्लू' के अपने स्थान पर खड़े होकर कार्यसूची दिखाते हुए)

अजय जी आप कोई कागज नहीं दिखा सकते हैं सब कार्यालय में दिखा दीजियेगा। माननीय राम गोविन्द जी आप बैठ जाइये। माननीय पाण्डे जी बैठे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इनको जनता का फैसला स्वीकार करना चाहिए। जनता ने इनको नकार कर भेज दिया है अब सवाल यह है कि वह बैठे–बैठे अपनी खीझ निकाल रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अगर आपने जनता की समस्याओं को नहीं सुना, जनता की समस्याओं का हल नहीं किया तो जनता आपको भी तत्काल नकारेगी। जिन कारणों से जनता ने हमको नकारा है उन्हीं कारणों से आपको भी नकारेगी। आप क्यों नहीं बात सुन रहे हैं, हम जनता की आवाज को उठा रहे हैं, आप क्यों उसे दबा रहे

हैं। संसदीय कार्यमंत्री जी आप ही हैं जो सदन को चलने नहीं दे रहे थे।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा अब हो गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष कृपया अपना आसन ग्रहण करें। अभी भी राज्यपाल के अभिभाषण पर आप इससे ज्यादा बोल लीजियेगा। श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर सभी माननीय सदस्य बोल लेंगे और मैं आश्वासन देता हूं कि माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी जितना चाहेंगे उतना बोलेंगे, देर रात तक 11.00 बजे तक बोल लेंगे तो ठीक रहेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

यह प्रश्नोत्तर का घण्टा है, आप अपने सहयोगियों का घण्टा बर्बाद कर रहे हैं, अब हो गया आप लोग बैठ जाइये। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बैठ जाइये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, कितने व्यापारी मारे जा रहे हैं, कितने लाख की डकैती हो रही है, चार लाख, दस लाख, बीस लाख की लूट हो रही है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलायें सुरक्षित नहीं हैं, किसान सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, जो भी आरोप आज नेता विरोधी दल के द्वारा सदन में लगाये गये हैं, वह सब पूरी तरह से मिथ्या और निराधार है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और हर स्तर पर जहां जो अपराध हुआ है, छुट–पुट घटनायें हुई हैं उसमें कार्यवाही भी की गयी है। उसमें कार्यवाही पूरी तत्परता के साथ और पूरी संवेदनशीलता के साथ हुई है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सभी माननीय सदस्य बैठ जायं। नियम 311 में जो मेरे पास सूचना आयी थी हम फिर अनुरोध कर रहे हैं, हमारे पास वह प्रति है आप चाहे उसको पढ़ लें, उसमें आपने कार्य–स्थगन लिखा है, 311 नहीं लिखा है। दूसरी बात कि नियम 311 में अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है यह उसमें शुरू में लिखा हुआ है।

अब मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं, तीसरी बात प्रश्नों का घण्टा बहुत महत्वपूर्ण होता है और आप सब वरिष्ठ नेता हैं अपने–अपने क्षेत्रों के। प्रश्नों का घण्टा बाधित होने से, जो इस कार्यवाही को देख रहे हैं जो यहां दर्शनदीर्घा में लोग होंगे उन्हें इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए, यद्यपि सब लोग बहुत व्यथित और आहत हैं कल से। कृपया प्रश्नों का घण्टा होने दीजिये प्रश्नोत्तरकाल के बाद यथानियम सबको सुना जायेगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, यह कार्य–स्थगन की सूचना है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसको तो हमने निरस्त कर दिया।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आपने कहा प्रश्नकाल के बाद सुनेंगे, आपकी आज्ञा हो गयी मैं इसको मानता हूं प्रश्नकाल के बाद 311 में इसको उठायेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, यह कार्यसूची इसी विधान सभा की है और 2016 में जब विधान सभा चली थी और यह बात कल कार्य–मंत्रणा में भी और यह बात बार–बार कही गयी मैं उसको यहां नहीं ला रहा हूं, 2016 में जब यही उत्तर प्रदेश की विधान सभा कार्यसूची छपी है।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय प्रश्नोत्तरकाल में नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

इसमें कार्य–स्थगन की सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई औचित्य के प्रश्न का समय नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अगर विपक्ष की बात को इस तरह इतनी बड़ी संख्या में रहने के कारण दबा दिया जायेगा, विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

संख्या बल को मत कहिये, कल आपने देखा होगा कि भारी संख्या के बावजूद बहुमत दल शालीनता से रहा। आप कृपया बैठ जाइये।

संजय गर्ग जी, आप कृपया प्रश्न करना चाहते हैं ?

(तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, आपके इस फैसले से आहत होकर मैं अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

[11.11] प्रश्नोत्तर

नत्थी 'क'

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में कुपोषण के कारण मृत्यु दर में बढ़ोत्तरी के रोकथाम हेतु सरकार की कार्य योजना की जानकारी

''01–श्री संजय गर्ग–

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण के कारण मृत्यु दर में बढ़ोत्तरी हो रही है ? यदि हां, तो क्या इसकी रोकथाम हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)–

जी नहीं।

प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं 05 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में कमी आयी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005–06 (एन0एफ0एच0एस0–3) की रिपोर्ट के अनुसार 05 वर्ष तक की आयु के बच्चों की मृत्यु दर प्रति हजार 96 थी, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015–16 (एन0एफ0एच0एस0–4) की रिपोर्ट के अनुसार घटकर प्रति हजार 78 हो गयी है। इस प्रकार 05 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में बढ़ोत्तरी न होकर कमी आयी है।

सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2007–09 (एस0आर0एस0) के अनुसार प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर 359 प्रति लाख थी, जो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2011–12 (एस0आर0एस0) की रिपोर्ट के अनुसार गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर घटकर प्रति लाख 292 हो गयी है। इस प्रकार बच्चों एवं महिलाओं की मृत्यु दर में कमी आयी है।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एन0एफ0एच0एस0–3) 2005–06 की रिपोर्ट के अनुसार 05 वर्ष तक की आयु के बच्चों

में कुपोषण की दर 42.4 प्रतिशत थी, जो (एन0एफ0एच0एस0–4) 2015–16 की रिपोर्ट के अनुसार घटकर 39.5 प्रतिशत हो गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

यद्यपि गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण के कारण मृत्यु दर में कमी आ रही है तथापि महिलाओं तथा बच्चों में कुपोषण की समस्या के प्रभावी निराकरण हेतु राज्य पोषण मिशन का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह बात मैं जानकारी देना चाहता हूं नेशनल फैमिली हेल्थ मिशन का जो आंकड़ा माननीय मंत्री जी ने बताया है वास्तव में नेशनल हेल्थ मैनुअल में इसके अलग कुछ और आंकड़ा है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 2012 प्रति हजार जन्मों पर 30 मृत्यु का, मुत्युदर का इनफेक्ट मोर्टिलटी रेट रखा गया था, यह 2017 तक भी अभी तक हम लोग उस आंकड़े, को नहीं कह पा रहे हैं और जवाब में भी 2015–16 तक प्रति हजार 78 की संख्या बताई गयी है इस सम्बन्ध में लाखों रुपया प्रतिवर्ष जिले में भेजा जाता है और बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए स्वस्थ्य भारत का निर्माण कैसे कर सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आप सूचनायें ज्यादा दे रहे हैं प्रश्न नहीं कर रहे हैं।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया राज्य पोषण मिशन का गठन किया गया है पिछले दिनों राज्य पोषण मिशन के

अन्तर्गत अधिकारियों और कालाबाजारियों के जरिये जिस तरह से पैसे की लूट हुई।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न क्या है ? यह तो सूचना आप दे रहे हैं, आप इन्फार्म कर रहे हैं हाउस को।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं प्रश्न यह करना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और जो राज्य मिशन में हेल्थ मिशन में जो आंकड़ा बनाया गया उस आंकड़े को प्राप्त करने के लिए क्या सरकार ने कोई प्रभावी कदम उठाने की योजना बनाई है और बनाई है तो क्या बनाई है ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कुपोषण कई परस्पर अन्तर्निहित कारणों का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में तीन वर्ष से कम आयु के 39 प्रतिशत बच्चे अपनी आयु के अनुसार कम वजन के हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015–16 के अनुसार प्रदेश में कुपोषण की दर को कम करना किसी एक विभाग के प्रयास से सम्भव नहीं है अपितु इसकी रोकथाम निवारण कुपोषण से जुड़े विभिन्न प्रयासों पर काम करने वाले विभागों के समन्वित प्रयासों से किया जा सकता है। राज्य पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य कुपोषण से जुड़े विभिन्न विभागों यथा बाल विकास, स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज एवं शिक्षा विभाग के बीच समन्वय स्थापित करना है और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों का अनुश्रवण करके गुणवत्ता में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव देना है। पूरी तरीके से कुपोषण की रोकथाम के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

राज्य पोषण मिशन का जो गठन हुआ है, उसकी अब तक कितनी बैठकें हुई और उसमें क्या निर्णय लिये गये हैं ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

इसकी कई बैठकें हुई हैं और राज्य पोषण मिशन द्वारा जनपदों में सबसे अधिक कुपोषण से ग्रसित ग्राम सभा में जनपद स्तरीय अधिकारियों को गोद लेने हेतु प्रेरित किया गया है।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि अधिकारियों को गोद लेने के लिए प्रेरित किया गया है तो कितने अधिकारियों ने कितने गांव के कुपोषित बच्चों को गोद लेने का काम किया। क्या कोई आंकड़ा इस तरह का सरकार के पास है ?

श्री अध्यक्ष–

अगर आपके पास इस तरह का कोई आंकड़ा हो तो बता दें, लेकिन यह मूल प्रश्न के संगत नहीं है।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

मान्यवर, मैं यह जानकारी भिजवा दूंगी लेकिन यह बताना चाहती हूं कि 2016 में अभियान चलाकर 2 करोड़ 20 लाख बच्चों का वजन किया गया और 22 लाख अतिकुपोषित बच्चों की पहचान की गयी इस प्रकार से जो पहले संख्या 1.60 लाख थी वह इन प्रयासों के कारण हमें एक्जेक्ट पता चला कि 14 गुना इसमें वृद्धि हो गयी।

नत्थी 'ख'

प्रदेश के डार्क जोन घोषित खण्डों में भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने हेतु वर्षा जल के संचयन की तकनीकी योजना का विवरण

'01–श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री पंकज सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गिरते हुए भूमिगत जलस्तर के गिरावट के परिणामस्वरूप प्रदेश के कई विकास खण्डों को डार्क जोन घोषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने डार्क जोन घोषित विकास खण्डों के भूमिगत जलस्तर को ऊपर उठाने हेतु वर्षा जल के संचयन की कोई तकनीकी योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन लघु सिंचाई एवं मत्स्य मंत्री (श्री एस0 पी0 सिंह बघेल)–

जी हां।

भूगर्भ जल संसाधनों के 31 मार्च, 2011 पर आधारित आकलन के अनुसार प्रदेश के 111 विकास खण्ड अतिदोहित एवं 68 विकास खण्ड क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गिरते भूजल स्तर की समस्या के प्रभावी निदान के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 18 फरवरी, 2013 द्वारा प्रदेश में भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु 'समग्र नीति' निर्गत की गयी है।

समग्र नीति में अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में भूजल की स्थिति में सुधार लाये जाने के उद्देश्य से वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज के कार्य कराये जाने पर बल दिया गया है। इस सम्बन्ध में विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदेश के समस्याग्रस्त क्षेत्रों में अपनी–अपनी विभागीय योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिसमें चेक डैम निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार/नये तालाबों का निर्माण, आन फार्म हार्वेस्टिंग आदि के कार्य सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल–

माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर मेरे द्वारा सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया है, उसमें मैं आपकी अनुज्ञा से कुछ संशोधन भी करना चाहता हूं। क्योंकि यह उत्तर प्रदेश तैयार करने के बाद तथ्य संज्ञान में आये हैं। मैं संशोधित उत्तर भी सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

चूंकि माननीय सदस्य ने डार्क पूछा है इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को जब यह उत्तर प्रेषित किया गया था तब 2011 की रिपोर्ट ही उपलब्ध थी। दिनांक 11 मई, 2017 को भारत सरकार से 31 मार्च, 2013 पर आधारित भूजल आंकलन रिपोर्ट का अनुमोदन प्राप्त हो गया है जिसके अनुसार अतिदोहित विकास खण्डों की संख्या अब 113 हो गयी है, यानि दो बढ़ गये हैं, जबकि क्रिटिकल विकास खण्डों की संख्या 68 से घटकर 59 हो गयी है यानि 9 कम हो गये हैं। माननीय सदस्य को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि वर्ष 1997 के पूर्व विकास खण्डों को डार्क एवं व्हाइट श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता था किन्तु 1997 में निर्गत गाइडलाइन के अनुसार विकास खण्डों को अब अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और सेफ श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें अतिदोहित और क्रिटिकल श्रेणी के विकास खण्ड डार्क श्रेणी के विकास खण्डों के समरूप माने जाते हैं। शेष उत्तर यथावत् है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

ये जो 18 फरवरी, 2013 को जल संचय की नीति बनाई गई, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि नीति के बनने के बाद क्या भूगर्भ का जलस्तर पूरे प्रदेश में कहीं ऊपर उठा ? दूसरा बुन्देलखण्ड में चेकडैम बनाये जा रहे हैं तो क्या प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जैसे सीतापुर, लखनऊ के आस–पास भी

चेकडैम किसी विभाग के द्वारा बनाये जायेंगे ? तीसरा पूरे प्रदेश में तमाम ऐसे वृक्ष हैं जिनकी वजह से प्रदेश का भूगर्भ जलस्तर ऊंचा उठ सकता है लेकिन एक विशेष प्रकार का वृक्ष यूकिलेप्टिस है जिसे किसान लगातार लगा रहे हैं जो पानी बहुत लेता है तो क्या सरकार यूकिलेप्टिस को हतोत्साहित करने के लिए उसे प्रतिबन्धित करने का कोई कानून बनायेगी ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल–

मा0 अध्यक्ष महोदय, जहां तक मा0 सदस्य का पहला सवाल है कि क्या विगत प्रयासों से कुछ प्रगति हुई है तो मैं सदन को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2013 के भूजल आंकलन में पूर्वी क्षेत्र के 9 विकास खण्ड क्रिटिकल श्रेणी से बाहर निकलकर सेमी क्रिटिकल श्रेणी में आ गये हैं जौनपुर में बरसठी और धर्मापुर, मिर्जापुर में सीखड़, सन्तरविदास नगर में अभौली, औराई, डीह और सुरियावां, सोनभद्र में घोरावल और फतेहपुर में हथगांव ये क्रिटिकल से सेमी क्रिटिकल में आ गये हैं। अगर हम देखना चाहें तो जो हमारी प्रोग्रेस हुई है उसमें 2011 के अनुसार 111 हमारे अतिदोहित थे अब प्लस–टू 113 हो गये हैं। पहले 2011 में 68 हमारे क्रिटिकल थे अब 59 रह गये हैं 9 ब्लाकों में सुधार हुआ है। सेमी क्रिटिकल जो 82 थे अब 43 रह गये हैं हमने 37 ब्लाकों में प्रोग्रेस की है। पहले सुरक्षित 559 थे अब 603 हो गये हैं इसका मतलब कि 44 हमारे ब्लाक और ज्यादा सुरक्षित हो गये हैं। मा0 सदस्य का जो दूसरा सवाल था कुछ जिलों को ले करके तो इस बारे में सरकार की सीधी सी योजना है कि जो प्रोब्लेमेटिक ब्लाक हैं जो अतिदोहित हैं या क्रिटिकल हैं वहां पर मानक के अनुसार जब हमारे पास संसाधन उपलब्ध होते हैं तो निश्चित रूप से हमारा विभाग वहां पर चेकडैम बनाने का काम करता है, तालाबों का पुनरुद्धार करता है और नये तालाबों को खोद करके भी भूगर्भ जलस्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। मा0 सदस्य का तीसरा सवाल यूकिलेप्टिस

जैसे कुछ वृक्षों को लेकर था जिनसे बहुत ज्यादा पानी का दोहन होता है इस बारे में वन विभाग निश्चित रूप से कुछ न कुछ विचार करेगा, यह वन विभाग से सम्बन्धित है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मान्यवर, मैंने अनुरोध किया था कि बुन्देलखण्ड में चेकडैम बनाये जा रहे हैं लेकिन मेरा जो मानना है कि पश्चिमी, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चेकडैम बनाने के लिए न तो सिंचाई विभाग काम कर रहा है और न ही हमारे द्वारा राज्य वित्त, चतुर्थ वित्त या मनरेगा से कोई प्रयास किया जा रहा है। ये पूरे प्रदेश की ज्वलन्त समस्या है हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि बुन्देलखण्ड की भांति प्रदेश के अन्य हिस्सों में चेकडैम बनाये जायें और नम्बर–2 यूकिलेप्टिस के पेड़ को हतोत्साहित या प्रतिबन्धित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

यह आपका पेड़ का प्रश्न मूल प्रश्न से असंगत है इस पर वन विभाग जवाब दे सकता है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मान्यवर, सामूहिक जिम्मेदारी है, सरकार यहां बैठी है, मा0 मुख्य मंत्री जी भी सदन में हैं और वन विभाग भी है, यह केवल हमारा विषय नहीं है हम आप जब गांव में जाते हैं तो आदमी डीजल लगा करके 15–20 फिट नीचे से पानी निकाल कर सिंचाई करता है।

श्री अध्यक्ष–

आपका जो मूल प्रश्न होगा उसी की तैयारी के आधार पर ही तो मा0 मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

हम आपसे विनती करना चाह रहे हैं, संरक्षण चाह रहे हैं, यह पूरे प्रदेश के किसानों का मुद्दा है, मैं दलगत राजनीति से

ऊपर उठ करके ये बात कह रहा हूं कि कहीं न कहीं से इस पर चर्चा हमको और आपको करनी होगी और सदन से बड़ा कोई चर्चा का स्थान नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड की भांति पूरे प्रदेश में चेकडैम बनाये जायें और यूकिलेप्टिस के पेड़ों को प्रतिबन्धित किया जाये।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है। न केवल बुन्देलखण्ड अपितु मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डार्क जोन में भूगर्भ जल का स्तर बढ़े इसके लिए प्रदेश सरकार ने अपनी एक नीति बनाई है। खेत तालाब योजना के साथ–साथ मनरेगा के अन्तर्गत नये तालाब खुदवाने के लिए बड़ी वृहद् योजना के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोगों ने इस बात के लिए अपनी योजना तैयार की है। रेनवाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से, घर के जो नये नक्शे अब बनेंगे उनकी स्वीकृति इस बात पर आधारित होगी, हर घर को बनाने के लिए इस बात का अनुबन्ध होगा कि वर्षा के जल के संचयन के लिए वह कार्य करेगा। आपने यूकेलिपटिस के बारे में जो बात कही है वह कुछ मायने में सच है। हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि उस प्रकार की वनस्पतियों को, उस प्रकार के वनीकरण को हम बढ़ावा दें जो जल के संरक्षण में सहयोगी बन सकें। चैकडैम के अलावा जल के संरक्षण के लिए अन्य जो भी आवश्यक होगा, प्रदेश सरकार इसके लिए कार्य करेगी और पूरे सदन का सहयोग सरकार इस मामले में चाहेगी।

(माननीय सदस्य डा0 आर0 के0 वर्मा के खड़े होने पर)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय सदस्य, इसमें पूरा उत्तर आ तो गया।

श्री अध्यक्ष–

इसमें तो पूरा उत्तर आ गया, आश्वासन भी आ गया, सरकार की नीति स्पष्ट हो गयी।

प्रदेश में उच्च शिक्षा को डिजिटल बनाने तथा स्मार्ट कक्षायें प्रारम्भ करने की सरकार की योजना की जानकारी

***02–श्री अनुराग सिंह–**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्च शिक्षा को अधिकाधिक डिजिटल बनाने तथा स्मार्ट कक्षायें प्रारम्भ करने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि ग्रामीण राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो तहसील केन्द्र के कस्बा में स्थित हैं, में स्मार्ट कक्षायें चलाने तथा शिक्षा की डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार वाई–फाई सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (डा0 दिनेश शर्मा)–

जी हां।

स्मार्ट क्लास रूम व वर्चुवल क्लास रूम की स्थापना किये जाने तथा 138 राजकीय महाविद्यलयों में ई–लाईब्रेरी/ई–बुक्स की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है। इसके अतिरिक्त आन–लाईन स्थानान्तरण एवं कार्यरत प्रवक्ताओं व प्राचार्यों का आन–लाईन डाटाबेस तैयार किये जाने का कार्य गतिमान है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा प्रश्न का लिखित उत्तर पढ़ा गया)

श्री अनुराग सिंह–

मान्यवर, मैं सरकार के लिखित उत्तर से संतुष्ट हूं।

प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने की कार्य योजना

'03–श्री नितिन अग्रवाल, श्री सुखदेव राजभर तथा श्री लालजी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्षों की तुलना में वर्तमान समय में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्याधिक खराब हो गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार ने प्रदेश में बढ़ती हत्या, डकैती एवं बलात्कार की घटनाओं से निपटने के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रदेश में हत्या, डकैती एवं बलात्कार के अपराध घटित होने पर इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अपराधों की रोकथाम हेतु हत्या के प्रकरणों में विवाद एवं रंजिश को चिन्हित कर सम्बन्धित पक्षों को पाबन्द कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। आक्रामक पक्ष के शस्त्र लाइसेन्स निरस्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा उन पर सतर्क दृष्टि रखते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध एन0एस0ए0, गैंगेस्टर ऐक्ट एवं गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

इसी प्रकार डकैती के अपराधों में विगत 05 वर्षों में इस प्रकार की घटनाओं में प्रकाश में आये हों, उनकी वर्तमान गतिविधियों की गहनता से जानकारी कर आवश्यकतानुसार सक्रिय अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्यवाही की जा रही है। अपराधों में संलिप्तता होने की दशा में उनके विरुद्ध नियमानुसार ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध एनएसए, गैंगेस्टर ऐक्ट, गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है ताकि ऐसे अभियुक्तों को अधिक समय तक जेल में निरुद्ध रखा जा सके।

इस प्रकार के घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु अपराधिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कराकर वहां पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे? अतिरिक्त पेट्रोल कारें, गश्त/चेकिंग व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गयी है।

''बेव बेस्ड क्राइम मैपिंग सिस्टम'' में ''हॉट स्पॉट'' चिन्हित कर सुनियोजित गश्त/पिकेट व चेकिंग कराकर इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु यूपी–100 उ0 प्र0 सरकार की एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजना सम्पूर्ण प्रदेश में संचालित की जा रही है। यह परियोजना पुलिस की छवि, आचरण एवं जवाबदेही के साथ ही पुलिस की गतिशीलता में नया बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य (विजन स्टेटमेंट) उ0 प्र0 में कहीं भी, किसी भी समय सभी व्यक्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए त्वरित एकीकृत आपातकालीन सेवायें उपलब्ध कराना है। इसके क्रियान्वयन हेतु जनपद लखनऊ में प्रदेश स्तरीय केन्द्रीय मास्टर कोआर्डिनेशन सेन्टर के रूप में एक वृहद् ''यू0पी0–100'' काल सेन्टर की स्थापना की गयी है। जो प्रदेश के पूरे क्षेत्रफल में तत्काल पुलिस सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से इस परियोजना की शुरूआत की जा चुकी है। जिसमें 3200

चार पहिया वाहनों के साथ उनमें पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गयी है।

महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रदेश के जनपदों में ''एण्टी रोमियो दल'' को गठित करते हुए महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त वूमेन पावर लाइन–1090 की स्थापना की गयी है जिसमें महिलायें अपने प्रति होने वाले अपराधों/छेड़छाड़ की घटनाओं के बारे में शिकायतें दर्ज कर निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही की जा रही है। यह पावर लाइन महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी सिद्ध हुई है तथा इससे महिलाओं के आत्मविश्वास में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, अब वह अपनी शिकायतें निःसंकोच एवं आत्मविश्वास के साथ दर्ज करवा रही है।

अग्रतर, महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु भीड़–भाड़ वाले महत्वपूर्ण स्थानों पर पिकेट एवं गश्त की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में महिलाओं के विरुद्ध घटित घटनाओं के रोकथाम हेतु पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के अधीन ''महिला सम्मान प्रकोष्ठ'' की स्थापना की गयी है जिसके माध्यम से त्वरित गति से शिकायतों का निस्तारण कराया गया तथा विकल्प, नवचेतना, अधिकार, सारथी, साथी, अक्षया आदि जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम महिला सम्मान प्रकोष्ठ द्वारा चलाये जा रहे हैं।

इसके साथ ही महिलाओं के फोन पर असामाजिक तत्वों द्वारा अश्लील एम0एम0एस0 एवं अवांछनीय फोन काल्स किये जाने की घटनाओं के रोकथाम हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में ''एन्टी आब्सीन काल सेल'' का गठन किया गया है।

अपराध पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु ''उ0 प्र0 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना मद'' में हुए संशोधन

दिनांक 07–06–2016 के अनुसार सहायता उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं तथ्यात्मक, वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित, न्याय संगत एवं पारदर्शी विवेचना एवं अभियोजन के लिए प्रत्येक जनपद में अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध के नेतृत्व में ''क्राइम ब्रान्च'' की स्थापना की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नितिन अग्रवाल–

बहुत लम्बा जवाब आया है अध्यक्ष जी। प्रदेश की जनता को सरकार से बहुत उम्मीदें थीं क्योंकि प्रचन्ड बहुमत की सरकार आई है। (सत्ता पक्ष की ओर से शोर)

अब हमें भी सुन लीजिये। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में हैं और यह हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी की छवि एक सख्त प्रशासक की है। वह काम लेना जानते हैं।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गई)

अफसोस इस बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्हीं की सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों, विधायकों का सहयोग नहीं मिल रहा है।

(सत्ता पक्ष की ओर से शोर)

शायद उसका एक कारण यह भी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री नितिन अग्रवाल–

इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इनसे रात में 1–1 बजे तक काम करवा रहे हैं।

(सत्ता पक्ष की ओर से शोर)

हम लोगों ने तो 6 महीने का समय दिया था लेकिन दो महीने के अन्दर ही जो प्रदेश की जनता से आवाज आयी है तो हम लोग भी मजबूर हैं कि आज हाउस में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिये।

श्री नितिन अग्रवाल–

चाहे महिलाओं पर हो या दलितों पर हो आज हर जिले में ऐसी घटनायें हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं।

श्री नितिन अग्रवाल–

मेरे सरकार से तीन प्रश्न हैं। मैं आपसे आज्ञा यह मांगना चाहता हूं कि तीनों प्रश्न एक साथ पूछ लूं या अलग–अलग पूछूं।

श्री अध्यक्ष–

सूचित न करिये। तीन की वजाय चार सवाल पूछ लीजिये।

श्री नितिन अग्रवाल–

ठीक है मान्यवर, मेरा सबसे पहला प्रश्न सरकार से यह है कि क्या सरकार ने थानों को निर्देश दिया है कि मुकदमें न लिखे जायं जिससे प्रदेश में अपराध घटता हुआ दिखाया जा सके (सत्ता पक्ष की ओर से शोर) और यदि ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहिये।

श्री नितिन अग्रवाल–

यदि ऐसा नहीं है तो पिछले दो महीने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जिलों में गुण्डागर्दी करी है क्या उन पर कोई मुकदमा कायम हुआ है। (सत्ता पक्ष की ओर से शोर) और क्या उनको सजा मिली है। मेरा दूसरा प्रश्न.....

श्री अध्यक्ष–

गुण्डागर्दी शब्द पर पुनर्विचार करें माननीय सदस्य।

श्री नितिन अग्रवाल–

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि हमारी पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने यू0पी0 100 की स्थापना की थी। जब यू0 पी0 100 की स्थापना हुई तो उसमें उत्तर प्रदेश के गुण्डों, माफियाओं के मन में डर बैठा था।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न करें।

(शोर)

श्री नितिन अग्रवाल–

मेरा प्रश्न है कि क्या वर्तमान सरकार उस यू0पी0 100 की योजना को बन्द करने का कोई कार्यक्रम चला रही है और यदि ऐसा नहीं है तो हमारी सरकार जब थी तो हम उस योजना को और अधिक.....

श्री अध्यक्ष–

आपकी जब सरकार थी उसमें क्या था उसकी चर्चा होगी तो बहुत लम्बी चर्चा हो जायेगी। प्रश्न करें।

श्री नितिन अग्रवाल–

वर्तमान में क्या सरकार उस यू0 पी0 100 की योजना को बन्द करने का कार्यक्रम चला रही है अगर ऐसा नहीं है तो हमारी सरकार जब थी तो हम उस योजना को और.....

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न करें।

श्री नितिन अग्रवाल–

श्रीमन् जो भर्तियां होनी थी पुलिस की, उसमें गाड़ियां और जानी थीं, जिलों में क्या उसकी कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है और अगर बनाई है तो उसमें कितना व्यय होगा ? तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या प्रदेश सरकार ने कोई रोड मैप तैयार किया है अगर किया है तो वह रोड मैप क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

रोड मैप की सूचना माननीय संसदीय कार्यमंत्री दे चुके हैं और जो दो प्रश्न हैं उनका उत्तर दे दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इतना डिटेल में उत्तर दिया गया जो–जो हम कर रहे हैं। आपने पूछा है कि 100 नम्बर की योजना जो आपने चलाई थी हमने इसीलिए उसको अपने उत्तर में स्थान दिया कोई अच्छी योजना अगर किसी भी सरकार के द्वारा चलाई जाती है तो हमें उसे कायम करने में कोई गुरेज नहीं है किसने चलाई।

(मेजें थपथपाई गई)

मैं इसकी प्रगति भी बता दूं आपको फिलहाल हम इसको समाप्त करने नहीं जा रहे हैं। 3200 गाड़ियां वर्तमान में 100 नम्बर डायल पर इस समय संचालित हैं। मान्यवर, 11 हजार 13 कालें प्रतिदिन इसमें प्राप्त हो रही हैं और जिसमें 81 परसेन्ट पर निपटारा, घटनास्थल पर 5 परसेन्ट का, बाकी 81 परसेन्ट

प्रकरणों का निपटारा हो चुका है या तो उनको थाने लाकर उनकी रिपोर्ट लिखवाई गई वरना उनका समाधान किया गया। इसलिए मान्यवर, मैं आपको बता दूं, क्या 1090 के बारे में भी पूछा था ?

श्री नितिन अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष–

अभी माननीय मंत्री जी खड़े हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इसमें 11 हजार 13 काल प्रतिदिन आ रही है 60 परसेन्ट ग्रामीण क्षेत्रों से और 40 परसेन्ट शहरी क्षेत्रों से और लगभग हर स्तर पर इसकी मानीटरिंग भी होती है और मानीटरिंग में उन लोगों को हिदायत भी दी जाती है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा इसलिए किसी प्रकार से इस योजना को बन्द करने का सवाल नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है।

(मेजें थपथपाई गई)

लगातार हर स्तर पर मानीटरिंग इस बात की होती है जहां पर कोई घटना होती है उसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है प्रापरली उसकी विवेचना होती है किसी प्रकार से उसको छिपाने या कम करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं माननीय मंत्री जी ने उत्तर के प्रथम पैरा पर साफ कहा कि अपराधों की रोकथाम हेतु हत्या के प्रकरणों में विवाद एवं रंजिश को चिन्हित कर सम्बन्धित पक्षों को पाबन्द कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। आक्रामक पक्ष के शस्त्र लाईसेन्स निरस्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा उन पर

सतर्क दृष्टि रखते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध एन0एस0ए0 गैंगेस्टर ऐक्ट एवं गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब प्रश्न लगा तो कितने लोगों के ऊपर एन0एस0ए0 लगा कितने लोगों के ऊपर गैंगेस्टर लगा और कितने असलहों को निरस्त किया गया। माननीय मंत्री जी बता दें, आपने कहा कि कुछ संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया तो जहां सी0सी0 कैमरे लगाये गये हैं मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर आपके संज्ञान में हो, उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने स्थानों को चिन्हित किया गया जहां पर फोर्स लगाई है और सी0सी0 कैमरे लगे हैं। माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष–

सूचना थोड़ा विस्तीर्ण है अगर आपके पास हो तो बता दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह 16.3 से लेकर 30.4 तक एन0एस0ए0 सात पंजीकृत हुए सातों बन्दी हैं गैंगेस्टर में पंजीकृत हुए 239 विवेचना चली 239 पर। खारिज किया गया एक आरोप–पत्र एक विवेचनाधीन है 238 नामजद अभियुक्त हैं 955 बन्दी किये गये 702 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया 4 फरार हैं 249 यह स्थिति है। गुण्डा ऐक्ट में पंजीकृत हुए 2027 और चालान भी हुआ 2027 का। कैमरे वाली बात आपने पूछी जनपदों में 1310 सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित किये गये हैं रेडियो हेड क्वार्टर पर 556 सी0सी0टी0वी0 कैमरे खरीदे गये हैं जो समय–समय पर आवश्यकतानुसार जनपदों को दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त गौतमबुद्ध नगर में 122, लखनऊ में 280, गाजियाबाद में 140 सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित हैं। लगातार जहां–जहां आवश्यकता होती है जहां महसूस की जाती है कि कहीं कोई

अपराध हुआ कहीं कोई छिटपुट घटना हुई तो वहां कैमरे लगाने में हमें कोई गुरेज नहीं है यह और बढ़ाये जायेंगे।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपने उत्तर के प्रथम पार्ट में कहा कि जी नहीं मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहता हूं कि जनवरी, 2017 में डकैती की कितनी घटनायें थी और अप्रैल, 2017 में कितनी हुई आपने कहा है कि बढ़ी नहीं हैं इसलिए आपके पास तुलनात्मक आंकड़ा होगा तभी आपने कहा इसी तरह से लूट की जनवरी, 2017 में कितनी घटनायें हुई थीं और अप्रैल, 2017 में कितनी घटनायें हुई रेप की जनवरी, 2017 में कितनी घटनायें हुई अप्रैल, 2017 में कितनी घटनायें हुई मान्यवर, इससे यह पता चलेगा कि क्या स्थिति है। इसमें यह कहना कि विस्तृत है नहीं चलेगा क्योंकि इसका जवाब नहीं में आया है नहीं में तभी होगा जब इसका आंकड़ा हो और उससे तुलना की गई है इसलिए इसमें तुलनात्मक पूछा गया है।

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न में यह सवाल नहीं है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह है। आप पढ़ लें क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्षों की तुलना में वर्तमान समय में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यधिक खराब हो गई है। उत्तर आया जी नहीं। तो मान्यवर, आंकड़ा से ही प्रश्न उठता है अगर माननीय मंत्री जी यह बता देंगे अगर आंकड़े घटेंगे तो यह नहीं हुआ अगर आंकड़ा बढ़ा है तो बता दें। इसमें हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ–

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य काफी वरिष्ठ हैं अभी इस सरकार को दो महीने भी नहीं हुए हैं आपने जो तुलनात्मक घटनाओं के अध्ययन की बात कही है मुझे लगता है कि एक वर्ष होने दीजिये हर व्यक्ति जानता है कि अपराध कौन करा रहा है। मैं इस बात के लिए आश्वास्त करता हूं पूरे सदन को कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं होगी। नम्बर दो राजनीतिक संरक्षण में रहकर अब कोई अपराध नहीं कर पायेगा माननीय सदस्य अग्रवाल जी ने जो प्रश्न किया था कि कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है सरकार आने के बाद कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ है अपराधी के साथ अपराधी जैसा व्यवहार जरूर किया गया है। राजनीतिक कारणों से भले ही आप यहां स्वीकार न करें लेकिन आपके परिवार के लोग यह महसूस करते हैं कि प्रदेश में अच्छा माहौल पैदा हुआ है। अपराध में कमी आई है, काफी कमी आई है अब अगर वह स्पेशिफिक जानकारी चाहेंगे तो हम वर्ष 2016 में 19 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक क्या 19 मई तक की घटनाओं में और इस वर्ष की घटनाओं के क्या ब्यौरे हैं वह आपके पास व्यक्तिगत रूप से भिजवा दूंगा।

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजो की थपथपाहट)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आज भय में हमारा परिवार अकेले नहीं है, आज एक एस0पी0 का परिवार पीड़ित है इतना भय है। कानून व्यवस्था की स्थिति यह है। मान्यवर, मैंने स्पेसिफिक पूछा है और मैं केवल जनवरी और अप्रैल के दो महीनों के तुलनात्मक रूप से केवल 04 अपराधों के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा तो है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आय दिन अपराध बढ़ रहे हैं और मेरा यह मानना है कि जितने अपराध इन दो महीनों में हुए हैं किसी भी वर्ष इन दो महीनों में इतने अपराध अभी तक नहीं हुए हैं। आज आम जनता और एस0पी0 भयाक्रान्त है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, नेता सदन ने बड़ी बारीकी से अपनी बात कही। दो महीने की सरकार है। बाद में यह कन्ट्रोल करेंगे। मान्यवर, अगर बच्चा पैदा होते ही पोलियोग्रस्त हो जाये तो उससे आगे क्या उम्मीद की जा सकती है ? पोलियोग्रस्त बच्चे से क्या उम्मीद की जा सकती है ? यह सरकार जब से आई है अपराधों की बाढ़ आ गई है। देख लीजिये, बाढ़ आ गई है। मैं यह बात मान कर चलता हूं कि गोरखपीठ का पीठाधीश्वर सदन में कभी भी असत्य प्रलाप नहीं कर सकता है, मैं यह मान कर चलता हूं। इसलिए मेरा यह मानना है कि वर्मा जी ने जो प्रश्न पूछा, या तो मा0 मुख्यमंत्री जी, मैं मा0 मुख्यमंत्री जी को क्यों परेशान करूं, या तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी उसका विधिवत् उत्तर देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष जी–

उसका उत्तर तो आ गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, अभी मा0 नेता विरोधी दल ने कहा कि पोलियोग्रस्त। पोलियोग्रस्त तो यह छोड़कर गये थे। इन्होंने पोलियो तो पोलियो, पूरे जिस्म को अष्टावक्र कर दिया।

(सत्ता पक्ष की ओर से सदन में हंसी)

(मा0 सदस्य श्री लालजी वर्मा द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे पास दो महीनों की हत्या के आंकड़े हैं। इनकी जन्मपत्री भी मेरे पास है और विधान परिषद् के एक

सदस्य ने आज कहा है कि हमें बहुजन समाज पार्टी के नेता से खतरा है। आज विधान परिषद् के एक सदस्य ने कहा है।

श्री अध्यक्ष जी–

लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, वर्ष 2017 में 16–03–2017 से लेकर 30–04–2017 तक 654 हत्यायें हुई थीं और वर्तमान में 605 हत्यायें हुई।

(मा0 सदस्य श्री लालजी वर्मा द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 वर्मा जी आप बैठ जायें। प्रश्न आया है तो उत्तर देने दीजिये।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, कृपया मेरी बात सुन लीजिये।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया घोर व्यवधान के मध्य)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरी बात सुने उसके बाद जवाब दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं निवेदन करता हूं बात नहीं प्रश्न पूछिये।

श्री लालजी वर्मा–

मैंने स्पेसिफिक प्रश्न किया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी पूरे साल का जवाब देने लगे। मान्यवर, मैंने स्पेसिफिक किया कि जनवरी और अप्रैल दो महीने का केवल स्पेसिफिक पूछा कि जनवरी में कितनी डकैती हुई और अप्रैल में कितनी हुई ?

श्री अध्यक्ष–

तो पूरे साल में आपको आपत्ति हो गई।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, हम केवल दो महीनों का जानना चाहते हैं पूरे साल का नहीं। मान्यवर, मेरा प्रश्न सुन ले उसके बाद जवाब दें।

श्री अध्यक्ष–

नितिन जी कृपया बैठिये।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। मान्यवर, नेता सदन जी ने कहा कि लोग आज महसूस कर रहे हैं लोगों को सुरक्षा महसूस हो रही है और इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि महिलायें निडर होकर चल रही हैं। आज गैंग रेप की घटनायें बढ़ीं, अबोध बालिकाओं की रेप की घटनायें बढ़ीं, अपराध की मान्यवर, डकैती की घटनायें बढ़ीं।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न मैं लेता हूं। मा0 पारस नाथ यादव जी का प्रश्न है। बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया उत्तर दें। कृपया शान्ति बनाये रखें।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में सुधार के लिए प्रभावी कार्य योजना की जानकारी

'04–श्री पारस नाथ यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा का स्तर गिरने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने हेतु दाखिला नहीं करा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में सुधार के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

जी नहीं

शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु पूर्व से निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं–

- बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों को भरते हुए शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है।
- कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को भाषा एवं गणित में अभ्यास के अवसर प्रदान करने के लिए निःशुल्क कार्य पुस्तिकायें उपलब्ध करायी जाती हैं।
- वर्ष 2016–17 में छात्र–छात्राओं की पाठ्य–पुस्तकों में पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन किया गया है, जिसके अनुसार शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाता है। इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकों में लर्निंग इण्डिकेटर्स (सीखने के संकेतक) जोड़े गये हैं ताकि अभिभावकों, बच्चों एवं शिक्षकों को जानकारी हो सके। इसके साथ ही बच्चों को सीखने के संबंध में अभिभावकों, बच्चों एवं शिक्षकों के विचार प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।
- शिक्षकों के शिक्षण कौशल में संवर्धन हेतु प्रतिवर्ष सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। तत्क्रम में प्राथमिक स्तर पर आरम्भिक पठन कौशल एवं गणितीय दक्षता विकास हेतु तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन एवं विद्यालयों को अकादमिक सपोर्ट प्रदान करने के लिए विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों का पुनर्गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र पर विषयवार सह–समन्यकों की व्यवस्था की गयी है।

- विद्यालयों के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- पठन–पाठन में गम्भीरता कम हो जाने के सम्बन्ध में प्राप्त फीडबैक के परिप्रेक्ष्य में बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा कक्षा 1–8 तक के छात्र–छात्राओं का मूल्यांकन हेतु परीक्षा व्यवस्था दो यूनिट टेस्ट, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा शैक्षिक सत्र 2015–16 से लागू करायी गयी।
- वर्ष 2016–17 में प्रत्येक छात्र के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु कार्ड एवं प्रोफाइल विकसित की गयी है, जिन्हें विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया है।
- वर्ष 2016–17 में पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण आरम्भ किया गया है। एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा वर्ष 2016–17 में कक्षा 1–3 तक की पाठ्य पुस्तकों के पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और तदनुसार नवीन पाठ्य पुस्तकें मुद्रित करायी जा रही हैं। कक्षा 4–8 तक की पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण वर्ष 2017–18 में पूर्ण कराने की कार्य योजना है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 मुख्यमंत्री जी ये भाजपा के लोग आपको चलने नहीं देंगे। ये संसदीय कार्यमंत्री जैसे लोगों से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ये जानबूझकर आपको उलझाना चाहते है। हम तो चाहते हैं आप मुख्यमंत्री रहें क्योंकि आप पूर्वांचल से आते है एक संत है, योगी हैं ये लोग आपको बर्दास्त करने की स्थिति में नहीं है इसीलिए फैसलों का जवाब उल्टा–सीधा दे रहे हैं कि ये हो कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मंत्री सही उत्तर नहीं दे पाये। मैंने तो शुरू में ही कहा कि जब बच्चा जन्म से ही पोलियोग्रस्त हो

जाये ज्योंहि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आयी कानून व्यवस्था के स्तर पर पंगु हो गयी बिल्कुल पंगु हो गयी।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब अगला प्रश्न लेने दीजिये। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी बोल रही हैं आप कृपया बैठिये।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

माननीय अध्यक्ष जी।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, ये किसी प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं दे पा रही हैं। जितने भी माननीय सदस्य है बसपा के हों, समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस पार्टी के हों उनके किसी के प्रश्न का सही उत्तर नहीं आया है और अध्यक्ष जी आप से हम लोगों को समर्थन मिलने की आशा नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

नहीं मैं तो बार–बार आप लोगों को समर्थन दे रहा हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। रोज डकैती, बलात्कार और जातिविद्वेष के आधार पर दंगे हो रहे हैं। सरकार उत्तर नहीं दे पा रही है इसलिए उत्तर न दे पाने के कारण हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर चले गये तथा बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भी सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पारस नाथ यादव जी है क्या ? हम अगला प्रश्न लेते हैं मुहम्मद असलम राइनी हैं ?

प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर एवं गम्भीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को आसान तरीके से मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग

***05–श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–**

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर एवं गम्भीर रोगों यथा कैंसर, किडनी रोग, हृदय रोग आदि से ग्रसित मरीजों को मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से उपचार हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता की प्रक्रिया में विलम्ब होने से उचित उपचार समय से न मिलने के कारण अधिकांशतः मरीजों की मृत्यु हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार गम्भीर रोगों के उपचार हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता की प्रक्रिया में विलम्ब की स्थिति से निपटने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

मा0 अध्यक्ष जी, यहां पर सदन में 403 मा0 सदस्य बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो गरीबों को आर्थिक सहायता दी जाती है। वह इतने विलम्ब से पहुंचती है कि हमारे मा0 सदस्य जब केजुअल्टी हो जाती है। तो वहां जाने में भी कतराते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आर्थिक सहायता समय से नहीं पहुंचती है तो वह व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाता है और अक्सर यह देखा जाता है कि जब आदमी मर चुका होता है उसकी अर्थी तैयार होती है तब मुख्यमंत्री कोष से वह पैसा पहुंचता है। मैं

आपसे केवल यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि इस प्रक्रिया को सरल कर दिया जाये तो हम सदस्यों की भी इज्जत महफूज रहेगी और यह आसान रहेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उसके संबंध में आपके माध्यम से एक जानकारी सदन को देना चाहता हूं कि अभी तक जिलाधिकारी रिपोर्ट भेजने में देर करते थे। मरीज की आर्थिक स्थिति क्या है। वह अपना इलाज कराने में सक्षम है या नहीं इसके संबंध में जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाती है। अगर वह इलाज कराने में सक्षम नहीं है तो मा0 मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से यह सहायता दी जाती है। हमने यह व्यवस्था कर दी है। इसी महीने की दिनांक 12–05–2017 को प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देशित कर दिया है कि इस संबंध में तीन दिन के अन्दर वह अपनी आख्या दे दें ताकि उस प्रक्रिया में विलम्ब न हो। तीन दिन के अन्दर रिपोर्ट आ जायेगी तो समय से सहायता पहुंच जायेगी। यह व्यवस्था कर दी है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

अब तो आप संतुष्ट होंगे।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

मान्यवर, पूरी मेडिकल रिपोर्ट बनकर जाती है उसमें जिलाधिकारी कोई रिपोर्ट नहीं लगाते हैं वह जो गरीब परिवार होता है वह डाक्टर से उसका इस्टीमेट बनवाता है और उसकी गम्भीर बीमारी का उसमें अंकित होता है और आपने तीन दिन की बात कही है। आपके स्तर से तो नहीं लेकिन जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनकी वजह से हम लोगों को बहुत मुंह छुपाकर रखना पड़ता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने शायद हमारा जवाब सुना नहीं। मैंने यह कहा कि अभी तक जिलाधिकारियों से रिपोर्ट आने में विलम्ब होता था कि मरीज की आर्थिक स्थिति क्या है ? वह अपना इलाज कराने में सक्षम है या नहीं। जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगने का एक प्राविधान हैं उसमें हमने दिनांक 12–05–2017 को यह व्यवस्था कर दी है और यह पत्र समस्त जिलाधिकारियों को इश्यू कर दिया गया है कि अगर वह तीन दिन के अन्दर रिपोर्ट दे देंगे तो जो मा0 सदस्य चाहते हैं और मैं समझता हूं कि पूरा सदन इससे संतुष्ट होगा। रिपोर्ट तीन दिन में आ जायेगी तो यहां पर जल्दी से जल्दी विवेकाधीन कोष से सहायता दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें सरकार की नीति और नीयत दोनों हैं।

श्री उमाशंकर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कुछ ऐसे भी आवेदन होते हैं कि जो रोगी होता है जो पत्र मार्किंग होने के बाद मा0 मुख्यमंत्री जी के यहां से जिलाधिकारी के यहां जाता है उसके साथ उसका निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र वोटर आई0डी0, आय प्रमाण–पत्र आदि लगा होता है और वह उसी को प्रमाणित करके फिर भेज देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि उप जिलाधिकारी, तहसीलदार के यहां से जो आय प्रमाण–पत्र निर्गत होता है जिसमें यह देखा जाता है कि यह रोगी इलाज कराने में सक्षम है या नहीं। वह प्रमाण–पत्र लगाकर, इस्टीमेट लगाकर और अपना आवेदन मा0 मुख्यमंत्री जी को संदर्भित करके लिखता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इतना प्रमाण–पत्र

लगाकर मुख्यमंत्री जी को संदर्भित किया है तो क्या वह भी जिलाधिकारी के पास पुनः प्रमाणित होने के लिए जायेगा।

अध्यक्ष जी, अगर कोई अपनी मूल प्रति दे रहा है और डाक्टर ने उसको समय दे दिया कि फलां तारीख को आपका आपरेशन होगा, वह व्यक्ति लग करके, कचेहरी से लेकर, हर जगह से सारे पेपर्स बनवा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन कर दिया तो क्या उस निवेदन पर यदि मूल प्रमाण–पत्र उसके हैं, तब भी वह जिलाधिकारी के पास भेजे जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसमें आ गया है कि पूरे प्रकरण पर सरकार पहले से विचार कर रही है। आपने जो सुझाव दिये हैं, उन्हें भी समाहित करके सरकार देख लेगी।

प्रदेश के सभी जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की मांग

***06–सुश्री अदिति सिंह–**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या सरकार अध्यापकों की उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक सिस्टम लागू करने तथा उनके अध्यापन कार्य की जवाबदेही के लिए कोई केन्द्रीकृत व्यवस्था लागू करते हुए सक्षम स्तर पर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु शैक्षिक कैलेण्डर तथा निर्धारित समयावधि में पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु विद्यालय में समय–सारिणी प्रेषित की गयी है। विद्यालय में अध्यापन कार्य तथा छात्रों के शैक्षिक स्तर

के संबंध में शिक्षकों की जवाबदेही के लिए विद्यालय निरीक्षण हेतु निरीक्षण प्रपत्र जनपदों में प्रेषित किये गये हैं।

विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक सिस्टम लागू करने का प्रकरण शासन स्तर पर अद्यतन विचाराधीन नहीं है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

सुश्री अदिति सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूंछना चाहूंगी क्योंकि पिछले कई सालों में जो टीचर्स हैं, अध्यापकगण है, उनका जो वेतन है, वह बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है जो पहले 3500 होता है, थर्टी फाइव हैंडरेड होता था, अब वह थर्टी फाइव थाउजैंड तक जाता है यानी पैंतीस हजार तक, उनका वेतन तो बढ़ गया है, लेकिन उनकी अटेंडेंस की जो प्राब्लम है, वह बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्राब्लम को साल्व करने के लिए हम यह सुझाव रख रहे हैं कि बायोमैट्रिक सिस्टम जैसे कुछ गवर्नमेण्ट आफिसेज में यूज किये गये हैं, वही चीज हमारे शिक्षकों के लिए, हमारे प्राथमिक विद्यालयों में और अन्य सरकारी स्कूल हैं, उनमें लागू किया जाये ताकि इन विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अनुपमा जायसवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए और समय–समय पर विद्यालयों में विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में प्राक्सी टीचर्स द्वारा कार्य करने के सम्बन्ध में शिकायतें आती हैं। प्राक्सी टीचर्स लगाये जाने की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने हेतु समस्त परिषदीय विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर

श्रेणीवार अध्यापकों के फोटोग्राफ लगाये जाने हैं ताकि छात्र तथा उनके अभिभावक विद्यालय में तैनात नियमित अध्यापकों के बारे में जान सकें और उनके बारे में समय–समय पर जानकारी ले सकें। इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालयों में मिड–डे–मील दिया जाता है। मिड–डे–मील के लिए हमने एक 'मां' नाम की उसी गांव में रहने वाली महिलाओं की समिति बनायी है, वह केवल उसी को ही नहीं चेक करेगी, उन महिलाओं के विद्यालय आने पर कौन–कौन से अध्यापक कार्य कर रहे हैं, उन अध्यापकों के बारे में नियमित मानीटरिंग उनके द्वारा भी की जा सके।

सुश्री अदिति सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहती हूं कि जो यह बायोमैट्रिक सिस्टम लगाये जाने की बात है, इसको लगाये जाने के बारे में कुछ किया जायेगा या नहीं किया जायेगा ? माननीय मंत्री जी ने बताया कि मिड–डे–मील को देखने के लिए जो कमेटी बनायी गयी है, वही टीचर्स की उपस्थिति की मानीटरिंग कर रही हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि इन विद्यालयों में बायोमैट्रिक सिस्टम को लागू किया जायेगा या नहीं ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक सिस्टम लागू करने का प्रकरण शासन स्तर पर अद्यतन विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब तो उत्तर आ गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि प्राइमरी और जूनियर, दोनों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या सरकार डायट प्राचार्य,

बी0एस0ए0, ए0बी0एस0ए0 या अध्यापक जो अपने बच्चों को प्राइवेट कालेजों में पढ़ाते हैं, उनको इन विद्यालयों में पढ़ाने के कोई निर्देश सरकार जारी करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न के संगत नहीं है। हम अगला प्रश्न लेते हैं।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट मेरी बात सुन लें, नहीं तो व्यवस्था का प्रश्न हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में शिक्षकों से केवल शिक्षण कार्य लिया जायेगा या दैवीय आपदा में कार्य लिया जायेगा या चुनाव का कार्य लिया जायेगा, ऐसा 2012 में मुख्य सचिव जावेद उस्मानी जी ने एक आदेश किया था।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें, इस प्रश्न से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, सम्बन्ध नहीं है, मैं अलग से व्यवस्था का प्रश्न कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे यहां पूरे जिले में शिक्षक हड़ताल पर हैं। व्यवस्था के प्रश्न पर आप मुझे सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था का प्रश्न, प्रश्नकाल में नहीं होता है। आप नियमावली देख लीजिये।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित है, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर मुझे बाद में मिल जाये, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें, आप अध्ययनशील हैं, आप अलग से पूछ लीजियेगा।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बहुत आवश्यक है और बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता, माननीय सदस्य, महोदय, आपकी जिज्ञासा है, आप अलग से पूछ लीजिये, उसका समाधान करवा देंगे।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं व्यवस्था शब्द हटा देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता, आप अपने नेता से पूछ लीजिये। प्रश्न के संगत नहीं है और प्रश्न के संगत नहीं होगा तो प्रश्न नहीं बनेगा। हम आपकी बात अलग से एक घण्टा–दो घण्टा सुन लेंगे, परिवार के हैं। माननीय सदस्य, इस प्रश्न से उसका संगत नहीं है, इसलिए नहीं बनता, आप अगले दिन पूछ लीजियेगा। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं आप कृपया बैठ जायें। आपकी बात सारवान हो सकती है, गम्भीर हो सकती है, पर इस प्रश्न के संगत नहीं है, आप बैठ जायें। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

प्रदेश में वाहन चालकों की सीट बेल्ट तथा हेलमेट लगाने सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से पालन करने की मांग

***07–डा0 नीरज बोरा–**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाहन चालकों द्वारा सीट बेल्ट एवं दुपहिया वाहन चालकों के हेलमेट न लगाने के कारण प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार वाहन चालकों के सीट बेल्ट एवं हेलमेट लगाने सम्बन्धी नियमों का पालन कड़ाई से कराया जाना सुनिश्चित कराने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

जी हां।

1–केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 129 व इसी क्रम में उ0 प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 201 के अन्तर्गत दो पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1989 की धारा 138(3) के अन्तर्गत वर्ष 1994 से निर्मित चार पहिया वाहनों को संचालित करते समय चालक तथा अगली सीट पर बैठी सवारी के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य किया गया है।

2–दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट धारण किये जाने एवं चार पहिया वाहन चालकों व अगली सीट पर बैठी सवारी के लिए सीट बेल्ट की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराये जाने हेतु मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 व यातायात निदेशालय स्तर से समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

3–केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम 138(4)(एफ) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार हेलमेट की आपूर्ति वाहन निर्माता/डीलर द्वारा वाहन क्रय किये जाने के

समय क्रेता को आई0एस0आई0 मार्क वाले हेलमेट की आपूर्ति किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया गया है कि दो पहिया वाहनों के निर्माताओं/डीलरों द्वारा बी0आई0एस0 मानक के हेलमेट की आपूर्ति वाहन की सुपुर्दगी के समय अवश्य की जाय।

4–मोटरयान अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत संचालित हो रहे वाहनों की नियमित रूप से चेकिंग व चालान की कार्यवाही कराये जाने हेतु समय–समय पर जनपदीय पुलिस अधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। यातायात नियमों के अनुपालन में विशेष ध्यान देकर प्रवर्तनात्मक कार्यवाही करायी जा रही है तथा प्रत्येक माह जनपदों में हो रही कार्यवाही की समीक्षा के उपरान्त उचित दिशा–निर्देश दिये जा रहे हैं।

5–माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 द्वारा संचालित कक्षा–1 से कक्षा–12 तक के पाठ्यक्रम में 'सड़क सुरक्षा' से सम्बन्धित अध्याय सम्मिलित कराया गया।

6–यातायात निदेशालय द्वारा प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर में यातायात माह एवं माह दिसम्बर में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इस अवधि में यातायात नियमों/संकेतों का अनुपालन किये जाने हेतु जन सामान्य व स्कूली बच्चों को प्रशिक्षित, प्रेरित व जागरूक किया जाता है। इसके लिए समाज के विभिन्न समूहों का सहयोग भी लिया जाता है। स्कूली छात्र–छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किये जाने हेतु स्कूल/कालेजों में निबन्ध, क्विज आदि प्रतियोगितायें आयोजित कराई जाती हैं तथा यातायात नियमों/संकेतों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के पोस्टर व पम्फलेट भी वितरित किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य नीरज बोरा जी आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत उत्तर से संतुष्ट हैं ?

डा0 नीरज बोरा–

जी मान्यवर, मैं संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

प्रदेश की अदालतों में लम्बित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु नयी अदालतें स्थापित करने की मांग

'08–संजय गर्ग–

क्या विधायी एवं न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की अदालतों में लम्बित मुकदमों की अधिक संख्या को देखते हुए तथा जनता को शीघ्र न्याय दिलाने हेतु नयी अदालतें स्थापित करने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विधायी एवं न्याय अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री बृजेश पाठक)–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बृजेश पाठक–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 8 का प्रथम उत्तर जी हां और द्वितीय का प्रश्न नहीं उठता।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, करोड़ों केस लम्बित है और जिस सवाल में माननीय मंत्री जी ने जी हां जवाब दिया है, मैं केवल इतनी जानकारी चाहता हूं कि लोक अदालत और फैमिली कोर्ट की संख्या बढ़ाने पर क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री बृजेश पाठक–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की चिन्ता उत्तर प्रदेश में जो लम्बित न्यायपालिका में मुकदमें हैं उनको त्वरित निस्तारित करने की है। सरकार ने इस सम्बन्ध में बहुत ही गम्भीर प्रयास किया और निर्णय लिया जिसके तहत अपर जिला जज स्तर के सत्र न्यायाधीश स्तर के 100 पद सृजित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सीनियर सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए 100 पद सृजित किये गये हैं और सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए लगभग 300 पद सृजित किये गये हैं। अर्थात् कुल 500 न्यायालयों के गठन के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त जो पारिवारिक न्यायालय है, उनमें मुकदमों की संख्या इतनी अधिक हो गयी है। परिवार में लड़ाई–झगड़ा होने के बाद वह पारिवारिक न्यायालयों के चक्कर लगाते रहते हैं उनको समय से न्याय नहीं मिल पाता है। परिवार में विच्छेदन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके लिए सरकार ने चिन्ता की और इसके लिए अतिरिक्त 111 नये पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की जा रही है। जो माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है, सरकार पूरी तरह से इनकी चिन्ता से सहमत है। इन अदालतों के अतिरिक्त जो महिलायें हैं उन पर अत्याचार बढ़ रहा है, उनके बारे में भी चिन्ता करने की आवश्यकता है। महिलाओं को जल्दी से न्याय मिले जिन महिलाओं ने अपने ऊपर हुए अत्याचार के मुकदमें दर्ज कराये हैं उनको शीघ्र न्याय देने के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त जो एस0सी0/एस0टी0 भाई हैं, अनुसुचित जनजाति के भाई हैं उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर मुकदमें तो दर्ज है लेकिन उनको समय से न्याय नहीं मिल पाता शीघ्र न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द से जल्द न्याय दिलाने का काम सरकार करने जा रही है उसके लिए भी अतिरिक्त 25 न्यायालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। जो माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक सवाल लोक अदालतों के सम्बन्ध में पूछा है मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्थायी लोक अदालत स्थापित करने के लिए सरकार ने

निर्णय लिया है उसके लिए सभी सम्बन्धित को निर्देश दे दिये गये हैं और 47 जनपदों में स्थायी लोक अदालतों का गठन का निर्णय लिया गया है और शीघ्र ही सभी जनपदों में स्थायी लोक अदालतें गठित की जायेंगी और यह सरकार की प्रतिबद्धता और निर्णय है कि सभी को त्वरित न्याय मिले इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

(श्री सुखदेव राजभर द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुखदेव राजभर जी मैं आपको सुनूंगा, सभी तारांकित प्रश्नों का उत्तर पूरा हो गया है। प्रश्न प्रहर समाप्त हुआ। तारांकित प्रश्नों की सूची समाप्त हो गयी। अतारांकित प्रश्न पढ़े हुए, उत्तर दिये हुए माने जाते हैं। अब सुखदेव राजभर जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को विनियमित किये जाने की मांग

1–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को विनियमित किये जाने की प्रदेश सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

जी नहीं। समेकित बाल विकास सेवा योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय में केन्द्रांश 60 व राज्यांश 40 प्रतिशत है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के पदों पर नियुक्ति मानदेय के आधार पर की जाती है, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का केन्द्र संचालन सम्बन्धी कार्य पूर्णकालिक सेवा न होकर मानदेय आधारित सेवा होने व

केन्द्र सहायतित योजना के कारण राज्य सरकार स्तर पर कार्यकत्रियों को विनियमित किये जाने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के प्राथामिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइया का मानदेय बढ़ाने की मांग

2–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइया का मानदेय लेवर ऐक्ट के प्राविधानों एवं बढ़ती मंहगाई के मद्दे नजर बढ़ाकर 8 से 10 हजार रुपये प्रतिमाह किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 1–1/2009–डेस्क (एमडीएम) दिनांक 24–11–2009 में उल्लिखित बिन्दु संख्या 1 (अप) में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत कुक कम हेल्पर (रसोईया) को मानदेय रु0 1,000.00 देने का प्राविधान किया गया है, जिसके अनुसार शासनादेश दिनांक 24–4–2010 द्वारा रसोइया के लिए रु0 1,000.00 प्रतिमाह मानदेय दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

---

*तारांकित प्रश्न सं0 8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

वर्तमान में रसोइया के मानदेय पर होने वाले व्यय का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अतः रसोइयों को दिये जाने वाले मानदेय को यदि भारत सरकार द्वारा बढ़ाया जाता है, तो उसके अनुसार मानदेय बढ़ाने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तहसील व ब्लाक स्तर पर उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु विज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित कराने की जानकारी

3–श्री अनुराग सिंह–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, तहसील व ब्लाक स्तर पर युवाओं की उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु सरकार की कोई विशेष कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सभी राजकीय महाविद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर विज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षाओं को संचालित करने की मान्यता एवं अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी हां। रूसा योजनान्तर्गत प्रदेश के 26 विकास खण्डों/तहसीलों में 26 माडल राजकीय महाविद्यालय तथा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 27 राजकीय महाविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है।

असेवित योजनान्तर्गत महाविद्यालय खेलने के लिए एक संकाय (कला/वाणिज्य) हेतु अधिकतम रु0 30.00 लाख एवं विज्ञान संकाय हेतु अधिकतम रु0 40.00 लाख तथा दो या उससे अधिक संकाय हेतु अधिकतम रु0 50.00 लाख का अनुदान महाविद्यालय के भवन निर्माण एवं अवस्थापना विकास के निमिन्त प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यकता, औचित्य तथा आवश्यक वित्तीय व आधारभूत संसाधनों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षायें संचालित किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

प्रदेश में नये शासकीय विश्वविद्यालय खोलने की मांग

4–श्री अनुराग सिंह–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये शासकीय विश्वविद्यालय खोलने की सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों के विंध्यक्षेत्रों की विशेष भौगोलिक, सामाजिक, शैक्षिक पिछड़ेपन एवं प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता को देखते हुए ग्रामीण युवाओं के उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत नये राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद मिर्जापुर के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं पुस्तकाध्यक्ष के रिक्त पदों पर भर्ती की जानकारी

5–श्री अनुराग सिंह–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिला स्थित राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में विज्ञान शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद की चुनार तहसील स्थित तीन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं

पुस्तकाध्यक्षों के रिक्त पदों को सरकार भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों

डा0 दिनेश शर्मा–

प्रवक्ता के कुल 04 पद रिक्त है।

जी हां।

लोक सेवा आयोग से चयनित प्रवक्ताओं की संस्तुति प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

उप मुख्य मंत्री को प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

6–श्री अनुराग सिंह–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान विषयों की स्नातकोत्तर कक्षायें चलाने हेतु अनुमति देने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि मिर्जापुर जिला स्थित नरोत्तम सिंह, पद्म सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मगरहां, चुनार में विज्ञान विषयों की कक्षायें अगले सत्र 2017–18 में संचालित करने की अनुमति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2017 उप मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

आवश्यकता, औचित्य तथा आवश्यक वित्तीय व आधारभूत संसाधनों के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षायें संचालित किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

मा0 सदस्य का तद् विषयक पत्र दिनांक 30–3–2017 प्राप्त हुआ है।

निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रस्ताव पर आवश्यक पदों के सृजन की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हाई स्कूल व इण्टर की कक्षाओं का सत्र जुलाई से प्रारम्भ करने की मांग

7–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हाई स्कूल व इण्टर की कक्षाओं का शैक्षणिक सत्र पूर्व की भांति 01 जुलाई से प्रारम्भ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रदेश में संचालित माध्यमिक विद्यालयों का शैक्षिक सत्र 01 अप्रैल से प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रदेश में सामान्य निर्वाचन वर्ष 2017 के फलस्वरूप परिषद की परीक्षायें विलम्बित होने के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 2017 द्वारा वर्ष 2017 का शैक्षिक सत्र विलम्ब से 01 जुलाई से प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वर्ष 2018 का शैक्षिक सत्र पूर्व निर्धारित समय से पुनः 01 अप्रैल से प्रारम्भ होगा। ऐसी स्थिति में शैक्षणिक सत्र पूर्व की भांति 01 जुलाई से प्रारम्भ किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर के कतिपय इण्टर कालेजों में रिक्त शिक्षक, क्लर्क व चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरे जाने की जानकारी

8–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सीतापुर जनपद की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज, महमूदाबाद, राजकीय इण्टर कालेज बासूरा, राजकीय इण्टर कालेज, रामपुर व मथुरा में स्वीकृत पदों के सापेक्ष शिक्षक, क्लर्क व चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी हां।

पदों को भरने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के कतिपय ब्लाकों में राजकीय हाईस्कूल एवं शैक्षिक कार्य प्रारम्भ करने की जानकारी

9–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद में राजकीय हाईस्कूल बाबूपुर, ब्लाक महमूदाबाद, बिलासपुर ब्लाक रामपुर, मथुरा, भिटकुरा, मरहमतनगर ब्लाक पहला के निर्माण कार्य पूर्ण कर शैक्षिक कार्य शुरू हो गया है ? यदि हां, तो कब से प्रारम्भ हुआ है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं एवं इन्हें कब तक आरम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

राजकीय हाईस्कूल बाबूपुर, ब्लाक महमूदाबाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत तथा राजकीय हाईस्कूल विलासपुर, ब्लाक रामपुर, मथुरा एवं राजकीय हाईस्कूल भिटकुरा मरहमतनगर, ब्लाक पहला राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अर्न्तगत स्वीकृत हैं।

राजकीय हाईस्कूल विलासपुर, ब्लाक रामपुर, मथुरा एवं राजकीय हाईस्कूल भिटकुरा मरहमतनगर, ब्लाक पहला का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा उक्त दोनों विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

राजकीय हाईस्कूल बाबूपुर, ब्लाक महमूदाबाद का निर्माण कार्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त न होने के कारण अधूरा है। अतः शिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं है।

राजकीय हाईस्कूल विलासपुर ब्लाक रामपुर, मथुरा एवं राजकीय हाईस्कूल भिटकुरा मरहमतनगर, ब्लाक पहला का शिक्षण कार्य जुलाई, 2014 से प्रारम्भ हो चुका है।

राजकीय हाईस्कूल बाबूपुर, ब्लाक महमूदाबाद का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के ग्राम लैलखुर्द में निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण एवं शैक्षिक कार्य प्रारम्भ करने की जानकारी

10–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महमूदाबाद के ग्राम लैलखुर्द में निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण कार्य पूर्ण कर शैक्षिक कार्य शुरू हो गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत विद्यालय का निर्माण माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नहीं, बल्कि मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अर्न्तगत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा करया जा रहा है। निर्माण कार्य की कुल स्वीकृत लागत रु0 312.92 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु0 156.46 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। भारत सरकार से द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त होने पर भवन निर्माण कार्य पूर्ण होते ही शैक्षिक कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के कतिपय ब्लाकों के माण्डल स्कूलों के निर्माण एवं शैक्षिक कार्य प्रारम्भ करने की जानकारी

11–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के ब्लाक पहला अन्तर्गत मॉडल स्कूल अकबापुर, ब्लाक महमूदाबाद के अन्तर्गत मॉडल स्कूल जोड़ौरा तथा शहरी ब्लाक रामपुर, मथुरा के मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य पूर्ण होकर शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के ब्लाक पहला अन्तर्गत मॉडल स्कूल अकबापुर, ब्लाक महमूदाबाद के अन्तर्गत मॉडल स्कूल जोड़ौरा तथा शहरी ब्लाक रामपुर, मथुरा के मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इन मॉडल स्कूलों में शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा मॉडल स्कूलों काो सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी (पी0पी0पी0 मॉडल) पर संचालित किये जाने हेतु लिए

गये निर्णय के अनुपालन में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक द्वारा निजी भागीदारों के चयन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी, किन्तु अत्यन्त न्यून संख्या में निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा मॉडल स्कूलों को संचालित करने की नीति विचाराधीन है।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के कतिपय ग्राम सभाओं की पानी की टंकियों का निर्माण कराने की जानकारी

12–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के ग्राम सभा धरमपुर, पोखरा कलां, रसूलाबाद, सदरपुर, केदारपुर, मानापुर, मीरानगर तथा मितौरा में निर्माणाधीन पानी की टंकियों का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर पानी की आपूर्ति प्रारम्भ हो गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास समग्र ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार) डा0 महेन्द्र सिंह–

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के ग्राम सभा धरमपुर, एवं पोखरा कलां की पाइप पेयजल योजनाओं में माह मार्च, 2017 से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। ग्राम सभा रसूलाबाद, सदरपुर, केदारपुर, मीरानगर एवं मितौरा की पेयजल योजनाओं में क्रमशः 60 प्रतिशत, 70 प्रतिशत, 60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अवशेष कार्यों को माह जुलाई, 2017 तक पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के कतिपय ग्राम सभाओं में पानी की टंकियों का निर्माण कराने की मांग

13–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के ग्राम सभा शमशाबाद, बजेहरा, सैर, न्यामतपुर, लबरहा में स्वीकृत पानी की टंकियों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

सीतापुर जनपद की तहसील महमूदाबाद के ग्राम सभा बजेहरा, सैर, एवं न्यामतपुर, लबरहा में राज्य ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत स्वीकृत ग्रामीण पेयजल योजनाओं में नलकूप बोरिंग कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है, इन योजनाओं पर कार्य दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा शमशाबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत पेयजल योजना में भारत सरकार के अद्यतन दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत धनराशि अवमुक्त न हो पाने के कारण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2016 में आयोजित सी0पी0एम0टी0 परीक्षा निरस्त होने के कारण निर्धारित परीक्षा शुल्क वापस किये जाने की मांग

14–हाजी इरफान सोलंकी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2016 में आयोजित सी0पी0एम0टी0 परीक्षा निरस्त होने के कारण प्रत्येक छात्र से जमा कराये गये रु0 1400.00 निर्धारित परीक्षा शुल्क सरकार द्वारा छात्रों को वापस करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने समस्त छात्रों द्वारा जमा शुल्क

उन्हें वापस कर दिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा (श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी')–

जी हां।

छात्रों द्वारा जमा शुल्क वापस किए जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा की जा रही है।

यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में नेडा विभाग द्वारा स्थापित सोलर लाइट की गुणवत्ता विहीन बैट्रियों को बदलवाने की मांग

15–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 309, रुधौली, जनपद बस्ती में नेडा विभाग द्वारा स्थापित की गयी सोलर लाइटों की बैटरी के गुणवत्ता में कमी के कारण पूरी रात नहीं जल पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थलीय निरीक्षण कराकर गुणवत्ता विहीन बैटरियों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक–

जी नहीं।

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र 309, रूधौली में वर्ष 2012–13 में 136 अदद वर्ष 2014–15 में 200 अदद, वर्ष 2015–16 में 100 अदद, इस प्रकार कुल 436 अदद सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना 05 वर्षों की वारण्टी के अन्तर्गत यूपीनेडा द्वारा अनुबन्धित फर्मों से

करायी गयी है। यूपीनेडा द्वारा स्थापित करायी गयी समस्त 436 अदद सोलर स्ट्रीट लाइटें क्रियाशील हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के कतिपय विधान सभा क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग द्वारा हैण्डपम्प के रि–बोर व नई टंकियों को लगवाये जाने की मांग

16–धीरेन्द्र बहादुर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले डार्क जोन घोषित सरेनी विधान सभा क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त क्षेत्र की लगभग 1000 से अधिक हैण्डपाइप रि–बोर होने हैं तथा लगभग बीस पानी की टंकिया काफी पुरानी होने के कारण जीर्ण–शीर्ण हालत में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के निराकरण हेतु खराब हैण्डपम्पों को रि–बोर तथा जीर्ण–शीर्ण टंकियों के स्थान पर नयी टंकियां लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जी नहीं। जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के अन्तर्गत विकास खण्ड सरेनी, लालगंज एवं डलमऊ में कुल 17547 इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जो कि निर्धारित मानक (150 की आबादी पर 01 हैण्डपम्प) से अधिक है। इस प्रकार उक्त विधान सभा क्षेत्र पेयजल सुविधा से संतृप्त है।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के अन्तर्गत कुल अधिष्ठापित 17547 नग इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्पों में से वर्तमान में 1819 हैण्डपम्प रिबोर योग्य हैं। विधान सभा क्षेत्र सरेनी की कुल 50 गुणता प्रभावित बस्तियों में 86 नग सौर

ऊर्जा आधारित मिनी पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुल निर्मित/अनुरक्षणाधीन 27 नग पेयजल योजनाओं में से 11 नग एकल ग्राम पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति की जा रही है किन्तु 16 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के कार्यकाल पूर्ण हो जाने के कारण आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है।

खराब हैण्डपम्पों की रिबोरिंग की कार्यवाही सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायती राज विभाग के माध्यम से कराया जाना है। विधान सभा क्षेत्र–सरेनी के अन्तर्गत आंशिक रूप से जलापूर्ति वाली 16 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में से 02 नग (बेहटा कलां पुनर्गठन पेयजल योजना) एवं (खजूरगांव ग्राम समूह पुनर्गठन पेयजल योजना) स्वीकृत हैं, जिनमें से बेहट कलां पुनर्गठन पेयजल योजना निर्माणाधीन है। अवशेष 14 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन की परियोजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के अद्यतन दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा बी0एड0/टी0ई0टी0, 2011 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कोर्ट के सापेक्ष दिनांक 24 फरवरी, 2016 तक बने समस्त याचियों को तदर्थ नियुक्ति करने का प्रकरण

17–श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए विभिन्न प्रार्थीगणों (बी0एड0 –टी0ई0टी0 2011 उत्तीर्ण) को 7 दिसम्बर, 2015 तदर्थ (याची लाभ) प्रदान किया गया था एवं

इसी आदेश के सापेक्ष दिनांक 24 फरवरी, 2016 तक बने समस्त याचियों को तदर्थ नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश उ0प्र0 सरकार को दिया गया था ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण बी0एड0–टी0ई0टी0, 2011 के उत्तीर्ण अभ्यथी याचीगण परेशान हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

जी हां। मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07–12–2015 के द्वारा 1100 याची अभ्यर्थियों को तदर्थ नियुक्ति के आदेश दिये थे, जिसके अनुपालन में 862 याची अभ्यर्थियों को तदर्थ/औपबन्धिक रूप से प्रशिशु शिक्षक पद पर नियुक्ति दी गयी। इनमें से 06 माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर चुके 839 याची प्रशिक्षु शिक्षकों को तदर्थ/औपबन्धिक रूप से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किया गया है।

परन्तु मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 24–2–2016 द्वारा याचियों के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार को आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये, जिसमें याचीगण द्वारा प्राप्त अंकों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट करना था कि वे नियुक्ति हेतु याोग्य हैं अथवा नहीं।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी, जो सम्प्रति विचाराधीन है।

जी हां।

अनुपालन किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कतिपय जनपदों में पेयजल की योजना

18–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वांचल के पठारी क्षेत्र मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों समेत बुन्देलखण्ड के कई जनपदों में भीषण गर्मी के कारण वर्तमान वर्ष 2017 के अप्रैल माह में ही भूमिगत जलस्तर काफी नीचे चले जाने से पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में समुचित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

प्रदेश के पूर्वांचल के पठारी क्षेत्र के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों समेत बुन्देलखण्ड के कई जनपदों में पेयजल आपूर्ति हेतु इण्डिका मार्क–II हैण्डपम्प निर्धारित मानक (150 की जनसंख्या पर 01 हैण्डपम्प) से अधिक लगे हैं तथा उक्त समस्त क्षेत्र/जनपद निर्धारित मानकानुसार हैण्डपम्पों से संतृप्त हैं। इसके अतिरिक्त इन जनपदों में पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से भी पेयजल आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। इस प्रकार पूर्वांचल के पठारी क्षेत्र के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों समेत बुन्देलखण्ड के जनपदों में भीषण गर्मी के कारण भूजल स्तर नीचे जाने पर पेयजल की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। इन जनपदों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आकस्मिक स्थिति में पेयजल समस्या उत्पन्न होने पर टैंकरों के माध्यम से भी जलापूर्ति की व्यवस्था है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में ग्रीष्म ऋतु में सम्भावित पेयजल समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में कुल 1174 नये इण्डिया

मार्क–II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन तथा 4815 हैण्डपम्पों के रिबोरिंग एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के फ्लैक्सी मद के अन्तर्गत जनपद मिर्जापुर में 400 नग तथा जनपद सोनभद्र में 200 नग खराब इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्पों के रिबोरिंग की कार्ययोजना स्वीकृत करते हुए धनराशि भी अवमुक्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के कतिपय विकास खण्डों में स्थापित इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की स्थिति की जानकारी

19–श्री सुखदेव राजभर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्ड मार्टिनगंज, मुहम्मदपुर तथा फूलपुर में स्थापित इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों में कितने हैण्डपम्प चालू हालत में हैं एवं कितने खराब हैं ? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्ड मार्टिनगंज, मुहम्मदपुर तथा फूलपुर में कुल स्थापित 7270 नग इण्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्पों में से 7065 नग हैण्डपम्प चालू हैं एवं 205 नग हैण्डपम्प खराब हैं।

खराब हैण्डपम्पों को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा ठीक कराया जाना है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षारत छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रकरण

20–श्री सुखदेव राजभर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षारत छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो छात्रवृत्ति बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु शिक्षारत छात्रों को पूर्व की भांति छात्रवृत्ति दिये जाने पर पुनः विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

प्रदेश के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षारत कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा दी जाती थी, जो वर्तमान में नहीं दी जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर कार्यवाही

21–डा0 नीरज बोरा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शिक्षकों के रिक्त पदों में प्रोफेसर के 35 पद एसोसिएट प्रोफेसर के 48 पद एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर के 40 पद वर्तमान में रिक्त हैं।

शासनादेश संख्या 124/सत्तर–1–2017–16 (144)/2010 टी0सी0, दिनांक 8–4–2017 द्वारा संशोधित नियमावली के आधार पर विश्वविद्यालय में रिक्त विभिन्न पदों को विज्ञापित कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के पलटन में स्थित प्राथमिक विद्यालय की चहार दीवारी बनवाये जाने की जानकारी

22–डा0 नीरज बोरा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के उत्तर विधान सभा क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय, पलटन में चाहर दीवारी न होने के कारण हो रही गन्दगी व अतिक्रमण से शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय की चाहरदीवारी बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

जी नहीं।

लखनऊ नगर के उत्तर विधान सभा क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय, पलटन में चहार दीवारी बनी हुयी है। विद्यालय परिसर में अतिक्रमण नहीं है तथा शिक्षण कार्य भी प्रभावित नहीं हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

जनपद लखनऊ में ट्रैफिक जाम की समस्याओं के निस्तारण की जानकारी

23–डा0 नीरज बोरा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में बढ़ते वाहनों की संख्या तथा ट्रैफिक पुलिस बल की कमी के कारण नागरिकों को भारी ट्रैफिक जाम के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्बाध यातायात संचालन हेतु कोई कारगर उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्य नाथ–

जी नहीं।

वर्तमान समय में शहर के किसी भी मुख्य मार्ग पर स्थायी जाम की समस्या नहीं है, अपितु वीवीआईपी/वीआईपी भ्रमण होने, धरना प्रदर्शन होने, जुलूस आदि निकलने, मार्गों पर निर्माण कार्य होने, मैट्रो का कार्य होने, रोड पर खुदाई होने आदि के समय अल्प अवधि के लिए अस्थायी जाम की समस्या उत्पन्न होती है अथवा यातायात रुक–रुक कर या फिर धीमी गति से चलता है। जिसके सम्बन्ध में तत्काल सोशल मीडिया, फेसबुक, वाट्सअप द्वारा जनता को जाम वाले स्थान एवं डायवर्जन के बारे में सूचित किया जाता है। इन स्थानों पर ड्यूटी लगाकर भी डायवर्जन कराकर सुगम एवं सुव्यवस्थित यातायात का संचालन सुनिश्चित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित प्राथमिक विद्यालय सिकन्दरपुर में चहार दीवारी व गेट लगवाये जाने की मांग

24–डा0 नीरज बोरा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के उत्तर विधान सभा क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय, सिकन्दरपुर में चहार दीवारी और गेट न होने से विद्यालय परिसर में असुरक्षा का वातावरण रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय की चहारदीवारी और गेट का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

प्राथमिक विद्यालय, सिकन्दरपुर नगर क्षेत्र में चहार दीवारी व गेट नहीं है। विद्यालय में 44 मीटर चहारदीवारी एवं गेट की आवश्यकता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चहारदीवारी निर्माण हेतु बजट स्वीकृत न होने के कारण चहारदीवारी और गेट का निर्माण कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सभी श्रेणी के युवाओं को कालेज में दाखिला लेने पर मुफ्त लैपटांप उपलब्ध कराये जाने की सरकार की नीति की जानकारी

25–श्री नितिन अग्रवाल–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सभी श्रेणी के युवाओं को कालेज में दाखिला लेने पर मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो इस योजना को कब तक लागू किया जायेगा तथा उक्त से कितना व्यय भार राज्य सरकार पर आयेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नये राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में एम0एस0 एवं एम0 डी0 कक्षायें में प्रारम्भ करने की मांग

26–श्री लाल जी वर्मा–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित नये राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों जिनमें एम0बी0बी0एस0 का प्रथम शैक्षणिक सत्र 2011–12 में प्रारम्भ हुआ था, में चिकित्सकों की उच्च शिक्षा हेतु एम0एस0 एवं एम0 डी0 की कक्षायें भी प्रारम्भ कराये जाने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''–

जी हां।

राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर को एम0सी0आई0 द्वारा वर्ष 2016–17 में अन्तिम रूप से एम0बी0बी0एस0 कोर्स हेतु मान्यता प्रदान कर दी गयी है, परन्तु वर्तमान में चिकित्सा शिक्षकों की कमी के कारण एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार एम0एस0 व एम0डी0 की कक्षाएं प्रारम्भ नहीं की जा सकती हैं।

राज्य सरकार द्वारा एम0सी0आई0 मानकों के अनुरूप चिकित्सा शिक्षकों की कमी को पूर्ण करते हुए एम0एस0/एम0डी0 कोर्स प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकर नगर के महामाया राजकीय मेडिकल कालेज के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराने की मांग

27–श्री राम अचल राजभर–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महामाया राजकीय मेडिकल कालेज अम्बेडकर नगर के अधूरे निर्माण कार्यों को जनहित में सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में निर्माण कार्यों के पूर्ण हो जाने की संभावना है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद श्रावस्ती के लक्ष्मनपुर बाजार को नवीन ब्लाक बनाये जाने की सरकार की कार्य योजना की जानकारी

28–मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2016 में जनपद श्रावस्ती के लक्ष्मनपुर बाजार को नवीन ब्लाक बनाने हेतु सरकार द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार उसका नोटीफिकेशन भी हो गया है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक शुरू कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जी हां।

नवीन ब्लाक निर्माण के सम्बन्ध में कतिपय आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनका निराकरण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों को नियमित करने की जानकारी

29–श्री नितिन अग्रवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों द्वारा रेगुलर शिक्षक बनाने के लिए आन्दोलन किया जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि मा0 उच्च न्यायालय

द्वारा उनकी मांग को रद्द करने पर सरकार की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय पर स्थगनादेश दे दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षामित्रों को नियमित शिक्षक बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जयसवाल–

जी हां।

प्रदेश में दो चरणों में लगभग 1,37,000 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किया जा चुका है, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका सं0 34833/2014, आनन्द कुमार यादव व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य सम्बद्ध याचिकाओं में आदेश दिनांक 12–9–2015 द्वारा उक्त नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया था। उ0प्र0 सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 32599/2015, उ0प्र0 सरकार बनाम आनन्द कुमार यादव व अन्य योजित की गयी है। प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ में स्थित मझवारा में नये विकास खण्ड बनवाये जाने की मांग

30–श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के मझवारा क्षेत्र के लोगों को विकास से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन हेतु 20 किमी0 दूर विकास खण्ड घोसी जाना पड़ता है जिससे श्रम, धन एवं समय अधिक खर्च करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मझवारा में नया विकास खण्ड बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जनपद मऊ में मझवारा, ग्राम पंचायत एवं न्याय–पंचायत है, जिसकी विकास खण्ड–घोसी से कुल दूरी मात्र 13 कि0मी0 है तथा मझवारा, घोसी–मझवारा मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है। मझवारा से घोसी तथा घोसी से मझवारा पहुँचने हेतु साधन सदैव सुलभ रहते हैं। ऐसी स्थिति में मझवारा को नया विकास खण्ड बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2009 में आयोजित प्रधानाध्यापक, संस्कृत परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग

31–श्री संजय गर्ग–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2009 में आयोजित प्रधानाध्यापक, संस्कृत परीक्षा जो मण्डल मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन नहीं हैं, का परिणाम अभी तक घोषित न होने के कारण सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 निदेश शर्मा–

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2009 में प्रधानाध्यापक, संस्कृत की कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गयी है, अपितु अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (संस्थाओं के प्रधानों, अध्यापकों एवं संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) विनियमावली 2009 में निहित प्राविधानानुसार शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के पत्र संख्या डी0ई0/158.177 दिनांक 18–5–2011 द्वारा प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक की

सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर कार्यवाही हेतु संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिये गये थे।

प्रदेश के पांच मण्डलों (आजमगढ़, फैजाबाद, गोरखपुर, देवीपाटन एवं बस्ती) में मण्डलीय चयन समिति द्वारा संस्कृत विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों की चयन/नियुक्ति की कार्यवाही की गयी है। उक्त नियुक्तियां रिट याचिका संख्या 6422 (एस0एस0)/2012 तथा विशेष अपील संख्या 121 (डिफे)/2012 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

32–श्री संजय गर्ग–

ख्राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त,

प्रदेश में नये मेडिकल कालेज/सुपर स्पेशियलिटी हांस्पिटल व एम्स स्तर के संस्थान बनाये जाने की सरकार की कार्य योजना की जानकारी

33–श्री नितिन अग्रवाल–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में 25 नये मेडिकल कालेज/ सुपर स्पेशियलिटी हांस्पिटल व 6 नये एम्स स्तर के संस्थान बनाने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो यह मेडिकल कालेज एवं एम्स स्तर के संस्थान किन–किन जिलों में स्थापित किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''–

जी हां।

जिलों के चयन की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के मझवारा क्षेत्र में पुलिस थाना बनाये जाने की मांग

34–मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के मझवारा व उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को थाने से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन हेतु 20 किमी0 दूर कोतवाली मुख्यालय–घोसी जाना पड़ता है जिससे श्रम, धन एवं समय अधिक खर्च करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत मझवारा में स्थित पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर थाना बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्य नाथ–

ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस थानों की स्थापना हेतु जनसंख्या 75,000 से 90,000 तथा क्षेत्रफल 293.76 वर्ग कि0 मी0 का मानक निर्धारित है।

प्रश्नगत चौकी को उच्चीकृत कर थाना बनाये जाने हेतु निर्धारित क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का मानक पूर्ण नहीं हो रहा है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में प्रश्नगत चौकी को उच्चीकृत कर थाना बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर स्थित शेखुल हिन्द मौलाना महमूदल हसन मेडिकल कालेज में कर्मचारी संविदा पर रखे जाने का प्रकरण

35–श्री संजय गर्ग–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर स्थित शेखुल हिन्द मौलाना महमूदल हसन मेडिकल कालेज में किन–किन पदों पर कितने कर्मचारी संविदा पर रखे गये हैं तथा उन्हें कितना–कितना भुगतान किया जा रहा है ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''–

प्रश्नगत मेडिकल कालेज में किसी भी कर्मचारी को संविदा के आधार पर नहीं रखा गया है। अतः उसके भुगतान किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के ग्राम शेरपुर में सी0सी0 रोड बनवाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

36–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के ग्राम शेरपुर के ग्रामवासियों का पत्र जो कि ग्राम में सी0सी0 रोड बनवाने के सम्बन्ध में है, मुख्य मंत्री कार्यालय में सं0 05549732/लो0शि0–2/2014 पर दर्ज है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग (राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार) श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी–

जी हां।

मुख्यमंत्री कार्यालय में कम्प्यूटर सं0 05549 732/लो0शि0–2/2014 में दर्ज ग्राम शेरपुर के ग्रामवासियों के पत्र में अन्तर्निहित गांव बिसवां–लहरपुर मार्ग से सुशील लाला के घर तक 180 ग 3.30 मीटर आर0सी0सी0 रोड जिला पंचायत द्वारा निर्माण कराया जा चुका है। अवशेष आर0सी0सी0 मार्ग दिनांक 07–4–2017 को हुई खुली बैठक में जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत राज्य वित्त/चौदहवें वित्त से सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराने हेतु वार्षिक कार्ययोजना में क्र0सं0 4,5,6 पर सम्मिलित कर लिया गया है, जिसको शीघ्र ही पूरा करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए विधायक निधि से इलाज हेतु अपने संसाधन से जमा करायी गयी धनराशि को निधि से स्वीकृत धनराशि से मरीजों को वापस करने की मांग

37–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए विधायक निधि से दिए जाने वाले धन की प्रक्रिया की औपचारिकता पूर्ण करने में काफी समय लग जाता है जिसकी वजह से मरीज कर्ज, खेत आदि गिरवी रखकर अस्पताल में इलाज कराता है ? यदि हां, तो क्या सरकार मरीजों के द्वारा इलाज हेतु अपने संसाधन से इलाज हेतु जमा करायी गयी धनराशि को विधायक निधि से स्वीकृत कर मरीजों को वापस कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह–

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत दुर्घटना, अग्निकांड, असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सीय आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 30/अड़तीस–9–13–500 (17)/12, दिनांक 12–2–2013 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश में प्रश्नगत प्रयोजनों हेतु पात्रता एवं धनराशि की अनुमन्यता का परीक्षण अधिकतम 07 दिनों के भीतर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है। अतः समयावधि निर्धारित होने के दृष्टिगत, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्ग–दर्शी सिद्धान्तों में संशोधन/विचार किये जाने का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के गैर आबादी वाले राजस्व गांवों में तैनात सफाई कर्मियों को आबादी वाले क्षेत्रों में स्थानान्तरित किये जाने की जानकारी

38–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के गैर आबादी वाले राजस्व गांवों में तैनात किये गये सफाई कर्मियों को हटाकर आबादी वाले क्षेत्रों वाले गांवों में तैनाती किये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी–

जी हाँ। निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र सं0–2/644/2017–2/43/विविध/2010 दिनांक30–3–2017 द्वारा गैर आबादी ग्रामों में तैनात सफाई कर्मचारियों में से एक–एक और सफाई कर्मचारी को अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों में तैनात किये जाने के निर्देश समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मड़ियांव क्षेत्र नये माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने की मांग

39–डॉ0 नीरज बोरा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड में नये माध्यमिक विद्यालय की स्थापना होनी थी जिसे बाद में मड़ियांव क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करके जनहित में उक्त विद्यालय का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत चौकीदारों का मानदेय व अन्य सुविधाएं बढ़ाये जाने की माँग

40–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत चौकीदारों का मानदेय व अन्य सुविधाओं को क्या सरकार बढ़ायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री योगी आदित्य नाथ–

वर्तमान में पद्रेश के ग्रामीणा चौकीदारों को रु0 1000 प्रतिमाह के स्थान पर पारिश्रमिक के रूप में दिनांक 01–01–2013 से रु0 1500 प्रतिमाह दिया जा रहा है। प्रदेश में 69,163 चौकीदारों के पद स्वीकृत हैं तथा चौकीदारों की नियुक्ति गांव एवं सड़कों की पुलिस (चौकीदार) अधिनियम, 1873 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है।

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत चौकीदारों का मानदेय व अन्य सुविधाओं को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्तानुार।

जनपद लखनऊ स्थित ट्रामा सेन्टर को एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ को स्थानान्तरित करने की जानकारी

41–श्री लाल जी वर्मा–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ में निर्मित स्तर–1 का ट्रामा सेन्टर का संचालन के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा दिसम्बर, 2015 से किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार व्यावहारिक दृष्टि से जनहित में उक्त ट्रामा सेन्टर को एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ की 44वीं एकेडमिक बोर्ड की मीटिंग 15–04–2011 की संस्तुति के अनुसार पुनः एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ को स्थानान्तरित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री आशुतोष टण्टन "गोपाल जी"–

जी हां।

प्रश्नगत ट्रामा सेन्टर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को स्थानान्तरित किये जाने का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

42–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

[पहले शुक्रवार के अता0प्र0सं0 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम पितामऊ में निर्मित टैंक द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित कराने की जानकारी

43–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम पिटाऊट में जल निगम द्वारा 167.90 लाख की लागत से निर्मित 175 किलो लीटर क्षमता के ओवर हेड टैंक से भूमिगत पाइप डालकर जल आपूर्ति शुरू कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त ओवर हेड टैंक से जल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराकर लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 महेन्द्र सिंह–

जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम पिटाऊट की ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत विद्युत संयोजन के अतिरिक्त समस्त कार्य अप्रैल, 2017 तक पूर्ण कराये जा चुके हैं। योजना में विद्युत संयोजन हेतु विद्युत विभाग को माह अप्रैल, 2017 में आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है। विद्युत संयोजन के उपरान्त पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम मधवापुर में ओवर हेड टैंक का निर्माण कराये जाने की माँग

44–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम मधवापुर में जल स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण उत्पन्न पेय जल संकट के निराकरण हेतु क्या सरकार ओवर हेड वाटर टैंक का निर्माण कराकर पेयजल आपूर्ति करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 महेन्द्र सिंह–

जी नहीं। जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम मधवापुर की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी 813 है, जिसके सापेक्ष कुल 14 नग इण्डिया मार्क–प्प हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार उक्त ग्राम मधवापुर निर्धारित मानकानुसार हैण्डपम्प से संतृप्त है। अतः उक्त ग्राम हेतु वर्तमान में पाइप पेयजल योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में परिवार रजिस्टर में ऑनलाइन नाम दर्ज करवाये जाने की जानकारी

45–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने हेतु ऑनलाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी–

जी अभी नहीं।

सर्वप्रथम प्रदेश की ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टर का डिजिटाइजेशन किया जायेगा।

प्रथम चरण में राज्य के 05 जनपदों यथा मेरठ, इटावा, बहराइच, बांदा एवं गाजीपुर को पाइलेट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटाइज किया जायेगा, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल धनराशि रु0 2,88,66,000 (रु0 दो करोड़ अठ्ठासी लाख छाछठ हजार मात्र) के बजट की व्यवस्था की गयी है तथा इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रगति पर है। शेष जनपदों की ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टर के डिजिटाइजेशन हेतु वित्तीय व्यवस्था की जा रही है।

तत्पश्चात परिवार रजिस्टर में ऑनलाइन नाम दर्ज कराये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित की जायेगी।

जनपद अम्बेडकर नगर के कतिपय विकास खण्डों में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प स्थापित किये जाने की माँग

46–श्री लाल जी वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल की गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु क्या सरकार जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भीटी कटेहरी तथा टाण्डा में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प स्थापित करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 महेन्द्र सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भीटी, कटेहरी तथा टाण्डा में निर्धारित मानक (150 की जनसंख्या पर 01 हैण्डपम्प) से अधिक (क्रमशः 33, 41 एवं 73 की जनसंख्या पर

01 नग) इण्डिया मार्क–प्प् हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार तीनों विकास खण्ड पेयजल के मानक के अनुसार संतृप्त हैं।

प्रदेश में शराब बन्दी के खिलाफ आन्दोलनरत महिलाओं पर लगे मुकदमें वापस लेने व उन्हें रिहा करने की जानकारी

47–श्री सुखदेव राजभर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शराबबन्दी को लेकर महिलाओं द्वारा किये गये आन्दोलन में कुल कितनी महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है? क्या सरकार शराबबन्दी के लिये आन्दोलनरत महिलाओं पर लगाये गये मुकदमें वापस लेकर जेल गयी महिलाओं को रिहा करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री योगी आदित्य नाथ–

प्रदेश में शराबबन्दी को लेकर महिलाओं द्वारा किये गये आन्दोलन के सम्बन्ध में कुल 161 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं, जिसमें कुल 433 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

सम्प्रति इनमें विवेचनाएं प्रचलित हैं तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधिक प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

[12.15] प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नों का चयन करना, वर्गीकृत करना यह आपका अधिकार है।

वर्गीकृत करने का भी आपको पूरा का पूरा अधिकार है। आपके निर्णय को कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता लेकिन एक दुःख के साथ मैं केवल निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि

आज मैंने एक प्रश्न किया था, आप अतारांकित प्रश्न सं0–20 देखें। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–1 से 8 तक शिक्षारत छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो छात्रवृत्ति बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु शिक्षारत छात्रों को पूर्व की भांति छात्रवृत्ति दिये जाने पर पुनः विचार करेगी ? उत्तर आया कि प्रदेश के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षारत कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा दी जाती थी, जो वर्तमान में नहीं दी जा रही है। ठीक है नहीं दी जा रही है। हमने एक स्पेशफिक क्वेश्चन किया कि क्या सरकार इसको लागू करेगी। केवल यस या नो में जवाब आना था। मान्यवर, मैं केवल आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, मैं आपके अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहा हूँ। आज अधिकारी प्रश्नों की ग्रैविटी को इतनी तेजी से गिरा रहे हैं, इतनी लापरवाही से जवाब दे रहे हैं और मा0 मंत्रीगण ऐसा मालूम पड़ता है कि उन अधिकारियों के संरक्षक बन जाते हैं। अधिकारी प्रश्नों का कोई भी उल्टा–सीधा उत्तर दे रहे हैं और मा0 मंत्री जी की पूरी की पूरी मजबूरी हो जाती है कि मैं अपने अधिकारियों का संरक्षण करूँ। आज के इस उत्तर की ग्रैविटी केवल इतनी ही है कि इसमें उपर्युक्तानुसार, उपर्युक्तानुसार, उपर्युक्तानुसार लिखा है। ज्यादा से ज्यादा लिखते हैं कि सूचनाएं एकत्र की जा रही है। अधिकारी कहीं भी दिमाग एक्सरसाइज नहीं कर रहा है और प्रश्नों की पूरी ग्रैविटी गिरा दी गयी है। मान्यवर, आप तो बहुत अनुभवशील हैं, लम्बे समय से हैं। पहले एक प्रश्न लगता था और पूरे जनपद के अधिकारी परेशान हो जाते थे। वे रात में सोए रहते थे और जब नींद टूटती थी तो विधान सभा में प्रश्नों का जवाब आनन–फानन में तैयार करते थे। मेरा एक स्पेशफिक

प्रश्न था कि क्या सरकार इसको उन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति लागू करेगी जो फटी चड्ढी और गंजी पहन करके जा रहे हैं जिनके पैरों में चप्पल और जूता भी नहीं है जिनकी छात्रवृत्ति बन्द हो गयी है तो उन गरीब बच्चों के लिए सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है इसमें बहुत ज्यादा बजट का भी प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

हम आपकी संवेदनशीलता समझ सकते हैं।

श्री सुखदेव राजभर–

मानयवर, मेरा बस इतना कहना है कि प्रश्नों की ग्रैविटी न घटे। आज अधिकारियों की पूरी की पूरी मोनोपोली हो गयी है, प्रश्नों का कोई महत्व नहीं रह गया है कि चाहे जो लिखकर दे दो, हमारा मंत्री संरक्षण का काम करेगा। मैं इस विषय पर केवल अनुरोध कर रहा हूँ। मैं आपके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। केवल अनुरोध कर रहा हूँ कि आज एक गरीब बच्चा फटी चड्ढी और गंजी पहनकर जा रहा है। यहाँ मा0 मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, यह छोटे–छोटे बच्चों का विषय है। वह खुद ही घोषणा करें कि मैं इन बच्चों के लिए इसे फिर से लागू कर दूँगा।

श्री अध्यक्ष–

आपका पूरा विषय आ गया है। प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न प्रायः नहीं होता इसलिए इस प्रश्न को मैं निरस्त करता हूँ लेकिन मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से कहता हूँ कि मा0 सदस्य के जो भाव हैं उन पर आगे ध्यान देने का कष्ट करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं इसको देख लूँगा।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मान्यवर, मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आप किस नियम में बोल रहे हैं?

[12–24] प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियम 311 की सूचना लिये जाने की माँग (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं पीठ की गरिमा का ख्याल भी रखता हूँ और पीठ की गरिमा को बनाये रखने के लिए वकालत भी करता हूँ इसलिए जब प्रश्न काल शुरू हुआ तो मैं स्वयं तथा मेरे कुछ मा0 सदस्य नियम 311 की सूचना पर आपसे अनुमति मांग रहे थे कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है और हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, छिनैती हो रही है। आपने उस समय आश्वासन दिया था कि प्रश्न काल समाप्त होने दीजिये, मैं इसको लूँगा। आपने आश्वासन दिया था। मैं यह मानकर चलता हूँ कि इस पीठ से जो आश्वासन या निर्देश हो जाता है, वह अकाट्य हो जाता है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा था कि यथा नियम देख लूँगा। अब आप नियम बता दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आपने नियम नहीं कहा था, आप दिखवा लीजिये। आपने नियम नहीं कहा था। आपने कहा था कि मैं आश्वासन देता हूँ कि इसके बाद देखूँगा। आप दिखवा लीजिये। आप पहले इसको दिखवा लीजिये तो अब प्रश्न काल खत्म हो गया, जीरो आवर प्रारम्भ हो गया। जीरो आवर में आपने मनाही किया है कि नियम 56 आज नहीं लिया जायेगा। मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार करता हूँ लेकिन आपकी पीठ से आश्वासन है और जलते हुए प्रदेश की जनता की जलती हुई समस्याओं को कैसे सदन में

लिया जाये माननीय मुख्य मंत्री जी सामने हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि निमय 311 में हमको हमारे सदस्यों को सुन लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 पर तो हमारी व्यवस्था आ चुकी थी और मैंने कहा था यथा नियम।

'श्री लाल जी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, सहमति तो आपकी सब पर जरूरी है। बिना आपकी अनुमति के कोई प्रश्न उठाये नहीं जा सकते।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 में स्पोशिफिक लिखा हुआ है।

श्री लाल जी वर्मा–

सभी में लिखा हुआ है मान्यवर, कोई भी नियम के अनुसार बिना आपकी सहमति के प्रश्न उठाये ही नहीं जा सकते तो मान्यवर, सहमति की तो आपकी सब में जरूरत है। कृपापूर्वक आप जनहित में, प्रदेश के हित में असहमति भी देना है। मान्यवर, भाषा में नीचे जो लिखने की बात आपने कही है मान्यवर, कभी–कभी टाइप में कुछ इस तरह की बातें छूट जाती हैं लेकिन भाव पर्याप्त है। मान्यवर, भाव उसका एक ही है और इस समय प्रदेश की ज्वलंत समस्या है जिस तरह से कल ही मथुरा में आतंक बरपाया गया, जिस तरह से सहारनपुर में आतंक बरपाया गया, जिस तरह से गोरखपुर में आतंक बरपाया गया तो इसलिए मैं चाहूँगा कि कृपापूर्वक इसे सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर पहले व्यवस्था आ चुकी है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों के बीच में टोका–टाकी करने पर)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, अध्यक्ष आप हैं। मान्यवर, यह सदस्यगण अध्यक्ष नहीं हैं। अध्यक्ष आप हैं और आपकी कृपा से मुझे बोलने का अवसर है। मान्यवर, अगर सारे सदस्य हमें रोकने का प्रयास करेंगे तो मान्यवर, यह हमारे अधिकारों का हनन है।

श्री अध्यक्ष–

कोई नहीं राकेगा, आप स्वयं अपने को रोकेंगे।

श्री लाल जी वर्मा–

इसलिए संख्या बल के आधार पर, आप अगर हमारी आवाज को दबाना चाहें तो यह सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा और न हो रहा है। माननीय सदस्य आप लोग कृपया शान्त रहें।

'वक्ता ने भाषण का
पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, आप गम्भीरतापूर्वक अवसर देने का काम करें इसको सुन लें और सुनने के बाद इस पर सरकार का जवाब आ जायेगा।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के टोका–टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, इसको आप ले लें कृपापूर्वक आपकी अनुमति के बगैर तो कुछ भी नहीं उठाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष–

उस पर हम व्यवस्था दे चुके हैं, एक नियम 300 की नोटिस हमारे पास और आई है, जो माननीय पंकज सिंह की है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

एक निमट के लिए अगर माननीय अध्यक्ष यदि अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष–

श्री पंकज सिंह जी, पहली बार के सदस्य हैं, जिनका यह नोटिस आया है हमारे पास। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी औचित्य की सूचना है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय सदस्य पंकज जी का जो सवाल है वह नियम 300 का है और हम लोगों का जो सवाल है वह नियम 311 का है। मैं आपसे अनुमति ले रहा हूँ सभी से कि नियम 311 पर हमकों आप अपनी आज्ञा दीजिए कि जो प्रदेश जल रहा है, उन समस्याओं को यहाँ कैसे उठाया जाये।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 पर तो हमारा पहले ही व्यवस्था आ चुकी है।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

नियम 311 तो है श्रीमन् कि क्वेश्चन ऑवर शुरू होने से पहले उसको लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

नियम 311 का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य यह है कि ज्यूं ही आप सदन के आसन पर विराजमान हों, त्यूँ ही नियम 311 की सूचना हम दें उसके बाद क्वेश्चन ऑवर हो।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं है, आप बहुत पूराने सदस्य हैं। आप नियम 311 का पुनर्पाठ कर लीजिए। उसका भाव ऐसा नहीं है कि प्रातःकाल ही लिया जाये। नियम 311 का तात्पर्य यह है कि सदन के सामने कोई नियम प्रवृत्त हो रहा हो और अरजेन्सी हो या कोई

ऐसी बात है तो कोई माननीय सदस्य अध्यक्ष की सहमति से नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यही तो हो रहा है श्रीमन्। यही तो हुआ है। शादी–ब्याह का समय है और सारे स्वर्णकारों को गोली मार कर उनकी हत्या कर उनकी दुकानें लूट ली जा रही है। अभी मथुरा में 4 व्यापारी मार दिये गये और 4 करोड़ की लूट हो गई और बनारस में 10 करोड़ की स्वर्णकारों से लूट हो गयी और आजमगढ़ में लूट हो गई, लखनऊ मे लूट हो गई। शादी–ब्याह में अगर स्वर्णकार दुकानें नहीं खोलेंगे तो फिर कैसे जनता का काम चलेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी कृपया आप लोग बैठिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

'मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)–

माननीय अध्यक्ष जी, मथुरा की कल की घटना दुखद है और हमारी पूरी संवदेना उस परिवार के प्रति है। आज प्रातः मैंने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को इस मामले में तलब करके स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में जो तत्व अभी भी इस प्रकार उपद्रव पैदा कर रहे हैं, उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्यवाही होनी चाहिये। मैं फिर इस बारे में कह सकता हूँ कि अपराध के प्रति यह सरकार जीरो टॉलरेंस की भावना के साथ कार्य करेगी। मैं पूरे सदन को इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूँ कि सरकार जाति, मत और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगी लेकिन अपराधी के साथ सख्ती से निपटने का कार्य भी करेगी। मथुरा की घटना को ले कर के प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कल स्वयं वहाँ जा रहे हैं। हमने

एक समय सीमा तय की है, उस समय सीमा के अन्दर सभी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है मुझे लगता है कि जवाहर बाग की घटना को भी उनको स्मरण करना चाहिये। प्रदेश में वह स्थिति नहीं है जो आप कह रहे हैं। मैं देख कर ताज्जुब कर रहा हूँ कि एक ही बात को लेकर और बार–बार आप एक ही बात को दोहराएं जा रहे हैं कि प्रदेश जल रहा है, प्रदेश जल रहा है, कम से कम आप जैसे समाजवादी को यह शोभा नहीं देता है। सहारनपुर की घटना के बारे में मुझे यह बताना है कि सहारनपुर में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसमें वहाँ के कुछ स्थानीय संगठन चिन्हित हुए हैं और एक राजनीतिक दल के पूर्व विधायक का नाम भी सामने आया है। सरकार ने इस बात को पहले ही तय किया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था प्रदेश के आम नागरिकों के जीने के अधिकार को कोई छीनने का प्रयास करेगा तो सख्ती के साथ कानून उस पर कार्य करेगा और कोई समझौता इस मामले में नहीं किया जायेगा।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मुझे एक बात नेता सदन के संज्ञान में लानी है।

श्री अध्यक्ष–

यह आप किस नियम में बोल रहे हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, यह किस नियम में बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पहले हम नियमों से चलते हैं फिर परम्पराओं से, कोई नियम क्या इन पर लागू होता है या नहीं लागू होता है।

श्री अध्यक्ष–

बिल्कुल लागू होता है इसीलिए मैं उनसे नियम पूछ रहा हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाल जी वर्मा–

माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर के बाद, उनके जवाब के बाद और उस जवाब के कारण मुझे एक बात संज्ञान में लानी है। निश्चित रूप से सहारनपुर की जो घटनाएं हुई हैं जिन लोगों ने अपराध किया है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये लेकिन जिस पूर्व विधायक की बात की जा रही है उसके अपने घर में रहने के बावजूद भी उसका फर्जी ढंग से डाला गया।

(माननीय सदस्यों के अपने–अपने स्थान से बोलते रहने से शोर की स्थिति उत्पन्न हो गयी।)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है आपकी बात पूरी हो गयी माननीय वर्मा जी, अब आप बैठिये। अजय जी आप भी बैठिये। पूरी बात आ गयी है अब मैं नियम 300 सुन लूँ। आप जो सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहते थे वह पूरी बात आ गयी। अब आप कृपया बैठे। अभी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। हमने नियम 300 में सुनने के लिए माननीय पंकज सिंह को बुला लिया था। आप बैठ जायें। वर्मा जी, आपका धन्यवाद अब आप बैठें।

श्री अध्यक्ष–

आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, आप बैठे कृपया। नये विधायक इससे सीख नहीं पायेंगे आपसे।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी, नये विधायक आपका अनुसरण करेंगे देखें 5–5 विधायक खड़े हो गये पीछे। अब हो गया आपने ध्यानाकर्षण कर दिया, बैठिये। आप लोग बैठें। माननीय सदस्य बैठ जायें। वर्मा जी, आप बैठ नहीं रहे हैं आप बहुत वरिष्ठ हैं।

सारी बातें जो कही जा सकती थी वह आ गयी हैं वह किसी नियम में नहीं हैं लेकिन पूरी बातें आ गयीं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रमशः उत्तर दे दिया है अगर कभी कोई नियम में आयेगा, कोई विषय आयेगा तो आप अपनी बात कह लेंगे।

[12.32] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

दिनांक 15 मई, 2017 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय मा0 सदस्यों द्वारा पीठ पर कागज के गोले फेंके जाने, शोर मचाने एवं श्री राज्यपाल के ऊपर प्रहार करके संवैधानिक व्यवस्था पर चोट पहुँचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

नियम 300 के अन्तर्गत माननीय पंकज सिंह की सूचना प्राप्त हुई 15 मई, 2017 को श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के समय माननीय सदस्यों द्वारा पीठ पर कागज के गोले फेंके जाने, शोर मचाने और श्री राज्यपाल के ऊपर प्रहार करने, संवैधानिक व्यवस्था पर चोट पहुँचाने पर औचित्य प्रश्न।

श्री पंकज सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सदन में राज्यपाल जी के अभिभाषण को सुनने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे पहला दिन हम सब लोगों का था और बहुत सारे नये विधायक भी इस सदन में आये हैं। हम लोगों को भी यह उम्मीद थी कि आज महामहिम के अभिभाषण को सुन कर हम सब लोग अपना ज्ञानवर्द्धन करेंगे सरकार की दिशा को समझने की कोशिश करेंगे लेकिन मैं समझता हूँ कि कल जिस तरीके का यहाँ पर हंगामा हुआ उसमें राज्यपाल जी के अभिभाषण को छोड़कर बाकी सब

कुछ यहाँ पर शोर सुनाई दिया, सीटियां सुनाई दीं, नारे सुनाई दिये लेकिन राज्यपाल जी का अभिभाषण ! शोर मचाया गया, कागज के गोले बनाकर पीठ की तरफ फेके गये, पोस्टर्स को फाड़कर गोला बनाकर पीठ की तरफ फेका गया, राज्यपाल जी को चोट पहुँचाने की कोशिश की गयी और मैं देख रहा था कि सामान्यतः पहले भी जो सदन में हम सब लोगों ने देखा पहले भी कई बार हुआ होगा लेकिन उसमें भी हमने अभी तक जो देखा था उसमें कागज के गोलों को कहीं उठाकर उसको फेककर विरोध तो दर्ज करते हुए देखा था लेकिन सारे सदस्यों को गोला बनाकर, टारगेट बनाकर राज्यपाल जी की तरफ जो फेका गया मैं समझता हूँ कि इससे हम सभी नये विधायक और कई लोगों की भावनायें आहत हुई हैं। इस कृत्य से कोई भी अप्रिय घटना भी घट सकती थी। यह हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जनता ने अपने–अपने क्षेत्र से चुनकर हम सब लोगों को यहाँ पर भेजा है तो जनता की आवाज उठाने के लिए जनहित के मुद्दों को उठाने के लिये यहाँ पर भेजा है और इसका सजीव प्रसारण भी जब चल रहा हो तो हम सब लोगों को भी अपने कार्य, अपने चालचलन, अपने कृत्य पर और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता बढ़ जाती है। यहाँ पर कल इस सदन का सीधे सजीव प्रसारण पूरे देश भर में प्रदेश भर में जनता देख रही थी। माननीय राज्यपाल जी की गरिमा को ठेस पहुँचाई गयी।

राज्यपाल जी हमारे प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख भी हैं इस बात की भी चिन्ता हम सब लोगों को करनी चाहिये। संविधान में जो व्यवस्था दी गयी है उसके अनुसार वह इस सदन के एक अंग भी हैं इस बात की चिन्ता भी हम लोगों को करनी चाहिये। इस प्रकार उनके अपमान से संवैधानिक व्यवस्था को भी चोट पहुँची है सभी माननीय सदस्य संविधान के प्रारूप के अनुसार शपथ भी लेते हैं और जिस तरह से संविधान की व्यवस्था को

चोट पहुँचाने की कोशिश की गयी है उससे मैं कह सकता हूँ कि इस कुकृत्य से शपथ का उल्लंघन भी एक प्रकार से हुआ है और चूँकि कुछ सदस्यों के आचरण से संवैधानिक व्यवस्था पर चोट पहुँची है महोदय और जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे यह भी ध्यान आता है कि सदन में पं0 गोविन्द बल्लभ पंत जी, सम्पूर्णानन्द जी, चौधरी चरण सिंह जी जैसी महान विभूतियों ने इस महान सदन में आकर इसको गौरवान्वित करने का काम किया है। हम सब लोगों को ऐसे नेताओं के जीवन से भी सीख लेने की आवश्यकता है और चूँकि कल 15 तारीख को जिस तरीके से संवैधानिक व्यवस्था पर चोट पहुँची है तो मैं इस प्रश्न को औचित्य प्रश्न के रूप में उठाये जाने हेतु आपकी अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, माननीय पंकज जी ने जो विषय उठाया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सम्मानित सदस्य ने जो नियम–300 के तहत यह मामला उठाया है। मैं उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल जी का सदन तो सदन, पूरे प्रदेश की जनता का सम्मान है। वह कल आये जो गोला फेंकने की बात है तो गोला कोई फेंका नहीं।

(सत्ता पक्ष की ओर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें और माननीय नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं और महामहिम राज्यपाल का सम्मान करना सबका

कर्तव्य है। कल के लिये जिसको माननीय सदस्य ने गोला शब्द कहा है, वह माननीय सदस्य अपना कागज उन तक पहुँचाना चाहते थे। आपके सुरक्षाकर्मी पूरा इसको घेर लिये थे वहाँ से लेकर यहाँ तक। तो माननीय सदस्य प्रदेश की जनता की समस्या को लिखकर लाये थे जो ज्वलन्त समस्यायें थीं, वह उसे महामहिम राज्यपाल जी को पहुँचा रहे थे। महामहिम जी का कोई अपमान नहीं हुआ है, न सदन का कोई अपमान हुआ है, यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, वर्मा जी कुछ कहना चाहेंगे। आप जरा मननीय राम गोविन्द जी को बताइये कि सही बात क्या थी।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, औचित्य के नियम–300 में आप देंखे। औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा। उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। तो मान्यवर, इससे संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद या कौन सा ऐसा सदन का कार्य विनियमित है तो इसलिये यह प्रश्न नियम–300 में बनता ही नहीं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी ने मार्गदर्शन किया बहुत अच्छा। हम वर्मा जी से जानना चाहते थे कि क्या वास्तव में गोले नहीं फेंके गये थे?

'श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मा0 अध्यक्ष महोदय, कल महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान, श्री राज्यपाल महोदय अपनी बात रखने के लिए सदन के प्रथम सत्र में आये थे और उन्होंने अपनी बात को

सदन में रखने का प्रयास किया। चूंकि विपक्ष चाहे आज समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का हो लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में इसी सीट पर बैठा करती थी। जो आचरण की बात करते हैं महोदय, 2014 की कार्यवाही निकाल करके देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

कल की घटना पर बोलिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, [x x x]

श्री अध्यक्ष–

कल की घटना पर आपको क्या कहना है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, आदरणीय हुकुम सिंह जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे। अगर [x x x]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

यह औचित्य का प्रश्न कल की घटना के बारे में है, अब आप समाप्त करें।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–**

मा0 अध्यक्ष जी, जो कांग्रेस के नेता ने अभी बात कही है उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। उस समय के यहाँ पर टी0वी0 फुटेज मौजूद होंगे आप उनको देख सकते हैं। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं

किया गया बल्कि लोकदल के मा0 सदस्य के द्वारा ऐसा जरूर किया गया था, यह असलियत है। तो कांग्रेस के नेता को अपने शब्द भी वापस लेने चाहिये और सदन से माफी भी मांगनी चाहिये। यह लांछित करने का तरीका, सदन में होते हुए जानबूझ कर किसी को लांछित करना संसदीय परम्पराओं के भी खिलाफ है और मान्यवर, एक नेता होने के नाते मिथ्या बोलने के लिए किये गये कृत्य पर ये माफी मांगें।

श्री अध्यक्ष–

आपको इस पर क्या कहना है। आपके संज्ञान में आया होगा क्योंकि बाद में मा0 हुकुम सिंह जी ने इस मामले को सदन में उठाया था।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मेरे पास प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित ये कापी है जिसमें आदरणीय हुकुम सिंह जी का बयान भी है जो उन्होंने सदन के पटल पर रखा था और उन्होंने मा0 अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करते हुए कहा था 'चूंकि मैं उस समय इस सदन के अन्दर नहीं बाहर से टी0वी0 देख रहा था और कपड़े निकाल कर प्रदर्शन इसी सदन में हुआ था।'

श्री अध्यक्ष–

वह लोकदल के सदस्य के बारे में कहा था।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, यह इसमें पूरी तरह से उल्लिखित है और इसी सदन में नग्न प्रदर्शन हुआ है। मान्यवर, चूंकि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता इसलिए इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह पूरी तरह से असत्य है, पूरी तरह से मिथ्या है, मा0 हुकुम सिंह जी ने लोकदल के सदस्य के द्वारा जो आचरण किया गया था उसकी सदन में भर्त्सना की थी। उन्होंने

यह कहा था कि सदन के एक माननीय सदस्य ने किया, वह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं था। यह गलत है। इनको माफी माँगनी चाहिये।

(सत्तापक्ष के अनेक माननीय सदस्यों के अपने आसन पर खड़े होकर माफी माँगे, माफी माँगे की बात कहने पर शोर)

बहुत से सदस्य इसके गवाह हैं, जिस प्रकार का आचरण यहाँ पर किया गया उसके बहुत से सदस्य गवाह हैं। समाजवादी पार्टी के बहुत से लोग उस समय सदस्य थे, लोकदल के द्वारा यह नग्न प्रदर्शन किया गया था।

(सत्तापक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अपने आसन पर खड़े होकर माफी माँगने की बात कहने पर शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आप पुरानी कार्यवाही देख लीजिये, वह पूरा मामला लोकदल के सदस्यों का था, माननीय हुकुम सिंह जी ने इस मामले को उठाया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से भी उस घटना की भर्त्सना की गयी थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह गलतबयानी कर रहे हैं, इनको माफी माँगनी चाहिये।

(सत्तापक्ष के अनेक माननीय सदस्यों के अपने आसन पर खड़े होकर माफी माँगें, माफी माँगे की बात कहने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठें। मा0 नेता कांग्रेस, आपने जो कहा है क्या आप इसको वापस लेते हैं? यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा। आपका यह अंश कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।

(सत्तापक्ष के अनेक माननीय सदस्यों के अपने आसन पर खड़े होकर माफी माँगे, माफी माँगे की बात कहने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

उस अंश को संयोग से मैंने भी पढ़ा था, आज नहीं पढ़ा, पहले पढ़ा था, जिस अंश की चर्चा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने की, बात वही सही है जो मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी बता रहे हैं। आप क्या अपने उस अंश को वापस लेते हैं?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अभिभाषण के दौरान जो अंश था मान्यवर, पूरा इसका अवलोकन करेंगे और अवलोकन करने के बाद सदन के पटल पर रखने का काम करेंगे।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

मेरी बात सदस्यगण सुन लें। अगर आपको स्मरण न हो रहा हो तो आप कार्यवाही देख लें, कल आप इस बारे में...

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, निर्णय देने से पहले मेरी बात सुन लीजिये। मा0 नेता कांग्रेस ने वह परिप्रेक्ष्य बताया कि इस सदन में ऐसी भी घटना घटित हुई है। उन्होंने सन्दर्भ बताया कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर ऐसे समय में इस तरह की घटनायें इस हाउस में घटी हैं, यह इन्होंने कहा है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस विवाद में व्यवस्था दे रहा हूँ। माननीय नेता कांग्रेस फिर से कार्यवाही देख लें। मैंने उस कार्यवाही का भाग पढ़ा था, आज नहीं पढ़ा है, पहले पढ़ा था जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने उद्धृत किया। तो आप कार्यवाही का अंश देख लें। यह सदन बहुत पवित्र है। जहाँ पर किसी राष्ट्रीय दल पर इस तरह

की टिप्पणी करना उचित नहीं है। आप देख लें और उस पर कल खेद व्यक्त कर दें।

(मा0 सदस्य, श्री दलवीर सिंह व श्री सुरेश कुमार खन्ना, संसदीय कार्यमंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायं, संसदीय कार्यमंत्री जी खड़े हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय दलवीर सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं, वह कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हम कह लेंगे।

'श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस समय की बात हो रही है उस समय मैं नेता, राष्ट्रीय लोकदल था। हमारे कुछ सदस्यों ने इस तरह का प्रदर्शन करने का काम किया था उनका केवल मकसद तत्कालीन सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए था, भारतीय जनता पार्टी का उनमें से कोई सदस्य नहीं था।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता कांग्रेस क्या आपको ध्यान आ रहा है

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो आपने, इस प्रकार से सदन में खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया यह नियमों के भी खिलाफ है और परम्पराओं के भी खिलाफ है। किसी भी हालत में ऐसा आरोप बर्दाश्त नहीं किया जा सकता मान्यवर। मान्यवर, नेता लोक दल, उस समय के तत्कालीन नेता लोक दल थे माननीय दलवीर सिंह जी।

माननीय दलवीर सिंह जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और उस समय वह लोक दल के नेता की हैसियत से थे जिस

समय यह घटना हुई मान्यवर, और उस समय पीठ से और सारे सदस्यों ने उसकी निन्दा की थी। उसका नाम मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना क्या मैसेज देता है मान्यवर? यह कहाँ से ले आये। यह एक तरह से मिथ्या बोलने के लिये माफी माँगें सदन से। इससे कम पर कोई समझौता नहीं मान्यवर। (शोर) मान्यवर, दूसरी बात आज नेता विरोधी दल, जो इस सदन मे कई बार पहले आये, मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार के। हम लोग अच्छी परम्पराओं का उदाहरण देते हैं। उन लोगों का उदाहरण देते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर इतिहास रचा, अच्छी परम्पराएं कायम की। हम उन लोगों का अनुकरण करेंगे या उनका अनुकरण करेंगे जिसकी यह लोग गाथा गा रहे हैं मैं माननीय नेता विरोधी दल के बयान पर भी अफसोस जाहिर करता हूँ कि इतने वरिष्ठ सदस्य होने के बाद भी इस प्रकार का आज जो उन्होंने सदन के सामने प्रस्तुत किया और हमें अफसोस है इस बात के लिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता कांग्रेस, क्या आप अपना यह वक्तव्य वापस लेते हैं?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हम सदन में कैसी परम्पराओं का अनुकरण करेंगें हम इस प्रकार की घटनाओं का अनुकरण करेंगे या जो अशोभित घटनाएं घटीं उनका अनुकरण करेंगे? कम से कम यह सोचना चाहिए इनको.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता कांग्रेस इस पर आपको कुछ कहना है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, इस प्रकार से दवाब से सदन नहीं चलेगा। मैंने केवल यह कहा कि माननीय नेता कांग्रेस ने सन्दर्भ देकर उदाहरण दिया कि इस सदन में ऐसा भी हुआ। इस तरह से दबाव देना चाहेंगें तो इस तरह से सदन नहीं चलेगा।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप नाराज नहीं होइये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

इस तरह से सदन नहीं चलेगा। यह क्या, माफी मांगिये माफी मांगिये।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपका सम्मान है। आप इनको बैठा कर अपनी बात कहिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं तो केवल बात को, हर बात को सदन में इतना सीरियस नहीं लेना चाहिये। मैंने तो उस बात को डायल्यूट करने के लिये आग्रह किया कि माननीय नेता कांग्रेस ने यह उदाहरण देना चाहा कि इस सदन में ऐसा भी विरोध प्रकट किया गया है। (शोर), मान्यवर, जैसे अभी माननीय नेता सदन ने एक हमारे प्रश्न के उत्तर में, जब प्रश्नोत्तर चल रहा था। माननीय नेता सदन उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने इस बात का इशारा किया कि [x x x] मान्यवर। (सत्ता पक्ष की ओर से शोर) [x x x] और माननीय संसदीय कार्यमंत्री का हर छोटे बात में, वह संसदीय कार्यमंत्री हैं, बहुत सारे जवाब आपको देने हैं, आपको सदन चलाने में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी है। [x x x]

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस अंश को कार्यवाही से निकालने के निर्देश देता हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मंत्री जी ने जो बात कही है पूरा विपक्ष उसकी निन्दा करता है।

(घोर व्यवधान के मध्य सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के नेता ने जो कुछ कहा उसके लिये उनको माफी मांगनी पड़ेगी मान्यवर। इसके अलावा जहाँ तक नेता विपक्ष का सवाल है, इतने वरिष्ठ सदस्य होने के बाद इस परम्परा का जिक्र करना, उसका अनुकरण करने की बात करना और इस प्रकार से निन्दा तो की जानी चाहिए विरोधी पक्ष के नेता की कि जिन्होंने अपने बयान में उन लोगों का समर्थन किया जो गलत बोल रहे हैं। यह सदन को गुमराह कर रहे हैं निन्दा इस बात पर नेता विपक्ष की होनी चाहिये (शोर) एक जिम्मेदार सदस्य के नाते, एक जिम्मेदार पार्टी के नेता की हैसियत से उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी को गलत तरीके से जोड़कर आरोप लगाया इसलिए मैंने कहा कि उनको माफी माँगनी चाहिए और मेरा स्टैन्ड मान्यवर सही है हम आप से आग्रह करेंगे कि आप उनसे कहें कि वह माफी माँगे।

नोटः– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी और संसदीय कार्यमंत्री जी ने बड़े जोरदार ढंग से अपनी बात को सदन के पटल पर रखा।

'उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)–

माफी माँगने के सिवा इसमें भाषण देने के अनुमति नहीं है उन्होंने गलत बयानी की है और गलत बयानी की है तो उनको माफी माँगनी चाहिये।

(माननीय सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मैंने यह कहा कि जिस समय यह घटना हुई उस समय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी इसी सदन मे थे।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया माननीय सदस्य अपने स्थान बैठें। माननीय नेता कांग्रेस ने यहाँ पर कहा तो यही था कि [x x x] अब आप बदल रहे हैं, अब शालीनता तो यही है कि आप उसको स्वीकार करिये, कि ऐसा कहा गया और माननीय नेता प्रतिपक्ष बहुत सम्माननीय हैं पूरे सदन के लिए भी हम लोगों के लिए भी, वह भी उत्तेजित हो गये थे और कह रहे थे कि फिर सदन नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है कि यह टिप्पणी कदाचित ठीक नहीं थी (शोर) माननीय नेता कांग्रेस आप जो यह गलत बयान निकला है उसके लिए आप खेद व्यक्त कर दें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

देखिये, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस दिन यहाँ प्रदर्शन हुआ उस दिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी इसी सदन में थे (शोर) भारतीय जनता पार्टी के लोग वेल में थे। अगर गलत बयान है तो उसे निकाल दिया जाये।

(शोर)

श्री नितिन अग्रवाल–

संसदीय कार्य मंत्री संसदीय परम्पराओं की बात कर रहे थे...

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। (शोर)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अध्यक्ष महोदय मैं पुनः कह रहा हूँ अगर कोई गलत बयानी है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये। लेकिन मैं पुनः इस बात को कहता हूँ कि जिस दिन प्रदर्शन हुआ और नग्न प्रदर्शन हुआ उस दिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी वेल में थे। नग्न प्रदर्शन चाहे जिस दल ने किया हो लेकिन नग्न प्रदर्शन यहाँ हुआ और मेरा इस पर कोई बयान नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी मेरा यह निवेदन है कि नेता कांग्रेस ने जो यहाँ पर गलत बयानी की है उसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से सदन से माफी मांगनी चाहिये माननीय नेता विपक्ष जी ने बहुत तरीके से उनके बयान का समर्थन करने का प्रयास किया माननीय राज्यपाल महोदय के ऊपर जिस प्रकार से अभिभाषण के दौरान कागज के गोले बनाकर फेंके जा रहे थे निश्चित तौर से वह कतई उचित नहीं था। नेता विपक्ष बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं मैं व्यक्तिगत तौर पर इनका बहुत सम्मान भी करता हूँ लेकिन इस प्रकार से किसी चीज को प्रस्तुत करने का प्रयास करना मैं समझता हूँ कि वह ठीक नहीं था लेकिन नेता कांग्रेस ने जो भी बयान यहाँ पर दिया है वह भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्धित नहीं है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का बयान देने के लिए उनसे सदन से क्षमा मांगने की मांग करता हूँ।

'श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा संज्ञान में उस सन्दर्भ को लाना चाहूँगा जिस सन्दर्भ में यह वर्तमान में चर्चा चल रही है मान्यवर, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर भी यह वाकया हुआ था लोकदल के दो माननीय सदस्य उस समय अर्धनग्न अवस्था में पोस्टर वैनर लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे थे और जिसको कांग्रेस नेता ने गलत इंगित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाया मान्यवर, हम यहाँ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर 300 के अन्तर्गत लाई गयी सूचना पर इस बात पर चिन्ता व्यक्त कर रहे थे कि जिस तरह से गोले की बरसात करके हमने कल माननीय राज्यपाल जी की महिमा के विपरीत आचरण किया संवैधानिक व्यवस्था को नजरन्दाज करते हुये संवैधानिक पद का मखौल उड़ाया था।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय आ चुका है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इस पर बात होनी चाहिये थी लेकिन चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास।

श्री अध्यक्ष–

मूल विषय जो कल श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय हुआ है उस पर नोटिस था उसी पर हम बात रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

कांग्रेस नेता ने जो गलत बयानी की है जब तत्कालीन लोकदल के नेता ने भी जो वर्तमान में भाजपा के सदस्य हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वह लोकदल के ही दो सदस्य थे हम भी नेता विरोधी दल थे उस समय हमने भी इस बात को आपके माध्यम से अवगत कराया और मा0 कांग्रेस नेता को बड़ी सदाशयता के साथ अपने पद की गरिमा का

आचरण करते हुये अपनी [x x x] कही हुयी बात को वापस लेना चाहिये और सदन के समक्ष इस बात का खेद व्यक्त करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

मैं उनसे अनुरोध करता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इसी के साथ ही साथ मैं मा0 नेता विरोधी दल जी जो बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और इनको संसदीय ज्ञान बहुत है, लेकिन आज इन्होंने इस बात को जाहिर कर दिया कि हम अपनी बात सीधे नहीं कहते, गोला मारकर कहते हैं। यह अगर किसी की सेवा करते हैं तो लाठी मारकर के यह कहते हैं कि हमने लाठी इसलिये मारी कि कम से कम उसकी सेवा हो जाये, उसके हाथ–पांव दब जायें। यानी यह ऐसे प्रगतिवान नेता हैं कि जब तक सत्ता में थे तब तक डण्डा बरसाते रहे और अब विपक्ष में जाने के बाद भी उस आदत को अभी तक छोड़ नहीं पाए और अब गोला बरसाने की बात कर रहे हैं। मा0 नेता विरोधी दल अपनी पुरानी आदत से अभी बाज नहीं आए हैं। मैं मा0 नेता विरोधी दल पर कोई टिप्पणी इसलिये नहीं करना चाहूँगा कि उनको कुछ न कुछ कहते रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा यह रहेगा कि आप दोनों लोग हमारे कार्यालय में मिलकर बात कर लीजियेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, लल्लू जी को माफी मांगनी चाहिये। चूँकि इन्होंने सीधे–सीधे गलत आरोप लगाया है इसलिये इनको माफी मांगनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

मा0 अजय कुमार लल्लू जी आपका क्या कहना है? गलत है तो खेद व्यक्त करना चाहिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मेरा इस सदन में किसी को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं था। मैंने इस बात को सदन में इसलिये रखा कि पूर्ववर्ती सदनों में भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध होता रहा है। जहाँ तक मेरे बयान की बात है मैं पुनः कह रहा हूँ कि मैंने जो शब्द कहा, अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम आया है तो उसको वापस ले लिया जाए। मैं उसको वापस लेता हूँ।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(मंत्री श्री धर्मपाल सिंह के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपके संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, अपनी गलती को स्वीकार करने वाला ज्यादा बड़ा होता है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। मान्यवर, आप कार्यवाही निकलवा कर देख लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक। कहा तो है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

निश्चित रूप से कहा है और उससे पहले तो गाहे–बगाहे वह उससे बचने की कोशिश करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी थे वहाँ पर। मान लीजिये अगर मुँह से गलत निकल गया या जानबूझ कर कहा। हो सकता है कि गलत इंटेंशन न हो, लेकिन मुँह से निकल गया तो उनको इसमें कम से कम यह मान लेना चाहिये कि हमसे गलती हो गयी, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। यह अपने आप में एक बड़प्पन होता है कि ज्यादा बोलने में मुँह से निकल गया इसलिये हम उसके लिये खेद व्यक्त करते हैं, माफी मांगते हैं। खेद व्यक्त करना, माफी मांगना यह बड़प्पन का भी सबूत देता है कि हम कितने बड़े हैं और वही व्यक्ति बड़ा बन सकता है जो गलती को स्वीकार करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गलती नहीं करता, लेकिन गलती को स्वीकार करना भी बड़प्पन है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस दल के नेता को स्वीकार भी कर लेना चाहिये और खेद प्रकट करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने स्वीकार तो कर लिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह स्वीकार करना नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता कांग्रेस, इनका कहना है कि आप बड़प्पन दिखाइये।

श्री अध्यक्ष–

मा0 राम गोविन्द चौधरी जी क्या कह रहे हैं?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आगे की कार्यवाही लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है उनके बयान में खेद व्यक्त करने जैसी बात है।

अब जो मूल विचार में था बिन्दु वह यह कि मा0 पंकज जी द्वारा दिया गया नियम 300 का नोटिस, इस पर थोड़ा विषयान्तर हो गया था, मा0 नेता कांग्रेस के वक्तव्य के कारण और जो कल यहाँ पर घटित हुआ उसके बारे में।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 नेताओं की बात जब आई आपने सभी दल के नेताओं को सुना नियम 300 पर तो सत्ता पक्ष को भी आपको सुनना चाहिये। मान्यवर, नेता विपक्ष जो कि बहुत संवेदनशील भी हैं, योग्य भी हैं, वरिष्ठ भी हैं उनको इस पर विचार करना चाहिये। जब उनके मुंह से ऐसी बात निकल गयी जो वास्तव में जिसको न समाज स्वीकार कर सकता है उस पर खेद प्रकट करने की बात आई।

श्री अध्यक्ष–

कल वाली घटना के बारे में जो सूचना आई है उसके बारे में आप बताइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, उसी बात को बोल रहा हूँ तो मैं मान्यवर, यह उम्मीद करता था कि पंकज सिंह जी ने जो विषय उठाया है मान्यवर, वह अत्यन्त गम्भीर है। आखिरकार वह कौन सा दिन आयेगा जब इस विधानसभा की ऐसी परम्पराओं को बदला जायेगा? यह बिल्कुल सही है मान्यवर, हमें इस बात को स्वीकार करने में एतराज नहीं है कि हमने भी विपक्ष में बैठकर बैनर दिखाये। मान्यवर, वह भी शालीनता के साथ। ऐसी जो परम्परा चली आ रही थी हाउस की उसमें हमने विरोध भी किया। मान्यवर, कल जो घटित हुआ, इस प्रकार का आचरण कि हम अपने प्रदेश के राज्यपाल जी के अभिभाषण पढ़ते समय हम सीटी बजाएं यह कहाँ तक उचित है? मान्यवर, और हम दावे के

साथ कह सकते हैं कि हमने उन लोगों को देखा है जो यहाँ पर बैठकर और बाहर भी बहुत बढ़िया–बढ़िया कविता और शायरी पढ़ते हैं। मान्यवर, वो कहते थे कि "जहाँ रहेंगे वहीं रोशनी लुटायेंगे" वो भी मान्यवर बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। विधान परिषद के वह भी यहाँ मौजूद थे और हमने उन्हें बरसों तक उनको बकायदा नैतिकता के ऊपर भाषण ही नहीं बकायदा प्रवचन करते देखा है। मान्यवर, लेकिन वो शालीनता से उस चीज को न केवल देख रहे थे बल्कि ऐसी गतिविधियों को मान्यवर वो लोग भी बढ़ावा देने का काम कर रहे थे मुझे दुख है इस बात का। लेकिन हम आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहेंगे कि मान्यवर चाहे अपने कक्ष में माननीय दलीय नेताओं को बुलाकर विचार–विमर्श कर लें और उसमें इस प्रकार की व्यवस्था जरूर हो कि आगे ऐसी घटनाएं न हों। मान्यवर, लोकतन्त्र में विरोध का अधिकार सभी को है। किसी के विरोध के अधिकार को छीना नहीं जा सकता डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और हम सुनेंगे भी हम आलोचना भी सुनेंगे। लेकिन मान्यवर, इस प्रकार की परम्पराएं जिस प्रकार दो मार्शल लोग एक तरीके से शेड लिए हुए खड़े थे कि किसी तरीके से उनके ऊपर कागज का गोला न लग जाए कोई मान्यवर उसमें कागज में अगर ईंट लगाकर फेंक देता और उसमें वास्तव में उन्हें कोई इंजरी आ जाती मान्यवर तो क्या मैसेज जाता? विधान सभा से क्या मैसेज बाहर जाता हम क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पर सबको सोचना चाहिये। मान्यवर, नये 238 सदस्य हैं। मान्यवर, इस विधानसभा में जो नये लोग चुनकर आये हैं ये क्या देखते हैं? मान्यवर, यह जरूर चाहेंगे कि ऐसी परम्परा हो जिससे बाहर सन्देश खराब न जाये, विधायकों के बारे में अच्छी राय बन पाये वह जरूर व्यवस्था बनें। पूरे प्रदेश में जो विधायकों के बारे में गलत राय बनाने मे सहयोग करें मान्यवर, ऐसी परम्पराओं को जरूर बदला जाना चाहिये और मान्यवर, हम आपसे आग्रह करेंगे

कि आप अपने कक्ष में इस प्रकार से बैठकर कम से कम विरोध की मर्यादा को तय जरूर कर दें। मान्यवर, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने मुझे मौका दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ।

'श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदन। मा0 अध्यक्ष जी कल की घटना के बारे मे मैं कहना चाहूंगा कि कल की जो घटना घटी, यह सदन जहाँ से पूरे प्रदेश में सन्देश जाता है। यहाँ पर जैसे सिनेमाघर में सीटियां बजायी जाती हैं, कोई हास परिहास का दृश्य आता है तो सीटियाँ बजायी जाती हैं। जबकि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था। बहुत गम्भीर विषय है। जो नये सदस्य इस सदन में आये हुये हैं उसको सुनने के लिए मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से शोर–शराबा हुआ और जो प्लास्टिक का फ्लेक्स होता है उसका गोला बनाकर जो माननीय राज्यपाल जी की तरफ फेंका गया। मैं सदन की तरफ से यह कहना चाहूँगा कि यह निन्दनीय है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोल चुके हैं। यह गलत परम्परा है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, क्या नियम 300 पर चर्चा हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं हो रही है। अब आप संक्षेप करिये। आपकी बात हो गयी।

श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'–

मान्यवर, हम इसकी निन्दा करते हैं।

*वक्ता ने भाषण का
पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि यह विषय बहुत गम्भीर है। माननीय राज्यपाल जी सदन का हिस्सा हैं। संविधान प्रमुख हैं।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, सत्तापक्ष की तरफ से टिप्पणी की गयी है कि जो अपने माँ–बाप का नहीं हुआ वह सदन का क्या होगा।

श्री अध्यक्ष–

नहीं हमारे संज्ञान में इस प्रकार की टिप्पणी नहीं आयी है। मा0 सदस्यगण बैठ जायें।

(समाजवादी पार्टी के श्री राकेश प्रताप सिंह, डा0 संग्राम यादव सहित कई सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर शोर उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

ऐसी कोई टिप्पणी नहीं आयी है। देखिये विषयान्तर हो गया। मा0 सदस्यगण आप बैठें। हमने किसी को अनुमति नहीं दी। हम तो आपकी तरफ देख रहे थे। एक मिनट सुन लें।

डा0 संग्राम यादव–

मान्यवर, ऐसी टिप्पणी की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

कहाँ हुयी टिप्पणी? किसने टिप्पणी की? हम सब एक दूसरे का आदर करते हैं। किसी भी दल में हों। परस्पर एक परिवार हैं।

(इस बीच समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर–शराबा बना रहा।)

(शोर–शराबे के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आपस में आप कोई बात कर रहे हों तो वह कार्यवाही का भाग होता। पहले जो विषय आ रहा था उस पर मैं अपना निर्णय सुना दूँ। आप हमारा सहयोग करें। पाण्डेय जी हमारा सहयोग करें। मा0 सदस्यगण हमारा सहयोग करें। मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूँ। आप क्या सुने व क्या कहे। लेकिन मैंने नहीं सुना।

डा0 संग्राम यादव–

लेकिन मान्यवर, सदन ने सुना है।

(समाजवादी पार्टी के डा0 संग्राम यादव तथा कुछ अन्य सदस्य लगातार अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे थे)

श्री अध्यक्ष–

आप क्या यह मानते हैं कि मैं ऐसी कोई बात सुनूँगा और मना नहीं करूँगा? ऐसा कैसे आप कह सकते हैं। यह विषयान्तर है। मैंने नियम–300 पर सभी पक्ष के महत्वपूर्ण नेताओं को सुना। माननीय पंकज सिंह द्वारा नियम 300 की नोटिस दी गयी थी।

(समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा लगातार बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप नियमावली देंखे, अध्यक्ष खड़ा होता है तो बाकी लोग बैठ जाते हैं, माननीय राम गोविन्द जी बतायें। आप नियमावली के अनुसार नहीं चलाना चाहते हैं। आप लगातार बिना अनुमति के बोल रहे हैं। मैंने 04 बार माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना है, अगर पांचवी बार वह कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें। अब मैं नियम–300 पर निर्णय देने जा रहा हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अभी एक बहुत बढ़िया वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है, सदन में कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कैसा आचरण होना चाहिए, सदन में कैसा आचरण होना चाहिए, विपक्ष के माननीय सदस्यों का कैसा आचरण होना चाहिए, सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों का कैसा आचरण होना चाहिए, माननीय मंत्रियों का कैसा आचरण होना चाहिये। इसी में हमको लगा कि आप भी थोड़ा इसमें जो कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता ने बात कही, मैं तो उसको सरल ढंग से खत्म कराना चाहता था कि उनका आशय यह था, मैं उस पर नहीं जाता लेकिन तब तक किसी माननीय सदस्य की टिप्पणी इस तरह की हो गयी कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वह किसका हो सकता है, तो इससे बड़ी बात तो कुछ और हो नहीं सकती। आचरण केवल उनके लिए ही नहीं है। तो यह टिप्पणी भी वापस होनी चाहिये।

(सत्तापक्ष की ओर से कुछ सदस्यों ने कहा कि टिप्पणी वापस हो गयी)

श्री अध्यक्ष–

वापस हो गयी है।

नियम 300 की सूचना माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान हुई घटनाओं पर दी गयी थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी ने, माननीय नेता कांग्रेस ने, सभी माननीय नेताओं ने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इन घटना के बारे में प्रकारान्तर से इसे खेदजनक बताया है। यह बहुत गम्भीर घटना है, जैसा कल यहाँ आचरण हुआ था और जैसा माननीय राम गोविन्द चौधरी जी कह रहे थे, हम लोग तमाम प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रमों द्वारा एक वातावरण बना रहे थे कि सदन बहुत सुन्दर ढंग से चले लेकिन कल पहले ही दिन बहुत आहतकारी दृश्य उपस्थित हुआ। इसलिए इसकी गम्भीरता को देखते हुए मैं इस पर अपना निर्णय सुरक्षित

रखता हूँ, यथा समय इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय से इसी आदरणीय सदन के भीतर अवगत कराऊँगा।

[01.25] नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 16–05–2017 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से 15 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमुकुहीराज में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री बैजनाथ रावत की प्रदेश में अवैध बूचड़ खानों एवं अवैध मांस के व्यवसाय से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा के अन्तर्गत सोलानी नदी पर बरसात से पूर्व बाँध बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के किसान इण्टर कालेज खानपुर विकास खण्ड सिकन्दराबाद में अध्यापकों के रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है। पाँचवी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु अवेशष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत कतिपय सेतुओं के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु प्राकलन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती में सरयू नहर परियोजना के माध्यम से किसानों को सस्ती एवं सुलभ सिंचाई योजनाओं को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर

अन्तर्गत शेखपुर बिलौली–बजेहरा मार्ग पर आलायपुर के पास नाले पर क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज अन्तर्गत निजामाबाद मेहनगर विद्युत वितरण खण्ड–3 के मुख्यालय को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र हड़िया अन्तर्गत ग्राम सराय कस्तूरिया से श्री अमर बहादुर भारतीय इण्टरमीडिएट कालेज दिलीपचन्दपुर से औसानपुर तक के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री हरगोविन्द भार्गव की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र के सिधौली के विकास खण्ड कसमण्डा के ग्राम अहमदपुर में सड़क का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के ग्रामीण इलाकों में व्याप्त विद्युत आपूर्ति की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी अन्तर्गत ग्राम विलोलपुर में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री बाला प्रसाद अवस्थी की जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर की ऐरा शुगर मिल खमरिया द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण की रोकथाम किये जाने हेतु समुचित प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में है तथा पन्द्रहवीं सूचना श्री रितेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर अन्तर्गत ग्राम व ब्लाक भियोंव में ओवरहेड टैंक के अपूर्ण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी–

1–डा0 मुकेश वर्मा

2–श्री उमाशंकर सिंह

3–श्री ज्ञान तिवारी

4–श्री मनोज कुमार पारस

मैं नियम 301 में स्वीकार की गई 15 सूचनाओं को सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए आग्रह करता हूँ।

(सदन में उपस्थित सदस्यों की सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं।)

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज मे डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

[मान्यवर] अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर स्थित निम्नलिखित मार्ग जिनका चयन डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम सम्पर्क मार्ग योजना में हुआ है। इन सड़कों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–69/2016/आ0–122/23–9–2016–07 स0वि0/2016, दिनांक 28–07–2016 जारी कर प्राक्कलित लागत के सापेक्ष आंशिक धनराशि वित्तीय वर्ष 2016–2017

नोटः– [x x x] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में जारी करते हुए कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है किन्तु सम्पूर्ण धनराशि न मिल पाने के कारण कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ है। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना अन्तर्गत कार्यों का विवरण है–1–गौरी इब्राहिम खास टोला सम्पर्क मार्ग, परियोजना की लागत रु0 65.74 लाख, अवमुक्त धनराशि रु0 12.13 लाख, 2–लीलहट सम्पर्क मार्ग, परियोजना की लागत रु0 46.85 लाख, अवमुक्त धनराशि रु0 8.68 लाख, 3–कैथवलिया सम्पर्क मार्ग, परियोजना की लागत रु0 52.50 लाख, अवमुक्त धनराशि रु0 9. 77 लाख, 4–खैरटिया सम्पर्क मार्ग, परियोजना की लागत रु0 90.05 लाख, अवमुक्त धनराशि रु0 16.65 लाख, 5–बंरवापट्टी सम्पर्क मार्ग, परियोजना की लागत रु0 53.26 लाख, अवमुक्त धनराशि रु0 9.85 लाख, 6–छोटकी पिपरही सम्पर्क मार्ग, परियोजना की लागत रु0 84.46 लाख, अवमुक्त धनराशि रु0 15.72 लाख, 7–उल्टहवां सम्पर्क मार्ग, परियोजना की लागत रु0 112.21 लाख, अवमुक्त धनराशि रु0 20.90 लाख, 8–हीरासोती सम्पर्क मार्ग, परियोजना की लागत रु0 192.30 लाख, अवमुक्त धनराशि रु0 35.77 लाख, 9–मदरसा गौरीइब्राहीम से मकवान टोला सम्पर्क मार्ग, परियोजना की लागत रु0 29.80 लाख, अवमुक्त धनराशि रु0 5.49 लाख तथा 10–दशहवां सम्पर्क मार्ग, परियोजना की लागत रु0 18.53 लाख, अवमुक्त धनराशि रु0 3. 45 लाख। इन मार्गों का जनहित में शीघ्र प्राकल्लित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि जारी करते हुए निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय, लोकमहत्व के इस विषय पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त मार्गों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि जारी कर मार्ग निर्माण की कार्यवाही शीघ्र कराने की माँग करता हूँ।,

प्रदेश में अवैध बूचड़ खानों एवं अवैध मांस के व्यवसाय से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बैजनाथ रावत–

[मान्यवर, इस सूचना के माध्यम से मैं सम्मानित सदन का ध्यान सरकार द्वारा अवैध बूचड़ खानों एवं बिना लाइसेंस और अवैध मांस के चल रहे व्यवसाय को बन्द करने की घोषण एवं कार्यवाही की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी रुचि के आहार की स्वतन्त्रता है किन्तु इस स्वतन्त्रता का अर्थ खुलेआम कुकुरमुत्तों की तरह आबादियों में मांस विशेष रूप से बड़े जानवरों का मांस बेचना, वध करना व निष्प्रयोज्य एवं अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण कर प्रदूषण फैलाना तथा सार्वजनिक मार्ग व स्थलों पर वध कर शाकाहारी नागरिकों के नागरिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिये। इस अवैध कार्यों पर रोक के माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रत्येक कदम के लिये मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और विश्वास है कि इसका पूरा सदन निश्चित रूप से समर्थन करता है। मान्यवर, सरकार की घोषणा के उपरान्त बूचड़खानों तथा मांस व्यवसाय करने वाले लोगों द्वारा जानवरों के काटे जाने पर उनका खून एवं अनुपयोगी व निष्प्रयोज्य पदार्थ खुले आम नालियों आदि में निस्तारण करने के कारण प्रदूषण की समस्या के साथ ही जनजीवन को भी प्रभावित कर रही है। इस प्रदूषण एवं खुलेआम मांस के परिवहन खून व निष्प्रयोज्य पदार्थों के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करना भी शासन का दायित्व है किन्तु मेरी जानकारी के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों की उदासीनता के कारण सार्वजनिक मार्गों व स्थलों पर खुले आम बिना किसी उपयुक्त व्यवस्था के आज भी मांस का व्यवसाय हो रहा है। इससे प्रदूषण की गम्भीर समस्या हो रही है और शाकाहारी लोगों को असुविधा होना भी स्वाभाविक है। इसलिये सार्वजनिक मार्ग एवं सार्वजनिक

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थन पर मांस का व्यवसाय, जानवरों पक्षियों को रखा व काटा जाना, खून तथा निष्प्रयोज्य एवं अपशिष्ट पदार्थ का निस्तारण काफी चिन्ता का विषय है। मेरी जानकारी है कि मैसर्स अमरूल फूड्स प्राईवेट लिमिटेड, कुर्सी, बाराबंकी के अतिरिक्त लखनऊ में भी प्रदूषण एवं असुविधा जनक उपरोक्त जनविरोधी कार्य किये जा रहे हैं। इस बारे में मैंने अप्रैल, 2017 में नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ मुख्य सचिव एवं माननीय नगर विकास मंत्री जी को पत्र भी लिखे हैं जिस पर शासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः इस सूचना के माध्यम से इस विषय में मैं अपने उपरोक्त पत्रों और उपरोक्त विषय पर उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच एवं प्रभावी कार्यवाही एवं उसका विवरण उपलब्ध कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फर नगर के पुरकाजी विधान सभा के अन्तर्गत सोलानी नदी पर बरसात से पूर्व बांध बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद उटवाल–

खमान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पुरकाजी के खादर क्षेत्र में 19 से भी अधिक गांव प्रतिवर्ष बरसात के दिनों में सोलानी नदी का अत्यधिक दंश झेल रहे हैं । बरसात के दिनों में आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो जाता है कई बार यहाँ बाढ़ के कारण लोगों को डूब कर मृत्यु तक होना संज्ञानित हुआ है जो बहुत दुखद है। वर्तमान में बरसात का मौसम बहुत ज्यादा दूर नहीं है इससे पहले बाढ़ से बचाव एवं आवागमन सुचारू सुव्यवस्थित किया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

सोलानी नदी पर बाँध न होने के कारण ग्राम रज्जकलपुर, पांचेली, फरतपुर, भदौला, मारकपुर, दादूपुर, हुसेनपुर, समस बढीवाला, भसीलीवाला, चान्वक, चमरावाला, अलमावाला आदि गांव जलमग्न हो जाते हैं।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।,

जनपद बुलन्दशहर के किसान इण्टर कालेज खानपुर विकास खण्ड सिकन्दराबाद में अध्यापकों के रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

[मान्यवर, किसान इण्टर कालेज खानपुर विकास खण्ड सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में हाई स्कूल तक के अध्यापकों के वर्षों से 14 पद रिक्त हैं तथा वर्तमान में मात्र एक अध्यापक रह गया है तथा उस पर भी प्रधानाचार्य का चार्ज है। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, शासन तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग को अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अनेक पत्र लिखने के उपरान्त भी आयोग द्वारा पिछले कई वर्षों से वहाँ पर एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गयी है। जिसके कारण उक्त विद्यालय में विद्याध्ययन कर रहे हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। छात्रों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुये आयोग द्वारा वहाँ कम से कम 10 अध्यापक शीघ्र नियुक्त करने की आवश्यकता है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही करने की मांग करती हूँ।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव–

खमान्यवर, जनपद विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत आवागमन हेतु किसानों की सुविधा के लिये रौजा गांव रुदौली मार्ग से गुलचप्पा तक सम्पर्क मार्ग तथा धमौरा पी0एम0जी0एस0वाई0 से नहर पटरी होते हुये मवई पटरंगा मार्ग तक पूर्वांचल राज्यांश योजनान्तर्गत लोक निर्माण विभाग–2 फैजाबाद को उक्त दोनों मार्गों को निर्मित किये जाने हेतु विगत वर्ष स्वीकृति जारी की गयी, परन्तु अभी तक मात्र 10 प्रतिशत धनराशि विभाग को अवमुक्त की गयी है। विभाग द्वारा टेण्डर आदि की प्रक्रिया करने के बाद निर्माण की कार्यवाही रोक दी गयी है जिसके कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु मेरे द्वारा बार–बार माँग की जा रही है। दूसरी तरफ एन0एच0–28 से जखौली धमौरा मार्ग व एन0एच0–28 से डिलवल बाया बरौली, डुल्लापुर से उमापुर मार्ग तक लम्बाई लगभग 11 किमी0 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण दर्जनों गांवों के किसानों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। उक्त दोनों मार्गों के पुनर्निर्माण/विशेष मरम्मत का प्रस्ताव मेरे द्वारा निर्माण खण्ड–2, फैजाबाद को भेजा गया परन्तु अभी तक शासन द्वारा स्वीकृति न दिये जाने से मरम्मत कार्य नहीं हो पा रहा है। उपरोक्त मार्गों के नव निर्माण/पुनर्निर्माण न कराये जाने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।,

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत कतिपय सेतुओं के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

[मान्यवर, ज्ञातव्य हो कि जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत नहरों एवं नदियों का जाल बिछा हुआ है जिसके कारण विशेष रूप से बरसात के समय आवागमन की भारी असुविधाएं होती हैं। परिणामतः लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित सेतुओं के प्राकलन लम्बित है।

1–बीसलपुर विलसण्डा–गोला मार्ग पर गांव टेहरी के पास कटना नदी का सेतु,

2–बीसलपुर–गुलेंदा–खुदागंज मार्ग पर गांव बौनी, के पास रपटुआ नदी सेतु,

3–टिकरी माफी–दियोरियाकला मार्ग पर गांव मकरन्दपुर रोशन सिंह के पास माला नदी सेतु

4–बीसलुपर–दियोरियाकला मार्ग पर गांव ढकिया रंजीत के पास, माला नदी सेतु,

5–वरखेड़ा कला–दियोरियाकला मार्ग पर गांव वुहिता के पास माला की सेतु,

6–गॉव सिगरा महिपति एवं मोहम्मपुर ता0 रामपुर अमृत के मध्य सकरिया नाला सेतु एवं

7–लो0नि0वि0 के नगर बीसलपुर एवं नगर विलसण्डा के निरीक्षण भवनों का पुनर्निर्माण उपरोक्त सभी के प्राकलन शासन स्तर पर लम्बित है। जिनका निर्माण जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन में चर्चा सुनिश्चित की जाये तथा निर्माणार्थ कार्यवाही की जाये।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बस्ती में सरयू नहर परियोजना के माध्यम से किसानों को सस्ती एवं सुलभ सिंचाई योजनाओं को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल–

[मान्यवर, जनपद बस्ती में सरयू नहर परियोजना के माध्यम से किसानो के सस्ती एवं सुलभ सिंचाई की महत्वपूर्ण योजना जिम्मेदारी की लापरवाही के कारण पूर्ण नहीं हो पा रही है।

वि0क्षेत्र–रामनगर जनपद बस्ती में लगभग डेढ दशक पूर्व चार किमी0 लम्बी नहर बसडिलिया से रामापुर तक बनायी गयी है। जिसे सरयू नहर खण्ड–5 से खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बद्ध कर सिंचाई की व्यवस्था बनायी गयी। उक्त नहर से बसडिलिया, करौता, तुसायल, कोहड़ा, उमरभरिया, कटरिया नानकार, अहिरौली, रामापुर आदि गांवों के किसानों में एक आशा का संचार हुआ कि नहर के माध्यम से फसलों के सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। इसी प्रकार ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर में ढाई दशक पूर्व सरयू नहर परियोजना के कोढ़ियांडीह मुख्य नहर से द्वारिका चक बस्तियां माइनर की खुदाई करायी गयी। जिससे द्वारिका चक बस्तियां माइनर से द्वारिका चक, परसोहियां, बंजरिया, बस्तियां, केवटाखोर, जहलीपुर, दुर्गापुर, डुमरी, रखवलियां, बनकटवा, समेत डेढ दर्जन गांवों के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलने की उम्मीद थी परन्तु आजतक उपरोक्त दोनों नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया

जिससे किसानों में असंतोष व्याप्त है। जबकि नहरों की सफाई के नाम पर सिंचाई विभाग से बराबर धन आहरित हो रहा है। किसानों की सुविधा के लिए नहरों में पानी छोड़ा जाना किसानों के सिंचाई सुविधा हेतु अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर अन्तर्गत शेखपुर बिलौली–बजेहरा मार्ग पर आलायपुर के पास नाले पर क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

[मान्यवर, जनपद सीतापुर में शेखपुर बिलौली–बजेहरा मार्ग पर अलायपुर के पास नाले पर लोक निर्माण विभाग की पुलिया काफी दिन पूर्व से ही टूट गयी है जिससे रास्ता बन्द है। स्थानीय जनता को आने–जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त पुलिया का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त पुलिया का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज अन्तर्गत निजामाबाद मेहनगर विद्युत वितरण खण्ड–3 के मुख्यालय को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिमर्दन–

ख्मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ में विधान सभा लालगंज, निजामाबाद, मेहनगर विद्युत वितरण खण्ड तीन का मुख्यालय लालगंज में बनकर पूर्णरूप से तैयार है

जो जनहित में है लेकिन दुख का विषय है कि आज तक इस लालगंज निर्मित मुख्यालय का प्रयोग नहीं हो रहा है जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर जनता शासन प्रशासन को अवगत करा चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस विषय को लेकर जनता आन्दोलित है, किसी भी क्षण अप्रिय घटना हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यानाकर्षण की मांग करता हूँ।,

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र हड़िया अन्तर्गत ग्राम सराय कस्तूरिया से श्री अमर बहादुर भारतीय इण्टरमीडिएट कालेज दिलीचन्दपुर से औसानपुर तक के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाकिम लाल बिन्द–

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र हड़िया के ग्राम सराय कस्तूरिया से श्री अमर बहादुर भारतीय इण्टरमीडिएट कालेज दिलीप चन्दपुर से औसानपुर तक लगभग 2 किमी0 तक मार्ग बहुत ही जर्जर है एवं मार्ग में बड़े–बड़े गढ्ढे होने के कारण आवागमन बाधित है। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों से वार्ता हुई लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता/किसानों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसको लेकर क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है। किसी भी क्षण अप्रिय घटना हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त मार्ग

का निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य कराये जाने की कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के विकास खण्ड कसमण्डा के ग्राम अहमदपुर में सड़क का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरगोविन्द भार्गव–

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र 152 सिधौली के विकास खण्ड कसमण्डा के ग्राम अहमदपुर में सड़क निर्माण न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता में इस विषय को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्रीय जनता काफी आन्दोलित है। किसी भी क्षण अप्रिय घटना घट सकती है। उपरोक्त मार्ग के सम्बन्ध में कई बार शासन–प्रशासन को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में ढखवा सम्पर्क मार्ग से ग्राम अहमदपुर तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के ग्रामीण इलाकों में व्याप्त विद्युत आपूर्ति की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल सिंह–

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र 167, पुरवा के ग्रामीण इलाकों में सरकार द्वारा 18 घण्टे बिजली आपूर्ति का शासनादेश जारी किया गया है।

किन्तु अभी तक उपरोक्त क्षेत्र में अभी तक बिजली मात्र 5 से 6 घण्टे ही बिजली आपूर्ति हो रही है। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों से वार्ता हुई लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ जिससे क्षेत्री जनता/ किसानों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसको लेकर क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है। किसी भी क्षण अप्रिय घटना हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीयलोक एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त क्षेत्र में बिजली आपूर्ति 18 घण्टे कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी अन्तर्गत ग्राम विलोलपुर में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा–

[मान्यवर, जिला अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के अन्तर्गत ग्राम मिझौड़ा एवं आस–पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु 2012 में ग्राम विलोलपुर में विद्युत उपकेन्द्र के स्थापना हेतु शिलान्यास किया गया था परन्तु अभी तक उक्त विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण नहीं किया गया है। जिसके कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आप से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण ग्राम विलोलपुर मिझौड़ा में कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर की ऐरा शुगर मिल, खमरिया द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण की रोकथाम किये जाने हेतु समुचित प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ऐरा शुगर मिल, खमरिया स्थित है। उक्त ऐरा शुगर मिल से निकलने वाले जहरीले पानी एवं जहरीले धुएं से क्षेत्रीय वातावरण अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। पेय जल एवं वातावरण दूषित हो जाने से क्षेत्रीय जनता में कई प्रकार की गम्भीर बीमारियां हो गयी है। दूषित पानी के उपयोग से क्षेत्रीय जनता में कई प्रकार की गम्भीर रोग उत्पन्न हो गये हैं। ऐरा शुगर मिल के परिक्षेत्र में बसे लोगों को सबसे ज्यादा मस्तिक ज्वर, स्वाइन फ्लू रोग से पीड़ित होना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा ऐरा शुगर मिल द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोके जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से एवं शासन से अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक शासन द्वारा प्रदूषण रोके जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव, आपके माध्यम से सरकार से जनहित में ऐरा शुगर मिल द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोके जाने की मांग करता हूं तथा यह भी निर्देश दिये जाये कि भविष्य में क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।]

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर अन्तर्गत ग्राम व ब्लाक भियोंव में ओवर हेड टैंक के अपूर्ण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रितेश पाण्डेय–

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जिला अम्बेडकर नगर के जलालपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम भियोंव, ब्लाक भियोंव में ओवर हेड टैंक (पानी की टंकी) हेतु धनराशि आवंटित हुई है। ग्राम सभा में पाइप नेटवर्क बिछाने अथवा बोरिंग का कार्य लगभग ढाई वर्ष पूर्व पूर्ण हो गया है। लेकिन ओवर हेड टैंक का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है एवं कार्य भी ढाई वर्ष से बन्द पड़ा है। जिससे पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता को बहुत ही परेशानियों का सामना

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करना पड़ रहा है। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों से वार्ता हुई लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त पानी को यथाशीघ्र चालू कराये जाने की मांग करता हूं।]

[01-28] कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 15 मई, 2017 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 16 मई, 2017 से दिनांक 22 मई, 2017 तक के

उपवेंशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की है–

1–दिनांक 15 मई, 2017 को सदन में पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 पर विचार एवं उसके पारण सम्बन्धी मदें दिनांक 16 मई, 2017 को ली जाये।

2–दिनांक 16 मई, 2017 को नियम 56 की सूचनायें न ली जायं एवं नियम 300, 301 तथा 51 की सूचनायें ली जायं।

दिनांक 16 मई, 2017 से दिनांक 22 मई, 2017 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाये–

मई, 2017

16 मंगलावार 1–उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 पर विचार एवं उसका पारण।

2–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

17 बुधवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

18 गुरूवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

19 शुक्रवार (1) असरकारी दिवस (आधा दिन)।

(2) विधायी कार्य (आधा दिन)।

20 शनिवार

बैठक नहीं होगी।

21 रविवार

22 सोमवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[01-30] उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017

श्री अध्यक्ष–

मद सं0 6 में कुछ नहीं है अब मद सं0 7 लेते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)–

माननीय अध्यक्ष जी, देश की आजादी के बाद अप्रत्यक्ष करों की बाहुल्यता और उसकी विसंगति सदियों से इस देश के अन्दर चिन्ता का विषय रही है। न केवल व्यापारी और उपभोक्ता इससे परेशान रहा है अपितु शासन के पास चाहे वह केन्द्र सरकार रही हो या प्रदेश सरकार इन सबको अप्रत्यक्ष करों से राजस्व का जो हिस्सा आना चाहिए था वह न आ पाने की भी एक चिन्ता हमेशा से बनी रही है और इस विषय को ध्यान में रखकर सन् 2003 में केन्द्र सरकार ने वस्तु और सेवाओं पर विभिन्न प्रकार के कर हैं उनमें एक समरूपता लाने के लिए केलकर समिति का गठन किया था। केलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट देने के उपरान्त यह तय हुआ था कि विभिन्न प्रकार के जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनमें एक समरूपता आ सके, इसके बारे में समग्रता से विचार किये जाने की आवश्यकता है। हमें प्रसन्नता है कि मई, 2014 में देश के अन्दर आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद व्यापक आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखकर अप्रत्यक्ष करों में एक समरूपता लाने के दृष्टि से ही जो प्रयास प्रारम्भ हुआ वस्तु एवं सेवा कर यानी जी0एस0टी0 उसका प्रतिफल है और उससे आज उत्तर प्रदेश विधान सभा में इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा

प्रारम्भ हो रही है। मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ इस सदन में मैं प्रश्नकाल से ही यहां पर बैठकर सुन रहा हूं, तमाम गर्माहट के बाद भी प्रदेश के हित के बारे में सभी माननीय सदस्य बैठकर चिन्ता कर रहे हैं, यह हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। हम विश्वास करते हैं कि प्रदेश सरकार की पहले से ही जिस प्रकार की मंशा रही है जी0एस0टी0 के प्रति आज हम सब बहस करके उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करके यहां से भेजेंगे और इसीलिए मैं यहां पर आप सबसे अनुरोध करने के लिए आया हूं। महोदय, 2014 में केन्द्र में यह सरकार बनने के बाद केन्द्र सरकार ने जी0एस0टी0 अधिनियम को पारित किया था। सर्वसम्मति से वह इस सदन में भी हम सबके सामने चर्चा हो सके, इस दृष्टि से मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 पर इस सदन में विचार किया जाये।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। सदस्यों के नाम बाद में दे दिये जायेंगे।

श्री योगी आदित्यनाथ–

मान्यवर, हम उसकी प्रस्तावना रख रहे हैं और प्रस्तावना रखने के बाद माननीय सदस्य उस पर विचार कर लें और उसके बाद हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से अब तक जी0एस0टी0 काउन्सिल में प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार ने भी भाग लेकर और प्रदेश सरकार ने जो भी प्रस्ताव काउन्सिल में प्रस्तुत की थी उन सबको जी0एस0टी0 काउन्सिल ने सभी को स्वीकार किया है। मुझे लगता है कि सर्वसम्मति से संसद ने इस जी0एस0टी0 बिल

को पास किया है। उत्तर प्रदेश विधान सभा जो देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रतीक है अगर उसमें भी यह प्रस्ताव यह विधेयक सर्वानुमति से पारित होता है तो एक अच्छा संदेश देश के अन्दर जायेगा इसलिए मैं इस प्रस्ताव पर अपनी बात रखने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। (मेजों की थपथपाहट) महोदय, यह देश के अन्दर आर्थिक सुधार का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है और इस दृष्टि से आज जो एक अवसर हम सबके सामने आया है कि हम प्रदेश के अन्दर यानी देश के अन्दर और प्रदेश के अन्दर भी जो विभिन्न प्रकार के कर अब तक हैं, अगर हम उन सब को देखेंगे तो चाहे वह व्यापारी हो, चाहे उपभोक्ता हो, ये दोनों तो परेशान हैं ही। व्यापारी को अनेक प्रकार के करों के लिए अलग–अलग एकाउण्ट बनाने पड़ते हैं, वह इंस्पेक्टर राज से त्रस्त रहता है तो उपभोक्ता महंगाई से परेशान रहता है। एक अत्यन्त क्रान्तिकारी कदम है जिसे हम जी0एस0टी0 के रूप में जान सकते हैं और उसी रूप में केन्द्र के जो कर अब तक इसमें थे, जैसे सेण्ट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, उत्पाद शुल्क दवाई और प्रसाधनों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, विशेष महत्व की वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, कपड़ों पर और कपड़े की वस्तुओं पर अतिरिक्त सीमा शुल्क, आमतौर पर सी0बी0डी0 के रूप में जो जाना जाता है विशेष सीमा शुल्क, सेवा कर, केन्द्रीय एवं राज्य अधिशुल्क और उपकर और राज्य के अन्दर भी जो तमाम प्रकार के टैक्स थे, जैसे राज्य वैट है, केन्द्रीय बिक्री कर है, सुख–साधन कर हैं, प्रवेश कर हैं, मनोरंजन कर स्थानीय निकाय द्वारा जो लगाये जाते हैं उनको छोड़ करके, विज्ञापन पर कर, परचेज टैक्स, लाटरी, सट्टेबाजी और जुएं पर कर, राज्य अधिशुल्क और उपकर यानी जो वस्तुओं और सेवाओं से सम्बन्धित हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो कर हैं, इन सब में एक रूपता लाई जा सके, एक टैक्स लागू हो सके, व्यापक सहमति के बाद

जी0एस0टी0 काउन्सिल और उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार ने भी जी0एस0टी0 काउन्सिल की 11 मीटिंगों में भाग लेकर के जो अपने वृहद् प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे, उनको जी0एस0टी0 काउन्सिल ने भी अपनी सहर्ष सहमति दी और उसके उपरान्त आज एक अवसर हम सबके सामने आया है कि हम उत्तर प्रदेश विधान सभा से भी जी0एस0टी0 बिल को पास करके भेजें और देश के अन्दर आर्थिक सुधार की दृष्टि से जो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव हम सबके सामने आया है क्योंकि हम सामाजिक समता की बात करते हैं लेकिन सामाजिक समता के साथ–साथ आर्थिक समता तब तक नहीं आयेगी जब तक यह भेदभाव इसी प्रकार से बना रहेगा, चाहे इसकी चपेट में व्यापारी आये, चाहे इसकी चपेट में उपभोक्ता आये या समाज का कोई भी तबका आये। इस दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस पर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आपसी सहमति के साथ पास हो चुका है और अब प्रदेश की विभिन्न विधायिकाओं के द्वारा इस पर अपना अधिनियम पारित करके देश के अन्दर इस आर्थिक सुधार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो एक गुरुतर दायित्व उनके ऊपर आ चुका है, इस दृष्टि से आज हम उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी इस प्रस्ताव को लेकर के आये हैं।

महोदय, कर प्रणाली की एकरूपता को बनाये रखने के लिए संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 229–ए के माध्यम से जी0एस0टी0 काउन्सिल के गठन की जो व्यवस्था की है उसमें जी0एस0टी0 काउन्सिल को जी0एस0टी0 से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर संस्तुति करने के अधिकार प्रदान किये गये हैं। इसकी संस्तुति पर ही केन्द्र और राज्य की जो अग्रिम कार्यवाही होनी है वह निर्भर करेगी। इसमें जो संवैधानिक प्राविधान हैं, इसमें जो माडल जी0एस0टी0 कानून जी0एस0टी0 काउन्सिल की संस्तुति के आधार पर तैयार किया गया है और जिसको भारत की संसद ने 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में एक आर्थिक

संघवाद की एक नई और प्रभावशाली अवधारणा प्रस्तुत की है। जिससे पूरे देश के अन्दर एक समान कानून जी0एस0टी0 कौंसिल की संस्तुति के आधार पर लागू किया जा सके। जी0एस0टी0 कौंसिल में देश के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों और सदस्यों के रूप में प्रतिभाग की जो व्यवस्था है इसमें केन्द्र का जो अधिकार वह एक–तिहाई है और जो विभिन्न राज्यों के सदस्यगण हैं, मा0 वित्त मंत्रीगण है दो–तिहाई अधिकार उनके पास हैं और कोई भी प्रस्ताव जो जी0एस0टी0 कौंसिल करती है, उसमें तीन–चौथाई बहुमत के साथ उन प्रस्तावों को पारित करने की व्यवस्था है। यह हम सब के लिए सुखद अनुभूति है कि अब तक जी0एस0टी0 कौंसिल की जितनी भी बैठकें हुई हैं, कुल 13 बैठकें हुई है और 13 में से 11 में पूर्ववर्ती सरकार के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने भाग लिया था और उन्होंने जितने भी प्रस्ताव वहां दिये थे, जी0एस0टी0 कौंसिल ने लगभग सभी को स्वीकार किया है और मुझे लगता है कि आज जब एक अवसर आया है क्योंकि एक जुलाई से पूरे देश के अन्दर जी0एस0टी0 लागू होना है और जी0एस0टी0 लागू तभी हो पायेगा जब देश की सभी विधान सभाओं के द्वारा इसे पारित करके भेज दिया जायेगा। उस दृष्टि से अब इस प्रस्ताव पर किसी भी अन्य प्रकार का प्रश्न खड़ा न हो, इस दृष्टि से हम लोग चाहेंगे कि वस्तु और सेवाओं के समव्यवहार पर जो कर आरोपित किये जाने हेतु सी0जी0एस0टी0 व आई0जी0एस0टी0 ऐक्ट जो संसद के द्वारा जो पारित किये गये हैं, राज्य के अन्दर भी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य द्वारा आरोपित किये जाने वाले एस0जी0एस0टी0 ऐक्ट राज्य की विधायिका से भी अब पारित किया जाना समीचीन होगा, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और आर्थिक सुधार की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं आपका आभारी हूं कल आपने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सभी माननीय सदस्यों के लिए इस दृष्टि

से एक कार्यशाला का आयोजन भी किया था। अनेक महत्वपूर्ण सुझाव उसमें आये थे। मुझे लगता है कि जब इस प्रस्ताव का हम लोग अन्त में जवाब देंगे, चर्चा के बाद तो उन सबको हम बता भी देंगे लेकिन हम इस बात को मान सकते हैं कि यह प्रस्ताव देश के व्यापक हित में है। आर्थिक सुधार की दृष्टि से एकरूपता लाने के दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उपभोक्ताओं के हित में है और व्यापारियों के हित में भी है। इस विधेयक के पारित होने से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें प्रदेश को कुछ क्षेत्रों में राजस्व का घाटा अवश्य होगा, क्योंकि कल एक माननीय सदस्य ने इस बात पर वहां चर्चा जरूर की थी, उन्होंने कहा था कि जो फूड ग्रेन है गेहूं, चावल और दाल है इन सब पर भी क्या हम जी0एस0टी0 लागू करेंगे ? मुझे लगता है कि अब तक प्रदेश को जितने भी इस प्रकार के जो फूड ग्रेन थे जैसे कि गेहूं, दाल और चावल आदि पर 4 प्रतिशत की दर से जो कर था, उससे 700 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता था। चारकोल पर 10 करोड़ का मिलता था, कोल और कोक पर 250 करोड़ प्राप्त होता था और अन्य इस प्रकार के उत्पाद थे जिनपर प्रदेश को राजस्व का लाभ होता था। खाद्य तेल और वनस्पति पर भी 300 करोड़ का मिलता था। जी0एस0टी0 लागू होने के बाद ये सब इससे मुक्त हो जायेंगे (मेजों की थपथपाहट सुनाई दी) यानि आम जनता को उससे राहत होने वाली है। उपभोक्ताओं को राहत होने वाली है, लेकिन केन्द्र सरकार ने इस बात की गारण्टी दी है। देखिये जी0एस0टी0 लागू होना एक व्यापक आर्थिक सुधार का एक बहुत महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी कदम है और इतना महत्वपूर्ण कदम होने के बाद पूरे देश को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने देश के अन्दर आर्थिक एकरूपता लाने के लिए जो एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यों को होने वाले राजस्व की हानियों की भरपाई करने के लिए केन्द्र

सरकार ने इस बात के लिए, जी0एस0टी0 कौंसिल ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि पांच वर्ष तक जब तक की राजस्व की वह भरपाई राज्य सरकार उन संसाधनों से पुनः कर नहीं पायेगी तब तक केन्द्र सरकार उन राजस्व की होने वाली हानियों की भरपाई स्वयं करेगी। एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर एक महत्वपूर्ण दायित्व हम सबके ऊपर आ चुका है, दूसरा पूरा देश एक मार्केट होगा। अब तक क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर से यदि कोई सामान हमें बिहार भेजना है तो बार्डर पर बैरियर होते हैं और वहां पर क्या हो रहा है, हर व्यक्ति जान रहा है। मध्य प्रदेश से कोई सामान उत्तर प्रदेश के अन्दर आ रहा है वहां बार्डर पर बैरियर के माध्यम से व्यापारियों का जो उत्पीड़न होता है, ट्रान्सपोर्टस का जो उत्पीड़न होता है उसके बाद उनके साथ जिस प्रकार की आगे की स्थितियां पैदा होती है वह अत्यन्त ही अमानवीय होती हैं। जो भी स्थितियां जी0एस0टी0 कौंसिल के माध्यम से प्रारम्भ होने वाली हैं, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, जैसे एक तो वस्तुओं की आवाजाही के बैरियर को समाप्त करना। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि इसमें मानव हस्तक्षेप कम से कम हो। यह सब अपने आप देखेंगे कि उसको एक ऐसे मैकेनाइज ढंग से सारी व्यवस्था को प्रारम्भ करने जा रहे हैं कि न कर की चोरी हो पायेगी और न कर इतना अधिक होगा कि व्यापारी भरने से डरेगा, न उसको दस जगह चक्कर लगाने पड़ेंगे। स्वाभाविक रूप से यदि कोई भी व्यापारी कर भरना चाहता है तो वह इंस्पेक्टर राज से सबसे ज्यादा त्रस्त होता है। कितने एकाउण्ट वह भरे, कितने एकाउण्ट को वह अख्तियार करें। इससे भी वह भयभीत होता है और उसके कारण कर की चोरी अन्त में होती है, राज्य को राजस्व का घाटा होता है। व्यापारी हमेशा भयभीत होता है कि मैं टैक्स नहीं भर पा रहा हूं। वह भरना चाहता है लेकिन वह दस जगह जाना नहीं चाहता है और

अन्ततः जो महंगाई बढ़ती है एक ही उत्पाद पर, एक ही वस्तु पर कई स्थानों पर लगने वाला टैक्स। यह सबको समाप्त करने की व्यवस्था है क्योंकि टैक्स से आप मैन्युफैक्चर तैयार करेंगे लेकिन उसका उपभोक्ता जहां होगा वहां अन्तिम स्टेज पर जा कर उस पर टैक्स लगने की व्यवस्था है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ा उपभोक्ता प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला स्टेट होगा, जिस दृष्टि से उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को उत्तर प्रदेश विधान सभा में और उत्तर प्रदेश विधान मण्डल से इस प्रस्ताव को अगर हम पारित करके भेजते हैं तो देश के अन्दर एक अच्छा संदेश जायेगा। मैं अपने सभी सदस्यों से इस बारे में अनुरोध करूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और पूर्व में भी पूर्ववर्ती सरकारों ने जो सहमति इसके प्रति और जो प्रतिबद्धता पहले व्यक्त की है, समय आ गया है कि जब हम इस प्रस्ताव के माध्यम से इस विधेयक को पारित करके अपनी प्रतिबद्धता को दोहरायें और देश के अन्दर आर्थिक एकरूपता लाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जी0एस0टी0 कानून देश के अन्दर लागू करने की व्यवस्था 01 जुलाई से पूरे देश के अन्दर लागू होना है इसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी उस एकरूपता के साथ अपने आप को दिखा सके। इसलिए मैं पूरे सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करे और इसको पारित करने में अपना सहयोग देने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, प्रस्ताव तो मैंने रख ही दिया है।

श्री अध्यक्ष–

आपको बोलना तो नहीं है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, थोड़ा सा बोलेंगे, चूंकि प्रस्ताव में पहले मेरा नाम है, उसके बाद माननीय सदस्य बोलेंगे।

माननीय नेता सदन ने अपनी पूरी बात इस बिल के ऊपर रखी और जितने भी माननीय सदस्य चाहे पक्ष के हों, विपक्ष के हों इस सदन में आते हैं उनका मुख्य काम ही है जनता के हित में कानून बनाना और जब कानून बने तो हर माननीय सदस्य का यह कर्तव्य भी होता है कि वह अपने अनुसार इस पर अपने विचार व्यक्त करें। जो भी संशोधन हों, कोई भी उसके मन में शंका हो क्योंकि जनता के लिए ही हम चुनकर आते हैं तो कानून ठीक से बने। इसलिए प्रवर समिति का प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है। आपके विधेयक से हम लोगों का कोई विरोध नहीं है। प्रवर समिति का प्रस्ताव इसलिए दिया गया कि पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य, अगर यह सब नहीं दिया होता तो इस पर कोई बहस ही नहीं होती तो माननीय पक्ष और विपक्ष के लोग इसकी अच्छाई–बुराई या इसमें क्या कमी है, क्या संशोधित किया जा सकता है, क्या और जोड़ा जा सकता है। जैसे श्रीमन् यह नेट–इंटरनेट पर आधारित है और आज भी 70 प्रतिशत ऐसे कारोबारी लोग हैं जो न इंटरनेट से जुड़े हैं, न ही उनके पास कम्प्यूटर है, न कोई उससे मतलब है, न उसका कोई ज्ञान है। एक तो इसमें व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है दूसरा, जैसे आपका कर है उत्तर प्रदेश का, अभी तो मान लीजिये आपकी सरकार है केन्द्र में भी आपकी सरकार है जहां सरकार अलग–अलग हो उन स्टेटों की स्थिति क्या होगी इस पर भी गहनता से विचार होना चाहिए। आश्वासन तो मिल रहा है आपको कि 5 वर्ष में आपका जो घाटा होगा, जो आप टैक्स लगाते हो जिस पर स्टेट टैक्स लगाते हैं। जो अपना खर्च के लिए होता है उसकी जो कमी होगी केन्द्र सरकार उसकी भरपाई करेगी उसकी गारण्टी क्या है कि भरपाई करेगी कि नहीं करेगी। नहीं भरपाई करेगी तो फिर हम स्टेट करेंगे क्या,

इसलिए श्रीमन्, मैंने चूंकि प्रस्ताव रखा था इसलिए थोड़ी अपनी बात कह दी माननीय विपक्ष और पक्ष के माननीय सदस्य अपनी पूरी बात कह लें तब माननीय नेता सदन पुनः जवाब देंगे हम एक मिनट बोल लेंगे बात खत्म हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

कोई एक सदस्य आपके दल से बोल लें जिसे आप चाहें।

***श्री नितिन अग्रवाल–**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी का और माननीय नेता विरोधी दल का बहुत आभारी हूं कि मुझे मौका दिया जी0एस0टी0 पर बोलने का। जी0एस0टी0 चूंकि व्यापारियो से जुड़ा हुआ मामला है और यह सब लोग चाहे पक्ष हों या विपक्ष हो हम सब चाहते हैं कि व्यापारी का हित सुरक्षित होना चाहिए और उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में व्यापारी का हित सुरक्षित होना चाहिए। हम एक टैक्स प्रणाली की बात कर रहे हैं जी0एस0टी0 में। हम लोग एस0जी0एस0टी0, जो स्टेट में जी0एस0टी0 लागू होगा उस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जैसे अभी अपनी बात रख रहे थे इस जी0एस0टी0 में स्टेट में जिन व्यापारियों का टर्नओवर 20 लाख रुपये और उससे ज्यादा है उन सभी व्यापारियों को इस प्रणाली में ले लिया गया है इस देश में लगभग 80 लाख कम्पनियां रजिस्टर्ड हैं और उसमें करीब 90 प्रतिशत कम्पनियां या तो छोटे वर्ग की है या मझौले वर्ग की है और यह जितनी छोटी कम्पनियां हैं इन कम्पनियों में जो लोग काम करते हैं या जो कम्पनियां चला रहे हैं, जो व्यापारी हैं उनको अभी इतनी नालेज नहीं है क्योंकि जी0एस0टी0 पूरी आनलाइन व्यवस्था है। आनलाइन उनको अपना रिटर्न दाखिल करना है हर महीने तीन रिटर्न उनको दाखिल करने हैं अपनी सेल के परचेज के तो करीब–करीब 36

तो वह रिटर्न दाखिल हो गया और एक एनुअल रिटर्न एक व्यापारी को दाखिल करना होगा तो करीब–करीब 37 रिटर्न पूरे साल में व्यापारी दाखिल करेगा जी0एस0टी0 में, कैसे करेगा क्योंकि अभी उसे कोई जानकारी नहीं है उसका प्रशिक्षण नहीं हुआ है और अगर छोटा व्यापारी सिर्फ इसी में लग जायेगा कि वह हर हफ्ते अपना रिटर्न दाखिल करेगा तो वह अपना व्यापार कैसे करेगा। हम लोग चाहते हैं कि इस प्रणाली में छोटे व्यापारियों को हटा दिया जाय और एक करोड़ से ज्यादा टर्नओवर के जितने व्यापारी हैं जितनी कम्पनियां हैं उनको ले लिया जाय जिससे छोटे व्यापारियों को दोहन न हो सके उनको परेशानी न झेलनी पड़े। एक सबसे बड़ी शंका यह भी है जैसे कि तीन बटे सात का कानून आया था उसमें कहा गया था कि 3/7 के कानून में व्यापारी का उत्पीड़न नहीं किया जायेगा लेकिन उसके बाद बहुत से मामले ऐसे आये जिसमें अधिकारियों ने 3/7 में व्यापारियों को जेल भेजा एफआईआर हुई उसमें कई व्यापारी गलत तरीके से फंसाये गये और उनको जेल भेज दिया गया तो कहीं यह इसमें भी तो नहीं हो जायेगा क्योंकि इसमें जो सजा का प्राविधान है इसमें 3 साल की सजा का प्राविधान भी दिया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अधिकारी व्यापारियों का उत्पीड़न करेंगे उनको गलत तरीके से फंसाने का काम किया जायेगा उनको जेल भेजा जायेगा। हम लोग यह चाहते हैं।

(इस समय 01 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम लोग यह चाहते हैं कि अगर कोई चोरी का मामला आता है तो उसमें अर्थदण्ड जितना लगा सकते हैं, उतना लगा

दीजिये लेकिन इसमें प्रोसीक्यूशन के क्लाज को हटा दीजिये, जिससे व्यापारियों का उत्पीड़न न हो सके, उनको जेल न जाना पड़े। जब वैट लागू हुआ था तो यह कहा गया था कि पूरे देश में एक तरीके का टैक्स हम लोग लागू करेंगे लेकिन बाद में हर राज्य ने अपना–अपना वैट लगा दिया और हर राज्य का अपना–अपना वैट हो गया और अलग–अलग परसेंटेज तय कर दिये गये। क्या जी0एस0टी0 में भी ऐसा होगा क्योंकि चार तरीके की जी0एस0टी0 हो रही है सेन्ट्रल जी0एस0टी0, सी0जी0एस0टी0, स्टेट में एस0जी0एस0टी0 लागू करने जा रहे हैं, इंटर स्टेट में हम आई0एस0जी0एस0टी0 लागू करने जा रहे हैं और एक यूनियन टेरेटरी की अलग जी0एस0टी0 है। तो चार तरीके की जी0एस0टी0 आने जा रही है इन चारों के बीच में तालमेल कैसे होगा। अभी इसमें कोई क्लेरीफाई नहीं किया गया है कि इन चारों का क्या रेट होगा, क्या अलग–अलग रेट होगा या सेम होगा और कैसे इन चारों के बीच में तालमेल बनाया जायेगा। आपने एक्साइज को इसमें अलग रखा है और भी जो पेट्रोलियम पदार्थ हों, उन सभी चीजों को इससे अलग कर दिया गया है। इसमें राज्य अपना टैक्स अलग से लगायेगा, तो यह भी तय नहीं हैं कि राज्य इसमें कितना टैक्स अपना अलग से लगायेगा, वह सी0जी0एस0टी0 से ज्यादा टैक्स होगा कि जो सी0जी0एस0टी0 का रेट डिफाइन किया जायेगा उससे कम होगा अभी इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। यह भी तय हुआ था कि एस0जी0एस0टी0 जब लागू होगा तो 18 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स प्रदेश में नहीं लगाया जायेगा लेकिन अब करीब चार स्लैब बना दिये गये हैं तो अभी इस पर भी सरकार कोई क्लियर बात नहीं बता पाई है कि यह चार स्लैब होंगे या चार अलग–अलग टैक्स होंगे, या एक टैक्स होगा या वह कितना होगा, क्या वह 18 प्रतिशत होगा या 18 प्रतिशत से ज्यादा लगाया जायेगा। लोकल बाडीज अपना अलग टैक्स लगाती हैं,

जिला पंचायत अपना अलग टैक्स लगाती है क्या इसमें जब जी0एस0टी0 लागू हो जायेगा प्रदेश में, तो इसमें अभी यह भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या यह टैक्स रहेंगे या इन टैक्सों को भी इसमें समायोजित कर दिया जायेगा एस0जी0एस0टी0 में। क्योंकि अगर इसको समायोजित नहीं किया जायेगा और जिला पंचायत अपना अलग टैक्स लगायेगी, लोकल बाडीज, नगरपालिकायें, नगर निगम अपना अलग टैक्स लगायेगी तो फिर वह टैक्स कहां पर जायेगा। क्या उपभोक्ता सी0जी0एस0टी0 भी पे करेगा और फिर इन लोकल बाडीज का भी टैक्स पे करेगा। तो क्या वह 30 प्रतिशत से ऊपर नहीं पहुंच जायेगा, फिर हम समानता की बात कैसे कर सकते हैं। इस पर भी सरकार को क्लैरिटी लाना चाहिए और बताना चाहिए कि यह टैक्स रहेंगे या यह टैक्स जायेंगे। अनाजों में उत्तर प्रदेश में मण्डी टैक्स लगता है, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर मण्डी टैक्स नहीं लगता। जैसे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश और दिल्ली में मण्डी टैक्स नहीं लिया जाता। लेकिन उत्तर प्रदेश में मण्डी टैक्स लिया जा रहा है तो क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में मण्डी टैक्स रहेगा या उसको भी एस0जी0एस0टी0 में समायोजित कर दिया जायेगा। क्योंकि अगर आप यहां से मण्डी टैक्स नहीं हटायेंगे तो फिर हमारे व्यापारी कम्पटीटिव कैसे रहेंगे। दूसरे प्रदेश के व्यापारियों का माल सस्ता होगा और हमारे प्रदेश के व्यापारियों का माल महंगा होगा तो यहां का व्यापारी कैसे अपना व्यापार करेगा। जहां तक राज्य के राजस्व हानि की बात है तो केन्द्र सरकार ने कहा है कि हम उन सरकारों को 5 साल तक कम्पन्सेट करेंगे जिन प्रदेशों का नुकसान होगा। यह बात ठीक है कि आप कम्पन्सेट करेंगे लेकिन इसमें हम यह सुझाव देना चाहते हैं कि जिस भी राज्य का नुकसान हो, उसका जो भी कलेक्शन टैक्स का हो और अगर राज्य को उसमें नुकसान हो रहा हो तो उसे जितने एमाउन्ट का भी नुकसान हो

रहा हो तो वह एमाउन्ट को रोक ले और बाकी जो बचता है वह सेन्ट्रल में जमा कर दे। क्या इसकी कोई व्यवस्था हम लोग बनायेंगे या नहीं बनायेंगे। यह भी बहुत बड़ी समस्या है अधिष्ठाता महोदय, कि जी0एस0टी0 कौन्सिल बनी उसमें केन्द्र सरकार ने एक तिहाई बहुमत अपना रखा और दो तिहाई बहुमत प्रदेश सरकार का रखा। इसमें यह भी तय नहीं हुआ है कि अगर कोई राज्य जी0एस0टी0 में अपील करेगा तो क्या कोई समय सीमा तय हुई है कि अगर उसको नुकसान हो रहा है तो क्या कोई समयबद्ध प्रक्रिया होगी कि कितने समय में उसकी अपील का निस्तारण कर दिया जायेगा। हम बस इतना ही चाहते हैं कि ये जो एमेंडमेंट्स हम लोग रख रहे हैं इन एमेंडमेंट्स को मान लिया जाये। सबसे पहले हमने जो बात कही थी कि हमारा मत है कि छोटे से छोटे व्यापारी को परेशानी न हो, उसका उत्पीड़न न हो तो इस जी0एस0टी0 से छोटे व्यापारी को हटा दिया जाये और जो एक करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर के व्यापारी हैं उन सभी व्यापारियों को इसमें ले लिया जाये। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार हमारी बातों को मान लेगी।

***श्री उमाशंकर सिंह–**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जी0एस0टी0 विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया आपने उसमें हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मान्यवर, राज्य सभा में हमारे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने अपनी बात को रखते हुए और सुझावों को देते हुए जी0एस0टी0 बिल का समर्थन किया है। हम भी सदन में अपने कुछ सुझावों को या जो बातें लोगों के बीच से छनकर बाहर आ रही है उसको इस सदन में रखते हुए अपनी बात कहूंगा। अभी मा0 मुख्यमंत्री जी ने इसके विषय में जो सम्बोधन दिया है उसमें उन्होंने भी इस बात की चिन्ता जाहिर की है कि

प्रदेश से इंस्पेक्टर राज समाप्त हो। प्रदेश के बार्डरों पर परिवहन कर रहे व्यापारियों के लिए जो परेशानी का सबब बनता है मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह कैसे समाप्त होगा क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जैसे कि हमारे पेट्रोलियम पदार्थ हैं या पेट्रोल से जो सामग्रियां बन रही हैं, एल्कोहल्स है, हम इन्हें जी0एस0टी0 से बाहर रखेंगे, हम बार्डर को खत्म नहीं कर रहे हैं, बार्डर पर इंस्पेक्टर राज हमेशा विद्यमान रहेगा। आने वाले जो भी ट्रक उस रास्ते गुजरेंगे उनको वह उसी दृष्टि से देखेगा और देखने के बाद जो भी उत्पीड़न होता है वह किसी से छिपा नहीं है। विगत दिनों में जब वैट की व्यवस्था थी तो इसी सदन में हम लोग चर्चा में भाग लिये और यह बात बहुत जोरदार तरीके से उठ करके आई कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जैसे कि हरियाणा है, हरियाणा ने अगर वैट का परसेंट डीजल, पेट्रोल में कम कर दिया तो हमारे जो सीमावर्ती इलाके हैं उस इलाकों के लिए हमारे यहां से डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति न ले करके सीधे बार्डर से कालाबाजारी करते थे और यह बात सदन में कई बार आई है कि इससे हमारे राजस्व की काफी क्षति हुई। वह लोग जा करके स्टोर भी करते हैं और लोगों को सप्लाई भी करते हैं। आये दिन अभी भी आबकारी विभाग द्वारा मैं देख रहा हूं कि हरियाणा से शराब की तस्करी हो रही है यह इसलिए हो रही है क्योंकि हरियाणा ने इस पर वैट में लिबर्टी दी है। हमारे यहां के एल्कोहल्स की तुलना में हरियाणा में एल्कोहल्स सस्ते हैं तो लोग उसकी कालाबाजारी करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, मा0 मुख्यमंत्री जी इसको बेहतर समझ सकते हैं। जो अध्यादेश पेश किया गया है इसमें उत्तर प्रदेश का अलग से कुछ आया भी है जैसा कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने भी चर्चा की और इस अध्यादेश के पेज 58–59 में इस बात का जिक्र किया गया है। जो व्यापारियों में एक दहशत है, अभी भी बनी हुई है। जो

इंस्पेक्टर राज समाप्त करने की बात हम कर रहे हैं, इसमें जो प्राविधान दिया गया है कि कमिश्नर को शक होने पर वह खुद या अपने द्वारा नामित किसी भी सदस्य को वह मनोनीत करके आपकी जांच कराकर, सूचना दे करके आपको वह जेल भेज सकता है। हम अभी व्यापारियों को उससे मुक्ति नहीं दिला पा रहे हैं कि नहीं अब आप टैक्स भरो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। यह एक परसेप्शन बना हुआ है पूरे प्रदेश में कि इससे टैक्स बड़ा सरल हो जायेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन रिटर्न भरने की जो व्यवस्था आयी है और अध्ययन करने पर मिला है कि एक महीने में तीन आनलाइन रिटर्न दाखिल करनी होगी, एनुअल अलग से है। यानी छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी को भी लगभग 37 रिटर्न आनलाइन दाखिल करने पड़ेंगे, इसके लिए सरकार कौन सी व्यवस्था देगी या सभी लोग चार्टेड एकाउन्टेंट पर डिपेन्ड रहेंगे या उन्हें ट्रेनिंग करायी जायेगी, जिस तरह से हम लोगों की जी0एस0टी0 के बारे में कार्यशाला चली। वहां जाकर के हम लोगों ने उसमें कुछ सीखने का प्रयास किया। यह सब कुछ इस तरह की विसंगतियां हैं जिसे मुझे लगता है कि इसे दूर करने के लिए, इसमें संशोधन करने के लिए सरकार को बल देना चाहिए। हालांकि यह सही बात है कि इसका नाम ही दिया गया है कि 'एक देश, एक टैक्स'। लेकिन अभी कुछ चीजों को हम इससे बाहर रख रहे हैं तो जो हमारा नारा है वह सार्थक नहीं हो पा रहा है। इसमें यह देखा गया है कि कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिसमें अगर स्टेट अपना कर लगायेगी तो उसमें स्टेट को अपने राजस्व की क्षतिपूर्ति है या राजस्व बढ़ाना होगा तो उसको लगाकर बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसमें विसंगति होगी, हम इस बात को नहीं कह सकते है फिर वह कालाबाजारी होगी जैसे कल भी वर्कशाप

में चर्चा हुई थी, नाम आया था कुछ उत्पाद थे। जैसे अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने मण्डी का जिक्र किया कि हमारे यहां मण्डी टैक्स लगता है। हम बलिया जनपद से आते हैं हमारे यहां जो बिहार का बार्डर, बक्सर है वहां पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता है उपेन्द्र तिवारी जी, इस बात को पिछली बार बहुत जोरदार तरीके से उठाते रहे कि वहां पर एस0ओ0 की पोस्टिंग के लिए कप्तान लाखों–लाख रुपये लेता है, सेल्स टैक्स अफसर की पोस्टिंग के लिए मारामारी होती है, केवल इसलिए कि वहां हमारे यहां से गल्ले की स्मगलिंग होती है। बिहार में व्यापारियों को सुविधा मिलती है और उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न वहां से पार हो जाता है। तो हम इन सब चीजों को कैसे सरल करेंगे ? मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना सुझाव भारत सरकार को देना चाहिए। यही नहीं, मा0 मुख्यमंत्री जी ने जिस बात की चर्चा की कि जिस स्टेट का रेवेन्यु कम होगा, भारत सरकार उसे पांच साल तक अपनी तरफ से उस रेवेन्यु की पूर्ति करेगी। यहां तो ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो जी0एस0टी0 काउंसिल के चेयरमैन है वह वित्त मंत्री भारत सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर वह यह दिखाती है कि मेरा इतना रेवेन्यु कम हुआ तो काउंसिल बोर्ड उसको एक्सेप्ट कर लेगी और यह करके उनकी क्षतिपूर्ति दे देगी। लेकिन क्या उन राज्यों के लिए भी इस तरह की व्यवस्था होगी जहां पर विपक्ष की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है ? तो मुझे, हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगा लेकिन जो सामग्री मिली थी, उसका अध्ययन करने में यह नहीं लगा कि इसमें जो क्षतिपूर्ति देने की बात कही गयी है, जो स्टेट अपनी कमी बतायेगा उसका मानक क्या है ? वह किस आधार पर इसको ले जा करके भारत सरकार के सामने रखेगा कि हमें इतना टैक्स कम मिला है। तो मुझे लगता है कि वह स्टेट अभी डरे–सहमे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी

की सरकार नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सही बात है जो एक पूरा माहौल बन करके आया है कि इस टैक्स के लागू होने से हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है राजस्व की हमारी काफी बढ़त हो जायेगी। कुछ जगहों पर मैंने देखा था जहां इससे पहले लागू हुआ है। जैसे मलेशिया का हमने एक साइट से निकाला था। मलेशिया में जी0एस0टी0 लागू हो गई है। वहां पर क्योंकि महंगाई काफी बढ़ गई। अभी तो हम कह रहे हैं आम उपभोक्ता के लिए कि हमारी चीजें सस्ती हो जायेंगी, उपभोक्ता के लिए काफी आसान रहेगा। लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार वहां जब जी0एस0टी0 लागू हुआ तो तीन सालों तक महंगाई बढ़ी। अन्य देशों का भी है लेकिन इसमें विस्तृत नहीं दिया था। लेकिन जो कम समय में हम लोगों ने जो जानकारी हासिल की है उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में देखना होगा कि इसका क्या परिणाम आता है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं हालांकि यह जो परेशानी है जिससे अन्य स्टेट भी थोड़ा चिन्तित हैं। यह परेशानी मुझे लगता है कि वर्ष 2011 में भी जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार जब इसको हाउस में लेकर आई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी ने यही कह कर विरोध जाहिर किया था कि इससे प्रदेशों का जो अपना प्रभुत्व है वह समाप्त हो जायेगा और भारतीय जनता पार्टी ने उसका काफी विरोध किया था। कांग्रेस के लोगों ने काफी प्रयास किया लेकिन उस बात का भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध करती रही। वर्ष 2014 में इस समय के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का भी उस समय का स्टेटमेंट था उन्होंने भी शुरूआत में जब यह लाया गया तो इसके पक्ष में रखा था लेकिन बाद में उन्होंने कुछ कारण बताकर इसको रिफ्यूज किया था। लेकिन 2014 में आने के बाद यह बात शुरू हो गई। जो कुछ हम लोगों ने अध्ययन किया है,

कुछ अर्थशास्त्रियों से हम लोगों ने जो आंकड़े निकाले हैं। हालांकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जी0एस0टी0 लागू हो जाने से लगभग डेढ़ लाख करोड़ प्रतिवर्ष देश को फायदा होने वाला है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य थोड़ा संक्षेप करें।

श्री लालजी वर्मा–

इसमें संक्षेप न करायें।

श्री उमाशंकर सिंह–

डेढ़ लाख करोड़ प्रतिवर्ष जब फायदा होने वाला है तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वर्ष 2011 में हम जिस काम को कर सकते थे तब नहीं किया आज लगभग 7 साल हो गया फिर आज हम उस फायदे को दिखा रहे हैं कि हमारे देश के लिए कितना फायदेमंद है। फायदेमंद है तो हमने उसको क्यों नहीं वर्ष 2011 में ही पास कर दिया ? अगर हम इसको 2011 में पास कर दिये होते तो अगर हम डेढ़ लाख करोड़ ही मानते हैं तो लगभग साढ़े दस लाख करोड़ का हमारे भारतवर्ष का नुकसान हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की सारी बातें हैं तो यह लागू होना चाहिए। क्योंकि हमारा दल इसका समर्थन करता है लेकिन इसमें कुछ जो विसंगतियां हैं मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संवेदनशील हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में राजस्व कैसे बढ़े। जिससे कि हम लोग डेवलपमेंट के रास्ते पर और आगे बढ़ें। जब हमारा राजस्व ही नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से हम उस डेवलपमेंट के कार्य को नहीं कर पायेंगे। हालांकि कुछ शोधों में यह बात निकलकर आई थी कि हालांकि हम उसमें विस्तार से नहीं कह रहे। उसी शोध में एक बात यह भी आया कि अगर सातवां वेतन लागू हो जाता है तो मुझे लगता है कि उसमें

लगभग 55 प्रतिशत जो राज्यों का आय है और 70 फीसदी यह अधिकारी के पेंशन आदि में इसको खर्च कर देंगे। हालांकि अभी इसमें मुझे लगता है कि अभी काउन्सलिंग बोर्ड भी इसमें सहमति नहीं बना पा रहा है। लगातार बैठकों पर बैठकें होती जा रही हैं। मुझे तो लगता है कि आज जो यह परसेप्शन बना हुआ है कि जी0एस0टी0 लागू होने से हमारे प्रदेश को, देश को काफी लाभ होना है, काफी राजस्व की वृद्धि होनी है तो इसलिए मैं अपनी तरफ से अपने दल की तरफ से इस जी0एस0टी0 अध्यादेश का समर्थन करता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री संजय गर्ग–

माननीय नेता विरोधी दल जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे साथी नितिन जी ने और हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि ने जो संशोधन के प्रस्ताव रखे, मैं उन पर बल देते हुए केवल आपके माध्यम से ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूं कि वन टैक्स वन नेशन की परिकल्पना के तहत एक लम्बे समय से आर्थिक सुधारों की दौड़ में जो भारत चल रहा है और उनके अन्दर एल0पी0जी0 यानि लिब्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को प्रोत्साहित करते हुए भारत को एक बड़े बाजार के रूप में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा कारपोरेट जगत को परोसने की साजिश है।

(इस समय 2 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

भारत को एक बड़े बाजार के रूप में हम किस तरह से प्रस्तुत करने का काम कर सकें कुछ इस तरह की दृष्टि इस कानून को लाकर मुझे दिखाने की बात लगती है। जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो कुछ लोग उसको ग्लोबल

विलेज कहते हैं जबकि हमारी संस्कृति हमें वसुधैव कुटुम्बकम् की परम्परा सिखाती है। ग्लोबल विलेज की जब बात आती है तो वहां कहीं न कहीं संवेदनाओं की कमी होती है और जब हम वसुधैव कुटुम्बकम् की बात करते हैं तो हम उन संवेदनाओं को अपने साथ जोड़कर पूरे समाज की भलाई की बात को देखने की कोशिश करते हैं। जी0एस0टी0 कानून को पास करने की बात हम कर रहे हैं मुझे लग रहा है हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान देश है और उसके ग्रामीण परिवेश पर इसका असर ठीक नहीं पड़ेगा। अभी हम जिन इलाकों में बिजली नहीं पहुंचा पाये, जिन इलाकों का डिजिटलीकरण नहीं हुआ वहां किस तरह से जी0एस0टी0 के माध्यम से यह परिकल्पना कर दें कि वहां का व्यापारी इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर मेन्टेन कर पायेगा और पूरा का पूरा जैसा कि माननीय नेता सदन ने भी कहा, इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है कि सारी की सारी व्यवस्था मैकेनिज्म के जरिये संचालित होगी हम उपभोक्ता प्रदेश के वासी हैं हमारा स्टेट इन्डस्ट्रियल स्टेट नहीं है और ऐसे में कैसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जा सकें इस बात के लिए अपने प्रदेश की तरक्की के लिए, उन तमाम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुटीर उद्योगों में लगे हुए उन तमाम लोगों को वैट मुक्त करके इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वह अपने जीवन का और अपने परिवार के संचालन का काम कर सकें। मुझे संदेह है कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी का काम करने वाले, मेरठ में खेल का सामान बनाने वाले, बनारस में साड़ी के कुटीर उद्योग में लगने वाले, भदोही में कालीन का काम करने वाले, आगरा में संगमरमर के पत्थर पर नक्काशी करने वाले, फिरोजाबाद में चूड़ी का काम करने वाले, उन तमाम लोगों को और उस ट्रेड को किस तरह से हम इसके अन्तर्गत कर मुक्त रख पायेंगे, रख

पायेंगे या नहीं रख पायेंगे, निश्चित रूप से उस तरह के कुटीर उद्योगों को उस संवेदनशीलता के साथ, शायद इस वन टैक्स वन नेशन की जी0एस0टी0 प्रणाली में हम किस तरह से लेने की बात करें यह एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। हम प्रदेश के नो टैक्स समाप्त कर जी0एस0टी0 को लागू करने की बात कर रहे हैं जिनका उल्लेख माननीय नेता सदन जी ने भी किया। जिसमें एस0टी0जी0एस0टी0 में हम स्टेट के अपने वैट को, सेन्ट्रल सेल्स टैक्स को, परचेज टैक्स को, लग्जरी टैक्स को, एन्ट्री टैक्स को, मनोरंजन कर, जो स्थानीय संस्थाओं से अलग हो, विज्ञापनों पर लगने वाला कर, लाटरी, जुआ, सट्टा और प्रादेशिक सरचार्ज को इसमें शामिल कर रहे हैं मेरा एक सुझाव है जब वन टैक्स वन नेशन की बात है तो मण्डी शुल्क को भी इसके अन्दर शामिल किया जाना चाहिए। जिस तरह का सुझाव मेरे दूसरे साथी ने भी दिया है बहुत सारे प्रदेशों में मण्डी शुल्क नहीं है बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश और देहली में नहीं है और यहां के गल्ला व्यापारियों को वन टैक्स वन नेशन की थ्योरी में जी0एस0टी0 के अन्तर्गत आने के बाद निश्चित रूप से उस बात से परेशानी उठानी पड़ेगी। इसी तरह से इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी और कृषि कल्याण सेस को भी इसके अन्तर्गत शामिल करने की बात की जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, यह एक मनी बिल है और आज हम इसे पास कर रहे हैं परन्तु किस वस्तु पर कितना कर लगेगा यह हमें पता नहीं है यह छूट हम केन्द्र सरकार को दे रहे हैं आज यह बिल पास हो जायेगा और बिना लोक सभा और विधान सभा में आये 20 प्रतिशत तक का टैक्स जी0एस0टी0 कौन्सिल जिस पर चाहेगी उस पर लगाने का काम करेगी और उस संवेदनशीलता को जिसको सदन में रखा जा सकता था उस बात से सदन महरूम रह जायेगा। इसलिए उन तमाम चीजों पर निश्चित रूप से मनन करने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष–

अब सुझाव आ गये हैं।

श्री संजय गर्ग–

मैं प्रमुख सुझावों के रूप में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं मान्यवर, जो पांच स्लेब के अन्तर्गत जो जीरो टैक्स रखा गया है उसके अन्दर कौन सी वस्तुयें होंगी इसका कोई उल्लेख इसके अन्तर्गत नहीं है। हम चाहेंगे वैट के अन्तर्गत जिन व्यापारियों को और जिन चीजों को सहूलियत दे रहे थे बढ़ावा देने के लिए, इस उम्मीद के साथ जिससे कि उनको रोजगार मिल सके, उन चीजों को उसके अन्तर्गत शामिल किया जाये, चाहे वह कपड़ा हो, किताबें हों, पालिट्री फीड हो, खाद्यान्न हो, कैटेल फीड हो, अण्डे हों, जानवर हों, कृषि यंत्र हो, दस्तकारों के द्वारा बने उत्पाद हों, गुलकंद हों, पूजन सामग्री हो इन तमाम चीजों को उसके अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल के अनुच्छेद 8 में समाधान योजना का जिक्र है और समाधान योजना में ट्रेडर (व्यापारी) और उद्योगपति को पचास लाख रुपये की टर्नओवर तक के लोगों को समाधान योजना में शामिल करने की बात की गई है हमारी मांग है कि समाधान योजना में एक करोड़ की सीमा रखी जानी चाहिए। यह पचास लाख तक की सीमा 2007–08 में तय हुई थी कितनी मुद्रास्फीति हुई थी, उसके बाद निश्चित रूप से इसको बढ़ाया जाना उसकी सीमा का बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसी के साथ इस पर लगने वाला टैक्स ट्रेडर पर दो प्रतिशत और उद्योगपति पर ढाई परसेंट रखने की बात की गई है जिसे घटाकर एक प्रतिशत किया जाना चाहिए। इस सबके अलावा वर्क कांट्रेक्ट यानि ठेकेदार और टेंट हाउस को समाधान योजना में शामिल नहीं किया गया है हम चाहेंगे कि एस0जी0एस0टी0 के अन्तर्गत ठेकेदार आर वर्क कांट्रेक्टर के लिए बहुत मुश्किल है इस तरह की 37 रिटर्नों को दाखिल करना और इलेक्ट्रानिक लेजर के

जरिये तमाम चीजों को मेनटेन करना निश्चित रूप से वर्क कांट्रेक्टर, ठेकेदार और टेंट हाउस को भी समाधान योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए। एक बहुत एनोमली है यह एनामली ईंट भट्ठा के समाधान योजना में जिसका सीजन एक अक्टूबर से 30 सितम्बर तक होता है समाधान योजना में प्रदेश सरकार ने 30 सितम्बर तक का वैट में कर ले लिया है परन्तु एक जुलाई 2017 से जी0एस0टी0 लागू हो जायेगा। जुलाई, अगस्त, सितम्बर का जो टैक्स ईंट भट्ठा के लोगों ने दिया है जी0एस0टी0 लागू होने के बाद उनका चरित्र और किरदार क्या रहेगा किस हैसियत से हम एस0जी0एस0टी0 को वसूलने का काम उसके अन्तर्गत करेंगे। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवाल है। एक वर्ष में 37 रिटर्नें दाखिल करने की कठिनाई के बारे में मेरे साथियों द्वारा कही गई है। जी0एस0टी0 के अन्तर्गत 6 साल तक के दण्ड से हम व्यापारी को, जिसके टैक्स से हम प्रदेश और देश के संचालन की बात कर रहे हैं मेरा सुझाव है कि उसे माफ किया जाना चाहिए और केवल अर्थ दण्ड पर सीमित किया जाना चाहिए। एक और साधारण सी बात है।

श्री अध्यक्ष–

अब यह आपकी आखिरी बात है।

श्री संजय गर्ग–

बहुत सारे प्रदेश के हिस्से अभी भी ऐसे हैं। जहां बिजली नहीं पहुंचती डिजिटीकरण नहीं हुआ जी0एस0टी0 के अन्तर्गत है कि अगर व्यापारी 50 हजार तक का भी माल सेल करेगा और भेजने का काम करेगा। उसे पहले इलेक्ट्रानिक वे बिल कम्प्यूटर से निकालना होगा। मेरे गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति ट्रैक्टर ट्राली के जरिये अगर सरिया भेजता है तो उसका बिल पचास हजार से ज्यादा हो जाता है तो उसे पहले ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ई वे बिल जनरेट करने के लिए जब डिजिटाइलेशन, कम्प्यूटर और बिजली वहां नहीं होगी तो किस

तरह से वह ई वे बिल जनरेट करेगा। जब ई वे बिल जारी नहीं कर पायेगा तो उसका ट्रैक्टर कोई भी अधिकारी रोकने का काम करेगा। निश्चित रूप से इस तरह की विसंगतियों का हमें इसके अन्तर्गत समाधान देने की बात करनी होगी। सी0जी0एस0टी0 में केन्द्र सरकार ने अधिकारियों का ढांचा बनाने की बात की है प्रदेश सरकार ने एस0जी0एस0टी0 में अपने अधिकारियों का जो रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए ढांचा बनाया जाना चाहिए इसके कोई प्राविधान की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पायी है उसके लिए तमाम अधिकारी अभी भी प्रदेश में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा रहे हैं जुलाई में आपको लागू करना है और अभी तक प्रदेश सरकार के अधिकारियों की रिस्ट्रक्चरिंग एस0जी0एस0टी0 को लागू कराने के लिए नहीं कर पाये हैं निश्चित रूप से इस बात को किये बिना हम अपनी प्रशासनिक मशीनरी को कमजोर करेंगे और अधिकारियों का मनोबल उसके साथ गिरने का काम होगा। अध्यक्ष जी यह संशोधन के प्रस्ताव के साथ हम अपनी बात पर बल देते हुए अनुरोध करते हैं कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंपने की अनुमति देने का काम किया जाये और एक महीने में जब वह अपनी रिपोर्ट दे उसके बाद इसको पास करने का काम किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रतिपक्ष के अनेक सदस्य बोल चुके हैं अभी और बोल लेंगे अभी मैं सतीश द्विवेदी को अपनी बात रखने का अवसर दे रहा हूं।

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी–

माननीय अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद कि पहली बार चुनकर आये हुए सदस्य को आपने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को यह एक महत्वपूर्ण विषय है। कल की वर्कशाप में भी मैंने

चर्चा में हिस्सा लिया था अभी जो हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से इस बिल पर आपत्तियां आ रही हैं वह इस नाते नहीं आ रही हैं कि इस बिल में कोई कमी है मुझे क्षमा करेंगे मैं उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं लेकिन बहुत सारी आपत्तियां इसलिए हैं कि लोगों के मन में भ्रान्तियां हैं जैसे बार–बार यह बात आ रही है कि छोटे कारोबारियों का क्या होगा फला–फला उद्योग का क्या होगा तो मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं 15–16 साल से कालेज में पढ़ता और पढ़ाता रहा हूं मैं आज तक नहीं समझा कि टैक्स लगाने से किसी उद्योग धन्धे का भला कैसे होगा। यह बार–बार आ रहा है कि अगर उपभोग पर टैक्स लगेगा एक भ्रान्ति यह भी है जब हम जी0एस0टी0 की बात कर रहे हैं तो एक लाइन जी0एस0टी0 के बारे में लिखा जाता है जी0एस0टी0 इज कम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स आन मैन्यूफैक्चर, सेल एण्ड कंजम्पसन आफ गुड्स एण्ड सर्विसेज। हर स्टेज पर टैक्स लग रहा है। जहां मैन्यूफैक्चरिंग हो रही है वहां टैक्स लग रहा है, जहां सेल हो रही है वहां टैक्स लग रहा है। जब हम अन्तिम उपभोक्ता से कर लेने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल जहां सेवा दी जा रही है वहीं टैक्स लग रहा है। यह दुनिया की बेहतरीन कर व्यवस्था है जिसको हमारे भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने स्वीकार किया है। इसमें हर स्टेज पर टैक्स लेने की व्यवस्था है। मान लीजिये कि अभी मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा। इसके पहले क्या होता था, अगर उस पर 14 परसेंट का वैट है तो 14 रुपया टैक्स मैं अकेले उसको देता था, लेकिन इसमें व्यवस्था यह है कि उस 100 रुपये का सामान तैयार होने में पिछले प्रोसेस में कहीं 05 रुपया कहीं 02 रुपया कहीं 03 रुपया टैक्स दिया गया है तो जब मैं 14 रुपया का टैक्स दूंगा तो पिछले स्टेज पर जहां 05 रुपये का टैक्स दिया गया है वह इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में मुझे वापसी हो जायेगी। मुझे केवल 09

रुपया देना पड़ेगा। इतनी अच्छी व्यवस्था की आलोचना की जा रही है। हमारे नेता सदन ने बहुत संक्षेप में चूंकि वह उस सदन के सदस्य रहे हैं जिसमें वर्षों तक की चर्चा के बाद यह बिल पास हुआ है, उन्होंने स्पष्ट किया है फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जी0एस0टी0 के बिल को लाने के तीन प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो कर के दायरे को व्यापक बनाना, दूसरा टैक्स के कम्पलायंस को बढ़ाना और एक ही चीज पर अलग–अलग राज्यों में जो कर लगते थे उसके कारण जो भिन्नतायें जो विसंगतियां होती थी उसको दूर करने के नाते यह हुआ है। छोटे व्यापारियों की बात आ रही है। जी0एस0टी0 परिषद् ने यह तय किया है और जी0एस0टी0 परिषद् का जो आंकलन है, डेढ़ करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले लगभग 90 परसेंट करदाता राज्यों के दायरे में आने वाले हैं। केवल 10 परसेंट करदाता ऐसे हैं जो केन्द्र के दायरे में आयेंगे। जो तीन तरह के टैक्सों की बात हो रही है सेन्ट्रल जी0एस0टी0, स्टेट जी0एस0टी0, इण्टीग्रेटेड जी0एस0टी0, लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे तीन तरह के टैक्स लगेंगे। एक ही जगह पर तीनों तरह के टैक्स लगने वाले नहीं हैं। जो सर्विस टैक्स है उनको लगाने का और उनकी वसूली का कोई अधिकार अभी तक राज्यों के पास नहीं था। हमारी अर्थव्यवस्था का लगभग इस समय 57–58 प्रतिशत जो हमारी नेशनल इनकम का हिस्सा है वह सर्विस टैक्स से आता है। 1951 में एक दौर था जब हमारी राष्ट्रीय आय का 50 परसेंट से अधिक हिस्सा कृषि से आता था। आज हमारी राष्ट्रीय आय का 50 परसेंट से अधिक हिस्सा सेवाओं से आता है। इन सेवाओं पर अभी तक कर लगाने का उसके संग्रहण का सारा अधिकार केन्द्र सरकार के पास हुआ करता था। मैं तो केन्द्र सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सर्विस टैक्स में भी राज्यों को हिस्सेदारी देने के लिए यह बिल बनाया और हमारे जैसे राज्य जहां 22 करोड़ की जनसंख्या है

जहां बड़ी मात्रा में उपभोक्ता हैं जो सेवा का उपभोग करते हैं, इतनी बड़ा मात्रा में जो सेवा कर लगेगा उसमें बड़ी संख्या में राजस्व में हिस्सेदारी हमारी होगी। भारत दुनिया भर में एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में इसीलिए उभर पाया क्योंकि वह एक बड़ा उपभोक्ता देश है और मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस बिल के माध्यम से भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता प्रदेश होने के नाते उत्तर प्रदेश भारत की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने वाला है। उत्तर प्रदेश के राजस्व में बड़ी मात्रा में वृद्धि होने वाली है। इसलिए मैं सम्पूर्ण सदन से आग्रह करता हूं कि इस बिल की बारीकियों को समझें, उत्तर प्रदेश में होने वाले फायदों को समझें। मैन्यूफैक्चरिंग स्टेट्स इस बिल का विरोध कर रहे थे कि हमारा नुकसान होगा इसीलिए भरपाई की व्यवस्था की गयी है कि उनका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाये। अभी मतदान की बात आई। 33 परसेंट वोट केन्द्र के पास है, 67 परसेंट वोट राज्यों के पास हैं, कोई विवाद होगा तो राज्यों के मत को केन्द्र इग्नोर नहीं कर सकता है और यह जो क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर रखने की बात की जा रही है, केन्द्र ने नहीं रखा। राज्यों का विरोध था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाकर हमारे राजस्व का अर्जन होता है और अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जी0एस0टी0 में आ जायेंगे तो हमको नुकसान होगा। इसलिए उन राज्यों के विरोध के कारण अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इनसे बाहर रखा गया है, और कर की दर को बिल में शामिल करने की जो बात कही जा रही है, सबसे अच्छी करारोपण की प्रणाली वह होती है जो फ्लैक्सिबिल होती है, जो समय के अनुसार बदलती रहे। अगर हम बिल में कर की दर को शामिल कर देंगे तो बार–बार हमको कर की दरों को बदलने के लिए संसद में बिल लाना पड़ेगा और संशोधन करना पड़ेगा इसलिए इसको जी0एस0टी0 काउंसिल के

ऊपर छोड़ा गया है। एक और आपत्ति का जवाब देकर मैं बात समाप्त करूंगा। एक बात आई है कि हमारे व्यापारी कम्प्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं, यह बड़ा टेक्निकल है, उनको समस्या होगी। यही आशंका होती थी, लेकिन आज हमारा रिक्शेवाला, हमारा मजदूर भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है और उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने किसानों को गेहूं बेचने के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। बीज पर सब्सिडी लेने के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। अगर हमारे गांव का अनपढ़ किसान, कम पढ़ा–लिखा किसान अपना बीज खरीदने और गेहूं बेचने के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अपनाने पर मजबूर है और उससे सुविधा मिली है तो बीस लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी को आनलाइन व्यवस्था को क्यों नहीं अपनाना चाहिए और उस व्यवस्था में फायदा यह है हमारा जी0एस0टी0 नेटवर्क है जो एक साफ्टवेयर है यह ऐप बेस्ड है मोबाइल पर व्यापारी इसे अपलोड कर सकता है। यदि एक व्यापारी ने किसी से सामान खरीदा जिसने बेचा है उसने जो टैक्स लिया है उसे अपना रिटर्न उस पर अपलोड करना पड़ेगा हमको पता चल जायेगा कि उन्होंने कितना टैक्स दिया है। उस टैक्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए मैं क्लेम करूंगा और कम्प्यूटर जनित साफ्टवेयर ये जो जी0एस0टी0 एन0 बना है उसमें यह व्यवस्था है अपने आप रिटर्न तैयार हो जायेगा और हर महीने रिटर्न केवल 50 लाख से अधिक टर्न ओवर वालों को ही भरना है, उससे कम टर्न ओवर वालों को तीन महीने पर एक रिटर्न भरना है। इसलिए साल भर में 37 रिटर्न भरने की बात कहना भी ठीक नहीं है। महोदय इस बिल में बहुत अच्छाइयां हैं। पूरे देश के आर्थिक विकास में इससे सहयोग मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश का विकास होने वाला है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता कांग्रेस और समय की कमी है तो आप बिल्कुल गुरूमंत्र की तरह संक्षेप में कह दीजिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैं तो धन्यवाद दूंगा मा0 प्रधानमंत्री जी को कि यह बिल आया है (मेजों की थपथपाहट)। जिस बिल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संसद के पटल पर 2010 में प्रस्तुत किया था, 11 मई को पी0 वी0 चिदंम्बरम जी जब वित्त मंत्री थे, आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय उसको लाया गया था। लगभग 7 से 8 सालों तक सरकार ने उसको रोक रखा था शायद कतिपय कारण रहे होंगे। हो सकता है उसमें उनके ढेर सारे सुझाव होंगे। लेकिन देर से ही सही कम से कम देश के आर्थिक सुधार के प्रति जो सोच कांग्रेस की थी और है उसे आगे बढ़ाने की तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम उठाया है। अध्यक्ष महोदय, अगर शायद यह बिल 7 से 8 साल पहले भारत की संसद में हो गया होता तो लगभग 12 लाख करोड़ का नुकसान नहीं हुआ होता।

श्री अध्यक्ष–

तो आज आप समर्थन देंगे की नहीं ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मैं तो समर्थन में ही खड़ा हुआ हूं दो–चार अपने संशोधन के साथ। मैं आपको बताऊं सबसे पहले यह बिल राज्य सभा में आया लोक सभा में नहीं पारित हुआ। राज्य सभा से सबसे पहले पारित हुआ और बहुतायत संख्या में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य राज्य सभा में हैं और उन्होंने इसका जोरदार तरीके से समर्थन किया महोदय यह बात सही है कि छोटे व्यापारियों को जिन लोगों की आय रोजमर्रा की जिन्दगी पर आधारित है जो सब्जी बेचने वाले या बुनकर समाज के लोग हैं छोटे–मोटे

व्यापार करने वाले हैं शायद उनको भी इसमें जोड़ा जा रहा है। जबकि सामर्थ्यवान लोगों का जिनका पैसा रियल इस्टेट में होता है और इस बिल में रियल इस्टेट को बाहर रखा गया है इसे भी इसके अन्दर समाहित होना चाहिए। रियल इस्टेट आप जानते हैं बड़े–बड़े उद्योगपतियों का बड़े–बड़े सामर्थ्यवान लोगों का जिनका पैसा रियल स्टेट मे होता है और इस बिल में रियल स्टेट को बाहर रखा गया है। इसे भी इसके अन्दर समाहित होना चाहिए। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जो राज्य अगर इस बिल को लागू करते हैं और वह राज्य बिल लागू करने से अगर घाटे में जाता है तो उसके पर्याप्त मुआवजे का प्राविधान इस बिल में नहीं किया गया है। अभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथी श्री उमाशंकर सिंह जी इस बात को सदन के पटल पर रख रहे थे। अगर सेन्ट्रल में और स्टेट में एक सरकारें नहीं है तो शायद उन राज्यों के लिए आने वाले समय में दिक्कतें पैदा हो सकती है। चूंकि हम सब लोग यहां बैठे हैं और उत्तर प्रदेश के विधायी और विधान सभा के सदस्य हैं। अगर हम कोई कानून बनाने जा रहे हैं। उसको इस सदन से पास करने जा रहे हैं तो एक–एक बिन्दुओं पर विचार करना हमारा धर्म बनता है और निश्चित रूप से उस पर विचार होना चाहिए। महोदय लगभग 16 राज्यों ने इसकी मंजूरी दे दी है और महोदय मैं इन्हीं दो–तीन सुझावों के साथ इस जी0एस0टी0 बिल का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ मैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने जो कहा कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाये मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप दोनों का समर्थन कर रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैंने कहा कि जी0एस0टी0 बिल का सुझावों के साथ मैं समर्थन करता हूं। मा0 नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने को कहा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री योगी आदित्यनाथ–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं नेता प्रतिपक्ष समेत उन सभी मा0 सदस्यों का जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अन्दर माल एवं सेवा कर से सम्बन्धित इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया है और अपने बहुमूल्य सुझाव यहां इस सदन में रखे हैं। मुझे लगता है कि अपनी राजनीतिक मजबूरी से हम थोड़ा ऊपर उठें तो हर व्यक्ति चाहता है कि अब बिल पास हो। देश के हित में है हम सब भी देश के हित में ही सदन में आये हैं तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति की इच्छा है कि यह बिल पास होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी जो कुछ बातें यहां पर आयी हैं सरकार की ओर से उन सब पर स्थिति स्पष्ट होना भी आवश्यक है। जो बातें यहां पर आयी उनमें से सबसे पहले इस बात को लेकर कि कम्प्यूटर का प्रशिक्षण न होने के नाते इसमें लोगों को दिक्कतें होंगी। मुझे लगता है कि हमारे मा0 सदस्य श्री सतीश द्विवेदी जी ने पहले ही इस बारे में कह भी दिया कि जब मोबाइल फोन नहीं था तो लोगों के मन में यह बातें आती थी कि लोग कैसे इसको आपरेट करेंगे। लेकिन आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है और स्मार्ट फोन ने तो पूरी एक क्रान्ति ला दी है। दूसरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोकस डिजिटल इण्डिया पर है और डिजिटल इण्डिया के इस कार्यक्रम में आप सब ने देखा है कि प्रदेश के अन्दर हम लोगों ने भी लगभग 45 हजार ई–सुविधा केन्द्र स्थापित किये हैं। डिजिटल इण्डिया के अन्तर्गत ट्रेनिंग देकर साइबर केन्द्र खोले जा रहे हैं और इसके माध्यम से आनलाइन सुविधा हम व्यापारियों को उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित हैं। इसलिए कोई आशंका रहनी ही नहीं चाहिए कि कम्प्यूटर के प्रशिक्षण आदि की जहां आवश्यकता

है, वहां अविष्कार भी हो जाते हैं और लोग फिर उसका उपयोग भी कर लेते हैं और यह हम लोगों को समझना चाहिए। दूसरी बात जो 20 लाख सालाना व्यापारियों के बारे में था कि इसको बढ़ाकर 01 करोड़ किया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य, नितिन अग्रवाल को इस बारे में बताना चाहूंगा कि अब तक 05 लाख तक की राशि पर वैट है। मुझे लगता है कि राशि तो बढ़ा दी यानी 20 लाख से नीचे के लोग इससे पूरी तरह मुक्त रहेंगे। इससे तो छोटे–छोटे व्यापारियों को लाभ ही होना है। तो इससे लगता है कि आपकी जो आशंका थी, वह निर्मूल साबित होती है कि इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा हुई है। 50 लाख रुपये वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए एक समाधान योजना जी0एस0टी0 में लागू की जा रही है और व्यापारी के लिए केवल 01 प्रतिशत और उद्योगों के लिए 02 प्रतिशत टैक्स अपने वार्षिक टर्नओवर पर देना है। यह एक सुविधाजनक स्थिति है और उन्हें 03 महीने में 01 बार रिटर्न भरना होगा। मैं देखकर आश्चर्य में हूं कि कैसे इस बारे में कहा जा रहा है कि महीने में 03 बार रिटर्न भरना होगा। महीने में 03 बार नहीं, 03 महीने में लोगों को 01 बार रिटर्न भरना होगा। दूसरी बात महीने में जो सामान्य व्यापारी हैं, उनको केवल 01 बार रिटर्न भरना होगा, 03 बार नहीं और मुझे लगता है कि वह भी आनलाइन सब फीड होना है। इसलिए इसके बारे में कोई भी भ्रान्ति नहीं रहनी चाहिए। पहले केन्द्र सरकार का सेन्ट्रल एक्साइज टैक्स था, सर्विस टैक्स है, कस्टम विभाग, राज्य के वाणिज्य कर, मनोरंजन कर, पर्यटन आदि के अलग–अलग विभिन्न जो फार्म्स थे, रिटर्न्स थे, उसके माध्यम से देना होता था। अब यह सभी टैक्स एक जगह, एक साथ आनलाइन भरे जा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और इस दृष्टि से रिटर्न भरने के लिए जी0एस0टी0 प्रैक्टिसनर की सेवा कोई भी व्यापारी ले सकता है। यह प्रैक्टिसनर, कोई भी सी0ए0, कोई रिटायर्ड

अधिकारी, कम्पनी सेक्रेटरी, एम0बी0ए0 पास ग्रेजुएट और अधिवक्ता हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी भी टैक्स रिटर्न भरने के लिए लोग उनकी सेवायें लेते हैं। अब 10 का 10 बार में अलग–अलग नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि एक बार में यह सारी सुविधा आनलाइन हो जायेगी। मुझे लगता है कि यह भी व्यापारियों के व्यापक हित में है। जो गिरफ्तारी की बात कही गयी है, उसमें बहुत सारी भ्रान्तियां हैं। पहले सेन्ट्रल एक्साइज के कानून में संदेह में गिरफ्तारी हो सकती थी और जी0एस0टी0 काउन्सिल ने बहुत सोच–समझ कर यह निर्णय लिया है कि जब टैक्स चोरी के कोई सबूत अगर प्राप्त होते हैं तो कम से कम 02 करोड़ रुपये के टैक्स चोरी का केस बनेगा और कमिश्नर की लिखित अनुमति से ही गिरफ्तारी हो सकेगी। इसमें भी 02 करोड़ से 05 करोड़ रुपये तक की टैक्स चोरी में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जायेगा, उसको सीधे बाण्ड पर जमानत देने का भी एक व्यवस्था की गयी है। इसलिए इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सभी जनपदों, कस्बों में व्यापारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं। अब तक 550 से भी अधिक ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं और आगे भी इस प्रकार के प्रशिक्षण प्रारम्भ होंगे। महोदय, जहां तक राज्य की क्षतिपूर्ति के लिए संविधान में व्यवस्था की बात है। एक माननीय सदस्य इस बात को कह रहे थे कि जब इसको संसद में पहली बार रखा गया था तो उस समय आदरणीय मोदी जी ने इसका विरोध किया था। उस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात एक मेन्युफेक्चरिंग स्टेट है, इससे उनको जो टैक्स की चोरी होती है, उसके कम्पनसेशन की कोई भी व्यवस्था सेण्ट्रल की ओर से नहीं थी। जी0एस0टी0 काउन्सिल ने इस बात का प्राविधान किया है एक, पहली बार कि अगर किसी स्टेट को अगर उनके टैक्स में किसी प्रकार का राजस्व का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पांच वर्ष तक सेण्ट्रल

गवर्नमेण्ट करेगी तो मुझे लगता है कि यह चीज अगर पहले भी होती तो कहीं कोई समस्या नहीं थी और आज इस बात को लेकर के हम लोग इसे लाये हैं। जहां तक जो बात एक माननीय सदस्य ने रखा कि सी0जी0एस0टी0 है, आई0जी0एस0टी0 है, एस0जी0एस0टी0 है, इन सभी के बीच में तालमेल कैसे हो पायेगा, आखिर जी0एस0टी0 काउन्सिल तो इसीलिए बनाई गयी है और जी0एस0टी0 काउन्सिल में केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व वन थर्ड है, टू थर्ड तो उसमें राज्यों का अधिकार है और कोई भी प्रस्ताव पास होना हो तो उसके लिए तीन चौथाई बहुमत आवश्यक है, इसलिए इस प्रकार की कोई भी शंका हम लोगों को नहीं होनी चाहिए और ये जो भी व्यवस्था यहां पर दी जा रही है, व्यापक जनहित में यह फैसला लिया जा रहा है, व्यापक राष्ट्रहित में यह फैसला लिया गया है, वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर आधारित आर्थिक सुधार का एक बहुत महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी कदम है और मैं पूरे सदन से इस बात की अपील करूंगा कि देश के अन्दर, एक माननीय सदस्य ने यह बात भी रखी थी कि प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है केन्द्र में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं, वहां क्या होगा, मुझे लगता है कि ऐसे सभी राज्यों ने तमिलनाडु ने पास किया है, वेस्ट बंगाल ने पास किया है, आन्ध्र प्रदेश ने, तेलंगाना ने पास किया है, बिहार ने पास करके भेजा है और भी सभी स्टेट इसको पास कर के भेज चुके हैं और पास करने के लिए सब लोग इस पर पूरी तैयारी के साथ आगे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई इस प्रकार की आशंका नहीं रखनी है और फिर उसके लिए जी0एस0टी0 काउन्सिल बना है, किसी भी समस्या के समाधान करने के लिए जी0एस0टी0 काउन्सिल तत्पर है और जी0एस0टी0 काउन्सिल अभी 17 से लेकर 20 तक उनकी बैठक भी इस बारे में होने जा रही है, प्रदेश का भी इसमें प्रतिनिधित्व

होगा और मैं इसलिए आप सब से अनुरोध करूंगा कि प्रदेश के व्यापक हित में देश के व्यापक हित में व्यापारी, उपभोक्ता के हित में भी यह जी0एस0टी0 बिल पास होना आवश्यक है और इसमें आप सब इस बिल का समर्थन करें यह अपील करते हुए मैं विश्वास करता हूं कि आप सबका समर्थन इस बिल को पास करने में प्राप्त होगा।

(मेजें थपथपाई गई।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, क्या आप अपने संशोधन प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने वाले हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर शंकायें जो हमारे माननीय सदस्यों ने चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, जिन्होंने कुछ शंकायें व्यक्त की है, जिसको माननीय सदन ने उत्तर के माध्यम से संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन शंका के कारण से ही यह बिल इतने दिन लटक गया, सन् 2011 में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आयी थी लोक सभा में, तो कोई न कोई शंका थी तभी तो इसका विरोध हुआ। अब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो फिर उसी को लाई कुछ संशोधन करके, जैसा कि माननीय नेता सदन कह रहे हैं। यह जो केन्द्र में बिल पास हुआ है जी0एस0टी0 का, उसका अनुमोदन यहां नहीं हो रहा है, यह यहां का बिल है। केन्द्र का बिल होता, तो समर्थन करने न करने की बात बाद में होती। जो शंकायें उत्पन्न हुई हैं, शंका उत्पन्न हुई थी तभी इसका विरोध हुआ था, क्योंकि देश और दुनिया के माने–जाने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी भी थे और जो उस समय के वित्त मंत्री थे चिदम्बरम् जी वह भी देश दुनिया के जाने–माने वित्त मंत्री थे और आज के जो वित्त मंत्री हैं वह भी देश दुनिया के जाने–माने वित्त मंत्री हैं जेटली साहब,

तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, दोनों अर्थशास्त्र के पारंगत हैं। उन लोगों ने इस पर सहमति जाहिर की है, तो फिर सहमति हम लोगों की भी है। संशोधन इसलिए लाया गया कि अगर संशोधन नहीं होगा तो माननीय सदस्य विचार कैसे करते ? लेकिन यह माननीय नेता सदन की शंका है। अध्यक्ष जी, मैंने पहले दिन भी आपसे निवेदन किया था कि कुछ दृष्टि इधर भी रखिये। जैसे खाद्यान्न हैं, किसान हैं, सबसे बड़ा प्रदेश हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश है जिसकी आपने बात की माननीय नेता सदन ने छोटे–छोटे राज्यों की, उनकी प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार कितना देगी, आपकी उत्तर प्रदेश सरकार को कितना देगी। मैंने ही शंका व्यक्त की थी। चाहे केन्द्र में कांग्रेस की सरकार हो, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो कोई कठिनाई नहीं है, केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो कोई कठिनाई नहीं है। कभी–कभी प्रदेश में और केन्द्र में सरकारें अलग–अलग हो जाती है, उसमें क्या परिस्थिति होगी ? इन सारी सम्भावनाओं पर क्योंकि सम्भावनाओं पर ही देश चलता है और सम्भावनाओं पर ही समाज चलता है। मैं तो यह कहूंगा कि नेता सदन आश्वासन दे दें कि जितनी भी शंकायें, संशोधन हमारे सदस्यों ने दी है, उसको पूरा कर देंगे एवं मान लेंगे।

श्री योगी आदित्यनाथ–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कही है, जो आशंकायें व्यक्त की है, मुझे लगता है कि वे सब निराधार है, देखिये जब जी0एस0टी0 एक कानून बनना चाहिए इस देश के अन्दर, एक कर प्रणाली होनी चाहिए इस देश के अन्दर। 2003 में पहली बार आदरणीय अटल बिहारी बाजपेई जी की सरकार के समय यह बात सामने आयी थी, बाद में कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था लेकिन राज्यों पर होने वाली, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को होने वाली क्षति थी, राजस्व की हानि थी उसकी भरपाई

कैसे हो, इसके बारे में कोई प्राविधान उसमें नहीं हो पाया था। इसलिए कुछ स्टेट उसका विरोध कर रहे थे, व्यापक सहमति के बाद सभी विपक्षीय शासित राज्यों ने भी इस पर चर्चायें की, उनके सभी 29 जो हमारे राज्य हैं, दो केन्द्र शासित ऐसे राज्य हैं जिनकी अपनी विधान सभा है उन सबके प्रतिनिधियों ने अपने–अपने सुझाव दिये, इसके बाद ही जी0एस0टी0 काउन्सिल की इस प्रकार की बातें सामने आई। कम्पेनशेसन की बात यहां पर कही है इसके बाद सबने अपनी सहमति व्यक्त की। दूसरा आप खाद्यान्न की बात कर रहे हैं मैंने प्रारम्भ में इस बात को कहा है कि प्रदेश सरकार को तो खाद्यान्न के मामले में 700 करोड़ रुपये राजस्व की हानि हो रही है जो हम केन्द्र सरकार से प्राप्त करेंगे। खाद्यान्न को इससे मुक्त रखा गया है, शेष कुछ अन्य मुद्दों के बारे में जी0एस0टी0 काउन्सिल कल से बैठने जा रही है, जी0एस0टी0 काउन्सिल की बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधि, उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य नहीं होंगे, देश के सभी राज्यों के माननीय वित्त मंत्री होंगे और माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें इन सभी प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। इसलिए मुझे लगता है कि व्यापक जनहित से जुड़े हुए, उपभोक्ता हित से, व्यापारिक हित से जुड़े हुए इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश अगर इसको सर्वसम्मति से पारित करेगा तो देश के अन्दर भी एक संदेश जायेगा। अगर वेस्ट बंगाल पास कर सकता है, बिहार पास कर सकता है, तमिलनाडु पास कर सकता है, कर्नाटक पास कर सकता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पास कर सकता है तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से भी एक संदेश जाये कि देश के अन्दर आर्थिक एकरूपता के लिए हम लोग एक जुट है। भले ही हम लोगों के अन्दर मतभेद हों लेकिन वो मतभेद राष्ट्र के विकास में कहीं आड़े नहीं आने चाहिए। इस विशेष विधेयक को

पारित होना चाहिए जिसके लिए मैं आप सब का समर्थन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि संशोधन पर बल नहीं दिया गया इसलिए अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर विधेयक, 2017 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–174 तक, अनुसूची 1, 2 एवं 3, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंतःराज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, गजट में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

परिभाषाएं

अधिनियम संख्या 4 सन् 1882

2–इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(1) ''अनुयोज्य दावे'' का वही अर्थ होगा, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में उसके लिए समनुदेशित है;

(2) ''परिदान का पता'' से माल या सेवाओं या दोनों के पाने वाले का ऐसा पता अभिप्रेत है, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के परिदान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कर बीजक पर उपदर्शित है;

(3) ''अभिलेख पर पता'' से पाने वाले का यह पता अभिप्रेत है, जो पूर्तिकर्ता के अभिलेखों में उपलब्ध है;

(4) ''न्यायानिर्णयन प्राधिकारी'' से अधिनियम के अधीन कोई आदेश या विनिश्चय देने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत आयुक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण नहीं है;

(5) ''अभिकर्ता'' से फैक्टर, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, आढ़तिया, प्रत्यायक अभिकर्ता (डेल क्रेडर एजेंट), नीलामकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, सहित कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति या प्राप्ति का कारबार करता है;

(6) ''सकल आवर्त'' से सभी कराधेय पूर्तियों (ऐसी आवक पूर्तियों के मूल्य को अपवर्जित करके, जिन पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है), छूट प्राप्त पूर्तियों, माल या सेवाओं या दोनों निर्यात और अखिल भारतीय आधार पर संगणित समान स्थायी खाता संख्यांक वाले व्यक्तियों के अन्तरराज्यिक पूर्ति का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किन्तु इसमें केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित है;

(7) ''कृषक'' से ऐसा कोई व्यक्ति या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब अभिप्रेत है; जो,

(क) स्वयं के श्रम द्वारा; या

(ख) कुटुम्ब के श्रम द्वारा; या

(ग) नकद या वस्तु के रूप में संदेय मजदूरी पर सेवकों द्वारा या व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन या कुटुम्ब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के मजदूरों द्वारा, भूमि पर खेती करता है;

(8) ''अपील प्राधिकारी'' से अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त या प्राधिकृत धारा 107 में यथानिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(9) ''अपील अधिकरण'' से धारा 109 के अधीन निर्दिष्ट माल और सेवा कर अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(10) ''नियत दिन'' से वह दिन अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे;

(11) ''निर्धारण'' से इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व का अवधारण अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत स्वतः निर्धारण, पुनः निर्धारण, अनन्तिम निर्धारण, संक्षिप्त निर्धारण और सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार निर्धारण भी है;

अधिनियम संख्या 43 सन् 1961

(12) ''सहयुक्त उद्यमों'' का वही अर्थ होगा, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92क में उसके लिए समनुदेशित है;

(13) ''सम्परीक्षा'' से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित या दिये गये अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित आवर्त, संदत्त करों, दावाकृत प्रतिदाय और उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय की शुद्धता को और इस अधिनियम या

उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुरूप उसके अनुपालन को सत्यापित करने के लिए परीक्षा अभिप्रेत है;

(14) ''प्राधिकृत बैंक'' से अधिनियम के अधीन संदेय कर या किसी अन्य रकम का संग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई बैंक या किसी बैंक की कोई शाखा अभिप्रेत है;

अधिनियम संख्या 54 सन् 1963

(15) ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' से धारा 116 के अधीन यथा निर्दिष्ट प्रतिनिधि अभिप्रेत है।

(16) ''बोर्ड'' से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड अभिप्रेत है;

(17) ''कारबार'' में निम्नलिखित सम्मिलित है–

(क) कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, वृत्ति, व्यवसाय, प्रोद्यम, पद्यम् या उसी प्रकार का कोई अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी धनीय फायदे के लिए हो या न हो;

(ख) उपखण्ड (क) के सम्बन्ध में या उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार;

(ग) उपखण्ड (क) की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यवहार का कोई परिमाण, आवृत्ति, निरन्तरता या नियमितता हो या न हो;

(घ) कारबार के प्रारम्भ या उसकी बन्दी के सम्बन्ध में पूंजी माल सहित माल और सेवाओं की पूर्ति या अर्जन;

(ङ) किसी क्लब, संगम, सोसाइटी या वैसी ही सुविधाओं या फायदों वाले किसी निकाय द्वारा उसके सदस्यों के लिए (किसी अभिदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए) कोई व्यवस्था;

(च) किसी परिसर में किसी प्रतिफलार्थ व्यक्तियों का प्रवेश;

(छ) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पदधारक के रूप में, जो उसने अपने व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया है, पूर्ति की गई सेवायें;

(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा, योगक के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवायें या ऐसे क्लब में के बुक–मेकर की अनुज्ञप्ति; और

(झ) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं।

(18) ''कारबार शीर्षका'' से किसी ऐसे उद्यम का विशिष्ट संघटक अभिप्रेत है, जो ऐसे पृथक्–पृथक् माल या सेवाओं के या ऐसे सम्बन्धित माल या सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, जो ऐसे जोखिम और प्रत्यागम के अध्यधीन है, जो उन अन्य कारबार शीर्षकाओं से भिन्न है;

स्पष्टीकरण–इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारक, जिन पर यह अवधारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा माल या

सेवायें, जिनसे सम्बन्धित हैं, उसमें निम्नलिखित सम्मिलित है–

(क) माल या सेवओं की प्रकृति;

(ख) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति;

(ग) माल या सेवाओं के ग्राहकों के प्रकार या वर्ग;

(घ) माल के वितरण या सेवाओं की पूर्ति में प्रयुक्त पद्धतियां; और

(ङ) विनियामक पर्यावरण की प्रकृति (जहां कहीं लागू हो), इसके अन्तर्गत बैंककारी, बीमा या लोक उपयोगितायें हैं;

(19) ''पूंजी माल'' से ऐसा माल अभिप्रेत है, जिनका मूल्य इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत है और जिनका कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है;

(20) ''नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे क्षेत्र में जहां उसके कारबार का निश्चित स्थान नहीं है, प्रधान, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत में कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में यदा–कदा ऐसे संव्यवहार करता है, जिनमें माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अन्तर्वलित है;

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

अधिनियम संख्या 15 सन् 2017

अधिनियम संख्या 38 सन् 1949

(21) ''केन्द्रीय कर'' से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 के अधीन उद्ग्रहीत केन्द्रीय माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(22) ''उपकर'' का वही अर्थ होगा, जो माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 में उसके लिए समनुदेशित है;

(23) ''चार्टर्ड अकाउन्टेट'' से चार्टर्ड अकाउन्टेट अकाउन्टेड अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित चार्टर्ड अकाउन्टेट अभिप्रेत है;

(24) ''आयुक्त'' से धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त, विशेष आयुक्त या अपर आयुक्त भी है;

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

(25) ''बोर्ड का आयुक्त'' से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 168 में निर्दिष्ट आयुक्त अभिप्रेत है;

(26) ''सामान्य पोर्टल'' से धारा 146 में निर्दिष्ट सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रानिक पोर्टल अभिप्रेत है;

(27) ''सामान्य कार्य दिवस'' से लगातार ऐसे दिन अभिप्रेत है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजपत्रित अवकाश घोषित नहीं किया गया है;

अधिनियम संख्या 56 सन् 1980

(28) ''कम्पनी सचिव'' से कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित कम्पनी सचिव अभिप्रेत है;

अधिनियम संख्या 56 सन् 1980

(29) ''सक्षम प्राधिकारी'' से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये;

(30) ''संयुक्त पूर्ति'' से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को की गयी कोई ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं या दोनों के दो या अधिक कराधेय पूर्तियों से मिलकर बनी है या उनका कोई ऐसा समुच्चय है, जिन्हें कारबार के साधारण अनुक्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में प्रकृतितः बांधा गया है और पूर्ति किया गया है, जिनमें एक मूल पूर्ति है;

दृष्टांत–जहां माल का बीमा के साथ पैक और परिवहन किया जाता है, वहां माल की पूर्ति, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा संयुक्त पूर्ति होगा और माल की पूर्ति एक मुख्य पूर्ति होगा।

(31) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के सम्बन्ध में ''प्रतिफल'' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं–

(क) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सम्बन्ध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके उत्प्रेरण के लिए, चाहे धन के रूप में या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई संदाय, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगी;

(ख) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के

सम्बन्ध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके उत्प्रेरण के लिए, किसी कार्य या प्रवरित रहने का धनीय मूल्य, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगी;

परन्तु माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के सम्बन्ध में दिये गये निक्षेप को ऐसे पूर्ति के लिए किये गये संदाय के रूप में नहीं समझा जायेगा, जब तक कि पूर्तिकर्ता ऐसे निक्षेप का, उक्त पूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में उपयोजन न करे;

(32) ''माल का निरन्तर पूर्ति'' से माल का ऐसा पूर्ति अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन तार, केबल, पाइपलाइन या अन्य नलिका के माध्यम से या अन्यथा, निरन्तर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाये या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाये और जिसके लिए नियमित या आवधिक आधार पर पूर्तिकर्ता, प्राप्तिकर्ता के लिए बीजक बनाता है और इसके अन्तर्गत ऐसे माल का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पूर्ति भी है;

(33) ''सेवाओं की निरन्तर पूर्ति'' से सेवाओं की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन आवधिक संदाय की बाध्यताओं के साथ तीन मास से अधिक की अवधि के लिए निरन्तर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाये या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाये और इसके अन्तर्गत ऐसी सेवाओं का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन

रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पूर्ति भी है;

(34) ''प्रवहण'' के अन्तर्गत कोई जलयान, वायुयान और यान भी है;

अधिनियम संख्या 23 सन् 1959

(35) ''लागत लेखापाल'' से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित कोई लागत लेखापाल अभिप्रेत है;

(36) ''परिषद्'' से संविधान के अनुच्छेद 279क के अधीन स्थापित माल और सेवा कर परिषद् अभिप्रेत है;

(37) ''जमापत्र'' से धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(38) ''नामे नोट'' से धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(39) ''समझा गया निर्यात'' से माल की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा 147 के अधीन अधिसूचित किया जाये;

(40) ''अभिहित प्राधिकारी'' से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाये;

अधिनियम संख्या 21 सन् 2000

(41) ''दस्तावेज'' के अन्तर्गत किसी प्रकार का लिखित या मुद्रित अभिलेख तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खण्ड (न) में यथापरिभाषित इलेक्ट्रानिक अभिलेख भी है;

(42) भारत में विनिर्मित और निर्यात किये गये किसी माल के सम्बन्ध में ''चुंगी वापसी'' से ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित निवेश पर या किसी घरेलू निवेशों या इनपुट सेवाओं पर प्रभार्य शुल्क, कर या उपकर का रिबेट अभिप्रेत है;

(43) ''इलेक्ट्रानिक नकद खाते'' से धारा 49 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक नकद खाता अभिप्रेत है;

(44) ''इलेक्ट्रानिक वाणिज्य'' से माल या सेवओं या दोनों की डिजिटल या इलेक्ट्रानिक नेटवर्क के माध्यम से पूर्ति अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत डिजिटल उत्पाद भी हैं;

(45) ''इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है,जो इलेक्ट्रानिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रानिक सुविधा या प्लेटफार्म पर स्वामित्व रखता हो, उसका प्रचालन या प्रबन्ध करता हो;

(46) ''इलेक्ट्रानिक जमा खाते'' से धारा 49 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक जमा खाता अभिप्रेत है;

अधिनियम संख्या 13 सन् 2017

(47) ''छूट प्राप्त पूर्ति'' से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, जिसकी, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 6 के अधीन कर की दर शून्य हो या जिसे धारा 11 के अधीन कर से पूरी छूट दी जा सकेगी और इसके अन्तर्गत गैर कराधेय पूर्ति भी है;

अधिनियम संख्या 15 सन् 2017

(48) ''विद्यमान विधि'' से माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से सम्बन्धित कोई ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम

के प्रारम्भ से पहले ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाले विधान मण्डल या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है;

(49) ''कुटुम्ब'' से अभिप्रेत है–

(प) व्यक्ति का पति या पत्नी और बालक; और

(पप) व्यक्ति के माता–पिता, पितामह–पितामही, मातामह–मातामही, भाई और बहन, यदि वे पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से उक्त व्यक्ति पर आश्रित हैं;

(50) ''नियत स्थापन'' से (कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिसकी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं की पूर्ति करने या सेवायें प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के निबन्धनानुसार स्थायित्व और उपयुक्त संरचना की पर्याप्त डिग्री द्वारा विशिष्टता का वर्णन किया गया है;

(51) ''निधि'' से धारा 57 के अधीन स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है;

(52) ''माल'' से मुद्रा और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की जंगम सम्पत्ति अभिप्रेत है, किन्तु इसमें अनुयोज्य दावे, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके भागरूप ऐसी घास और वस्तुयें सम्मिलित हैं जिस की पूर्ति के पूर्व या पूर्ति की संविदा के अधीन पृथक् किये जाने का करार किया गया है;

(53) ''सरकार'' से उत्तर प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(54) ''माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम'' से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(55) ''माल और सेवा कर व्यवसायी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका धारा 48 के अधीन ऐसे व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन किया गया है;

(56) ''भारत'' से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथानिर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, उसका राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड, राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में यथानिर्दिष्ट ऐसे सागर खण्डों, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या किसी अन्य सामुद्रिक क्षेत्र के नीचे का समुद्र तल और अवमृदा और उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर खण्डों के ऊपर का आकाशीय क्षेत्र अभिप्रेत है; अधिनियम संख्या 80 सन् 1976

(57) ''एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम'' से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है; अधिनियम संख्या 13 सन् 2017

(58) ''एकीकृत कर'' से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन उदगृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है; अधिनियम संख्या 13 सन् 2017

(59) ''इनपुट'' से कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी पूर्तिकर्ता द्वारा उपयोग किये गये या उपयोग किये जाने के लिए आशयित पूंजी माल से भिन्न कोई माल अभिप्रेत है;

(60) ''इनपुट सेवा'' से कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी पूर्तिकर्ता द्वारा उपयोग की गई या उपयोग किये जाने के लिए आशयित कोई सेवा अभिप्रेत है;

(61) ''इनपुट सेवा वितरक'' से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकर्ता को उक्त सेवाओं पर संदत्त केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र सम्बन्धी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है;

(62) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के सम्बन्ध में ''इनपुट कर'' से माल या, सेवाओं या दोनों के किसी पूर्ति पर प्रभारित केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र सम्बन्धी कर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं–

(क) माल के आयात पर प्रभारित एकीकृत माल और सेवा कर;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन संदेय कर;

अधिनियम संख्या 13 सन् 2017

(ग) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन संदेय कर;

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

(घ) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन संदेय कर;

किन्तु इसमें उद्ग्रहण के प्रशमन के अधीन संदत्त कर सम्मिलित नहीं है;

(63) ''इनपुट कर प्रत्यय'' से इनपुट कर का प्रत्यय अभिप्रेत है;

अधिनियम संख्या 13 सन् 2017

(64) ''माल की अन्तःराज्यीय पूर्ति'' का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 8 में उसके लिए समनुदेशित है;

अधिनियम संख्या 13 सन् 2017

(65) ''सेवाओं की अन्तःराज्यीय पूर्ति'' का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 8 में उसके लिए समनुदेशित है;

(66) ''बीजक'' या ''कर बीजक'' से धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक अभिप्रेत है;

(67) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में ''आवक पूर्ति'' से क्रय, अर्जन या किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिफल के साथ या उसके बिना माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति अभिप्रेत है;

(68) ''छुटपुट कार्य'' से किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई उपचार या की गई प्रक्रिया अभिप्रेत है और छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति पद का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(69) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से निम्न अभिप्रेत हैं–

(क) संविधान के अनुच्छेद 243 के खण्ड (घ) में यथा परिभाषित कोई पंचायत;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 243त के खण्ड (ङ) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिका;

(ग) कोई नगरपालिका समिति और कोई जिला परिषद्, जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका य स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबन्ध करने का विधिक हकदार है या जिसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबन्ध सौंपा गया है;

अधिनियम संख्या 41 सन् 2006

(घ) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 3 में यथा परिभाषित छावनी बोर्ड;

(ङ) संविधान की छठवीं अनुसूची के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् या कोई जिला परिषद्;

(च) संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड; या

(छ) संविधान के अनुच्छेद 371क के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् बोर्ड;

(70) ''सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान'' से–

(क) जहां पूर्ति कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ख) जहां पूर्ति कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान पर प्राप्त की

जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापन अन्यत्र है), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ग) जहां पूर्ति एक से अधिक स्थापनों पर प्राप्त की जाती है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन, वहां पूर्ति की प्राप्ति से सर्वाधिक सीधे सम्बन्धित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्राप्तिकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(71) ''सेवाओं के पूर्तिकर्ता का अवस्थान'' से–

(क) जहां पूर्ति कारबार के ऐसे स्थान से की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ख) जहां पूर्ति कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापन अन्यत्र), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ग) जहां पूर्ति एक से अधिक स्थापनों से की जाती है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन है, वहां पूर्ति की व्यवस्था से सर्वाधिक सीधे सम्बन्धित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है; और

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में पूर्तिकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(72) ''विनिर्माण'' से कच्ची सामग्री या इनपुट का ऐसी रीति से प्रसंस्करण अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले एक नये उत्पाद का अविर्भाव होता है और ''विनिर्माता'' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(73) ''बाजार मूल्य'' से ऐसी पूरी रकम अभिप्रेत होगी, जिसकी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता से, वैसे ही प्रकार और क्वालिटी के माल या सेवाओं या दोनों को, उसी समय पर या उसके आसपास और जहां प्राप्तिकर्ता और पूर्तिकर्ता सम्बन्धित नहीं हैं, वहां उसी वाणिज्यिक स्तर पर अभिप्राप्त करने के लिए संदाय किये जाने की अपेक्षा होती है;

(74) ''मिश्रित पूर्ति'' से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं का या उसके किसी ऐसे समुच्चय का, जो परस्पर सहयोजन से बनाया गया है, दो या अधिक पृथक्–पृथक् पूर्ति अभिप्रेत हैं, जहां ऐसी पूर्ति से कोई संयुक्त पूर्ति गठित नहीं होता है।

दृष्टान्त–डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थों, मिठाई, चाकलेट, केक, मेवा, वातित पेय और फल के जूस को मिलाकर बनाये गये पैकेज की पूर्ति, जब वह किसी एकल कीमत के लिए किया गया है, तो वह पूर्ति मिश्रित पूर्ति होगी। इन मदों में से प्रत्येक मद की अलग–अलग भी पूर्ति की जा सकती है और वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होगा। यदि इन मदों की अलग–अलग पूर्ति की जाती है तो वह मिश्रित पूर्ति नहीं होगी;

(75) ''धन'' से भारतीय विधिमान्य मुद्रा या कोई विदेशी करेंसी, चैक, वचनपत्र, विनिमय पत्र, मुजरा पत्र, ड्राफ्ट, संदाय आदेश, यात्री चैक, मनी आर्डर,

डाक या इलेक्ट्रानिक विप्रेषणादेश या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य लिखत अभिप्रेत है, जब उसका उपयोग किसी बाध्यता के परिनिर्धारण के लिए या किसी अन्य अंकित मूल्य की भारतीय विधिमान्य मुद्रा से विनिमय के प्रतिफल के रूप में किया जाता है, किन्तु इसमें कोई ऐसी करेंसी सम्मिलित नहीं होगी, जिसका अपना मुद्रा विषयक मूल्य है;

(76) ''मोटर यान'' का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खण्ड (28) में उसके लिए समनुदेशित है;

(77) ''अनिवासी कराधेय व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो यदा–कदा, प्रधान या अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य हैसियत में ऐसे संव्यवहार करता है जिनमें माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अन्तर्वलित है, किन्तु जिसका भारत में कारबार का कोई नियत स्थान या कोई निवास स्थान नहीं है;

अधिनियम संख्या 13 सन् 2017

(78) ''गैर कराधेय पूर्ति'' से माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन कर से उदग्रहणीय नहीं है;

(79) ''गैर कराधेय राज्यक्षेत्र'' से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जो कराधेय राज्यक्षेत्र से बाहर है;

(80) ''अधिसूचना'' से राज्यपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित करना'' और ''अधिसूचित'' पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(81) ''अन्य राज्यक्षेत्र'' में ऐसे राज्यक्षेत्रों से भिन्न राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, जो किसी राज्य में समाविष्ट हैं और जो खण्ड (114) के उपखण्ड (क) से उपखण्ड (ङ) में निर्दिष्ट हैं;

(82) किसी कराधेय व्यक्ति के सम्बन्ध में ''आउटपुट कर'' से उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य कर अभिप्रेत है, किन्तु इसमें प्रतिलोम प्रभार के आधार पर उसके द्वारा संदेय कर को अपवर्जित किया गया है;

(83) किसी कराधेय व्यक्ति के सम्बन्ध में ''जावक पूर्ति'' से किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किया गया या किये जाने के लिए करार पाया गया माल या सेवाओं या दोनों का, विक्रय, अन्तरण, वस्तु विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन या किसी भी अन्य रीति से की गई पूर्ति अभिप्रेत है;

(84) ''व्यक्ति'' के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं–

(क) कोई व्यष्टि;

(ख) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब;

(ग) कोई कम्पनी;

(घ) कोई फर्म;

(ङ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;

(च) कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे भारत में या भारत के बाहर निगमित हो या न हो;

(छ) किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या

अधिनियम संख्या 18 सन् 2013

उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (45) में यथापरिभाषित कोई सरकारी कम्पनी;

(ज) भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निगमित निकाय;

(झ) सहकारी सोसाइटियों से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी;

(ञ) कोई स्थानीय प्राधिकारी;

(ट) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार;

(ठ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन यथा परिभाषित सोसाइटी; अधिनियम संख्या 21 सन् 1860

(ड) न्यास; और

(ढ) प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपरोक्त किसी में नहीं आता है;

(85) ''कारबार के स्थान'' के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं–

(क) वह स्थान, जहां से मामूली तौर से कारबार किया जाता है और इसके अन्तर्गत कोई भण्डागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है, जहां कराधेय व्यक्ति अपने माल का भण्डारण करता है, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करता है या प्राप्त करता है; या

(ख) वह स्थान, जहां कराधेय व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों को अनुरक्षित रखता है; या

(ग) वह स्थान, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, किसी अभिकर्ता के माध्यम से, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, कारबार में लगा हुआ है;

अधिनियम संख्या 13 सन् 2017

(86) ''पूर्ति का स्थान'' से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय 5 में यथानिर्दिष्ट पूर्ति का स्थान अभिप्रेत है;

(87) ''विहित'' से परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(88) ''प्रधान'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी ओर से कोई अभिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति का कारबार करता है;

(89) ''कारबार का मुख्य स्थान'' से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट कारबार का स्थान अभिप्रेत है;

(90) ''मुख्य पूर्ति'' से ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति अभिप्रेत है, जिससे किसी संयुक्त पूर्ति के प्रधान कारक का गठन होता है और जिसके लिए उस संयुक्त पूर्ति के भागरूप कोई अन्य पूर्ति आनुषंगिक है;

(91) इस अधिनियम के अधीन पालन किये जाने वाले किसी कृत्य के सम्बन्ध में ''उचित अधिकारी'' से राज्य कर का ऐसा आयुक्त या अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा वह कृत्य सौंपा गया है;

(92) ''तिमाही'' से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसमें किसी कलैंडर वर्ष के मार्च, जून, सितम्बर

और दिसम्बर के अन्तिम दिन को समाप्त होने वाले तीन क्रमवर्ती कलैंडर मास समाविष्ट हों;

(93) माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के ''प्राप्तिकर्ता'' से–

(क) जहां माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल संदेय है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस प्रतिफल के संदाय का दायी है;

(ख) जहां माल की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल संदेय नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको माल प्रदत्त किया गया है या उपलब्ध कराया गया है या जिसे माल का कब्जा या उपयोग के लिए दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है;

(ग) जहां किसी सेवा की पूर्ति के लिए प्रतिफल का संदाय नहीं किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे सेवायें दी जाती हैं;

और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिर्देश का, जिसे पूर्ति की गई है, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जायेगा और इसके अन्तर्गत पूर्ति किये गये माल या सेवाओं या दोनों के सम्बन्ध में प्राप्तिकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता भी होगा;

(94) ''रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है,

किन्तु इसमें विशिष्ट पहचान संख्यांक वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं;

(95) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(96) माल के सम्बन्ध में ''हटाये जाने'' से–

(क) उसके पूर्तिकर्ता द्वारा या ऐसे पूर्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिदान के लिए माल का प्रेषण अभिप्रेत है; या

(ख) उसके प्राप्तिकर्ता द्वारा या ऐसे प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल का संग्रहण अभिप्रेत है;

(97) ''विवरणी'' से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा या उनके अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित विहित या उससे अन्यथा कोई विवरणी अभिप्रेत है;

अधिनियम संख्या 13 सन् 2017

(98) ''प्रतिलोम प्रभार'' से धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकर्ता के बजाय माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा कर संदाय का दायित्व अभिप्रेत है;

(99) ''पुनरीक्षण प्राधिकारी'' से धारा 108 में यथानिर्दिष्ट विनिश्चय या आदेशों के पुनरीक्षण के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(100) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(101) ''प्रतिभूति'' का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड (ज) उसके लिए समनुदेशित है; अधिनियम संख्या 42 सन् 1956

(102) ''सेवाओं'' से माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कोई भी अभिप्रेत है, किन्तु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य रीति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक् प्रतिफल प्रभारित हो, से सम्बन्धित क्रियाकलाप सम्मिलित है;

(103) ''राज्य'' से उत्तर प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(104) ''राज्य कर'' से इस अधिनियम के अधीन उदगृहीत कर अभिप्रेत है;

(105) माल या सेवाओं या दोनों के सम्बन्ध में ''पूर्तिकर्ता'' से उक्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत होगा और इसमें पूर्ति किये गये माल या सेवाओं या दोनों के सम्बन्ध में ऐसे पूर्तिकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता सम्मिलित होगा;

(106) ''कर अवधि'' से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए विवरणी देने की अपेक्षा है;

(107) ''कराधेय व्यक्ति'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत किये जाने का दायी है;

(108) ''कराधेय पूर्ति'' से ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्गृहणीय है;

(109) ''कराधेय राज्यक्षेत्र'' से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं;

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

(110) ''दूर संचार सेवा'' से किसी प्रकार की ऐसी सेवा अभिप्रेत है, (जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक मेल, वायस मेल, डाटा सर्विस, आडियो टैक्सट सर्विस, वीडियो टैक्सट सर्विस, रेडियो पेजिंग और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवायें भी हैं) जो उपयोक्ता को किसी संकेत, सिग्नल, लेख, आकृति और ध्वनि के पारेषण या ग्रहण करने या किसी प्रकार की आसूचना के माध्यम से तार, रेडियो, दृश्य या अन्य इलैक्ट्रो–मैग्नेटिक साधनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है;

(111) ''केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम'' से सम्बन्धित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(112) ''राज्य के आवर्त'' से या संघ राज्यक्षेत्र के आवर्त से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर किये गये (ऐसी आवक प्रदायो के मूल्य को अपवर्जित करते हुए, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय है) सभी कराधेय पूर्तियों और छूट प्राप्त पूर्तियों, उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से किया गया माल या सेवाओं या दोनों का अन्तरराज्यिक पूर्ति का संकलित मूल्य अभिप्रेत

है, किन्तु इसमें केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित हैं;

(113) ''प्रायिक निवास स्थान'' से–

(क) किसी व्यक्ति की दशा में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है;

(ख) अन्य दशाओं में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां व्यष्टि निगमित है या अन्यथा विधिक रूप से गठित है;

(114) ''संघ राज्यक्षेत्र'' से–

(क) अंदमान और निकोबार द्वीप;

(ख) लक्षद्वीप;

(ग) दादरा और नागर हवेली;

(घ) दमन और दीव;

(ङ) चण्डीगढ़; और

(च) अन्य राज्यक्षेत्र; का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उपखण्ड (क) से उपखण्ड (च) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में से प्रत्येक को एक पृथक् संघ राज्यक्षेत्र समझा जायेगा;

अधिनियम संख्या 14 सन् 2017

(115) ''संघ राज्यक्षेत्र कर'' से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन उदगृहीत संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

अधिनियम संख्या 14 सन् 2017

(116) ''संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम'' से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(117) ''विधिमान्य विवरणी'' से धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन दी गई कोई ऐसी विवरणी अभिप्रेत है, जिस पर स्वतः निर्धारण कर का पूर्ण रूप से संदाय किया गया है;

(118) ''वाऊचर'' से कोई ऐसी लिखत अभिप्रेत है, जहां उसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में या भागिक प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता है और जहां पूर्ति किये जाने वाला माल या सेवाओं या दोनों या उनके संभावी पूर्तिकारों की पहचान या तो लिखत पर ही उपदर्शित है या दस्तावेजीकरण में उपदर्शित है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी लिखत के उपयोग के निबन्धन और शर्तें भी हैं;

(119) ''कार्य संविदा'' से जहां ऐसी संविदा के निष्पादन में माल के रूप में (चाहे वह माल या किसी अन्य रूप में हो) सम्पत्ति का अंतरण अंतर्वलित है, किसी स्थावर संपत्ति का निर्माण, सन्निर्माण, रचना करने, पूरा करने, परिनिर्माण, संस्थापन, सज्जित करने, सुधारने, उपांतरण करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, नवीकरण करने, परिवर्तन करने या बनाने के लिए कोई संविदा अभिप्रेत है य

(120) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017 तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे

अधिनियम संख्या 13 सन् 2017
अधिनियम संख्या 12 सन् 2017
अधिनियम संख्या 14 सन् 2017
अधिनियम संख्या 15 सन् 2017

जो उनके लिए उन अधिनियमों में समनुदेशित हैं य

अध्याय 2

प्रशासन

इस अधिनियम के अधीन अधिकारी

3–सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित वर्ग के अधिकारियों को नियुक्त करेगी, अर्थात् –

(क) राज्य कर प्रधान आयुक्त/मुख्य आयुक्त या आयुक्त य

(ख) राज्य कर विशेष आयुक्त य

(ग) राज्य कर अपर आयुक्त य

(घ) राज्य कर संयुक्त आयुक्त य

(ङ) राज्य कर उपायुक्त य

(च) राज्य कर सहायक आयुक्त य

(छ) राज्य कर अधिकारी तथा य

(ज) अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग, जो वह ठीक समझे य

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008

परंतु उत्तर प्रदेश मूल्यसंवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त अधिकारी समझा जाएगा।

अधिकारियों की नियुक्ति

4–(1) सरकार, धारा 3 के अधीन यथाअधिसूचित अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारी के रूप में ठीक समझे।

(2) आयुक्त के पास सम्पूर्ण राज्य की अधिकारिता होगी, विशेष आयुक्त तथा किसी अपर आयुक्त को समनुदेशित समस्त कृत्यों या किसी कृत्य के सम्बन्ध में उनके पास सम्पूर्ण राज्य की अधिकारिता होगी अथवा जहां राज्य सरकार निदेश दे राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र की अधिकारिता होगी और अन्य समस्त अधिकारियों के पास यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सम्पूर्ण राज्य की अधिकारिता होगी अथवा ऐसे स्थानीय क्षेत्रों पर अधिकारिता होगी जैसा कि आयुक्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

अधिकारियों की शक्तियां

5–(1) राज्य कर का अधिकारी, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो आयुक्त अधिरोपित करे, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(2) राज्य कर का अधिकारी, किसी अन्य ऐसे राज्य कर के अधिकारी को, जो उसके अधीनस्थ है, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी शक्तियों का, उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकेगा।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील प्राधिकारी, किसी अन्य राज्य कर के अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा।

कतिपय परिस्थितियों में केन्द्रीय कर अधिकारियों का समुचित प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाना

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

6–(1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के

प्रयोजनों के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट करेगी, उचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत होंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,––

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

(क) जहां कोई उचित अधिाकारी, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश देता है, वहां वह केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन, केन्द्रीय कर के अधिकाारिता अधिकारी की प्रज्ञापना के अधीन, उक्त अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रूप में भी आदेश देगा,

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

(ख) जहां केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन कोई उचित

अधिकारी किसी विषय–वस्तु पर कोई कार्यवाहियां आरम्भ करता है, वहां उचित अधिकारी द्वारा उसी विषय वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाहियों आरम्भ नहीं करेगा।

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण, जहां–जहां लागू हों, के लिए कोई कार्यवाही केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं होगी।

अध्याय–3

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

पूर्ति की परिधि

7–(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ''पूर्ति'' पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,––

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु–विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन जैसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सभी प्ररूप य

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं य

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप य और

(घ) अनुसूची–2 में यथाविनिर्दिष्ट माल की पूर्ति या सेवाओं की पूर्ति के रूप में माने गए क्रियाकलाप।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,––

(क) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, या

(ख) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, जिनमें वे ऐसे लोक प्राधिकारियों, जिन्हे सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, के रूप में लगे हुए हैं,

न तो माल की पूर्ति के रूप में और न ही सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें,––

(क) माल की पूर्ति के रूप में, न कि सेवाओं की पूर्ति के रूप में य या

(ख) सेवाओं की पूर्ति के रूप में न कि माल की पूर्ति के रूप में माना जाएगा।

संयुक्त और मिश्रित पूर्तियों पर कर का दायित्व

8–किसी संयुक्त या मिश्रित पूर्ति पर कर के दायित्व का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :––

(क) दो या अधिक पूर्तियों को समाविष्ट करके किए गए किसी संयुक्त पूर्ति को जिसमें से एक मुख्य है, ऐसी मुख्य पूर्ति की पूर्ति के रूप में माना जाएगा य और

(ख) दो या अधिक पूर्तियों को समाविष्ट करके किए गए मिश्रित पूर्ति को उस विशिष्ट पूर्ति की पूर्ति के रूप में माना जाएगा, जिसके कर की दर उच्चतम है।

उद्ग्रहण और संग्रहण

9–(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान की पूर्ति को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों के सभी अन्तःराज्यीय पूर्तियों पर धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, उत्तर प्रदेश राज्य माल और सेवा कर नामक कर का उदग्रहण किया जाएगा तथा ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संग्रहण किया जाएगा और जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा।

(2) अपरिष्कृत पैट्रोलियम, हाइ स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट (जिसे आमतौर पर पैट्रोल कहा जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन की पूर्ति पर राज्य कर का उद्ग्रहण उस तारीख से किया जाएगा, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए।

(3) सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिस पर कर

का संदाय, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सम्बन्ध में कर के संदाय का दायी है।

(4) किसी ऐसे पूर्तिकार द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में राज्य कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तिकर्ता के संबंध में कर के संदाय का दायी है।

(5) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, सेवाओं के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके अन्तः राज्यीय पूर्तियों पर कर, यदि सेवाओं की पूर्ति इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किया जाता है तो, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा पूर्तिकर्ता है जो ऐसी सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में कर के संदाय का दायी है :

परन्तु यदि कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है तो कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी

प्रयोजन के लिए ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा :

परन्तु यह और कि कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है और उक्त राज्यक्षेत्र में उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, वहां ऐसा इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, कर संदाय के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा।

प्रशमन उद्ग्रहण

10–(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, किन्तु जो,––

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

(ख) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्ति करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में आवर्त के ढाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और

(ग) अन्य पूर्तिकर्ताओं की दशा में, राज्य में आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

संगणित रकम के संदाय का विकल्प चुन सकेगा :

परन्तु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रुपए की उक्त सीमा को एक करोड़ रुपये से अनधिक की ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि,––

(क) वह अनुसूची 2 के पैरा 6 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियों से भिन्न सेवाओं की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है य

(ख) वह ऐसे किसी माल की पूर्ति करने में नहीं लगा हुआ है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं है य

(ग) वह माल के किसी अंतरराज्यिक जावक पूर्ति करने में नहीं लगा है य

(घ) वह किसी ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है, किसी माल की पूर्ति करने में नहीं लगा है

(ङ) वह ऐसे माल का विनिर्माता नहीं है, जिसे सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए :

परन्तु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का (आय–कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी) स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र

अधिनियम संख्या 43 सन् 1961

नहीं होगा जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस धारा के अधीन कर के संदाय के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया विकल्प उस दिन से, जिसको वित्तीय वर्ष के दौरान उसका संकलित आवर्त उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है, व्यपगत हो जाएगा।

(4) कोई ऐसा कराधेय व्यक्ति, जिसको उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं, उसके द्वारा की गई पूर्तियों पर प्राप्तिकर्ता से किसी कर का संग्रहण नहीं करेगा और न ही वह किसी इनपुट कर प्रत्यय का हकदार होगा।

(5) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन कर संदत्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा 73 या धारा 74 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे।

कर से छूट देने की शक्ति

11–(1) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया, पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उस तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की

जाए, किसी विनिर्दिष्ट विवरण के माल या सेवाओं या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से छूट दे सकेगी।

(2) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कथित अपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों को, जिन पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट दे सकेगी।

(3) सरकार, यदि वह उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना की या उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश की परिधि या लागू किए जाने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या ऐसे आदेश में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक स्पष्टीकरण का वही प्रभाव होगा मानो वह, सदैव यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था।

अधिनियम संख्या 12 सन् 1961

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन जारी किसी आदेश को इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवा या दोनों के सम्बन्ध में, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण कर से या उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गयी है, वहां ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा।

अध्याय 4

पूर्ति का समय और मूल्य

माल की पूर्ति का समय

12–(1) माल पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधो के अनुसार यथा अवधारित पूर्ति के समय उद्भूत होगा।

(2) माल की पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :––

(क) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख या ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे पूर्ति की बाबत बीजक जारी करने की अपेक्षा है य या

(ख) वह तारीख, जिसको पूर्तिकार पूर्ति की बाबत संदाय प्राप्त करता है।

परंतु जहां कराधेय माल का पूर्तिकार, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रुपये तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां पूर्ति का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त पूर्तिकार के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम

के सम्बन्ध में बीजक जारी किए जाने की तारीख होगा।

स्पष्टीकरण–1–खण्ड (क) और खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए, ''पूर्ति'' को उस विस्तार तक किया गया समझा जाएगा, जहां तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अन्तर्गत आता है।

स्पष्टीकरण–2–खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए, ऐसी तारीख, जिसको पूर्तिकार संदाय प्राप्त करता है, वह तारीख होगी, जिसको उसकी लेखा–पुस्तकों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(3) ऐसी पूर्तियों की दशा में, जिसके सम्बन्ध में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :––

(क) माल प्राप्ति की तारीख य या

(ख) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा–पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसकों उसके बैंक खाते में संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो य या

(ग) पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख :

परंतु जहां खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण सम्भव नहीं है, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा–पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी।

(4) किसी पूर्तिकार द्वारा वाऊचरों की पूर्ति की दशा में पूर्ति का समय,––

(क) वाऊचर जारी करने की तारीख होगा, यदि पूर्ति उस बिन्दु पर पहचान योग्य है य या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोचन की तारीख होगा।

(5) जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण करना सम्भव नहीं है, वहां पूर्ति का समय,––

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है य या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर संदत्त किया जाता है।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका सम्बन्ध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलम्ब फीस या शास्ति को पूर्ति के मूल्य में जोड़े जाने का है, पूर्ति का समय वह तारीख होगा, जिसको पूर्तिकार मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है।

सेवाओं की पूर्ति का समय

13–(1) सेवाओं पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित पूर्ति के समय उद्भूत होगा।

(2) सेवाओं की पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :––

(क) पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख, यदि बीजक धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन विहित अवधि के भीतर जारी किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो य या

(ख) सेवा उपलब्ध कराने की तारीख, यदि धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन विहित अवधि के भीतर बीजक जारी नहीं किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो य या

(ग) वह तारीख, जिसको प्राप्तिकर्ता अपनी लेखा–पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शित करता है, उस मामले में, जहां खण्ड (क) या खण्ड (ख) में के उपबन्ध लागू नहीं होते हैं :

परन्तु जहां कराधेय सेवा पूर्तिकार, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रुपये तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां पूर्ति का समय, ऐसी अधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त पूर्तिकार के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के सम्बन्ध में बीजक जारी करने की तारीख होगा।

स्पष्टीकरण–खण्ड (क) और खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए,––

(प) पूर्ति को उस सीमा तक किया गया समझा जाएगा, जिस सीमा तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आता है :

(पप) ''संदाय प्राप्त करने की तारीख'' वह तारीख होगी, जिसको संदाय की प्रविष्टि पूर्तिकार की लेखा–पुस्तकों में की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(3) ऐसी पूर्तियों की दशा में, जिसके सम्बन्ध में, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :––

(क) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा–पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो : या

(ख) पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख :

परन्तु जहां खंड (क) या खंड (ख) के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा–पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी :

परन्तु यह और कि सहयुक्त उद्यमों द्वारा पूर्ति की दशा में, जहां सेवा का पूर्तिकार भारत से बाहर

स्थित है, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा–पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख या संदाय की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा।

(4) किसी पूर्तिकार द्वारा वाऊचरों की पूर्ति की दशा में पूर्ति का समय,––

(क) वाऊचर जारी करने की तारीख होगा, यदि पूर्ति उस बिंदु पर पहचान योग्य है य या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोचन की तारीख होगा।

(5) जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय,––

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है : या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर का संदाय किया जाता है।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलम्ब फीस या शास्ति को पूर्ति के मूल्य में जोड़े जाने का है, पूर्ति का समय वह तारीख होगा, जिसको पूर्तिकार मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है।

माल या सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में कर की दर में परिवर्तन

14–धारा 12 या धारा 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर की दर में कोई परिवर्तन

होता है, वहां पूर्ति के समय का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :––

(क) यदि कर की दर में परिवर्तन से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की गई है, उस दशा में,––

(प) जहां उसके लिए बीजक जारी किया गया है और संदाय भी कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां पूर्ति का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा :

(पप) जहां बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व जारी कर दिया गया है, किंतु संदाय कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां पूर्ति का समय बीजक जारी करने की तारीख होगा : या

(पपप) जहां संदाय कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व प्राप्त हो गया है, किंतु उसके लिए बीजक कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् जारी किया जाता है, वहां पूर्ति का समय संदाय की प्राप्ति की तारीख होगा :

(ख) कर की दर में परिवर्तन के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति किए जाने की दशा में,––

(प) जहां संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, किन्तु बीजक कर की दर में परिवर्तन के पहले जारी कर दिया गया है, वहां पूर्ति का समय संदाय प्राप्ति की तारीख होगा :

(पप) जहां कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व बीजक जारी कर दिया गया है और संदाय प्राप्त हो जाता है, वहां पूर्ति का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा :या

(पपप) जहां कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् बीजक जारी किया गया है किन्तु संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पूर्व प्राप्त हो जाता है, वहां पूर्ति का समय, बीजक जारी करने की तारीख होगा :

परन्तु संदाय प्राप्त होने की तारीख, बैंक खाते में जमा करने की तारीख होगी यदि बैंक खाते में ऐसी जमा कर की दर में परिवर्तन की तारीख से चार कार्य दिवस के पश्चात् की जाती है।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''संदाय के प्राप्त होने की तारीख'' वह तारीख होगी, जिसको पूर्तिकार की लेखा–पुस्तकों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

कराधेय पूर्ति का मूल्य

15–(1) जहां पूर्तिकार या पूर्ति का प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं है और पूर्ति के लिए एक मात्र प्रतिफल कीमत है, वहां माल या सेवाओं या दोनों के किसी पूर्ति का मूल्य ऐसा संव्यवहार मूल्य होगा, जो माल या सेवाओं या दोनों के उक्त पूर्ति के लिए वास्तविक रूप से संदत्त किया जाता है या संदेय है।

अधिनियम संख्या 15 सन् 2017
अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

(2) पूर्ति के मूल्य में निम्नलिखित सम्मिलित होगा––

(क) इस अधिनियम, केन्द्रीय माल ओर सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्गृहीत कोई कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार, यदि पूर्तिकार द्वारा पृथक् रूप में प्रभारित किया गया है :

(ख) कोई ऐसी रकम, जिसका पूर्तिकार, ऐसे पूर्ति के संबंध में संदाय करने के लिए दायी है, किंतु जो पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा उपगत की गई है और उसे माल या सेवाओं या दोनों के लिए वास्तविक रूप से संदत्त या संदेय कीमत में सम्मिलित नहीं किया गया है :

(ग) किसी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता से पूर्तिकार द्वारा प्रभारित आनुषंगिक व्यय, जिसके अंतर्गत कमीशन और पैक करना भी है, माल के परिदान या सेवाओं की पूर्ति के समय या उसके पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में पूर्तिकार द्वारा की गई किसी बात के लिए प्रभारित कोई रकम :

(घ) किसी पूर्ति के लिए किसी प्रतिफल के विलंबित संदाय के लिए ब्याज या विलंब फीस या शास्ति : और

(ङ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायकियों को अपवर्जित करते हुए कीमत से प्रत्यक्षतः जुड़ी हुई सहायिकियां।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, सहायिकी की रकम को ऐसे पूर्तिकार के, जो सहायिकी प्राप्त करता है, पूर्ति के मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा।

(3) पूर्ति के मूल्य में किसी को ऐसी छूट सम्मिलित नहीं होगी, जो––

(क) पूर्ति के पूर्व या पूर्ति के समय दी जाती है, यदि ऐसी छूट को ऐसे पूर्ति के सम्बन्ध में जारी बीजक में सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है, और

(ख) पूर्ति के प्रभावी होने के पश्चात् दी जाती है, यदि,––

(प) ऐसी छूट, ऐसे पूर्ति के समय या उसके पूर्व किए गए किसी करार के निबंधनानुसार स्थापित की जाती है और विनिर्दिष्ट रूप से सुसंगत बीजकों से जुड़ी हुई है, और

(पप) इनपुट कर प्रत्यय, जिसे पूर्तिकार द्वारा जारी ऐसे दस्तावेज के आधार पर छूट माना गया है, जिसे पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता है, वहां उसका अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी पूर्तियों के जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित

किया जाए, मूल्य का अवधारण ऐसी रीति से किया जायेगा, जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,––

(क) ऐसे व्यक्तियों को ''सम्बन्धित व्यक्ति'' समझा जाएगा, यदि,––

(प) ऐसे व्यक्ति किसी अन्य कारबार के अधिकारी या निदेशक हैं य

(पप) ऐसे व्यक्ति कारबार में विधिक रूप से मान्यता प्राप्त भागीदार हैं य

(पपप) ऐसे व्यक्ति नियोजक और कर्मचारी हैं य

(पअ) कोई व्यक्ति, जिसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पच्चीस प्रतिशत या अधिक के परादेय मतदान स्टाक या शेयरों या उन दोनों पर स्वामित्य, नियंत्रण है या धारण करता है य

(अ) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पर नियंत्रण रखता है य

(अप) वे दोनों प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हैं य

(अपप) वे साथ–साथ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं य या

(अपपप) वे एक ही कुटुंब के सदस्य हैं य

(ख) ''व्यक्ति'' पद के अन्तर्गत विधिक व्यक्ति भी है य

(ग) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति के कारबार से सहबद्ध हैं, जिसमें वह किसी अन्य का एक मात्र अभिकर्ता या एक मात्र वितरक या एक मात्र रियायतग्राही, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, है, सम्बद्ध व्यक्ति समझा जाएगा।

अध्याय 5

इनपुट कर प्रत्यय

इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें

16–(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, और धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति से उसको किए गए ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जिसका उसके कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है और उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

(2) उक्त धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको किए गए किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सम्बन्ध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,–

(क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा जारी कोई कर बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो य

(ख) वह माल या सेवाओं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है।

स्पष्टीकरण–इस खण्ड के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है, जहां पूर्तिकार द्वारा, किसी प्राप्तिकर्ता को या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदत्त कर दिया जाता है य

(ग) धारा 41 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे पूर्ति के सम्बंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त पूर्ति के सम्बन्ध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया जाए य और

(घ) वह धारा 39 के विवरणी न दे दे य

परंतु जहा माल, बीजक के विरुद्ध, लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किस्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसी पूर्तियों से भिन्न, जिन पर प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार को पूर्ति के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का, पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के पश्चात् भी संदाय करने में असफल रहता है,

वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगाः

परंतु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का उसके द्वारा किए गए संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा।

अधिनियम संख्या 43 सन् 1961

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने आय–कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन पूंजी माल और संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के कर संघटक पर अवक्षयण का दावा किया है, वहां उक्त कर संघटक पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) कोई रजिस्ट्रकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित बीजक सम्बन्धित है, अन्त के अगले सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी बीजक या नामे नोट के सम्बन्ध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा।

प्रत्यय और निरुद्ध प्रत्ययों

17–(1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपभोग भागतः किसी कारबार के प्रयोजन के लिए किया जाता है और भागतः अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय

की उतनी रकम को, जिसे उसके कारबार के प्रयोजनों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा।

अधिनियम संख्या 13 सन् 2017

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन शून्य दर प्रदायों सहित कराधेय पूर्तियों को पूर्ण करने के लिए और भागतः उक्त अधिनियमों के अधीन छूट प्राप्त प्रदायों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे शून्य दर प्रदायों सहित उक्त कराधेय प्रदायों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन छूट प्राप्त पूर्ति का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसे पूर्ति, जिस पर प्राप्तिकर्ता प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदाय का दायी है, प्रतिभूति संव्यवहारों, भूमि विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खण्ड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा।

(4) किसी बैंककारी कम्पनी या किसी ऐसी वित्तीय कम्पनी को, जिसके अन्तर्गत ऐसी गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनी भी है, जो निक्षेपों का प्रतिग्रहण करके, ऋणों या अग्रिम धन का विस्तार करके सेवाओं की पूर्ति करने में लगी हुई है, उपधारा (2) के उपबंधों का पालन करने का या उस मास के प्रत्ययों, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर उपयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के पचास प्रतिशत

के बराबर रकम का उपभोग करने का विकल्प होगा और शेष व्यपगत हो जाएगा :

परंतु एक बार उपयोग किए गए विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान प्रत्याहत नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि पचास प्रतिशत का निर्बंधन एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा समान स्थायी खाता संख्यांक वाले किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को की गई पूर्तियों पर संदत्त कर को लागू नहीं होगा।

(5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात् :––

(क) मोटर यान और अन्य प्रवहण, सिवाय तब के जब उनका उपयोग,––

(प) निम्नलिखित कराधेय पूर्तियों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :––

(क) ऐसे यानों या प्रवहणों के और पूर्ति के लिए य या

(ख) यात्रियों के परिवहन के लिए य या

(ग) ऐसे यानों या प्रवहणों के चालन, उड़ान, नौपरिवहन का प्रशिक्षण देने के लिए य

(पप) माल के परिवहन के लिए य

(ख) माल या सेवाओं या दोनों के निम्नलिखित पूर्ति के लिए :––

(प) खाद्य और पेय पदार्थ, वाह्य खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, वहां के सिवाय, जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के आवक पूर्ति का उपयोग वैसे ही प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के जावक कराधेय पूर्ति के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित पूर्ति के कारक के रूप में किया जाता है य

(पप) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केन्द्र की सदस्यता य

(पपप) किराए की गाड़ी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, वहां के सिवाय, जहां,––

(क) सरकार ने ऐसी सेवाओं को अधिसूचित किया है, जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बाध्यकर है : या

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे आवक पूर्ति का उपयोग उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों का जावक कराधेय पूर्ति करने के लिए या काराधेय संयुक्त या मिश्रित पूर्ति के भागरूप किया जाता है : और

(पअ) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत जैसे प्रवकाश पर कर्मचारियों के लिए विस्तारित यात्रा फायदे।

(ग) (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) कार्य संविदा सेवाएं, जब उन की पूर्ति स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए किया जाता है, वहां के सिवाय जहां वह कार्य संविदा सेवा के और पूर्ति के लिए कोई आवक सेवा है य

(घ) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, अपने स्वयं के उपयोग के लिए (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) किसी स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए प्राप्त किया गया माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाओं या दोनों भी हैं, जिनका उपयोग कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है।

स्पष्टीकरण–खंड (ग) और खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए, ''सन्निर्माण'' पद के अंतर्गत उक्त स्थावर संपत्ति का पूंजीकरण के विस्तार तक पुनर्निर्माण, नवीकरण, परिवर्द्धन या परिवर्तन या मरम्मत भी है :

(ङ) ऐसा माल या सेवाओं या दोनों, जिन पर धारा 10 के अधीन कर संदत्त कर दिया गया है :

(च) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा, उसके द्वारा आयातित माल पर के सिवाय, प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों :

(छ) व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयुक्त माल या सेवाएं या दोनों :

(ज) खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, दान या निःशुल्क सैंपल द्वारा अपलिखित या व्ययनित माल :

(झ) धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदत्त कोई कर।

(6) सरकार ऐसी रीति विहित कर सकेगी, जिसमें उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्यय निर्धारित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण–इस अध्याय और अध्याय 6 के प्रयोजनों के लिए, ''संयंत्र और मशीनरी'' पद से ऐसे साधित्र, उपस्कर और प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब द्वारा भूमि पर स्थिर मशीनरी अभिप्रेत है, जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों का जावक पूर्ति करने के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसा प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब भी है, किन्तु इसमें निम्नलिखित अपवर्जित हैं,––

(प) भूमि, भवन या कोई अन्य सिविल सन्निर्माण :

(पप) दूर–संचार टावर : और

(पपप) कारखाना परिसर के बाहर बिछाई गई पाइप लाइनें।

fo'ks"k ifjfLFkfr;ksa esa izR;; dh

18–(1) ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं,––

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो गया है और उसे ऐसा रजिस्ट्रीकरण दे दिया गया है, उस तारीख से, जिससे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक

पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

(ख) कोई व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण लेने का हकदार है, स्टाक में धारित निवेशों और रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में अंतर्विष्ट अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

(ग) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा–10 के अधीन कर संदाय करने से प्रविरत हो जाता है वहां वह उस तारीख, जिस तारीख को वह धारा 9 के अधीन कर संदाय करने के लिये दायी हुआ है से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को स्टाक में धारित निवेशों, स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परन्तु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता बिंदु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए :

(घ) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का छूट प्राप्त पूर्ति कराधेय पूर्ति हो गया है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे छूट प्राप्त पूर्ति संबंधित स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और उस तारीख से, जिसको ऐसा पूर्ति कराधेय हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती

दिन को ऐसे छूट प्राप्त पूर्ति के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परन्तु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता के बिंदु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे पूर्ति से संबंधित कर बीजक जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उसे पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(3) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के गठन में, दायित्व अंतरण के विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण के कारण कोई परिवर्तन होता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात होगा, जो ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे विक्रीत, विलीन, निर्विलीन, समामेलित, पट्टे पर दिए गए या अंतरित कराबार के उसके इलेक्ट्रानिक निवेश खाते में अनुपयोजित है।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने धारा 10 के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का संदाय करने के विकल्प का उपयोग किया है या जहां उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों पूर्ण रूप से छूट प्राप्त हो गए है, वहां वह इलेक्ट्रानिक निवेश खाते या इलेक्ट्रानिक नकद खाते में, विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो

स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर, यथास्थिति, ऐसे विकल्प का प्रयोग करने या ऐसी छूट की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को, ऐसी प्रतिशतता बिंदु को, जो विहित किया जाए, कम करके इनपुट कर प्रत्यय के बराबर है :

परन्तु ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात् उसके इलेक्ट्रनिक प्रत्यय खाते में पड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यय की रकम और उपधारा (4) के अधीन संदेय रकम की संगणना ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए।

(6) ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी की पूर्ति की दशा में, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रतिशतता बिन्दु को घटाकर, जो विहित किया जाए, उक्त पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम का या धारा 15 के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्रा और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर का, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करेगा :

परन्तु जहां स्क्रैप के रूप में रिफैक्टरी ईंटें, सांचे और डाई, जिग्स और फिक्चरों की पूर्ति की जाती है, वहां कराधेय व्यक्ति धारा 15 के अधीन

छुटपुट काम के लिए किए गए निवेशों और भेजे गए पूंजी माल के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय का लिया जाना

अवधारित ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य पर कर का संदाय कर सकेगा।

19–(1) प्रधान, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, छुटपुट काम के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए निवेशों पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा।

(2) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान निवेशों को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे भेजे जाने पर भी, निवेशों पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(3) जहां प्रधान को, छुटपुट कार्य के लिए भेजे गए निवेश भेजे जाने के एक वर्ष के भीतर, धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार छुटपुट कार्य पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा वापस प्राप्त नहीं होता है या छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति के कारबार के स्थान से पूर्ति नहीं की जाती है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा छुटपुट कार्य के लिए ऐसे निवेशों की पूर्ति उस दिन किया गया था, जब उक्त निवेश भेजे गए थे :

परंतु जहां किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे निवेश भेजे जाते हैं, वहां छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा निवेशों के प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि की संगणना की जाएगी।

(4) प्रधान, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा।

(5) धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान पूंजी माल को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे भेजे जाने पर भी, पूंजी माल पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(6) जहां प्रधान को छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया पूंजी माल, भेजे जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर वापस प्राप्त नहीं होता है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को ऐसे पूंजी माल की पूर्ति उस दिन की गई थी जब उक्त पूंजी माल भेजा गया था :

परन्तु जहां किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे पूंजी माल भेजा जाता है, वहां छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा पूंजी माल के प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की संगणना की जाएगी।

(7) उपधारा (3) या उपधारा (6) में अंतर्विष्ट कोई बात छुटपुट कार्य करने के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए सांचे और डाई, जिग्स और फिक्चरों और औजारों को लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए, ''प्रधान'' से धारा 143 में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है।

इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति

20–(1) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जारी कर के, जिसमें वितरण किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो, राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत करके रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरण करेगा।

(2) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकेगा, अर्थात् :––

(क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के द्वारा, जिसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, जो विहित किए जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है य

(ख) वितरण किए गए प्रत्यय की रकम, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी य

(ग) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जाएगा य

(घ) एक से अधिक प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा, जिनके लिए इनपपुट सेवा मानी जा सकती है और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि

के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के, जिनके लिए ऐसी इनपपुट सेवा मानी गई है, आवर्त का अनुपाततः होगा य

(ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकताओं के लिए मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जाएगा और ऐसा वितरण, सुसंगत अवधि के दौरान सभी प्राप्तिकर्ताओं के संकलित आवर्त और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में संक्रियात्मक हैं, ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर अनुपाततः होगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,––

(क) ''सुसंगत अवधि'',––

(प) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं का उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगी य

(पप) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो ऐसा उस मास के पहले का, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम

तिमाही होगी, जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है य

(ख) ''प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता'' पर से उस इनपुट सेवा वितरक के रूप में समान स्थायी खाता संख्यांक वाला माल या सेवाओं या दोनों का पूर्तिकार अभिप्रेत है य

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और ऐसे माल के, जो कराधेय नहीं है, पूर्ति में लगा हुआ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के सम्बन्ध में ''आवर्त'' से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्ट 84 और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उदग्रहीत किसी शुल्क या कर की रकम को घटाकर आवर्त का मूल्य अभिप्रेत है।

आधिक्य में वितरित प्रत्यय के वसूली की रीति

21–जहां इनपुट सेवा वितरक, धारा 20 में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंधन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिक्य में प्रत्यय का वितरण हो जाता है वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिक्य प्रत्यय ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध वसूल किए जाने वाली रकम को अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

अध्याय 6

रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति

22–(1) किसी राज्य में मालों या सेवाओं या दोनों के कराधेय पूर्ति को करने वाला प्रत्येक

प्रदाता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त बीस लाख रुपए से अधिक है :

परंतु जहां कोई व्यक्ति, विशेष प्रवर्ग के राज्यों में से किसी राज्य से माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय पूर्ति करता है, वहां वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त दस लाख रुपए से अधिक है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो, नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या अनुज्ञप्ति धारण करता है, नियत दिन से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा चलाया गया कारबार, किसी अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में, चाहे उत्तराधिकार या अन्यथा के लेखे अंतरित किया जाता है, अंतरित या उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसे अन्तरण या उत्तराधिकार की तारीख से रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा।

(4) उपधारा (1) और (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जैसा भी मामला हो, स्कीम की मंजूरी या समामेलन के लिए ठहराव या अंतरण की दशा में उच्च न्यायालय, अधिकरण के आदेश के अनुसरण में या अन्यथा दो या अधिक कम्पनियों के निर्विलयन के मामले, अंतरित ऐसी तारीख से जिससे उच्च न्यायालय या अधिकरण के ऐसे आदेश को प्रभाव देते हुए कम्पनी रजिस्ट्रार निगमन

का प्रमाणपत्र जारी करता है, रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए,––

(प) अभिव्यक्ति संकलित व्यापारवर्त में, कराधेय व्यक्ति द्वारा की गयी सभी प्रदाय, चाहे उसके अपने लेखे के रूप में या उसके सभी मालिकों की ओर से सम्मिलित है य

(पप) रजिस्ट्रीकृत फुटकर कर्मकार द्वारा फुटकर–काम पूर्ण करने के पश्चात् मालों की आपूर्ति, धारा 143 में निर्दिष्ट प्रधान द्वारा मालों की आपूर्ति मानी जाएगी और ऐसे मालों में रजिस्ट्रीकृत फुटकर कर्मकार का संकलित व्यापारवर्त सम्मिलित नहीं होगा य

(पपप) अभिव्यक्ति ''विशेष प्रवर्ग राज्यों'' से संविधान के अनुच्छेद 279 क के खण्ड (4) के उपखण्ड (छः) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है।

व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं

23–(1) निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होंगे, अर्थात् :––

(क) कोई व्यक्ति जो ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के कारबार में अनन्य रूप से लगा हुआ है जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल या सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है य

(ख) कृषक, भूमि की खेती की उपज की प्रदाय के विस्तार तक।

(2) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है।

कतिपय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण

24–धारा 22 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित होगा।

(प) व्यक्ति जो अंतरराज्यिक कराधेय प्रदाय करते य

(पप) कराधेय प्रदाय करने वाले आकस्मिक कराधेय व्यक्ति य

(पपप) व्यक्ति जिसमें प्रतिलोम प्रभार के अधीन कर अदा करना अपेक्षित है य

(पअ) व्यक्ति जिससे धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन कर का संदाय करना अपेक्षित है य

(अ) कराधेय प्रदाय करने वाले अनिवासी कराधेय व्यक्ति य

(अप) व्यक्ति जिससे धारा 51 के अ धीन कर की कटौती करना अपेक्षित है चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं य

(अपप) व्यक्ति जो, चाहे अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा, अन्य कराधेय व्यक्तियों की ओर से कराधेय मालों या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति करते हैं य

(अपपप) इनपुट सेवा वितरक, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत है या नहीं य

(पग) व्यक्ति जो धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रदाय से भिन्न मालों या सेवाओं अथवा दोनों की ऐसे इलेक्ट्रानिक आपरेटर जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है, के माध्यम से प्रदाय करता है य

(ग) प्रत्येक प्रत्येक इलेक्ट्रानिक वाणिज्य आपरेटर य

(गप) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से बाहर के स्थान से आन लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या सुधार सेवाओं भारत में किसी व्यक्ति की पूर्ति करता है य

(गपप) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए।

रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

25–(1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है, वह उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होता है, से तीस दिवस के भीतर, ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा :

परन्तु आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति कारबार प्रारम्भ होने के कम से कम

पांच दिवस पहले रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण–प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर–खण्ड से पूर्ति करता है, ऐसे राज्य, जहां समुचित आधार रेखा का निकटतम बिन्दु अवस्थित है, ऐसे राज्य में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है को एकल रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा :

परंतु एक राज्य में बहुल कारबार वर्टिकल रखने वाले व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक कारबार वर्टिकल के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है वह स्वयं को स्वेच्छया रजिस्ट्रीकृत करा सकता है और इस अधिनियम के सभी उपबंध जैसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर लागू होते हैं, वैसे ही ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे।

(4) कोई व्यक्ति जिसने एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण, चाहे एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में या एक से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्र में, प्राप्त किया है या जिससे प्राप्त करना अपेक्षित है प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण की बाबत इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सुभिन्न व्यक्तियों के रूप में माना जाएगा।

(5) जहां एक व्यक्ति जिसने एक स्थापन की बाबत राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है या प्राप्त करना अपेक्षित है, के पास किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक स्थापन है, तब ऐसे स्थापनों को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सुभिन्न व्यक्तियों के स्थापनों के रूप में माना जाएगा।

अधिनियम संख्या 43 सन् 1961

(6) प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए पात्र होने के लिए आय–कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखेगा :

परंतु व्यक्ति जिससे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, स्थायी खाता संख्या के बजाय, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए पात्र होने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन जारी कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या रख सकेगा।

(7) उपधारा (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक अनिवासी कराधेय व्यक्ति को ऐसे अन्य दस्तावेजों जो विहित किए जाएं के आधार पर उप–धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा सकता है।

(8) जहां एक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी है रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में विफल हो जाता है, उचित अधिकारी कोई कार्रवाई जिसे इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जा सकता है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति, जो विहित की

जाए, में रजिस्टर करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

अधिनियम संख्या 46 सन् 1967

(9) उपधारा (पप) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी––

(क) संयुक्त राष्ट्र संगठन का कोई विशिष्ट अभिकरण या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित बहुपार्श्व वित्तीय संस्था और संगठन, विदेशी देशों के कौंसल कार्यालय या राजदूतावास) : और

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए ऐसी रीति और ऐसे प्रयोजनों, जिसके अन्तर्गत उनके द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं अथवा दोनों की अधिसूचित पूर्ति पर, करों का प्रतिदाय, जैसा कि विहित किया जाए, विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगा।

(10) रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या ऐसी रीति में सम्यक् सत्यापन के पश्चात् और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, प्रदान किया जाएगा या खारिज किया जाएगा।

(11) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र ऐसे प्ररूप में जारी किया जाएगा और ऐसी तारीख से लागू होगा, जो विहित किया जाए।

(12) एक रजिस्ट्रीकरण या एक विशिष्ट पहचान संख्या उपधारा 10 के अधीन विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रदान किया गया समझा जाएगा, यदि उस अवधि के भीतर आवेदक को कोई कमी संसूचित नहीं की जाती है।

रजिस्ट्रीकरण समझा जाना

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

26–(1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या का प्रदान किया जाना, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन धारा 25 की उपधारा (10) में यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर खारिज नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या का प्रदान किया जाना समझा जाएगा।

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

(2) धारा 25 की उपधारा (10) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन का खारिज किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का खारिज किया जाना समझा जाएगा।

आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से सम्बन्धित विशिष्ट उपबंध

27–(1) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य होगा और ऐसा व्यक्ति केवल रजिस्ट्रीकरण, प्रमाण–पत्र जारी करने के पश्चात् कराधेय पूर्ति करेगा :

परंतु उचित अधिकारी, प्रर्याप्त कारणों से जो उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा दर्शाए जाएं, उक्त नब्बे

दिन की अवधि को नब्बे दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(2) एक आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय, ऐसी अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य रकम में कर का अग्रिम निक्षेप करेगा :

परंतु जहां उपधारा (1) के अधीन समय का कोई विस्तार चाहा गया है, ऐसा कराधेय व्यक्ति, ऐसी अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य कर की अतिरिक्त रकम निक्षेप करेंगे।

(3) उपधारा (2) के अधीन निक्षेप की गयी रकम, ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक नकद खाते में जमा की जाएगी और धारा 49 के अधीन उपबंधित रीति में उपयोग किया जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण का संशोधन

28–(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित की गयी है रजिस्ट्रेशन के समय या तत्पश्चात् ऐसे प्ररूप रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, दी गई सूचना में किसी परिवर्तन को उचित अधिकारी को सूचित करेगा।

(2) उचित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन दी गई या उसके द्वारा अभिनिश्चित की गयी सूचना के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की

जाए संशोधनों का अनुमोदन करेगा या खारिज करेगा :

परंतु ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाए, के संशोधन की बाबत समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा :

परंतु यह और कि उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन को किसी व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना खारिज नहीं करेगा।

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

(3) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन संशोधनों का खारिज किया जाना या अनुमोदन, इस अधिनियम के अधीन खारिज किया जाना या अनुमोदित किया जाना माना जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण

29–(1) उचित अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक वारिसों द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पर, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां,––

(क) कारबार किन्हीं कारणों जिसके अन्तर्गत स्वत्वधारी की मृत्यु किसी अन्य विधिक सत्ता के साथ समामेलन, निर्विलयन या अन्यथा निपटान भी है, बन्द कर दिया है, पूरी तरह से अन्तरित कर दिया है य

(ख) कारबार के गठन में कोई परिवर्तन हुआ है

(ग) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए इससे अधिक दायित्वाधीन नहीं होगा।

(2) उचित अधिकारी, ऐसी तारीख जिसके अंतर्गत किसी भूतलक्षी तारीख से जैसा वह उचित समझे, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां––

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जैसा विहित किया जाए, ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है य या

(ख) धारा 10 के अधीन कर अदा करने वाले व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी नहीं दी है य या

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छह मास की अवधि तक विवरणी नहीं दी है य या

(घ) कोई व्यक्ति, जिसने धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वैच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारम्भ नहीं किया है य या

(ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया है :

परन्तु उचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा।

(3) ऐसी धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, कराधेय व्यक्ति के कर अदा करने के दायित्व पर और इस अधिनियम के अधीन अन्य शोध्य या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, रद्दकरण की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए, चाहे ऐसा कर और अन्य शोध्य, रद्दकरण की तारीख से पहले या पश्चात् अवधारित किए जाते हैं, किसी बाध्यता के निर्वहन पर प्रभाव नहीं डालेगा।

(4) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना समझा जाएगा। अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द हो गया है, इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाता या इलेक्ट्रानिक नकद खाते में विकलन के माध्यम से ऐसी रकम का संदाय करेगा जो रद्दकरण की ऐसी तारीख से ठीक पूर्व दिन को स्टाक में धारित निवेश के सम्बन्ध में इनपुट कर और स्टाक में धारित अर्द्ध तैयार या तैयार माल में अंतर्विष्ट निवेश या पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी या ऐसी रीति में, जो विहित की जाए संगणित ऐसे माल पर संदेय आउटपुट कर जो भी अधिक हो, के प्रत्यय के समतुल्य है :

परंतु पूंजीमाल या संयंत्र और मशीनरी के मामले में कराधेय व्यक्ति उक्त पूंजीमाल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के समान ऐसी रकम का संदाय करेगा जो ऐसे प्रतिशतता बिन्दु जो विहित किए जाएं, से घटाकर आये या धारा 15 के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर जो भी अधिक हो, संदत्त करेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन देय रकम ऐसी रीति जो विहित की जाए, से प्रकल्लित की जाएगी।

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण

30–(1) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वयं के प्रस्ताव पर रद्द किया जाता है, रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उचित अधिकारी, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि में जो आदेश द्वारा विहित की जाए, या तो रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या आवेदन को खारिज कर सकेगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना खारिज नहीं किया जाएगा।

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

(3) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का

प्रतिसंहरण, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण माना जाएगा।

अध्याय–7

कर बीजक, जमा पत्र और नामे नोट

कर बीजक

31–(1) कराधेय मालों की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे समय से पहले या उस पर,––

(क) प्राप्तिकर्ता की पूर्ति, जहां पूर्ति में मालों का संचलन अंतर्वलित है, के लिए माल को हटाएगा य या

(ख) किसी अन्य मामले में, मालों का परिदान करेगा या प्राप्तिकर्ता को उसको उपलब्ध कराएगा।

वर्णन, परिव्यय और मालों के मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा ऐसे समय में और ऐसी रीति में जो विहित किया जाए, मालों या प्रदाययों के प्रवर्गों जिनके संबंध में कर बीजक जारी किया जाएगा, को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) कराधेय सेवाओं की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सेवाओं के उपबंध में पूर्व या पश्चात् परन्तु विहित अवधि के भीतर वर्णन और सेवाओं के मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा :

परन्तु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा और उसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए संगठनों के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके सम्बन्ध में–

(क) पूर्ति के सम्बन्ध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक समझा जायेगा; या

(ख) कर बीजक जारी किया जाना अपेक्षित नहीं हो।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,––

(क) रजिस्ट्ररीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाये, रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से, उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने की तारीख तक, प्रारम्भ होने वाली अवधि के दौरान पहले से जारी बीजक के विरुद्ध पुनरावलोकित बीजक जारी कर सकेगा;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा यदि ऐसी शर्तों और ऐसी रीति जो विहित की जाये के अध्यधीन रहते हुए, मालों या सेवाओं या दोनों प्रदाययों का मूल्य दो रुपये से कम है;

(ग) छूट प्राप्त मालों और सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला या धारा 10 के उपबन्धों के अधीन कर अदा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक के बजाय ऐसी विशिष्टताएं

अन्तर्विष्ट करने वाला और ऐसी रीति में जो विहित की जाये, एक बिल जारी करेगा;

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, पूर्ति का बिल जारी नहीं करेगा, यदि पूर्ति किया गया माल या सेवाओं या दोनों का मूल्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में जो विहित की जाये, दो सौ रुपये से कम है;

(घ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवा या दोनों की किसी पूर्ति के सम्बन्ध में अग्रिम संदाय की प्राप्ति पर ऐसे संदाय का साक्ष्य देते हुए ऐसी विशिष्टियों से अंतर्विष्ट, जो विहित की जाये, कोई रसीद वाउचर या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा;

(ङ) जहां, माल या सेवा या दोनों की पूर्ति के सम्बन्ध में अग्रिम की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई रसीद वाउचर जारी करता है, परन्तु पश्चातवर्ती कोई पूर्ति नहीं की जाती है और उसके अनुसरण में कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसमें संदाय किया है, ऐसे संदाय के विरुद्ध कोई प्रतिदाय वाउचर जारी कर सकेगा ;

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे प्रदात्ता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की

तारीख को माल या सेवाओं या दोनों के सम्बन्ध में कोई बीजक जारी करेगा;

(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, पूर्तिकर्ता को संदाय करते समय कोई संदाय बाउचर जारी करेगा।

(4) माल निरन्तर पूर्ति की दशा में जहां लेखाओं के क्रमवार विवरण या क्रमवार संदाय अन्तर्वलित हैं, वहां बीजक प्रत्येक ऐसे विवरण के जारी करते समय या उससे पूर्व या, यथास्थिति, जब प्रत्येक ऐसा संदाय प्राप्त किया जाता है, जारी किया जायेगा।

(5) उपधारा (3) के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अध्यधीन सेवाओं की निरन्तर पूर्ति की दशा में,––

(क) जहाँ संदाय की नियत तारीख का संविदा से पता लगाया जा सकता है, वहां बीजक संदाय की नियत तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जायेगा;

(ख) जहां संदाय की नियत तारीख का संविदा से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां बीजक जब सेवाओं का पूर्तिकार संदाय प्राप्त करता है, के समय या उससे पूर्व जारी किया जायेगा;

(ग) जहां संदाय को किसी घटना के पूरा होने से जोड़ा जाता है वहां बीजक उस घटना के पूरा होने की तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जायेगा।

(6) किसी ऐसे मामले में जहां किसी संविदा के अधीन पूत्रि के पूरा होने से पूर्व सेवाओं की पूर्ति समाप्त हो जाती है, वहां बीजक ऐसे समय पर जारी किया जायेगा जब पूर्ति समाप्त होती है और ऐसा बीजक ऐसी समाप्ति से पूर्व प्रभावित पूर्ति की सीमा तक जारी किया जायेगा।

(7) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां विक्रय या वापसी के लिए अनुमोदन पर भेजा जा रहा या लिया जा रहा माल पूर्ति किये जाने से पूर्व हटाया जाता है, वहां बीजक पूर्ति के समय या उससे पूर्व अथवा हटाये जाने की तारीख से छह मास तक, जो भी पूर्वतर हो, जारी किया जायेगा।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कर बीजक" पद के अन्तर्गत पहले की गई पूर्ति के सम्बन्ध में पूर्तिकार द्वारा जारी कोई पुनरीक्षित बीजक होगा।

कर के अप्राधिकृत संग्रहण का प्रतिषेध

32. (1) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है, माल और सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में कोई रकम संगृहीत नहीं करेगा।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार के सिवाय, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर का संग्रहण नहीं करेगा।

कर बीजक और अन्य दस्तावेजों में उपदर्शित की जाने वाले कर की रकम

33. इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां कोई पूर्ति किसी प्रतिफल के लिए की जाती है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी पूर्ति के लिए कर संदाय करने के लिए दायी हैं निर्धारण से सम्बन्धित सभी

दस्तावेजों में कर बीजक और अन्य ऐसे अन्य दस्तावेज, टैक्स की रकम जो मूल्य का भाग होगी जिस पर ऐसी पूर्ति की जाती है प्रमुखतः उपदर्शित करेगा।

जमा और नामें पत्र

34. (1) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस पर बीजक में प्रभारित कर योग्य मूल्य या कर ऐसी पूर्ति के सम्बन्ध में कर योग्य मूल्य संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां प्राप्तकर्ता द्वारा पूर्ति किये गये माल को वापिस किया जाता है या जहां पूर्ति किये गये माल या सेवाओं या दोनों में कमी पायी जाती है, वहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें ऐसा माल या सेवायें या दोनों की पूर्ति की है प्राप्तकर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं से अन्तर्विष्ट जमापत्र जारी कर सकेगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सम्बन्ध में कोई जमा पत्र जारी करता है। ऐसे जमा पत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा जिसके दौरान ऐसा साख पत्र जारी किया गया है परन्तु उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसी पूर्ति की गई थी, के अन्त के पश्चात सितम्बर मास से अपश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, जो भी पूर्वतर हो, तथा कर दायित्व ऐसी रीति जो चिहित की जाये, में समायोजित किया जायेगा;

परन्तु यदि ऐसी पूर्ति पर कर और ब्याज का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति को पास किया गया है तो

पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

(3) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में कर योग्य मूल्य या प्रभारित कर, कर योग्य मूल्य या ऐसी पूर्ति के सम्बन्ध में संदेय कर से कम पाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है प्राप्तकर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाये, से अंतर्विष्ट नामे पत्र जारी करेगा।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सम्बन्ध में कोई नामे पत्र जारी करता है, ऐसे नामेपत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में, जिसके दौरान ऐसा नामे पत्र जारी किया गया है, घोषित करेगा और कर दायित्व ऐसे रीति में जो विहित की जाये में समायोजित करेगा।

स्पष्टीकरण––इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "नामे पत्र" पद के अन्तर्गत पूरक बीजक हैं।

अध्याय 8

लेखे और अभिलेख

लेखे और अन्य अभिलेख

35–(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कारबार के मूल स्थान पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र में यथावर्णित,––

(क) माल के उत्पादन और विनिर्माण;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों की आवक या जावक पूर्ति;

(ग) माल का स्टाक;

(घ) प्राप्त किया गया इनपुट कर प्रत्तय;

(ङ) संदेय और संदत्त आउटपुट कर; और

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं,

की सत्य और शुद्ध लेखे रखेगा और अनुरक्षित करेगा :

परन्तु जहां रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र में एक से अधिक कारबार के स्थान विनिर्दिष्ट किये गये हैं वहां कारबार के प्रत्येक स्थान से सम्बन्धित लेखे कारबार के उन्हीं स्थानों में रखे जायेंगे :

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे लेखे और अन्य विशिष्टियां इलेक्ट्रानिक रूप में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रख सकेगा और अनुरक्षित कर सकेगा।

(2) भांडागार या गोदाम या माल के भण्डारण के लिए उपयोग में लाया गया किसी अन्य स्थान का प्रत्येक स्वामी या आपरेटर और प्रत्येक वाहक इस बात पर ध्यान दिये बिना कि क्या वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है या नहीं, परेषक, परेषिती और ऐसे माल के अन्य सुसंगत ब्यौरे जो विहित किये जायें के अभिलेख रखेगा।

(3) आयुक्त ऐसे प्रयोजन के लिए उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, अतिरिक्त लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित करने के लिए कर योग्य व्यक्तियों का वर्ग अधिसूचित कर सकेगा।

(4) जहां आयुक्त समझता है कि कर योग्य व्यक्तियों का कोई वर्ग इस धारा के उपबंधों के अनुसार लेखे रखने और अनुरक्षित करने की दशा

में नहीं है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुये कर योग्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को लेखों को ऐसी रीति में जो विहित की जाये अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा संपरीक्षित करवायेगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाये।

(6) धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में विफल रहता है, वहां उचित अधिकारी माल या सेवाओं या दोनों पर संदेय कर की रकम, जिसका लेखा नहीं दिया गया है, अवधारित करेगा, मानो ऐसा माल या सेवायें या दोनों की ऐसी व्यक्ति द्वारा पूर्ति की गयी थी और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिये आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

लेखों के प्रतिधारण की

36–धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन लेखों की बहियों और अन्य अभिलेखों को रखने और अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उनको ऐसे लेखों और अभिलेखों से सम्बन्धित वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की नियत तारीख से 72 मास की समाप्ति तक प्रतिधारित करेगाः

परन्तु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी अपील या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही चाहे जो उसके द्वारा या आयुक्त द्वारा फाइल की गई हो, में कोई पक्षकार है, या अध्याय 19 के अधीन किसी अपराध के लिए अन्वेष्णाधीन हैं, ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण की विषयवस्तु से सम्बन्धित लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों को ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण के अन्तिम निपटान के पश्चात एक वर्ष की अवधि के लिए या ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए जो भी पश्चातवर्ती हो, के लिए प्रतिधारित करेगा।

अध्याय 9

विवरणियां

जावक पूर्तियों के ब्यौरे देना

37–(1) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रानिक रूप में ऐसे प्ररूप में और रीति में जो विहित की जाये माल या सेवाओं या दोनों की की गई जावक पूर्तियों के ब्यौरे कर अवधि के दौरान उक्त कर अवधि के मास के उत्तरवर्ती 10 वें दिन को या उससे पूर्व देगा और ऐसे ब्यौरे उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किये जायेंगे :परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन से 15वें दिन तक की अवधि के दौरान जावक पूर्तियों के ब्यौरे देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसको धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन ब्यौरे या धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन इनपुट सेवा वितरक की आवक पूर्तियों से सम्बन्धित ब्यौरे संसूचित किये गये हैं, 17वें दिन को या इससे पूर्व इस प्रकार संसूचित ब्यौरे को स्वीकार या अस्वीकार करेगा, परन्तु कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन से पूर्व नहीं कर सकेगा तथा उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिये गये ब्यौरे तदनुसार संशोधित होंगे।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे दिये हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे–मिलान रह गये हैं उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाये, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगाः

परन्तु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे सम्बन्धित हैं, के अन्त के पश्चात सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर हैं, उपधारा (1) के अधीन दिये गये ब्यौरे के सम्बन्ध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण––इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, "जावक पूर्तियों के ब्यौर" पद के अन्तर्गत किसी कर–अवधि के दौरान की गयी जावक पूर्तियों के सम्बन्ध में जारी बीजक, नामे पत्र, जमा पत्र और पुनरीक्षित बीजक के ब्यौरे हैं।

आवक पूर्तियों के ब्यौरे देना

38–(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यदि अपेक्षित हो, अपनी आवक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे तैयार करने के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन संसूचित जावक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों से सम्बन्धित ब्यौरे सत्यापित करेगा, विधि मान्य करेगा, उपान्तरित करेगा या हटायेगा और उसमें ऐसी पूर्तियों, जो धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन पूर्तिकार द्वारा घोषित नहीं की गयी है, के सम्बन्ध में प्राप्त आवक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे सम्मिलित कर सकेगा।

अधिनियम संख्या 13 सन् 2017

(2) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा, 10, धारा 51

या धारा 52 के उपबन्धों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलेक्ट्रानिक रूप में कर योग्य माल या सेवाओं या दोनों, जिसके अन्तर्गत माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियां, जिन पर इस अधिनियम के अधीन प्रतिलोम आधार पर कर संदेय है तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्तियां या जिस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन एकीकृत माल और सेवा कर संदेय है तथा कर अवधि के दौरान ऐसी पूर्तियों के सम्बन्ध में प्राप्त जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे 10वें दिन के पश्चात परन्तु कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन से पूर्व या को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाये, देगा :

परन्तु आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा उपान्तरित, हटाई गयी या सम्मिलित की गई पूर्तियों के और उपधारा (2) के अधीन दिये गये ब्यौरे सम्बन्धित पूर्तिकार को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे।

(4) धारा 39 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन प्राप्तिकर्ता द्वारा दी गयी विवरणी में

उपान्तरित, हटाई गयी या सम्मिलित की गई पूर्तियों के ब्यौरे सम्बन्धित पूर्तिकार को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें किसी कर अवधि के लिये उपधारा (2) के अधीन ब्यौरे दिये हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे–मिलान रह गये हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाये, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिये दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा :

परन्तु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे सम्बन्धित हैं, के अन्त के पश्चात सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर है, उपधारा (2) के अधीन दिये गये ब्यौरे के सम्बन्ध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

विवरणियां देना

39–(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबन्धों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में माल या सेवा या दोनों की आवक और जावक पूर्तियां, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और अन्य विशिष्टियां और ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन से पूर्व या को ऐसे

प्ररूप और रीति में जो विहित की जाये, विवरणी देगा।

(2) धारा 10 के उपबन्धों के अधीन कर संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाये, कोई माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और संदत्त कर की विवरणी, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् 18 दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में संदत्त करेगा।

(3) धारा 51 के उपबन्धों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाये, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती की गयी है, की विवरणी ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात दस दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में देगा।

(4) किसी इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाये, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात 13 दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाये कलैंडर मास के अन्त के पश्चात 20 दिन के भीतर या धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अन्तिम दिन

के पश्चात सात दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा।

(6) आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुये, अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, विवरणियां देने के लिए समय–सीमा विस्तारित कर सकेगाः

परन्तु केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (5) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर अन्तिम तारीख, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है से अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा।

(8) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी देगा, चाहे माल या सेवा या दोनों की कोई पूर्ति ऐसी कर अवधि के दौरान की गई या नहीं।

(9) धारा 37 और धारा 38 के उपबन्धों के अध्यधीन यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन

ब्याज के संदाय के अध्यधीन, उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा :

परन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितम्बर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख जो भी पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(10) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी नहीं दी गई है।

प्रथम विवरणी

40–प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी बना, से उस तारीख तक जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया, के मध्य अवधि में जावक पूर्तियां की हैं, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् उसके द्वारा दी गई प्रथम विवरणी में उसकी घोषणा करेगा।

इनपुट कर प्रत्यय का दावा और उसकी अनन्तिम स्वीकृति

41–(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निबन्धनों जो विहित किये जायें, के अध्यधीन तथा स्वनिर्धारित, पात्र इनपुट कर का अपनी विवरणी में जमा लेने का हकदार होगा और ऐसी रकम अनन्तिम आधार पर उसकी इलेक्ट्रानिक जमा खाता में जमा की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट जमा का उपयोग केवल उक्त उपधारा में निर्दिष्ट विवरणी के अनुसार स्व निर्धारित आउटपुट कर के संदाय के लिए किया जायेगा।

इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, उलटाव और वापस लेना

42–(1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा किसी कर अवधि के लिए ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाये, दिये गये प्रत्येक आवक पूर्ति के ब्यौरे–

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में "पूर्तिकार" कहा गया है) द्वारा उसी कर अवधि या किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में दी गयी जावक पूर्ति के तत्स्थानी ब्यौरे के साथ ;

अधिनियम संख्या 51 सन् 1975

(ख) उसके द्वारा आयातित माल के सम्बन्ध में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन संदत्त समन्वित माल और सेवा कर के साथ; और

(ग) इनपुट कर प्रत्यय के दावों के अनुलिपिकरण के लिए, मिलान किया जायेगा।

अधिनियम संख्या 51 सन् 1975

(2) उस आवक पूर्ति, जो तत्स्थानी जावक पूर्ति के ब्यौरों के साथ या उसके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन आयातित माल के सम्बन्ध में संदत्त समन्वित माल और सेवा कर के साथ मिलान होता है, के सम्बन्ध में बीजकों या नामे पत्रों के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय का दावा अन्तिम रूप से स्वीकृत किया

जायेगा और ऐसी स्वीकृति प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जायेगी।

(3) जहाँ आवकपूर्ति के सम्बन्ध में किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय उसी पूर्ति के लिए पूर्तिकार द्वारा घोषित कर से अधिक है या पूर्तिकार द्वारा अपनी विधिमान्य विवरणियों में जावक पूर्ति घोषित नहीं की गयी है, वहाँ अन्तर दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में जो विहित की जाये संसूचित किया जायेगा।

(4) इनपुट कर जमा के दावों की अनुलिपि प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाये, संसूचित की जायेगी।

(5) कोई रकम, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गयी है और जिसको उस मास की विधिमान्य विवरणी में पूर्तिकार द्वारा ठीक नहीं किया गया है जिसमें विसंगति संसूचित की गयी है, को प्राप्तिकर्ता के उस मास के, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गयी है, के उत्तरवर्ती मास की विवरणी आउटपुट कर में ऐसी रीति में जोड़ा जायेगा, जो विहित की जाये।

(6) इनपुट कर प्रत्यय के रूप में दावा की गई रकम, जो दावों की आवृत्ति के कारण आधिक्य पायी जाती है, को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास, जिसमें आवृत्ति संसूचित की जाती है, की विवरणी में जोड़ा जायेगा।

(7) प्राप्तिकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने

का पात्र होगा, यदि पूर्तिकार धारा 39 की उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर अपनी विधिमान्य विवरणी में बीजक या नामे नोट के ब्यौरों को घोषित करता है।

(8) कोई प्राप्तिकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गयी है, प्रत्यय लेने की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी वर्धन किये जाने तक इस प्रकार जोड़ी गयी रकम पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(9) जहाँ उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व पर किसी कटौती को स्वीकार किया गया है तो उपधारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का प्राप्तिकर्ता को उसकी इलैक्ट्रानिकी रोकड़ खाता में तत्स्थानी शीर्ष में रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, प्रतिदाय किया जायेगा।

परन्तु किसी भी दशा में प्रत्यय किये गये ब्याज की रकम पूर्तिकार द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(10) उपधारा (7) के उपबन्धों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गयी रकम को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की उसकी विवरणी में जोड़ा जायेगा, जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और प्राप्तिकर्ता इस प्रकार जोड़ी गयी रकम पर धारा 50 की उपधारा (3) में

विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

आउटपुट कर दायित्व का मिलान, प्रतिलोम और प्रतिदाय

43–(1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "पूर्तिकार" कहा गया है) द्वारा किसी करावधि के लिए बाहर के लिए पूर्ति के लिए प्रस्तुत प्रत्येक प्रत्यय टिप्पण के ब्यौरे का ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये, निम्नलिखित के लिए मिलान किया जायेगा––

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी कटौती दावे के लिए उसी करावधि या अन्य पश्चातवर्ती करावधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में ; और

(ख) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की आवृत्ति के लिए।

(2) पूर्तिकार द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावा, जो प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी दावे में कमी से मिलान करता है, को अन्तिमतः स्वीकार किया जायेगा तथा उसकी संसूचना ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, पूर्तिकार को दी जायेगी।

(3) जहाँ बाहर के लिये पूर्तियों के सम्बन्ध में आउटपुट कर दायित्व में कमी इनपुट कर दावे में तत्स्थानी कमी से अधिक हो जाती है या तत्स्थानी प्रत्यय टिप्पण की प्राप्तिकर्ता द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणियों में घोषणा नहीं की गयी है तो इस

विसंगति की संसूचना दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में दी जायेगी, जो विहित की जाये।

(4) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की आवृत्ति की संसूचना पूर्तिकार को ऐसी रीति में दी जायेगी, जो विहित की जाये।

(5) वह रकम, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन कोई विसंगति संसूचित की गयी है और जिसको प्राप्तिकर्ता द्वारा उस मास की विवरणी, जिसमें ऐसी विसंगति संसूचित की गयी है, की विधिमान्य विवरणी में ठीक नहीं किया गया है, को पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में उस मास के पश्चातवर्ती मास में, जिसमें विसंगति संसूचित की गयी है, की विवरणी में उस रीति में जोड़ दिया जायेगा, जो विहित की जाये।

(6) आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती के सम्बन्ध में रकम, जो दावों की आवर्ती के लेखे पायी जाती है, को पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की विवरणी में जोड़ दिया जायेगा, जिसमें ऐसी आवर्ती संसूचित की जाती है।

(7) पूर्तिकार अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गयी रकम को घटाने का पात्र होगा यदि प्राप्तिकर्ता अपने प्रत्यय टिप्पण के ब्यौरों को अपनी विधिमान्य विवरणी में धारा 39 की उपधारा (9) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित कर देता है।

(8) कोई पूर्तिकार, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गयी है, इस प्रकार जोड़ी गयी

रकम के सम्बन्ध में आउटपुट कर दायित्व में कटौती के ऐसे दावे की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी जोड़े जाने तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(9) जहाँ उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती को स्वीकार किया जाता है वहाँ उपधारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का पूर्तिकार को उसकी इलैक्ट्रानिकी रोकड़ खाता में तत्स्थानी शीर्ष में ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, रकम का प्रत्यय करके प्रतिदाय किया जायेगा :

परन्तु किसी भी दशा में प्रत्यय किये जाने वाले ब्याज की रकम प्राप्तिकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(10) उपधारा (7) के उपबन्धों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गयी रकम को पूर्तिकार की उस मास की विवरणी के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जायेगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और ऐसा पूर्तिकार इस प्रकार जोड़ी गयी रकम में धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

वार्षिक विवरणी

44–(1) इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिकी रूप से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, ऐसे वित्त

वर्ष के पश्चात् 31 दिसम्बर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 35 की उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुसार उसके लेखाओं की संपरीक्षा करवाने की अपेक्षा है, वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षित प्रति और एक समाधान विवरण के साथ वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए और ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाये, के साथ इलैक्ट्रानिकी रूप में उपधारा (1) के अधीन एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

अन्तिम विवरणी

45–प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और जिसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है, रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, से तीन मास के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाये, एक अन्तिम विवरणी प्रस्तुत करेगा।

विवरणी व्यतिक्रमियों को सूचना

46–जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39, धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने मे असफल रहता है तब वहाँ पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाये, विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुये एक सूचना जारी की जायेगी।

विलम्ब फीस का उदग्रहण

47–(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 37 या धारा 38 के अधीन अपेक्षित बहिर्गामी या

अन्तर्गामी पूर्तियों या धारा 39 या धारा 45 के अधीन के ब्यौरे सम्यक् तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह पांच हजार रुपये की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुये, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, सौ रुपये विलम्ब फीस का संदाय करेगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो सम्यक् तारीख तक धारा 44 या धारा 45 के अधीन अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में उसके कारबार के एक चौथाई प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, सौ रुपये की विलम्ब फीस का संदाय करने का दायी होगा।

माल और सेवा कर व्यवसायी

48–(1) माल और सेवा कर व्यवसायी के अनुमोदन की रीति, उनकी पात्रता शर्तें, कर्तव्य और बाध्यताएं, हटाने की रीति तथा अन्य शर्तें, जो उनके कार्य करने के लिए सुसंगत हैं, वे होंगी, जो विहित की जायें।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को धारा 37 के अधीन बहिर्गामी पूर्तियों के ब्यौरे धारा 38 के अधीन अन्तर्गामी पूर्तियों के ब्यौरे और धारा 39 या धारा 44 के अधीन विवरणी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा

प्रस्तुत किसी विवरणी या फाइल किये गये अन्य ब्यौरों के सही होने का उत्तरदायित्व उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर होगा जिसके निमित्त ऐसी विवरणी और ब्यौरे प्रस्तुत किये गये हैं।

अध्याय 10

कर संदाय

कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय

49–(1) किसी व्यक्ति द्वारा इन्टरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिकी निधि अन्तरण या वास्तविक समय समग्र निपटान या किसी ऐसे अन्य ढंग द्वारा और ऐसी शर्तों तथा ऐसे निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाये, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिये किया गया प्रत्येक जमा का ऐसे व्यक्ति की इलैक्ट्रानिकी रोकड़ खाता जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, में प्रत्यय किया जायेगा।

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्वयं निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उसकी इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय खाता, जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, में धारा 41 के अनुसरण में प्रत्यय किया जायेगा।

(3) इलैक्ट्रानिकी रोकड़ खाता में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये, किया जा सकेगा।

अधिनियम संख्या 13 सन् 2017

(4) इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय खाता में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन आउटपुट कर दायित्व का संदाय करने के लिये ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये, किया जा सकेगा।

(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय खाता में निम्नलिखित के लेखे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम––

(क) एकीकृत कर का पहले उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिये किया जायेगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उस क्रम में संदाय करने के लिये किया जायेगा ;

(ख) केन्द्रीय कर का पहले उपयोग केन्द्रीय कर का संदाय करने के लिये किया जायेगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, एकीकृत कर का संदाय करने के लिये किया जायेगा ;

(ग) राज्य कर का पहले उपयोग, राज्य कर का संदाय करने के लिये किया जायेगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, एकीकृत कर का संदाय करने के लिये किया जायेगा ;

(घ) संघ राज्यक्षेत्र कर का पहले उपयोग संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिये किया जायेगा और शेष रकम, यदि कोई हो,

का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर का संदाय करने के लिये किया जायेगा ;

(ङ) केन्द्रीय कर का उपयोग राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिये नहीं किया जायेगा ; और

(च) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग केन्द्रीय कर का संदाय करने के लिये नहीं किया जायेगा।

(6) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या संदेय किसी अन्य रकम का संदाय करने के पश्चात् इलैक्ट्रानिकी रोकड़ खाता या इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय खाता में शेष का धारा 54 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकेगा।

(7) इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति के सभी दायित्वों को इलैक्ट्रानिकी उत्तरदायित्व रजिस्टर में अभिलिखित किया जायेगा और उनका ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, अनुरक्षण किया जायेगा।

(8) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थात् :––

(क) पूर्व कर कालावधियों से सम्बन्धित विवरणियों के स्वयं निर्धारित कर और अन्य शोध्य ;

(ख) चालू कर कालावधियों से सम्बन्धित विवरणियों के स्वयं निर्धारित कर और अन्य शोध्य ;

(ग) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अन्तर्गत धारा 73 या 74 के अधीन अवधारित माँग भी है।

(9) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों पर कर संदत्त किया है, जब तक कि उसके द्वारा प्रतिकूल न साबित किया जाये, से यह समझा जायेगा कि उसने ऐसे कर की पूर्ण रकम को ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता को पारित कर दिया है।

स्पष्टीकरण——इस धारा के प्रयोजनों के लिए——

(क) प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा की जाने की तारीख को इलैक्ट्रानिकी रोकड़ खाता में जमा करने की तारीख समझा जायेगा ;

(ख) पद, ——

(प) "कर शोध्य" से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ब्याज, फीस और शास्ति सम्मिलित नहीं है ; और

(पप) "अन्य शोध्य" से इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन संदेय ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम अभिप्रेत है।

विलम्बित कर संदाय पर ब्याज

50–(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किन्तु सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं ऐसी दर पर ब्याज का, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाये, संदाय करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन ब्याज की संगणना उस दिन, जिसको ऐसा कर संदाय किये जाने के लिए शोध्य था, के पश्चात्वर्ती दिन से यथाविहित ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, की जायेगी।

(3) कोई कराधेय व्यक्ति, जो धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का असम्यक् या आधिक्य का दावा करता है या धारा 43 की उपधारा (10) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में असम्यक् या आधिक्य कटौती का दावा करता है, तो वह, यथास्थिति, ऐसे असम्यक् या आधिक्य दावे या ऐसी असम्यक् या आधिक्य कटौती पर केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा।

स्रोत पर कर कटौती

51–(1) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार––

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थापन को ; या

(ख) स्थानीय प्राधिकारी को ; या

(ग) सरकारी अभिकरणों को ; या

(घ) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग को, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाये, जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "कटौतीकर्ता" कहा गया है, को पूर्तिकार (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "जिससे कटौती की गई है" कहा गया है) को कराधेय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार को किये गये संदाय या किये गये प्रत्यय से वहाँ, जहाँ ऐसा पूर्ति का कुल मूल्य किसी संविदा के अधीन दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक है, के एक प्रतिशत की दर से कर कटौती करने का आदेश दे सकेगी :

परन्तु कोई कटौती तब नहीं की जायेगी यदि पूर्ति का स्थान और किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पूर्तिकार का स्थान, जो कि यथास्थिति, प्राप्तिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न है।

स्पष्टीकरण––पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट कर की कटौती के प्रयोजन के लिए पूर्ति के मूल्य को बीजक में उपदर्शित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर को अपवर्जित करते हुए रकम के रूप में लिया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का कटौतीकर्ता द्वारा उस मास के अन्त से दस दिन के भीतर, जिसमें ऐसी कटौती की गयी है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, सरकार को संदाय किया जायेगा।

(3) कटौती करने वाला, जिससे कटौती की जा रही है, को संविदा मूल्य, कटौती की दर, कटौती की गई रकम, सरकार को संदत्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, वर्णित करते हुए एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि कोई कटौतीकर्ता, जिसकी कटौती की जा रही है, को स्रोत पर कर की कटौती करने के पश्चात् सरकार के लिए इस प्रकार कटौती की गयी रकम का प्रत्यय करने के पांच दिन के भीतर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कटौतीकर्ता विलम्ब फीस के माध्यम से ऐसी पांच दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जब तक कि ऐसी असफलता को ठीक नहीं कर लिया जाता है, पांच हजार रुपये की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए सौ रुपये की राशि का संदाय करेगा।

(5) जिसकी कटौती की जा रही है वह अपने इलैक्ट्रानिकी रोकड़ खाता में कटौती किये गये और धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, प्रस्तुत कटौतीकर्ता की विवरणी में उपदर्शित कर के प्रत्यय का दावा करेगा।

(6) यदि कोई कटौती कर्ता उपधारा (1) के अधीन कर के रूप में कटौती की गयी रकम का सरकार को संदाय करने में असफल रहता है तो वह कटौती किये गये कर की रकम के अतिरिक्त

धारा 50 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में ब्याज का संदाय करेगा।

(7) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की रकम का अवधारण धारा 73 या धारा 74 में विनिर्दिष्ट रीति में किया जायेगा।

(8) आधिक्य या त्रुटिपूर्ण कटौती के मद्दे उद्भूत कटौती के कटौतीकर्ता या जिसकी कटौती की जा रही है, को प्रतिदाय से धारा 54 के उपबन्धों के अनुसरण में व्यौहार किया जायेगा :

परन्तु कटौतीकर्ता को किसी प्रतिदाय को अनुदत्त नहीं किया जायेगा यदि कटौती की गई रकम का, जिसकी कटौती की जा रही है, की इलैक्ट्रानिकी रोकड़ खाता में प्रत्यय कर दिया गया है।

स्रोत पर कर का संग्रहण

52–(1) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक (जिसे इस धारा में इसके पश्चात "प्रचालक" कहा गया है), जो अभिकर्ता नहीं है, एक रकम का संग्रहण करेगा जिसकी संगणना परिषद् द्वारा की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, उसके द्वारा अन्य पूर्तिकारों द्वारा की गयी कराधेय पूर्तियों के कुल मूल्य का एक प्रतिशत से अनधिक दर पर की जायेगी, जहाँ ऐसी पूर्तियों के सम्बन्ध में प्रतिफल का संग्रहण प्रचालक द्वारा किया जाना है।

स्पष्टीकरण––इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से भिन्न "कराधेय पूर्तियों का शुद्ध मूल्य" से

मालों या सेवाओं की कराधेय पूर्तियों या दोनों, जिनकी सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किसी मास के दौरान प्रचालक द्वारा पूर्ति की गयी है, से उक्त मास के दौरान पूर्तिकारों द्वारा वापस लौटाई गयी कराधेय पूर्तियों के समग्र मूल्य को घटाकर समग्र मूल्य अभिप्रेत है।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करने की शक्ति प्रचालक से वसूली के किसी अन्य ढंग पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन संग्रहित रकम का संदाय प्रचालक द्वारा सरकार को उस मास, जिसमें ऐसा संग्रह किया गया था, के अन्त से दस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, किया जायेगा।

(4) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा किये जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गामी पूर्तियों, जिनके अन्तर्गत उसके द्वारा वापस की गयी मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति हैं तथा मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहित रकम के ब्यौरों को अन्तर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, में ऐसे मास के अन्त से दस दिन के पश्चात् इलैक्ट्रानिकी रूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(5) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा की जाने वाली मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गामी पूर्तियों, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा वापस की गयी

मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति है। तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उपधारा के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को अन्तर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, ऐसे वित्त वर्ष के अन्त के पश्चात् 31 दिसम्बर से पूर्व इलैक्ट्रानिकी रूप में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि कोई प्रचालक उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन कार्यकलापों से भिन्न है तो वह ऐसे उस मास, जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आयी हैं, के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा 50 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए ठीक करेगा :

परन्तु ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों के ऐसे शुद्ध करने को वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितम्बर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(7) पूर्तिकार, जिसने प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है, संगृहित रकम और उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत प्रचालक की विवरणी में उपदर्शित रकम का ऐसी रीत में, जो विहित की जाये, अपनी इलैक्ट्रानिकी रोकड़ खाता में प्रत्यय का दावा करेगा।

(8) उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत पूर्तिकारों के ब्यौरों का इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सम्बन्धित पूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी पूर्तिकारों के तत्स्थानी ब्यौरों के साथ ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये, मिलान किया जायेगा।

(9) जहाँ उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी पूर्तिकारों के ब्यौरे धारा 37 के अधीन पूर्तिकारों द्वारा प्रस्तुत तत्स्थानी ब्यौरों के साथ मिलान नहीं करते हैं तो इस विसंगति की दोनों व्यक्तियों को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये, संसूचना दी जायेगी।

(10) वह रकम, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (9) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गयी है और जिसको पूर्तिकारों द्वारा विधिमान्य विवरणी में या प्रचालक द्वारा उस मास के विवरण में, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गयी थी, ठीक नहीं किया जाता है तो उसे उक्त पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में वहाँ ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, जोड़ा जायेगा जहाँ प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी पूर्तियों का मूल्य पूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी पूर्तियों के मूल्य से उस मास के पश्चात्वर्ती मास की विवरणी में जिसमें विसंगति की सूचना दी गयी थी, अधिक है।

(11) सम्बन्धित पूर्तिकार, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (10) के अधीन कोई रकम जोड़ी गयी है, वह ऐसा पूर्ति के सम्बन्ध में ब्याज सहित कर का संदाय धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन

विनिर्दिष्ट दर पर जोड़ी गयी रकम पर उस तारीख से, जिसको ऐसा कर शोध्य था, उसके संदाय की तारीख तक करेगा।

(12) उपायुक्त के रैंक से अन्यून कोई प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से पूर्व या उनके प्रक्रम में प्रचालक को निम्नलिखित से सम्बन्धित ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने की सूचना की तामील कर सकेगा––

(क) किसी कालावधि के दौरान ऐसे प्रचालक के माध्यम से की गयी मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति ; या

(ख) ऐसे प्रचालक के माध्यम से पूर्ति कर रहे पूर्तिकारों द्वारा गोदामों या भण्डागारों, चाहे किसी भी नाम से वे ज्ञात हों, धृत मालों का स्टाक, जिसका ऐसे प्रचालक द्वारा प्रबन्ध किया जा रहा है और ऐसे पूर्तिकारों ने जिसकी कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषणा की है, जो सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

(13) प्रत्येक प्रचालक, जिस पर उपधारा (12) के अधीन सूचना की तामील की गयी है, ऐसी सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(14) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (12) के अधीन तामील की गयी सूचना द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा 122 के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शास्ति का दायी होगा, जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकेगी।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सम्बन्धित पूर्तिकार" पद से प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला पूर्तिकार अभिप्रेत है।

अधिनियम संख्या 13 सन् 2017

इनपुट कर प्रत्यय का अन्तरण

53–एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन कर शोध्य के संदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन धारा 49 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में लिये गये इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग पर जैसा कि धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विधिमान्य विवरणी में उपदर्शित है, राज्य कर के रूप में संगृहित रकम को इस प्रकार उपयोग किये गये ऐसे प्रत्यय के बराबर रकम से घटा दिया जायेगा और राज्य सरकार राज्य कर लेखे से इस प्रकार घटाई गई रकम के समतुल्य रकम को एकीकृत कर लेखे में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये, अन्तरित करेगी।

अध्याय 11

प्रतिदाय

कर प्रतिदाय

54–(1) कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो तो, या उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय का दावा करता है वह सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, आवेदन कर सकेगा :

परन्तु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 49 की उपधारा (6) के उपबन्धों के अनुसरण में

इलेक्ट्रानिक रोकड़ खाता में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है वह धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, दावा कर सकेगा।

अधिनियम संख्या 46 सन् 2047

(2) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य अधीनियम संख्या–46 सन् 1947 बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा 55 के अधीन अधिसूचित है, उसके द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की अन्तर्गामी पूर्तियों के लिए संदत्त कर का प्रतिदाय करने के लिए ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाये, में उस तिमाही, जिसमें पूर्ति प्राप्त की गयी थी, के अन्तिम दिन से छह मास के अवसान से पूर्व आवेदन कर सकेगा।

(3) उपधारा (10) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर अवधि के अन्त में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगाः

परन्तु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किये गये इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जायेगा––

(प) कर का संदाय किये बिना की गयी शून्य दर पूर्ति ;

(पप) जहाँ इनपुट पर कर की दर मद्दे सिवाय मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों के जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, बहिर्गामी पूर्तियों (शून्य मूल्यांकित या पूर्णतः छूट प्राप्त से भिन्न) पर कर की दर के उच्चतर होने के लेखे संचित हुआ है।

परन्तु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जहाँ भारत से निर्यात किये गये माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है :

परन्तु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, यदि मालों या सेवाओं या दोनों का पूर्तिकार केन्द्रीय कर के सम्बन्ध में शुल्क वापसी लेता है या ऐसी पूर्तियों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है।

(4) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे––

(क) यह साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कि आवेदक को प्रतिदाय शोध्य है ; और

(ख) ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (जिसके अन्तर्गत धारा 33 में निर्दिष्ट दस्तावेज हैं) जैसा कि आवेदक यह साबित करने के लिए प्रस्तुत करे कि कर रकम और ब्याज, यदि कोई है, का ऐसे कर पर संदाय किया गया है या ऐसी किसी रकम का संदाय किया गया है जिसके सम्बन्ध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है,

उस रकम को उससे एकत्रित किया गया था या उसके द्वारा संदत्त किया गया था तथा ऐसे कर और ब्याज को चुकाने को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है:

परन्तु जहाँ प्रतिदाय का दावा की गई रकम दो लाख रुपये से कम है, तो आवेदक के लिए कोई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा किन्तु वह उसके पास उपलब्ध दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा फाइल कर सकेगा कि ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला गया है।

(5) यदि किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी का यह समाधन हो जाता है कि दावा किये गये प्रतिदाय की सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग का प्रतिदाय किया जा सकता है तो वह तदनुसार आदेश करेगा और इस प्रकार अवधारित रकम का धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में प्रत्यय करेगा।

(6) उपधारा (5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के लेखे शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों के प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनन्तिम आधार पर दावा की गयी रकम, जिसके अन्तर्गत अन्तिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की

रकम नहीं है, के नब्बे प्रतिशत का अनन्तिम आधार पर प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा की विहित किया जाये, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् उपधारा (5) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय के निपटान के लिए अन्तिम आदेश करेगा।

(7) समुचित अधिकारी उपधारा (5) के अधीन सभी परिप्रेक्ष्यों में सम्पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर आदेश जारी करेगा।

(8) उपधारा (5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिदेय रकम का निधि में प्रत्यय किये जाने के स्थान पर आवेदक को संदाय किया जायेगा यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से सम्बन्धित है––

(क) शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसी शून्य अंकित पूर्तियों के लिए किया गया है, पर कर का प्रतिदाय ;

(ख) उपधारा (3) के अधीन प्रत्यय किया गया इनपुट कर, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, का प्रतिदाय ;

(ग) आपूर्ति पर संदत्त कर का प्रतिदाय, जिसको या तो पूर्णतः या भागतः उपलब्ध नहीं कराया गया है और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है या जहाँ कोई प्रतिदाय वाउचर जारी किया गया है ;

(घ) धारा 77 के अनुसरण में कर का प्रतिदाय ;

(ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा संदत्त कोई रकम, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया हो; या

(च) आवेदकों के ऐसे अन्य वर्ग, जैसा कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, द्वारा चुकाया जाने वाला कर या ब्याज।

(9) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी सिवाय उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुसरण में कोई प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

(10) जहाँ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (3) के अधीन कोई प्रतिदाय देय है, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम किया है या जिससे कोई कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किये जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या अपील प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट तारीख तक कोई रोक नहीं लगाई है, समुचित अधिकारी––

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या यथास्थिति, कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किये जाने तक शोध्य प्रतिदाय के संदाय को विधारित कर सकेगा ;

(ख) शोध्य प्रतिदाय में से किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी रकम की, जिसका संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति दायी है किन्तु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन असंदत रहती है, कटौती कर सकेगा।

स्पष्टीकरण––इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट तारीख" से इस अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने की अन्तिम तारीख अभिप्रेत है।

(11) जहाँ किसी प्रतिदाय को देने वाला आदेश किसी अपील या और कार्यवाहियों की विषय–वस्तु है या जहाँ इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियां लम्बित हैं और आयुक्त का यह मत है कि ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त करने से उक्त अपील या अन्य कार्यवाही में अपकरण या किये गये कपट के कारण राजस्व के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की सम्भावना है तो वह कराधेय व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिदाय को उस समय तक, जैसा वह अवधारित करे, विधारित कर सकेगा।

(12) जहाँ उपधारा (11) के अधीन किसी प्रतिदाय को विधारित किया गया है तो धारा 56 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कराधेय व्यक्ति परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर ब्याज का हकदार होगा यदि अपील या और कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वह प्रतिदाय का हकदार हो जाता है।

(13) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा जमा की गयी अग्रिम कर की रकम का तब तक प्रतिदाय नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने उस समस्त कालावधि के लिए, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकृत प्रमाण–पत्र अनुदत्त किया गया है, के प्रवृत्त रहने की अवधि के लिए धारा 39 के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर दी हैं।

(14) इस धारा में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी प्रतिदाय का आवेदक को संदाय नहीं किया जायेगा यदि रकम एक हजार रुपये से कम है।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनों के लिए,––

(1) "प्रतिदाय" में शून्य दर मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या ऐसे शून्य दर पूर्तियों को करने के लिए उपयोग किये गये इनपुटों या इनपुट सेवाओं के लिए कर का प्रतिदाय या माने गये निर्यात के रूप में मालों की पूर्ति पर कर प्रतिदाय या उपधारा (3) के अधीन यथाउपबन्धित उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय सम्मिलित है।

(2) "सुसंगत तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है––

(क) भारत से निर्यात किये गये मालों की दशा में, यथास्थिति, जहाँ ऐसे मालों के लिए स्वयं या ऐसे मालों में उपयोग किये गये इनपुट

या इनपुट सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है,––

(प) यदि मालों का निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता है तो वह तरीख जिसको पोत या वह वायुयान, जिसमें ऐसे मालों की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है ; या

(पप) यदि मालों का निर्यात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह तारीख जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते हैं ; या

(पपप) यदि मालों का निर्यात डाक द्वारा किया जाता है तो सम्बन्धित डाकघर द्वारा भारत से बाहर स्थान को मालों के पारेषण की तारीख ;

(ख) माने गये निर्यात के सम्बन्ध में मालों की पूर्ति की दशा में जहाँ संदत्त कर का प्रतिदाय मालों के सम्बन्ध में उपलब्ध है, वह तारीख जिसको ऐसे समझे गये निर्यातों के सम्बन्ध में विवरणी प्रस्तुत की गयी है ;

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहाँ संदत्त कर का प्रतिदाय, यथास्थिति, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किये गये इनपुट या इनपुट सेवाओं के सम्बन्ध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख––

(प) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय की रसीद, जहाँ सेवाओं की पूर्ति को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया है ; या

(पप) बीजक जारी करना, जहाँ सेवाओं के लिए संदाय को बीजक जारी करने की तारीख से पूर्व अग्रिम में प्राप्त कर लिया गया था ;

(घ) उस दशा में जहाँ कर किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप कर प्रतिदेश हो जाता है तो ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश की सूचना प्राप्ति की तारीख ;

(ङ) उपधारा (3) के अधीन उपयोग न किये गये इनपुट कर प्रत्यय की दशा में उस वित्त वर्ष का अन्त, जिसमे ऐसे प्रतिदाय का दावा उदभूत होता है ;

(च) उस दशा में, जहाँ कर का अनन्तिम रूप से इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन संदाय किया जाता है तो कर के अन्तिम निर्धारण के पश्चात समायोजन की तारीख ;

(छ) पूर्तिकार से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख ; और

(ज) किसी और दशा में कर के संदाय की तारीख।

अधिनियम संख्या 46 सन् 1947

कतिपय मामलों में प्रतिदाय

55–सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य

व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जायें, जो कि ऐसे निबन्धनों और शर्तों, जो विहित की जाय, के अधीन रहते हुए उनके द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों की अधिसूचित आपूर्ति पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने का हकदार होंगे।

विलम्बित प्रतिदाय पर

56–यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगा :

परन्तु जहाँ प्रतिदाय के लिए कोई दावा किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश, जो अन्तिम आदेश है, से उद्भूत होता है और उसका ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप पारित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली नौ प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात की

तारीख से ऐसा प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगा।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनो के लिए जहाँ किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन समुचित अधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध प्रतिदाय का आदेश किया जाता है तो अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उक्त उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश माना जायेगा।

उपभोक्ता कल्याण निधि

57–सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि नामक एक निधि का गठन करेगी और उस निधि में निम्नलिखित का प्रत्यय किया जायेगा–

(क) धारा 54 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट रकम ;

(ख) निधि में प्रत्यय की गई रकम के विनिधान से कोई आय ; और

(ग) उसके द्वारा प्राप्त ऐसी अन्य धनराशियां।

निधि का उपयोंग

58–(1) निधि में प्रत्यय की गयी सभी राशियों का सरकार द्वारा उपयोग उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए ऐसी रीति में किया जायेगा, जो विहित की जाय।

(2) सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निधि के सम्बन्ध में उचित और पृथक लेखे तथा पृथक अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण भारत के नियंत्रक

महालेखापरीक्षक के परामर्श से यथाविहित प्ररूप में तैयार करेगा।

अध्याय 12

निर्धारण

स्वतः निर्धारण

59–प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेय करों का स्वतः निर्धारण करेगा और धारा 39 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक करावधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।

अनन्तिम निर्धारण

60–(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जहाँ कराधेय व्यक्ति मालों या सेवाओं या दोनों के मूल्य का अवधारण करने में या उसको लागू कर की दर का अवधारण करने मे असमर्थ है तो वह समुचित अधिकारी को अनन्तिम आधार पर लिखित में कर के संदाय के कारणों को देते हुए अनुरोध करेगा और समुचित अधिकारी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन से अपश्चात् अवधि के भीतर अनन्तिम आधार पर ऐसी दर पर या ऐसे मूल्य पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, कर के संदाय को अनुज्ञात करेगा।

(2) अनन्तिम आधार पर कर के संदाय को अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि कराधेय व्यक्ति ऐसे प्ररूप में, जो विहित की जाय और ऐसा प्रतिभू या ऐसी प्रतिभूति, जो समुचित अधिकारी उचित समझे, जो कराधेय व्यक्ति को अन्तिम रूप से निर्धारित कर और अनन्तिम रूप से निर्धारित कर की रकम के बीच के अन्तर का संदाय करने के लिए बाध्य करती हो, निष्पादित करता है।

(3) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास से अनधिक अवधि के भीतर निर्धारण को अन्तिम रूप देने के लिए यथा अपेक्षित ऐसी सूचना को गणना में लेने के पश्चात् अन्तिम निर्धारण आदेश पारित करेगा :

परन्तु इस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि को पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए तथा आयुक्त द्वारा चार वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मालों या सेवाओं की पूर्ति या दोनों पर अनन्तिम निर्धारण के अधीन संदेय कर, किन्तु जिसका संदाय नियत तारीख तक धारा 39 की उपधारा (7) या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन नहीं किया गया है, पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट दर पर मालों या सेवाओं या दोनों की उक्त पूर्ति के सम्बन्ध में कर का संदाय करने की नियत तारीख के पश्चात् वास्तविक संदाय की तारीख तक ब्याज का संदाय करने का दायी होगा चाहे ऐसी रकम का संदाय अन्तिम निर्धारण के लिए आदेश जारी करने से पूर्व या पश्चात् किया गया हो।

(5) जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 54 की उपधारा (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपधारा (3) के अधीन अन्तिम निर्धारण के आदेश

के परिणामस्वरूप प्रतिदाय का हकदार हो जाता है तो ऐसे संदाय पर धारा 56 में यथा उपबन्धित प्रतिदाय का संदाय किया जायेगा।

विवरणियों की संवीक्षा

61–(1) समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और सम्बन्धित विशिष्टियों की विवरणी के सही होने का सत्यापन करने के लिए संवीक्षा करेगा और ध्यान में आई विसंगतियों, यदि कोई हों, की ऐसी रीति, जो विहित की जाय, में सूचना देगा तथा उस पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

(2) स्पष्टीकरण के स्वीकार्य पाये जाने की दशा में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तद्नुसार सूचित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई और कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(3) समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किये जाने के तीस दिन की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाय, में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किये जाने की दशा में या जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में, जिसमें विसंगति स्वीकार की गयी थी, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी समुचित कार्यवाही आरम्भ कर सकेगा, जिसके अन्तर्गत धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्यवाहियां हैं या धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य शोध्यों का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा।

विवरणियों को फाइल न करने वालों का निर्धारण

62–(1) धारा 73 या धारा 74 में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में धारा 46 के अधीन सूचना की तामील के पश्चात भी असफल रहता है तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपने सर्वोत्तम विवेक और उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् कर के लिए निर्धारण करने के लिये अग्रसर होगा तथा वित्त वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर सम्बन्धित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा।

(2) जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जायेगा किन्तु धारा 47 के अधीन विलम्ब फीस के संदाय या धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा।

अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण

63–धारा 73 या धारा 74 में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहाँ कोई कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी उसे अभिप्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है किन्तु जो कर का संदाय

करने का दायी था तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपने सर्वोत्तम विवेक और उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात कर के लिए निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्त वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर सम्बन्धित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा :

परन्तु व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किये बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश नहीं किया जायेगा।

कतिपय विशेष मामलों में त्वरित निर्धारण

64–(1) समुचित अधिकारी उसकी जानकारी में किसी व्यक्ति के कर दायित्व को उपदर्शित करने वाले साक्ष्य के आने पर अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से राजस्व के हित का संरक्षण करने के लिए ऐसे व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा और निर्धारण आदेश जारी करेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हों कि ऐसा करने में कोई विलम्ब करने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है :

परन्तु जहाँ कराधेय व्यक्ति, जिससे दायित्व सम्बन्धित है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और ऐसा दायित्व मालों की पूर्ति के सम्बन्ध में है तो ऐसे मालों के प्रभारी व्यक्ति को निर्धारण के दायी कराधेय व्यक्ति समझा जायेगा और वह कर

का और इस धारा के अधीन शोध्य अन्य रकम का संदाय करने का दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन पर या स्वयं अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश का प्रतिसंहरण कर लेगा और धारा 73 और धारा 74 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

अध्याय 13

लेखापरीक्षा

कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा

65–(1) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ऐसी कालावधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति, जो विहित की जाय, में लेखापरीक्षा कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान या अपने कार्यालय में लेखापरीक्षा का संचालन कर सकेंगे।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लेखापरीक्षा के संचालन से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पूर्व ऐसी रीति में, जो विहित की जाय, सूचना के माध्यम से लेखापरीक्षा के संचालन की सूचना दी जायेगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा के आरम्भ होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा।

परन्तु जहाँ आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा तीन मास के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए छह मास से अनधिक और कालावधि के लिए कालावधि का विस्तार कर सकेगा।

स्पष्टीकरण——इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "लेखापरीक्षा का आरम्भ" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको कर प्राधिकारियों द्वारा मांगे गये अभिलेख और दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या लेखापरीक्षा के वास्तविक आरम्भ पर, कारबार के स्थान, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हों, में उपलब्ध करा दिये जाते हैं।

(5) लेखापरीक्षा के प्रक्रम में प्राधिकृत अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा, ——

(प) लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों की उसकी अपेक्षानुसार सत्यापन के लिए उसे आवश्यक सुविधा प्रदान करना ;

(पप) उसे ऐसी जानकारी, जो वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की तथा लेखापरीक्षा के समय पर पूर्ण करने के लिए सहायता प्रदान करने की।

(6) लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर समुचित अधिकारी तीस दिन के भीतर उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसके अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गयी है, निष्कर्षों, उसके अधिकारों और बाध्यताओं तथा ऐसे निष्कर्षों के कारणों से सूचित करेगा।

(7) जहाँ उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदत्त किये जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किये जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्यवाही आरम्भ कर सकेगा।

विशेष लेखापरीक्षक

66–(1) यदि संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या उसके समक्ष किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के प्रक्रम में सहायक आयुक्त की पंक्ति से अन्यून अधिकारी का मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित में यह मत है कि मूल्य की सही रूप से घोषणा नहीं की गयी है या लिया गया प्रत्यय सामान्य सीमाओं के भीतर नहीं है तो वह आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लिखित संसूचना द्वारा उसके अभिलेखों, जिसके अन्तर्गत लेखा बहियां भी हैं, की किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकर, जैसा कि आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाय, से जांच करवाने और लेखापरीक्षा करवाने का निदेश दे सकेगा।

(2) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार नब्बे दिन की कालावधि के भीतर ऐसी लेखापरीक्षा की उसके द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षरित और प्रमाणित रिपोर्ट उक्त सहायक आयुक्त को उसमें अन्य विशिष्टियों का वर्णन करते हुए, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रस्तुत करेगा :

परन्तु सहायक आयुक्त उसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा किये गये आवेदन पर या किसी तात्विक और पर्याप्त कारण से उक्त कालावधि का नब्बे दिन की और कालावधि से विस्तार कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के उपबन्ध इस बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन की गयी है।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर एकत्रित किसी सामग्री, जिसका इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, के सम्बन्ध में सुने जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन अभिलेखों की जांच और लेखापरीक्षा व्यय, जिसके अन्तर्गत चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकर का पारिश्रमिक भी है, का आयुक्त द्वारा अवधारण और संदाय किया जायेगा तथा ऐसा अवधारण अन्तिम होगा।

(6) जहाँ उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदत्त किये जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किये जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप

में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्यवाही आरम्भ कर सकेगा।

अध्याय 14

निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति

67–(1) जहाँ संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि––

(क) जहाँ किसी कराधेय व्यक्ति ने मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या अपने पास रखे गये मालों के स्टाक के सम्बन्ध में किसी संव्यवहार को छिपाया है या इस अधिनियम के अधीन उसकी हकदारी से अधिक इनपुट कर प्रत्यय का दावा किया है या वह इस अधिनियम के अधीन कर अपवंचन के लिए इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के किसी उल्लंघन में लिप्त रहा है ; या

(ख) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति या किसी भण्डागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान का स्वामी या प्रचालक ऐसे मालों को रख रहा है जिन पर कर का संदाय नहीं किया गया है या उसने अपने लेखाओं या मालों को ऐसी रीति में रखा है जिससे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन होने की सम्भावना है,

तो वह लिखित में राज्य कर के किसी अधिकारी को कराधेय व्यक्ति के कारबार या मालों के परिवहन के कारबार में लगे हुए व्यक्तियों या भंडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान के

प्रचालक या स्वामी के किसी स्थान का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) जहाँ संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून समुचित अधिकारी के पास या तो उपधारा (1) के अधीन किये गये निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अधिहरण के लिए दायी कोई माल या कोई दस्तावेज या बहियां या चीजें, जो उसके मत में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, जिन्हें किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है तो वह राज्य कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या ऐसे मालों, दस्तावेजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और अभिग्रहण कर सकेगा :

परन्तु जहाँ ऐसे मालों को अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है तो समुचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी मालों के स्वामी या अभिरक्षक पर एक आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय मालों को नहीं हटायेगा, अलग नहीं करेगा या अन्यथा उनसे व्यवहार नहीं करेगा :

परन्तु इस प्रकार अभिग्रहण किये गये दस्तावेजों या बहियां या चीजें ऐसे अधिकारी द्वारा केवल तब तक प्रतिधारित की जायेगी जब तक वह उनकी परीक्षा के लिए और इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के लिए आवश्यक हैं।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट दस्तावेज या बहियां या चीजें या कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज बहियां या चीजें जिन पर इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सूचना जारी करने के लिए अवलम्ब नहीं लिया गया है, को ऐसे व्यक्ति को उक्त सूचना जारी करने की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर वापस कर दिया जायेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को किसी परिसर के दरवाजे को सील करने की या तोड़ने की या किसी आलमारी, इलेक्ट्रानिकी युक्ति, बाक्स, सन्दूक जिसमें व्यक्ति के कोई माल, लेखे, रजिस्टर या दस्तावेजों को छिपाये जाने का सन्देह है, जहाँ ऐसे परिसर, आलमारी, इलेक्ट्रानिकी युक्ति, बाक्स, सन्दूक तक पहुँच को रोका जाता है, वहाँ उन्हें तोड़कर खोलने की शक्ति होगी।

(5) वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से उपधारा (2) के अधीन किन्हीं दस्तावेजों को अभिग्रहण किया गया है, उनकी प्रतियां बनाने या उनसे प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान और ऐसे समय जो ऐसा अधिकारी इस निमित्त उपदर्शित करे, सिवाय जहाँ ऐसी प्रतियां बनाना या ऐसा उद्धरण लेना समुचित अधिकारी के मत में जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, लेने का हकदार होगा।

(6) उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार अभिग्रहण किया गया माल अनन्तिम आधार पर बंधपत्र

निष्पादित करने पर और क्रमशः ऐसी रीति और ऐसे मात्रा की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, जो विहित की जाए, या यथास्थिति, लागू कर, ब्याज और संदेय शास्ति के संदाय पर निर्मुक्त किया जा सकेगा।

(7) जहाँ उपधारा (2) के अधीन किन्हीं मालों का अभिग्रहण किया गया है और मालों के अभिग्रहण से छह मास की अवधि के भीतर उनके सम्बन्ध में कोई सूचना जारी नहीं की गयी है तो मालों को उस व्यक्ति को लौटा दिया जायेगा जिसके कब्जे से उनका अभिग्रहण किया गया था :

परन्तु पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर छह मास की अवधि का समुचित अधिकारी द्वारा छह मास से अनधिक और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा।

(8) सरकार मालों के नष्ट होने या परिसंकटमय प्रकृति समय के साथ मालों के मूल्य में अवक्षयण, मालों के लिए भण्डारण स्थान की कमी या किन्हीं अन्य सुसंगत विचारणों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा मालों या मालों के ऐसे वर्ग को, जिसका समुचित अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाय, उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण के यथासम्भव शीघ्र पश्चात निपटान किया जायेगा, घोषित कर सकेगी।

(9) जहाँ कोई माल, जो उपधारा (8) के अधीन विनिर्दिष्ट माल है, जिनका समुचित अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण किया गया है, वह

ऐसे मालों की ऐसी रीति में, जो विहित की जाय, एक सूची तैयार करेगा।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1974

(10) तलाशी और अभिग्रहण के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, जहाँ तक हो सके इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उक्त संहिता की धारा 165 की उपधारा (5) में "मजिस्ट्रेट" शब्द, जहाँ–जहाँ वह आता है, के स्थान पर "आयुक्त" शब्द रख दिया गया था।

(11) जहाँ समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण है कि व्यक्ति ने कर का अपवंचन किया है या वह किसी कर के संदाय के अपवंचन का प्रयास कर रहा है, वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उसके समक्ष प्रस्तुत ऐसे व्यक्ति के लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा और उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन अभियोजन के लिए कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जब तक आवश्यक हो, प्रतिधारित करेगा।

(12) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकारी अधिकारी किसी कराधेय व्यक्ति के कारबार परिसर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के क्रय को ऐसे व्यक्ति द्वारा कर बीजकों के जारी करने या पूर्ति बिलों की जांच करने के लिए क्रय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा इस प्रकार क्रय किये गये मालों के वापस करने पर कारबार परिसर का प्रभारी कोई व्यक्ति मालों के लिए इस प्रकार संदत्त रकम का पूर्व में जारी किये गये पूर्ति के

लिए कर बीजक या बिल को रद्द करने के पश्चात् प्रतिदाय करेगा।

संचलन में मालों का निरीक्षण

68–(1) सरकार ऐसी रकम से अधिक मूल्य के, जो उसके द्वारा प्रवहन करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाय, मालों के परेषण का प्रवहन को ले जाये जाने वाले प्रवहन के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजों और ऐसी युक्तियों की, जो विहित की जाए, अपेक्षा कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन वहन किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के ब्यौरों का ऐसी रीति में विधिमान्यकरण किया जायेगा, जो विहित की जाय।

(3) जहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रवहन को किसी स्थान पर समुचित अधिकारी द्वारा रोक लिया जाता है तो वह उक्त प्रवहन के प्रभारी व्यक्ति से उक्त उपधारा के अधीन विहित दस्तावेजों और युक्तियों की सत्यापन करने के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और उक्त व्यक्ति दस्तावेजों और युक्तियों को प्रस्तुत करने का तथा मालों के निरीक्षण को भी अनुज्ञात करने का दायी होगा।

गिरफ्तार करने की शक्ति

69–(1) जहाँ आयुक्त के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित किया है जो उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (प) या खण्ड (पप) या उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय है तो वह आदेश द्वारा राज्य कर के किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(2) जहाँ किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार से सूचित करेगा और उसे चौबीस घण्टें के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए––

अधिनियम संख्या 2 सन् 1974

(क) जहाँ किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत मंजूर की जायेगी या जमानत के व्यतिक्रम की दशा में मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा के लिए अग्रेषित किया जायेगा ;

(ख) असंज्ञेय और जमानतीय अपराध की दशा में उपायुक्त या सहायक आयुक्त के पास किसी गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा निर्मुक्त करने के लिए वहीं शक्तियां होंगी और उन्हीं उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जो किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति के पास होती है।

अधिनियम संख्या 5 सन् 1908

व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने की

70–(1) इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी को किसी व्यक्ति को समन करने की, जिसकी उपस्थिति को

अधिनियम संख्या 45 सन् 1860

किसी जांच में वह साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है, उसी रीति में शक्ति होगी जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय को दी गयी है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत "न्यायिक कार्यवाहियां" समझा जायेगा।

कारबार परिसरों तक पहुँच

71–(1) संयुक्त आयुक्त से अन्यून समुचित अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी की किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के किसी स्थान तक लेखाबहियां, दस्तावेजों, कम्प्यूटरों, कम्प्यूटर प्रोग्रामों, कम्प्यूटर साफ्टवेयर चाहे किसी कम्प्यूटर में प्रतिष्ठापित हो या अन्यथा और ऐसी अन्य चीजों तक और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों, पर किसी लेखापरीक्षा, संवीक्षा, सत्यापन और जांच जो राजस्व के हितों के सुरक्षोपाय के लिए आवश्यक हो, पहुँच होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्थान का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति मांग किये जाने पर उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को या समुचित अधिकारी द्वारा तैनात लेखापरीक्षा दल या धारा 66 के अधीन नामनिर्दिष्ट लागत लेखाकार या चार्टर्ड लेखाकार को निम्नलिखित–

(प) ऐसे अभिलेख, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया या रखा गया है और

समुचित अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाय, घोषित किया गया है ;

(पप) शेष परीक्षण पत्र या उसका समतुल्य ;

(पपप) सम्यकतः लेखा परीक्षित वित्तीय लेखाओं की वार्षिक विवरणी, जहाँ अपेक्षित हो ;

अधिनियम संख्या 18 सन् 2013

(पअ) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अधीन लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो ;

अधिनियम संख्या 43 सन् 1961

(अ) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 44क ख के अधीन आय–कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो ; और

(अप) कोई अन्य सुसंगत अभिलेख,

अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट या लागत लेखापाल द्वारा संवीक्षा करने के लिये उस दिन से, जिसको ऐसी मांग की गयी थी, से पन्द्रह कार्य दिवस से अनधिक अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि, जो उक्त अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा अनुज्ञात की जाय, उपलब्ध करायेगा।

समुचित अधिकारियों की सहायता के लिए अधिकारी

72–(1) पुलिस, रेल, सीमाशुल्क और भू–राजस्व के संग्रहण में लगे हुए अधिकारी, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण अधिकारी और केन्द्रीय कर के अधिकारी और संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारी हैं, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समुचित अधिकारियों की सहायता करेंगे।

(2) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए समुचित अधिकारियों की सहायता करने के लिए, जब ऐसा करने के लिए

आयुक्त द्वारा कहा जाय, अधिकारियों के किसी वर्ग को सशक्त कर सकेगी और उनसे अपेक्षा कर सकेगी।

अध्याय 15
मांग और वसूली

असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किये गये कर या गलत तरीके से लिये गये या कपट से भिन्न किसी अन्य कारण से उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन

73–(1) जहाँ समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शन करने के लिए सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन उदग्रहणीय शास्ति का संदाय करें।

(2) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में

विनिर्दिष्ट समय–सीमा से कम से कम तीन मास पूर्व जारी करेगा।

(3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गयी है तो समुचित अधिकारी संदत्त न किये गये कर या कम संदत्त किये गये या त्रुटिवश प्रतिदाय किये गये या गलत तरीके से लिए गये या उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियाँ से भिन्न के लिए उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अन्तर्विष्ट करते हुये एक विवरण की तामील कर सकेगा।

(4) ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अधीन आने वाली ऐसी कर अवधियों के लिये अवलम्ब लिये गये आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है, सूचना की तामील समझा जायेगा।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील या उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन उसके द्वारा संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का अपने स्वयं के ऐसे कर के निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर संदाय कर सकता है और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा।

(6) समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन सूचना या उपधारा (3) के अधीन विवरण की इस प्रकार संदत्त कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये

नियमों के अधीन संदेय किसी शास्ति के लिए तामील नहीं करेगा।

(7) जहाँ समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के सम्बन्ध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबन्धित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा।

(8) जहाँ उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कर से प्रभार्य व्यक्ति धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और उक्त सूचना के सम्बन्ध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जायेगा।

(9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् कर, ब्याज और शास्ति की कर के दस प्रतिशत के समतुल्य रकम या दस हजार रुपये, जो भी अधिक हो, को ऐसे व्यक्ति से शोध्य अवधारित करेगा और एक आदेश जारी करेगा।

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन आदेश को वित्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी पारित करने की तारीख, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था, से त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से तीन वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा।

(11) उपधारा (6) या उपधारा (8) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (9) के अधीन शास्ति वहाँ संदेय होगी जहाँ स्वतः निर्धारित कर या कर के रूप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है।

असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किये गये कर या गलत तरीके से लिये गये या कपट से उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन या छिपाये गये कर का अवधारण

74–(1) जहाँ समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहाँ इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है, के साथ प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शित करने की अपेक्षा करते हुए सूचना तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट कर के बराबर शास्ति का संदाय करें।

(2) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय–सीमा से कम से कम छह मास पूर्व जारी करेगा।

(3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गयी है तो समुचित अधिकारी संदत्त न किये गये कर या कम संदत्त किये गये या त्रुटिवश प्रतिदाय किये गये या गलत तरीके से लिये गये या उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न के लिए उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अन्तर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील को धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील इस शर्त के अधीन समझा जायेगा कि उक्त विवरण में अवलम्ब लिये गये आधार सिवाय कपट के आधार के या उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न कर अपवंचन के लिए किसी जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के लिए अवलम्ब लिये गये आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का संदाय करेगा और कर के स्वयं निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर ऐसे कर की रकम के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा।

(6) समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार किसी संदत्त कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों

के उपबन्धों के अधीन संदेय किसी शास्ति के सम्बन्ध में सूचना की तामील नहीं करेगा।

(7) जहाँ समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के सम्बन्ध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा।

(8) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो उक्त सूचना के सम्बन्ध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जायेगा।

(9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर की रकम, ब्याज और शास्ति का अवधारण करेगा और आदेश जारी करेगा।

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन उस वित्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख से पांच वर्ष के भीतर जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया है या गलत उपयोग किया गया है, से त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा।

(11) जहाँ कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (9) के अधीन आदेश की तामील की गई है, धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ कर और ऐसे कर पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के सम्बन्ध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण 1—धारा–73 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए,——

(प) पद "उक्त सूचना के सम्बन्ध में सभी कार्यवाहियां" में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होगी ;

(पप) जहाँ उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और ऐसी कार्यवाहियों को धारा 73 या धारा 74 के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरूद्ध पूरा कर लिया गया है तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण 2——इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "छिपाना" पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिससे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने

पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता अभिप्रेत होगा।

कर अवधारण के सम्बन्ध में साधारण उपबन्ध

75–(1) जहाँ किसी सूचना की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) तथा धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से अपवर्जित किया जायेगा।

(2) जहाँ कोई अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74 की उपधारा (1) इस कारण से भरणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं होता है जिसको सूचना जारी की गयी थी, तो समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा कि धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गयी थी।

(3) जहाँ अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में किसी आदेश को जारी करने की अपेक्षा है तो ऐसा आदेश उक्त निदेश की संसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जायेगा।

(4) सुने जाने के अवसर को वहाँ अनुदत्त किया जायेगा जहाँ कर या शास्ति से प्रभार्य व्यक्ति का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है या जहाँ ऐसे

व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल विनिश्चय की प्रत्याशा है।

(5) समुचित अधिकारी यदि कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण उपदर्शित किया जाता है तो उक्त व्यक्ति को समय अनुदत्त करेगा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए सुनवाई को स्थगित कर देगा :

परन्तु ऐसा कोई स्थगन कार्यवहियों के दौरान किसी व्यक्ति को तीन बार से अधिक अनुदत्त नहीं किया जायेगा।

(6) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के लिए सुसंगत तथ्यों का अधिकथन करेगा।

(7) आदेश में मांग किये गये कर, ब्याज और शास्ति की रकम सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी और सूचना में विनिर्दिष्ट आधारों के किसी अन्य आधार पर किसी मांग की पुष्टि नहीं की जायेगी।

(8) जहाँ अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय समुचित अधिकारी द्वारा अवधारित कर की रकम को उपांतरित करता है तो ब्याज और शास्ति की रकम भी इस प्रकार उपान्तरित कर की रकम को गणना में लेते हुए तदनुसार उपान्तरित हो जायेगी।

(9) कम संदत्त किये गये या संदत्त नहीं किये गये कर पर ब्याज संदेय होगा चाहे कर दायित्व का अवधारण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं।

(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जायेगा यदि धारा 73 की उपधारा (10) में यथा उपबन्धित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उपधारा (10) में यथा उपबन्धित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है।

(11) कोई विवाधक, जिस पर अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय लिया गया है जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध कोई अपील लम्बित है तो अपील प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी के विनिश्चय की तारीख के बीच की कालावधि या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में वहाँ अपवर्जित किया जायेगा जहाँ कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन हेतुक उपदर्शित जारी करने के माध्यम से संस्थित की गयी है।

(12) धारा 73 या धारा 74 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वतः निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णतः या भागतः असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम असंदत्त रहती है तो उसकी धारा 79 के उपबन्धों के अधीन वसूल की जायेगी।

(13) जहाँ धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तो उसे कृत्य या लोप पर किसी शास्ति को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

संगृहित किन्तु सरकार को संदत्त न किया गया कर

76–(1) अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश या निदेश में या इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में किसी रकम का संग्रह किया है और उक्त रकम का सरकार को संदाय नहीं किया है तो वह तुरन्त इस बात के होते हुए कि वह पूर्ति, जिनके सम्बन्ध में ऐसी रकम का संग्रह किया गया है, कराधेय है या नहीं, उक्त रकम का सरकार को संदाय करेगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी रकम का सरकार को संदाय किया जाना अपेक्षित है और जिसका संदाय नहीं किया गया है तो समुचित अधिकारी ऐसी रकम का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को हेतुक उपदर्शित करने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा कि सूचना में यथा विनिर्दिष्ट उक्त रकम को उसके द्वारा सरकार को संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिये तथा सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के समतुल्य शास्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उस पर अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिये।

(3) समुचित अधिकारी उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गयी है, के अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का अवधारण करेगा और तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (3) मे निर्दिष्ट रकम का संदाय करने के अतिरिक्त उस पर धारा 50 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर उसके द्वारा संगृहित रकम की तारीख से सरकार को ऐसी रकम का संदाय करने की तारीख के लिए ब्याज का संदाय करने का भी दायी होगा।

(5) वहाँ सुने जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा जहाँ ऐसे व्यक्ति से, जिसको हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी की गयी है, लिखित अनुरोध प्राप्त होता है।

(6) समुचित अधिकारी सूचना जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा।

(7) जहाँ आदेश जारी करने पर न्यायालय या अपील अधिकरण के किसी आदेश द्वारा रोक लगायी जाती है तो ऐसी रोक की कालावधि को एक वर्ष की कालावधि की संगणना करने में अपवर्जित किया जायेगा।

(8) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के सुसंगत कारणों को अधिकथित करेगा।

(9) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन सरकार को संदत्त रकम का उपधारा (1) में निर्दिष्ट

पूर्तियों के सम्बन्ध मे व्यक्ति द्वारा संदेय कर, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजन किया जायेगा।

(10) जहां उपधारा (9) के अधीन समायोजन के पश्चात् कोई आधिक्य शेष बचता हैं तो ऐसे आधिक्य की रकम का या तो निधि में प्रत्यय किया जाएगा या उस व्यक्ति को प्रतिदाय किया जाएगा जिसने ऐसी रकम को चुकाया है।

(11) वह व्यक्ति, जिसने रकम को चुकाया है, धारा 54 के उपबंधों के अनुसार उसका प्रतिदाय करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

गलती से संगृहित किया गया और केंन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदत्त किया गया कर

77–(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंतःराज्यीय पूर्ति समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर केंद्रीय कर और राज्य कर संदत्त किया है किन्तु जिसे पश्चातवर्ती रूप से अंतरराज्यिक पूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है, को इस प्रकार संदत्त रकम का ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अन्तरराज्यिक पूर्ति समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर एकीकृत कर संदत्त किया है किन्तु जिसे पश्चातवर्ती रूप से अंतः राज्यीय पूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है, से, संदेय राज्य कर की रकम पर ब्याज का संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी।

वसूली कार्यवाहियों का आरम्भ किया जाना

78–इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीन मास की कालावधि के

भीतर संदत्त किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर वसूली कार्यवाहियां आरम्भ की जाएगी।

परन्तु जहां समुचित अधिकारी राजस्व हित में ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उक्त कराधेय व्यक्ति से उसके द्वारा ऐसी तीन मास से कम विनिर्दिष्ट की जा सकने वाली कालावधि के भीतर संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।

कर की वसूली

79–(1) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय किसी रकम को संदत्त नहीं किया जाता है तो समुचित अधिकारी निम्नलिखित एक या अधिक ढंगों से रकम को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा, अर्थात्:–

(क) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को देय संदेय किसी रकम से इस प्रकार संदेय रकम की कटौती करेगा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से रकम की कटौती करने की अपेक्षा करेगा, जो रकम समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन है :

(ख) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को देय संदेय किसी रकम से इस प्रकार संदेय रकम की कटौती करेगा या ऐसे व्यक्ति से संबंध रखने वाली वस्तुओं को निरुद्ध करके और विक्रय करके, जो रकम समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन है, वसूली करेगा :

(ग) (प) समुचित अधिकारी लिखित सूचना द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे धन शोध्य है या ऐसे व्यक्ति को शोध्य हो जाता है, जो

ऐसे व्यक्ति के लेखे धन धारण करता है या पश्चातवर्ती रूप से धन धारण करता है, सरकार को तुरन्त धन शोध्य होने पर या उसके द्वारा धारण किए जाने पर सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, जो धन के शोध्य या धारण किए जाने से पूर्व की नहीं होगी, उतने धन को, जो ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को संदाय करने के लिए या संपूर्ण धन को जब वह उस रकम के समतुल्य या कम हो, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा :

(पप) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपखंड (प) के अधीन सूचना जारी की जाती है ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और विशेषतया जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है तो किसी पासबुक, जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या संदाय किए जाने से पूर्व इस बात के होते हुए भी कि तत्प्रतिकूल कोई नियम, पद्धति या अपेक्षा है, प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा :

(पपप) किसी व्यक्ति को, जिसे उपखंड (प) के अधीन सूचना जारी की गई है, के उसके अनुसरण में सरकार को संदाय करने में असफल रहने की दशा में वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यक्तिक्रमी समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए सभी नियमों के परिणाम लागू होंगे :

(पअ) उपखंड (प) के अधीन सूचना जारी करने वाला अधिकारी किसी भी समय ऐसी

सूचना का संशोधन कर सकेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा या सूचना के अनुसरण में संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा :

(अ) उपखंड (प) के अधीन जारी सूचना की अनुपालना में कोई संदाय करने वाले किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन संदाय करने वाला समझा जाएगा और ऐसे संदाय का सरकार में प्रत्यय किए जाने पर ऐसे व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व का रसीद में विनिर्दिष्ट रकम के विस्तार तक अच्छा और पर्याप्त निर्वहन समझा जाएगा :

(अप) व्यतिक्रमी व्यक्ति के किसी दायित्व का उपखंड (प) के अधीन जारी सूचना की तामील के पश्चात् निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति निर्वहन किए गए दायित्व के विस्तार तक या कर, ब्याज और शास्ति, इनमें से जो भी कम हो, व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व के विस्तार तक सरकार के प्रति दायी होगा :

(अपप) जहां कोई व्यक्ति जिस पर उपखंड (प) के अधीन सूचना की तामील की गई है, सूचना जारी करने वाले व्यक्ति को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि मांग किया गया धन या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी व्यक्ति से शोध्य नहीं था या न ही वह व्यतिक्रमी व्यक्ति के लेखे उस पर सूचना की तामील किए जाने के समय किसी धन को धारण कर रहा था, और न ही मांग किया गया धन या उसके किसी भाग के उस व्यक्ति से शोध्य होने या उसके लिए ऐसे व्यक्ति के लेखे

धारण किए जाने की संभावना है, इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात की उस व्यक्ति से जिस पर सूचना की ऐसे किसी धन या उसके भाग की सरकार को संदाय करने के लिए तामील की गई है, संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी :

(घ) समुचित अधिकारी इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति की या उसके नियंत्रणाधीन किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का करस्थम् और उसे तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि संदेय रकम को संदत्त नहीं कर दिया जाता है और उक्त संदेय रकम का कोई भाग या करस्थम् की लागत या संपत्ति को रखने की लागत ऐसे करस्थम् के पश्चात् अगले तीस दिन की कालावधि के पश्चात् असंदत्त रहती है तो वह उक्त संपत्ति का विक्रय करना कारित कर सकेगा तथा ऐसे विक्रय के आगतों के साथ संदेय रकम को चुकाया जाएगा तथा रकम, जिसके अंतर्गत विक्रय करना कारित कर सकेगा तथा ऐसे विक्रय के आगतों के साथ संदेय रकम को चुकाया जाएगा तथा रकम, जिसके अंतर्गत विक्रय की लागत से असंदत्त लागत है और आधिक्य लागत यदि कोई हो को ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाएगा :

(ङ) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार करेगा और इसे उस जिले के कलेक्टर या सरकार द्वारा

प्राधिकृत किसी अधिकारी को भेजेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति की संपत्ति है या वह निवास करता है या अपना कारबार करता है और उक्त कलेक्टर या उक्त अधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति से उस प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा मानो कि वह भू–राजस्व का बकाया था :

अधिनियम संख्या 2 सन् 1974

(च) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी समुचित मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए ऐसे अग्रसर होगा मानो यह उसके द्वारा अधिरोपित था :

(2) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तद्धीन बनाए गए विनियमों के अधीन निष्पादित कोई बंधपत्र या लिखत यह उपबंध करता है कि ऐसे लिखित के अधीन शोध्य किसी रकम को उपधारा (1) में अधिकथित रीति में वसूल किया जाएगा तो वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रकम की उस उपधारा के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी।

(3) जहां कर, ब्याज या शास्ति की कोई रकम इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों के किसी उपबंध के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय है और जो असंदत्त रहती है तो केन्द्रीय कर का समुचित अधिकारी उक्त कर बकाया की

वसूली के प्रक्रम में उक्त व्यक्ति से रकम की ऐसी वसूली करेगा मानो वह केन्द्रीय कर का बकाया थी और इस प्रकार वसूल की गई रकम का सरकार के खाते में प्रत्यय करेगा।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन वसूल की गई रकम केंन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को शोध्य रकम से कम है तो संबंधित सरकारों के खाते में रकम का प्रत्यय प्रत्येक ऐसी सरकार को शोध्य रकम के अनुपात में किया जाएगा।

कर और अन्य रकम का किश्तों में संदाय

80–किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करते हुए संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विवरणी में स्वतः निर्धारित दायित्व के अनुसार शोध्य रकम से भिन्न किसी रकम के संदाय को धारा 50 के अधीन ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए चौबीस से अनधिक मासिक किस्तों में संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :

कतिपय मामलों में संपत्ति अंतरण का शून्य होना

परन्तु जहां किसी सम्यक् तारीख को किसी एक किस्त के संदाय में कोई व्यतिक्रम होता है तो ऐसी तारीख को संदेय सभी बकाया शोध्य हो जाएगा और तुरन्त संदेय होगा तथा बिना किसी और सूचना की ऐसे व्यक्ति पर तामील किए बिना वसूली का दायी होगा।

81–जहां कोई व्यक्ति, उससे किसी रकम के शोध्य हो जाने के पश्चात् उससे संबंधित या उसके कब्जे की किसी संपत्ति पर कोई प्रभार सृजित करता है या उससे विक्रय, बंध रखने, विनिमय या किसी अन्य विधि से अंतरण चाहे, जो भी हो, द्वारा अपने किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सरकारी राजस्व पर कपट करने के आशय से विलग होता है तो ऐसा प्रभार या अंतरण उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय किसी कर या किसी अन्य राशि के संबंध में किसी दावे के विरुद्ध शून्य होगा :

परन्तु यह कि ऐसा प्रभार या अंतरण शून्य नहीं होगा यदि वह पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावपूर्वक और इस अधिनियम के अधीन ऐसी कार्यवाहियों के लंबन पर बिना किसी सूचना के या ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय अन्य राशि या समुचित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से किया जाता है।

कर का संपत्ति पर पहला प्रभार

82–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी अन्य बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, सिवाय दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में अन्यथा उपबंधित अधिनियम संख्या 31 सन् 2016 के किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज या शास्ति के लेखे संदेय कोई रकम, जिसके लिए वह सरकार को संदाय करने का दायी है, का ऐसे कराधेय व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की संपत्ति पर पहला प्रभार होगा।

कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की

83–(1) जहां धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 67 या धारा 73 या धारा 74 के अधीन

किन्हीं कार्यवाहियों के लंबन के दौरान आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा अनंतिम रूप से ऐसे कराधेय व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता है, की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा।

(2) ऐसी अनंतिम कुर्की का उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अवसान पर प्रभाव नहीं होगा।

कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना और विधिमान्यकरण

84–जहां इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति, ब्याज या किसी अन्य रकम (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''सरकारी शोध्य'' कहा गया है) के संबंध में किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को किसी सूचना की तामील की जाती हे ओर ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाता है या कोई अन्य कार्यवाहियां संस्थित की जाती है तब–

(क) जहां ऐसे सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियो में बढ़ा दिया जाता है तो आयुक्त कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को उस रकम के संबंध में जिसके द्वारा ऐसे सरकारी शोध्यों को बढ़ा दिया जाता है, की वसूली के लिए दूसरी मांग सूचना जारी करेगा और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई वसूली कार्यवाहियां, जो उस पर तामील की गई मांग की सूचना में आती हैं, ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व किसी नई मांग

सूचना की तामील के बिना उस प्रक्रम से जारी रहेंगी, जिस पर ऐसी कार्यवाहियां ऐसे निपटान के ठीक पूर्व थी :

(ख) जहां सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में कम कर दिया जाता है तो,–

(प) आयुक्त के लिए कराधेय व्यक्ति पर मांग की नई सूचना की तामील करना आवश्यक नहीं होगा :

(पप) आयुक्त ऐसी कमी की उसे और समुचित प्राधिकारी को, जिसके पास वसूली कार्यवाहियां लंबित हैं, संसूचना देगा :

(पपप) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व उस पर तामील की गई मांग के आधार पर संस्थित कोई वसूली कार्यवाहियां इस प्रकार कम की गई रकम के संबंध में उसी प्रक्रम से, जिस पर जहां वह ऐसे निपटान से ठीक पूर्व थी, जारी रहेगी।

अध्याय 16

कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व

कारबार के अंतरण की दशा में दायित्व

85–(1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हैं, अपने कारबार का पूर्णतया या भागतः विक्रय, उपहार, पट्टा, इजाजत और अनुज्ञप्ति, भाटक या किसी अन्य रीति, चाहे जो भी हो, अंतरण करता है तो कराधेय व्यक्ति और यह व्यक्ति, जिसको इस प्रकार कारबार का अंतरण

किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथक्ता पूर्णतया या ऐसे अंतरण के परिमाण तथा कराधेय व्यक्ति से ऐसे अंतरण तक शोध्य कर, ब्याज या किसी अन्य शास्ति, चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे अंतरण से पूर्व किया गया हो किन्तु जो असंदत्त रहती है या जिसका तत्पश्चात् अवधारण किया गया है, के लिए दायी होगा।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अंतरिती ऐसे कारबार को स्वयं के नाम से या किसी अन्य के नाम से चलाता है तो वह ऐसे अंतरण की तारीख से उसके द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों के लिए कर का और यदि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है तो विहित समय के भीतर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन करने का, दायी होगा।

अभिकर्ता और प्रधान व्यक्ति का दायित्व

86–जहां कोई अभिकर्ता अपने प्रधान व्यक्ति के निमित्त कराधेय वस्तुओं की पूर्ति करता है या उन्हें प्राप्त करता है तो ऐसा अभिकर्ता और उसका प्रधान व्यक्ति संयुक्त रूप से और पृथक्तः इस अधिनियम के अधीन ऐसे मालों पर संदेय कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे।

कंपनियों के समामेलन या विलयन की दशा में दायित्व

87–(1) जब दो या अधिक कंपनियों का किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्यथा के आदेश के अनुसरण में समामेलन या विलयन होता है और आदेश का आदेश किए जाने की तारीख से पूर्व प्रभावी होना है तथा दो या उससे अधिक ऐसी कंपनियों ने एक दूसरे को उस तारीख से प्रारम्भ होने वाली अवधि से आदेश के प्रभावी होने की तारीख के बीच मालों की या सेवाओं की या दोनों

की पूर्ति की है या मालों को या सेवाओं को या दोनों को प्राप्त किया है तब ऐसा पूर्ति और प्राप्ति के संव्यवहारों को संबंधित कंपनियों के आपूर्ति या प्राप्ति कारबार में सम्मिलित किया जाएगा और वह तद्नुसार कर का संदाय करने की दायी होगी।

(2) उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी दो या अधिक कंपनियों को उक्त आदेश की vf/kfu;e la[;k 31 lu~ 2016 की अवधि के लिए सुभिन्न कंपनियां समझा जाएगा और उक्त कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उक्त आदेश की तारीख से रद्द किया जाएगा।

परिसमापन के अधीन कंपनियों की दशा में

88–(1) जब कोई कंपनी को किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के अधीन या अन्यथा समाप्त किया जा रहा है तो कंपनी की किन्हीं आस्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रापक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''परिसमापक'' कहा गया है), अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपनी नियुक्ति की संसूचना देगा।

(2) आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात् या ऐसी सूचना मंगाने के पश्चात् जो वह उचित समझे, उस तारीख से तीन मास के भीतर, जिसको वह परिसमापक की नियुक्ति की सूचना प्राप्त करता है, परिसमापक को और वह रकम, जो उसके मत में किसी कर, ब्याज या शास्ति, जो तब या तत्पश्चात्

कंपनी द्वारा संदेय है या संदेय हो जाती है, अधिसूचित करेगा।

(3) जब किसी प्राइवेट कंपनी को समाप्त किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन कंपनी पर किसी अवधि के लिए, चाहे परिसमापन के प्रक्रम में या तत्पश्चात् अवधारित कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथकः ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का सिवाय जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा।

प्राइवेट कंपनियों के निदेशकों का दायित्व

अधिनियम संख्या 18 सन् 2013

89–(1) कंपनी अधिनियम, 2013 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी प्राइवेट कंपनी से किसी

अवधि के लिए मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, शोध्य है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान प्राइवेट कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक : ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का सिवाय जब वह यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में

उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा।

(2) जहां प्राइवेट कंपनी को किसी पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तन किया जाता है और किसी अवधि के लिए, जिसके दौरान ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, के दौरान मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए किसी कर, ब्याज या शास्ति की ऐसे संपरिवर्तन से पूर्व वसूली नहीं की जा सकती है तो उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो ऐसी प्राइवेट कंपनी का ऐसी प्राइवेट कंपनी द्वारा मालों की या सेवाओं की या दोनों की आपूर्ति के संबंध में किसी कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में निदेशक था :

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे निदेशक पर अधिरोपित वैयक्तिक शास्ति को लागू नहीं होगी।

फर्म के भागीदारी का कर का संदाय करने के लिए दायित्व

90–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी संविदा के होते हुए भी, जहां कोई फर्म इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है तो फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार ऐसे संदाय के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायी होगा :

परन्तु जहां कोई भागीदार फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह या फर्म उक्त भागीदार की सेवानिवृत्ति की तारीख को इस निमित्त लिखित सूचना द्वारा आयुकत को संसूचित करेगा और ऐसा

भागीदार अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने का चाहे उस तारीख को अवधारित की जाए या नही, दायी होगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसी कोई सूचना सेवानिवृत्ति की तारीख से एक मास के भीतर नहीं दी जाती है तो पहले परन्तुक के अधीन ऐसे भागीदार का दायित्व उस तारीख तक बना रहेगा जिसको ऐसी सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है।

अभिरक्षकों, न्यासियों आदि का दायित्व

91–जहां कोई कारबार, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति संदेय है, को किसी अल्पव्यय या किसी अन्य अक्षम व्यक्ति के निमित्त और ऐसे अल्पव्यय या अन्य अक्षम व्यक्ति के फायदे के लिए किसी अभिरक्षक, न्यासी या अभिकर्ता द्वारा चलाया जाता है तो ऐसे अभिरक्षक या न्यासी या अभिरक्षक पर कर, ब्याज या शास्ति उसी रूप में और उसी सीमा तक उद्ग्रहित की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका ऐसे अल्पव्यय या अन्य अक्षम व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, यदि वह व्यस्क या सक्षम व्यक्ति होता और जैसे कि वह स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे।

प्रतिपाल्य अधिकरण आदि का दायित्व

92–जहां किसी कराधेय व्यक्ति की संपदा या उसके किसी भाग के अधीन कोई कारबार है,

जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति कराधेय है, किसी प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या किसी प्रापक या प्रबंधक (जिसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति, चाहे किसी भी पदनाम से ज्ञात हो, जो वास्तव में कारबार का प्रबंध करता है), जिसकी नियुक्ति किसी न्यायालय के आदेश के अधीन की गई है, के नियंत्रणाधीन है, कर, ब्याज या शास्ति उस पर उद्ग्रहित की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका कराधेय के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, जैसे कि कराधेय व्यक्ति स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे।

अधिनियम संख्या 31 सन् 2016

93–(1) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, तब–

(क) यदि व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु के बाद उसके विधि प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है तो ऐसा विधि प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा : और

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु से पूर्व या उसके पश्चात् जारी नहीं रखा जाता है तो उसके विधिक मृतक की संपदा से उस परिमाण तक, जिस तक संपदा ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय चुकाने में सक्षम है, संदाय करने के लिए दायी होगा,

चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण उसकी मृत्यु से पूर्व किया गया हो किन्तु जो उसकी मृत्यु के पश्चात् असंदत्त या अवधारित किया गया है।

अधिनियम संख्या 31 सन् 2016

(2) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम है और हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम के विभिन्न सदस्यों या व्यक्तियों के दलों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया है तब प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह संयुक्त रूप से या पृथकतः इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति से बंटवारे के समय तक कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किन्तु जो बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है या अवधारित किया गया है।

vf/kfu;e la[;k 31 lu~ 2016

(3) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय

व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, और फर्म का विघटन कर दिया गया है तब प्रत्येक व्यक्ति, जो भागीदार था, संयुक्त रूप से या पृथक्तः इस अधिनियम के अधीन फर्म से शोध्य, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किन्तु जो बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है या अवधारित किया गया है।

(4) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है,–

(क) किसी प्रतिपाल्य का अभिरक्षक है, जिसकी ओर से अभिरक्षक द्वारा कारबार चलाया जाता है : या

(ख) कोई न्यासी है, जो फायदाग्राही के लिए किसी न्यास के अधीन कारबार का संचालन करता है,

तब यदि अभिरक्षा या न्यास को समाप्त कर दिया जाता है, प्रतिपाल्य या फायदाग्राही कराधेय व्यक्ति से अभिरक्षा या न्यास के समापन तक शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण अभिरक्षा या न्यास के समापन से पूर्व किया गया है किन्तु जो असंदत्त रह गया है या तत्पश्चात् अवधारित किया गया है।

अन्य मामलों में दायित्व

94–(1) जहां कराधेय व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब ने कारबार करना बंद कर दिया है,–

(क) ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब द्वारा ऐसे कारबार को बंद करने की तारीख तक इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे किया जाएगा मानो कारबार को जारी न रखना हुआ ही न हो : और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार को ऐसे बंद करने के समय ऐसी फर्म या ऐसे संगम या कुटुंब का सदस्य था, ऐसा बंद करना होते हुए भी फर्म, संगम या कुटुंब पर अवधारित कर और ब्याज के संदाय के लिए और अधिरोपित शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक : दायी होगा, चाहे ऐसे कर और ब्याज का अवधारण या शास्ति को उससे पूर्व अधिरोपित किया गया है या ऐसा बंद करने के पश्चात् अधिरोपित किया गया है और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति या भागीदार या सदस्यों को ऐसे लागू होंगे मानो वह कराधेय व्यक्ति था।

(2) जहां फर्म या व्यक्तियों के संगम के संगठन में कोई परिवर्तन होता है तो फर्म के भागीदार या संगम के सदस्य, जैसा कि वह पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थे और जैसे कि वह उसके पश्चात् विद्यमान हैं, धारा 90 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव

डाले बिना ऐसी फर्म या व्यक्तियों से उसके पुनर्गठन की कालावधि से पूर्व शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथकः दायी होंगे।

(3) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, कराधेय व्यक्ति, जो विघटित हो गई फर्म या व्यक्तियों का संगम है, को या कराधेय व्यक्ति, जो अविभक्त हिन्दू कुटुंब है, जिसने उसके द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के संबंध में विभाजन किया है, को लागू होंगे और तद्नुसार उस धारा में बंद करने के प्रतिनिर्देश का ऐसे विघटन या विभाजन के प्रति अर्थ लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए–

(प) ''सीमित दायित्व भागीदार'' जिसे सीमित दायित्व भागीदार अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत किया गया हैं, को भी एक फर्म माना जाएगा : अधिनियम संख्या 5 सन् 2009

(पप) ''न्यायालय'' से जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अभिप्रेत है।

अध्याय 17

अग्रिम विनिर्णय

95–इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं

(क) ''अग्रिम विनिर्णय'' से किसी प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा किसी आवेदक को धारा 97 की उपधारा (2) या धारा 100 की उपधारा (1) में मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, जिसे आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने का

प्रस्ताव है, पर विनिर्दिष्ट विषयों या प्रश्नों पर दिया गया अग्रिम विनिश्चय अभिप्रेत है :

(ख) ''अपील'' प्राधिकरण से धारा 99 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है :

(ग) ''आवेदक'' से इन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है :

(घ) ''आवेदन'' से धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को किया गया आवेदन अभिप्रेत है :

(ङ) ''प्राधिकरण'' से धारा 96 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है :

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी का गठन

96–(1) सरकार अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन करेगी :

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश से, किसी अन्य राज्य में अवस्थित किसी प्राधिकरण को किसी राज्य के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी।

(2) प्राधिकरण, निम्ननिलिखत से मिलकर बनेगा,–

(प) केंद्रीय कर के अधिकारियों में से एक सदस्य य और

(पप) राज्य कर के अधिकारियों में से एक सदस्य य

जिन्हें क्रमशः केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति की पद्धति और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन

97–(1) इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला आवेदक ऐसे प्ररूप ओर ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, उन प्रश्नों का कथन करते हुए, जिन पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है, एक आवदेन करेगा।

(2) वह प्रश्न, जिस पर इस अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की जाती है, निम्नलिखित के संबंध में होगा,–

(क) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण य

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना य

(ग) मालों या सेवाओं या दोनों के समय और मूल्य का अवधारण य

(घ) संदत्त या समझे गये इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेयता य

(ङ) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के कर दायित्व का अवधारण य

(च) क्या आवेदक से रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा है य

(छ) क्या आवेदक द्वारा किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के संबंध में की गई कोई विशिष्ट बात का परिणाम उस पद के

अर्थान्तर्गत मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बराबर या उनकी आपूर्ति के रूप में होता है।

आवेदन की प्राप्ति की प्रक्रिया

98–(1) किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकरण उसकी एक प्रति को संबंधित अधिकारी को अग्रेषित कराएगा और यदि आवश्यक हो तो उससे सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग करेगा :

परन्तु किसी मामले में जहां प्राधिकरण द्वारा किन्हीं अभिलेखों की मांग की गई है तो ऐसे अभिलेखों को यथासंभव शीघ्र संबंधित अधिकारी को लौटा दिया जाएगा।

(2) प्राधिकरण आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की जांच करने के पश्चात् तथा आवदेक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने के पश्चात् आदेश द्वारा या तो आवेदन को स्वीकार करेगा या अस्वीकार कर देगा :

परन्तु प्राधिकरण वहां आवेदन को मंजूर नहीं करेगा जहां आवेदन में उठाया गया प्रश्न पहले से ही लंबित है या आवेदक के किसी मामले में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसका विनिश्चय किया जा चुका है :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन को आवेदक को सुने जाने का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि जहां आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो उसके अस्वीकार किए जाने के कारणों को आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति आवेदक और संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी।

(4) जहां किसी आवेदन को उपधारा (2) के अधीन ऐसी और सामग्री, जो उसके समक्ष आवेदक द्वारा रखी जाए या अभिप्राप्त की जाए, की जांच के पश्चात् और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित अधिकारी या प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्वीकार किया गया है तो प्राधिकरण द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय की उदघोषणा की जायेगी।

(5) जहां प्राधिकरण के सदस्य ऐसे किसी प्रश्न पर मतभेद रखते है, जिस पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई हैं, वे उस बिन्दु या उन बिन्दुओं का कथन करेंगे, जिन पर वे मतभेद रखते है और ऐसे प्रश्न पर सुनवाई ओर विनिश्चय के लिए अपील प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेंगे।

(6) प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर लिखित में अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करेगा।

(7) आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को उद्घोषणा के पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्कतः हस्तक्षरित और ऐसी रीति में

प्रमाणित, जो विहित की जाए प्राधिकरण द्वारा ऐसी उदघोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति भेजी जाएगी।

अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन

99–सरकार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर संबंधी अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक अपील प्राधिकरण का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,–

(प) बोर्ड द्वारा यथा अभिहित केन्द्रीय मुख्य कर आयुक्त : और

(पप) राज्य कर आयुक्त :

परन्तु सरकार, परिषद की सिफारिश से, किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी अपील प्राधिकरण को किसी राज्य के लिए अपील प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी।

अपील प्राधिकरण को अपील

100–(1) धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय से व्यथित संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको ईप्सित विनिर्णय के विरुद्ध की गई अपील की संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक को संसूचना दी जाती है, से तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी :

परन्तु अपील प्राधिकरण का यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित किया गया था तो वह तीस दिन की उक्त अवधि से अनधिक और अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करना अनुज्ञात कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी फीस के साथ होगी तथा उसका ऐसी रीति में सत्यापन किया जाएगा, जो विहित की जाए।

अपील प्राधिकारी के आदेश

101. (1) अपील प्राधिकरण अपील या निर्देश के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह अपील किए गए आदेश या निर्दिष्ट आदेश की पुष्टि करने के लिए या उपांतरित करने के लिए उचित समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश धारा 100 के अधीन अपील पारित करने या धारा 98 की उपधारा (5) के अधीन निर्देश करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा।

(3) जहां अपील प्राधिकरण के सदस्य उसे निर्दिष्ट किसी अपील या निर्देश में किसी बिन्दु या उन बिन्दुओं पर मतभेद रखते हैं तो यह समझा जाएगा कि अपील या निर्देश के अधीन प्रश्न के संबंध में कोई अग्रिम विनिर्णय जारी नहीं किया गया है।

(4) आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को उद्घोषणा के पश्चात्

सदस्यों द्वारा सम्कतः हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित, जो विहित की जाए, अपील प्राधिकरण द्वारा ऐसी उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति भेजी जाएगी।

अपील विनिर्णय की परिशुद्धि

102–प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण धारा 98 या धारा 101 के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश का संशोधन कर सकेगी ताकि अभिलेख पटल पर स्पष्ट गलतियों को ठीक किया जा सके, यदि ऐसी गलती प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण की जानकारी में स्वयं आती है या उसकी जानकारी में संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी, आवेदक या अपीलार्थी द्वारा आदेश की तारीख से छह मास के भीतर लाई जाती है :

परन्तु ऐसी कोई परिशुद्धि, जिसका प्रभाव कर दायित्व में वृद्धि करने अथवा अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेय रकम को कम करने के रूप में होता है को तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

अग्रिम विनिर्णय का लागू होना

103–(1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय केवल निम्नलिखित पर बाध्यकर होगा–

(क) उस आवेदक पर, जिसने अग्रिम विनिर्णय के लिए धारा 97 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उसकी वांछा की थी :

(ख) आवेदक के संबंध में संबंधित अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले अधिकारी पर।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय बाध्यकर होगा सिवाय तब जब मूल अग्रिम विनिर्णय की समर्थनकारी विधि, तथ्य या परिस्थितियां न बदल गई हों।

कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय

104–(1) जहां अपील प्राधिकरण यह पाता है कि धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन या धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय को आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तात्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुव्यर्पदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को आरम्भ से ही शून्य घोषित कर देगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध आवेदक या अपीलार्थी को ऐसे लागू होंगे मानो अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही नहीं था :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि आवेदक को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

स्पष्टीकरण–धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को परिवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी।

प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की शक्तियां

अधिनियम संख्या 5 सन् 1908

105–(1) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को निम्नलिखित के संबंध में अपनी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी,–

(क) खोज और निरीक्षण :

(ख) किसी व्यक्ति की उपस्थिति का प्रवर्तन और शपथ पर उसकी परीक्षा करना :

(ग) कमीशन जारी करना और लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1974 अधिनियम संख्या 45 सन् 1860

(2) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण धारा 195 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए नहीं, और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और धारा 228 के अर्थांतर्गत और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण

106–प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

की
प्रक्रिया।

अध्याय 18
अपील और पुनरीक्षण

अपील प्राधिकारी की अपीलें

107–(1) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो उस तारीख से जिसको ऐसे व्यक्ति को उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है, से तीन मास के भीतर विहित किया जाए। अधिनियम संख्या–12 सन् 2017

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

(2) आयुक्त उक्त विनिश्चय या आदेश की वैधानिकता या औचित्य के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय कर आयुक्त के निवेदन पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा और परीक्षण कर सकेगा जिसमें किसी न्याय निर्णायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है तथा आदेश द्वारा ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए जो उक्त विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होते हैं, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर अपील प्राधिकारी के समक्ष किसी अधीनस्थ अधिकारी को आवेदन करने के लिए निदेश दे सकेगा जैसा आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) जहां उपधारा (2) अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपील प्राधिकारी को आवेदन करता है, वहां ऐसा आवेदन अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यवहार किया जाएगा मानो यह न्याय निर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध की गई अपील हो और ऐसा प्राधिकृत अधिकारी कोई अपीलकर्ता हो तथा इस अधिनियम के अपील से संबंधित उपबंध ऐसे आवेदन को लागू होंगे।

(4) अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता, यथास्थिति, तीन या छह मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था, तो वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनुज्ञात करेगा।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी जो विहित किया जाए।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी यदि अपीलकर्ता ने–

(क) अक्षेपित आदेश से उद्भूत कोई कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति का पूर्ण या ऐसे भाग का संदाय नहीं किया हो जैसा उसके द्वारा स्वीकारा जाए : और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में

अपील फाइल की गई है, से उद्भूत विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय नहीं किया हो।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन अपीलकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया है, वहां बकाया रकम के लिए वसूली कार्यवाहियां स्थगित समझी जाएंगी।

(8) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा।

(9) अपील प्राधिकारी, यदि उसे अपील सुनवाई की किसी अवस्था पर पर्याप्त कारण दर्शित किया जाए तो पक्षकारों को या उनमें से किसी एक को समय देगा और लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई को स्थगित रखेगा :

परन्तु यह कि ऐसा कोई स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन बार से अधिक समय नहीं दिया जाएगा।

(10) अपील प्राधिकारी अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता को अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अपील के किसी आधार को जोड़ना अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों से उस आधार का लोप जानबूझकर या अयुक्तियुक्त नहीं था।

(11) अपील प्राधिकारी ऐसी और जांच

करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, उसे संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने वाला विनिश्चय का आदेश करेगा जो वह उचित समझे, किन्तु उस न्याय निर्णायक प्राधिकारी को मामला पुनः निर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित किया था।

परन्तु अधिहरण या वर्जित मूल्य के माल का अधिकरण के बदले में कोई फीस या शास्ति या जुर्माना बढ़ाने वाला अथवा प्रतिदाय की रकम या आगत कर प्रत्यय घटाने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि अपील प्राधिकारी की जहां यह राय है कि कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां आगत कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या आगत कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश पारित नहीं

किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया है और धारा 73 या धारा 74 के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आदेश पारित किया जाता है।

(12) अपील निपटारा करने वाला अपील प्राधिकारी का आदेश लिखित में होगा और अवधारण के बिन्दुओं, उन पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारणों का कथन करेगा।

(13) अपील प्राधिकारी, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील को उसे फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष के अवधि के भीतर सुनवाई और विनिश्चय करेगा :

परन्तु जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि एक वर्ष की अवधि की गणना करने में अपवर्जित की जाएगी।

(14) अपील के निपटारे पर अपील प्राधिकारी उसके द्वारा पारित आदेश को अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी और न्याय निर्णायक प्राधिकारी को संसूचित करेगा।

(15) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी और केन्द्रीय कर अधिकारिता आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी।

(16) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश धारा 108 या धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा।

पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियां।

108–(1) धारा 121 और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या उसके द्वारा प्राप्त किसी सूचना पर या केन्द्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा तथा यदि वह यह मानता है कि उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी ने इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है और राजस्व के हितों के प्रतिकूल है तथा अवैध या अनुचित है अथवा उसने कतिपय सारवान् तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा है चाहे वे उक्त आदेश के जारी करने के समय उपलब्ध है या नहीं या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की गई के पारिणामिक है, तो वह यदि आवश्यक हो तो ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे ऐसे विनिश्चय या आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक और उचित समझे जिसके अन्तर्गत उक्त विनिश्चय या आदेश को वर्धित करना या उपांतरित करना या अपास्त करना भी है।

(2) पुरनीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, यदि–

(क) आदेश धारा 107 या धारा 112 या धारा 117 या धारा 118 के अधीन अपील के अध्यधीन है : या

(ख) धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हुई है या पुनरीक्षित किए जाने वाले विनिश्चय या आदेश को पारित करने के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक समय समाप्त हो गया है : या

(ग) इस धारा के अधीन किसी पूर्वतर अवस्था पर आदेश को पहले ही पुनरीक्षण के लिए लिया जा चुका है : या

(घ) आदेश उपधारा (1) के अधीन शक्तियों के प्रयोग में पारित किया जा चुका है :

परन्तु यह कि पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी बिन्दु पर कोई आदेश पारित कर सकेगा जो उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निर्दिष्ट किसी अपील में ऐसी अपील में

आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व या उस उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पूर्व, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उसके समक्ष नहीं उठाया गया है या विनिश्चित नहीं किया गया है।

(3) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण में पारित प्रत्येक आदेश धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा।

(4) यदि उक्त विनिश्चय या आदेश में कोई ऐसा मुद्दा अन्तर्वलित है जिसमें अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय में किसी अन्य कार्यवाही में अपना विनिश्चय दिया है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील लंबित है, अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख के बीच व्यतीत अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की गणना करने में अपवर्जित कर दी जाएगी जहां पुनरीक्षण के लिए कार्यवाहियां इस धारा के अधीन नोटिस जारी करने के माध्यम से प्रारम्भ की गई

है।

(5) उपधारा (1) के अधीन जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अपील अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि की परिसीमा की गणना में अपवर्जित कर दी जाएगी।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद,–

(प) ''अभिलेख'' में इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के समय किसी कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेख सम्मिलित होंगे :

(पप) ''विनिश्चय'' में पुनरीक्षण प्राधिकारी से रैंक में न्यून किसी अधिकारी द्वारा दी गई सूचना सम्मिलित होगी।

अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठें

109–(1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपील अधिकरण होगा।

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

(2) राज्य में अवस्थित राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन और

सन् 2017 अधिकारिता, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 109 या तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगी।

अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हताएं, नियुक्ति, सेवा की शर्तें आदि

110–राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, पदावधि, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 110 के उपबंधों के अनुसार होगा।

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

अपील अधिकरण के समक्ष प्रक्रिया

111–(1) अपील अधिकरण अपने समक्ष किसी कार्यवाहियों या अपील को निपटाते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा बद्ध होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अध्यधीन द्वारा निर्देशित होगा और अपील अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

अधिनियम संख्या 5 सन् 1908

अधिनियम संख्या 5 सन् 1908

(2) अपील अधिकरण की इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में यथा विहित

शक्तियों के समान होगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद के विचारण के समय होगी, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उसे शपथ पर उसका परीक्षण करना :

(ख) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत करने की अपेक्षा :

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना :

अधिनियम संख्या 1 सन् 1872

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अध्यधीन किसी भी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे किसी अभिलेख या दस्तावेज की प्रति मंगाना :

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना :

(च) चूक या एकपक्षीय विनिश्चय के किसी प्रतिवेदन पर किसी प्रतिवेदन को खारिज करना :

(छ) किसी प्रतिवेदन को चूक के लिए खारिज करने के आदेश या अपने द्वारा पास किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करना : और

(ज) कोई अन्य मामले जो विहित किए जाएं।

(3) अपील अधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश उसी रीति में लागू होगा जैसे न्यायालय द्वारा उसके यहां लंबित किसी वाद में की गई डिक्री हो और यह अपील अधिकरण के लिए विधि सम्मत होगा कि वह अपने आदेशों के निष्पादन के लिए स्थानीय अधिकारित के न्यायालय में भेजे–

(क) कंपनी के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है : या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां संबंद्ध व्यक्ति स्वेच्छा से निवास करता है या लाभ के लिए व्यापारिक या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है।

(4) अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और अपील अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

अधिनियम संख्या–45 सन् 1860

अधिनियम संख्या–2 सन् 1974

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

अपील अधिकरण को अपील

112–(1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा

व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, ऐसे आदेश के विरुद्ध तीन मास के भीतर अपील कर सकेगा।

(2) अपील अधिकरण ऐसी किसी अपील को अपने विवेक के अनुसार स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है जहां कर या इनपुट कर प्रत्यय अंतर्वलित हो या इनपुट कर में अंतर अंतर्वलित हो या ऐसे आदेश द्वारा जुर्माने की रकम या शास्ति अवधारित होती हो तथा 50 हजार रुपये से अधिक न हो।

(3) आयुक्त उक्त आदेश की विविधमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेख को स्वतः या केन्द्रीय कर आयुक्त की प्रार्थना पर परीक्षण के लिए मंगा सकेगा और आदेश द्वारा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को निदेश देकर उस तारीख को जिसको अपने आदेश में आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए उक्त आदेश पारित किया गया है, से छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा।

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपील अधिकरण को आवेदन करता है, तो ऐसा आवेदन अपील अधिकरण इस प्रकार निपटाएगा जैसे वह धारा 107 की उपधारा (11) के अधीन या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो और इस अधिनियम के उपबंध आवेदन को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन फाइल अपील के संबंध में लागू होते हैं।

(5) इस नोटिस की प्राप्ति पर कि इस धारा के अधीन अपील हो चुकी है, पक्षकार जिसके विरुद्ध अपील हुई है किसी अन्य बात के होते हुए भी कि उसने ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध अपील नहीं की है, नोटिस की प्राप्ति के 45 दिन में विहित रीति में सत्यापित प्रति आक्षेपों को ज्ञापन, आदेश जिसके किसी भाग के विरुद्ध अपील की गई है, फाइल करेगा और ऐसा ज्ञापन अपील अधिकरण द्वारा ऐसे निस्तारित किया जाएगा जैसे यह उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय में प्रस्तुत की गई अपील हो।

(6) अपील अधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास में एक अपील स्वीकार कर सकेगा या उपधारा–15 में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् 45 दिन में प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने के लिए अनुमति दे सकेगा यदि यह समाधान हो जाए कि

इसको उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का उपयुक्त कारण था।

(7) अपील अधिकरण को अपील ऐसे प्ररूप में उस रीति में सत्यापित और ऐसी फीस सहित जो विहित की जाए, में होगी।

(8) कोई अपील, उपधारा (1) के अधीन जब तक फाइल नहीं की जाएगी तब तक अपीलार्थी निम्नलिखित संदत्त न कर दे,–

(क) पूर्ण कर की रकम का ऐसा कोई भाग, ब्याज, जुर्माना, फीस और आरोपित आदेश से उत्पन्न शास्ति जैसी उसके द्वारा स्वीकार की गई हो : और

(ख) धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरक्त विवाद में कर की शेष रकम के 20: के बराबर राशि।

(9) जहां अपीलार्थी उपधारा (8) के अनुसार रकम संदत्त कर चुका है वहां शेष रकम की वसूली कार्यवाहियां अपील के निस्तारण तक रोकी हुई समझी जाएंगी।

(10) अपील अधिकरण के समक्ष–

(क) त्रुटि को ठीक करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई अपील:

(ख) अपील या किसी आवेदन का प्रत्यावर्तन करने हेतु, प्रत्येक आवेदन ऐसी ऐसे शुल्क सहित होगा जो विहित किया जाए।

अपील अधिकरण के आदेश

113–(1) अपीलीय अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील दायर

की गई है के पुष्टिकरण, उपांतरण या बातीलकरण जैसा ठीक समझे, उस पर आदेश कर सकेगा या अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या मूल न्याय निर्णयन प्राधिकारी को ऐसे निदेशों को जिनको वह ठीक समझे सहित वापस नये न्याय निर्णयन या अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात् यदि आवश्यक हों, विनिश्चय के लिए वापस भेज सकेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी यदि समुचित कारण दिए जाएं तो किसी अपील की सुनवाई की किसी प्रास्थिति पर उनके लिए कारणों को अभिलिखित करते हुए पक्षकारों को समय प्रदान या अपील की सुनवाई स्थगित कर सकेगा :

परन्तु यह कि इस प्रकार का स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान एक पक्षकार को तीन बार से अधिक नहीं प्रदान किया जाएगा।

(3) यदि ऐसी कोई त्रुटि अपने आप उसे संज्ञान में आ जाती है या आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त या अपील के किसी पक्षकार द्वारा संज्ञान में आदेश की तारीख के तीन मास की अवधि में लाई जाती है तो अपीली अधिकरण अभिलेख पर किसी प्रत्यक्ष त्रुटि को ठीक करने के लिए उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसा कोई संशोधन जो मूल्यांकन की वृद्धि या वापसी की कमी या इनपुट कर प्रत्यय या किसी पक्षकार के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करता है, इस अधिनियम के अधीन तब तक नहीं किया

जा सकेगा जब तक कि पक्षकार को सुनने का अवसर न प्रदान किया जाए।

(4) अपीलीय अधिकरण जहां तक संभव हो अपील के फाइल होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि में प्रत्येक अपील सुने और विनिश्चय करेगा।

(5) अपीलीय अधिकरण इस अधिनियम के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या मूल न्याय निर्णयन प्राधिकारी अपीलार्थी और अधिकारिता रखने वाले आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त को यथास्थिति भेजेगा।

(6) जैसा कि धारा 117 या धारा 118 में उपबंधित है, अपील अधिकरण द्वारा किसी अपील पर पारित आदेश पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

राज्य अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक

114–राज्य अध्यक्ष, किसी राज्य में अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा विहित किया जाए :

परन्तु राज्य अध्यक्ष के पास अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को, जैसा वह ठीक समझे, राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों के किसी अन्य सदस्य या अन्य अधिकारी को, इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा कि ऐसा सदस्य या अधिकारी ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य अध्यक्ष के निदेश, नियंत्रण और प्रर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

अपील के दाखिल करने के लिए संदत्त रकम की वापसी पर

115–जहां अपीलार्थी द्वारा धारा 112 की उपधारा (8) या धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम को अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण के किसी आदेश के परिणामस्वरूप वापस किया जाना अपेक्षित है तो धारा 56 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज की दर से ऐसी वापसी के संबंध में रकम के संदाय की तारीख से ऐसे रकम की वापसी की तारीख तक ब्याज का संदाय किया जाएगा।

प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा

116–(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में हाजिर होने के लिए हकदार है या अपेक्षित है, इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्ययधीन शपथ या कथन पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए इस अधिनियम के अधीन जब उससे अन्यथा अपेक्षित है तो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिर हो सकेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पद ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उपधारा (1) में निर्देशित व्यक्ति द्वारा उसके स्थान पर हाजिर होने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति है–

(क) उसका रिश्तेदार या नियमित कर्मचारी य या

(ख) ऐसा कोई अधिवक्ता जो भारत में किसी न्यायालय में प्रैक्टिस करने का हकदार है और जिसे भारत में किसी न्यायालय के समक्ष

प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है य या

(ग) कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव जो प्रैक्टिस करने का प्रमाण–पत्र रखता है और जिसे प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है य या

(घ) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के वाणिज्य कर विभाग का या बोर्ड का ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी, जिसने सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी की रैंक से अन्यून के पद पर कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो :

परन्तु यह कि ऐसा कोई अधिकारी जिसने अपनी सेवानिवृत्ति या पदत्याग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के समक्ष हाजिर होने के लिए अधिकारी नहीं होगा य या

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति जो संबद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए माल और सेवा कर प्रैक्टिसकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

(3) कोई व्यक्ति–

(क) जो सरकारी सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो य या

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017
अधिनियम संख्या 13 सन् 2017
अधिनियम संख्या 14 सन् 2017

(ख) जो इस अधिनियम, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या विद्यमान किसी विधि या माल के विक्रय या माल की

पूर्ति या सेवाओं या दोनों पर कर लगाने से संबंधित राज्य विधान सभा द्वारा पारित किसी अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों से संबंधित किसी अपराध का दोषसिद्ध हो य या

(ग) जो विहित प्राधिकारी द्वारा दुर्व्यावहार का दोषी पाया गया हो य या

(घ) जो दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत हो चुका हो, उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्ह नहीं होगा–

(प) खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में सदैव के लिए य और य

(पप) खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में उस अवधि के दौरान जब तक दिवालियापन जारी रहे।

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के उपबंधों के अधीन निरर्ह है इस अधिनियम के अधीन भी निरर्ह समझा जाएगा।

उच्च न्यायालय को अपील

117–(1) राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा और उच्च न्यायालय ऐसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उस तारीख से जिसको व्यथित व्यक्ति द्वारा अपीलगत आदेश प्राप्त हुआ है से 180 दिन की अवधि में अपील फाइल की जा सकेगी और यह ऐसे प्रारूप में और उस सत्यापित रीति में होगी जो विहित की जाए :

परन्तु यह कि उच्च न्यायालय उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को सुन सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी अवधि में इसको फाइल न कर पाने का समुचित कारण था।

(3) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाए कि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है वहां वह उस प्रश्न को विनियमित करेगा और केवल इस प्रकार विनियमित प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा तथा प्रत्यर्थी अपील की सुनवाई के दौरान कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है पर बहस करने के लिए अनुज्ञेय होंगे :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह अभिलेखा बद्ध किए जाने वाले कारणों से न्यायालय की किसी अपील की, उसके द्वारा विरचित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान् प्रश्न पर सुनवाई करने की शक्ति को तब समाप्त करता है या उसका अल्पीकरण करता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है।

(4) उच्च न्यायालय इस प्रकार विनियमित विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और ऐसे निर्णय को

उन आधारों सहित जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है, प्रदान करेगा और ऐसी लागत लगा सकेगा जो वह ठीक समझे।

(5) उच्च न्यायालय किसी ऐसे वाद को अवधारित कर सकेगा, जो–

(क) राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा अवधारित न किया गया हो य या

(ख) उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट ऐसे विधि के प्रश्न पर विनिश्चय के कारण राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारण किया गया हो।

(6) जहां उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील फाइल की गई हो, वहां यह उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों से कम की पीठ द्वारा नहीं सुनी जाएगी और ऐसे न्यायाधीशों यदि हों तो उनके बहुमत के मत के अनुसार विनिश्चय की जाएगी।

(7) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां न्यायाधीश विधि के उस बिन्दु को बताएंगे जिस पर वे मतांतर रखते हैं और वहां केवल उस बिन्दु पर उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा मामले को सुना जायेगा और ऐसे न्यायाधीशों, जिन्होंने पहले इस मामले को सुना है, सहित के बहुमत के मत के अनुसार ऐसे बिन्दु पर विनिश्चय किया जाएगा।

(8) जहां उच्च न्यायालय ने इस धारा के अधीन फाइल अपील में निर्णय दे दिया है तो ऐसे निर्णय

को प्रभाव इसकी सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर किसी पक्ष द्वारा दिया जाएगा।

अधिनियम संख्या 5 सन् 1908

(9) इस अधिनियम में जैसे पहले अन्यथा उपबंधित किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध, जो उच्च न्यायालय के अपील से संबंधित हैं, इस धारा के अधीन अपील के मामलों में, जहां तक संभव हो लागू होंगे।

उच्चतम न्यायालय को अपील

118–ऐसी अपील जो उच्चतम न्यायालय में होगी–

(क) राष्ट्रीय पीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध : या

(ख) किसी मामले में धारा 117 के अधीन की गई अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध, जो स्वतः या व्यथित पक्षकार द्वारा या उसके निमित के द्वारा किए गए आवेदन पर निर्णय या आदेश के पारित होने के तुरन्त बाद, उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए उचित मामला है।

अधिनियम संख्या 5 सन् 1908

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध, जो उच्चतम न्यायालय को अपील करने से संबंधित हैं जहां तक संभव हो इस धारा के अधीन अपील के मामलों में उस तरह लागू होंगे जैसे उच्च न्यायालय की डिक्री की अपील के मामले में होते हैं।

(3) जहां उच्च न्यायालय का निर्णय अपील में बदल या उलट गया हो वहां उच्चतम न्यायालय का आदेश उस प्रकार प्रभावी होगा, जैसे उच्च

न्यायालय के निर्णय के मामले में धारा 117 में यथा उपबंधित रीति में होता है।

राशि जो अपील आदि के होने के बाद भी संदत्त किए जाने हैं

119–किसी बात के होते हुए भी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है, धारा 113 के उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण की राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों या धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण के राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों या धारा 117 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप सरकार को दिए जाने वाली राशि इस प्रकार पारित आदेश के अनुसरण में संदेय की जाएगी।

कतिपय मामलों में अपील का फाइल किया जाना

120–(1) आयुक्त परिषद् की सिफारिशों पर समय–समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों से, जैसा ठीक समझे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन राज्य कर अधिकारी द्वारा फाइल की गई अपील या आवेदन के नियमन के प्रयोजन के लिए ऐसी मौद्रिक सीमा को नियत कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर का अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या आवेदन नहीं फाइल कर सकेगा, यह राज्य कर के ऐसे अधिकारी को किसी अन्य मामले में अंतर्वलित समान या समतुल्य विवाधक या विधि के प्रश्न के विरुद्ध अपील या आवेदन फाइल करने से नहीं रोकेगा।

(3) किसी बात के होते हुए भी यह तथ्य कि उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या

निदेशों के अनुसरण में राज्य कर के अधिकारी द्वारा कोई अपील या आवेदन फाइल नहीं किया गया है, कोई व्यक्ति अपील में या आवेदन में पक्षकार होते हुए भी किसी अपील या आवेदन के फाइल न किए जाने पर विवादित बिन्दु पर विनिश्चय से वह अधिकारी राज्य कर का अधिकारी अवगत था, आशयित नहीं करेगा।

(4) अपील अधिकरण या न्यायालय ऐसी अपील या आवेदन को सुनते समय उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसारण में राज्य कर के अधिकारी द्वारा अपील या आवेदन फाइल न किए जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

अपील न किए जाने वाले विनिश्चय और आदेश

121–इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी बात के होते हुए भी राज्य कर के अधिकारी द्वारा लिए गए विनिश्चय या पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी, यदि ऐसा लिया गया विनिश्चय या आदेश निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक से संबंधित है अर्थात् :–

(क) आयुक्त या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश जो कार्यवाहियों को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को सीधे अंतरित करने में सशक्त होः या

(ख) लेखा पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों का अभिग्रहण या प्रतिधारित करने का कोई आदेश : या

(ग) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन की मंजूरी देने वाला कोई आदेश : या

(घ) धारा 80 के अधीन पारित कोई आदेश।

अध्याय 19
अपराध और शास्तियां

कतिपय अपराधों के लिए शास्ति

122–(1) जहां कराधेय व्यक्ति जो–

(प) किसी बीजक के जारी किए बिना किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है या ऐसे किसी पूर्ति के लिए झूठा या गलत बीजक जारी करता है य

(पप) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों की पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है य

(पपप) कर के रूप में किसी रकम का संग्रह कर उसको सरकार को संदाय करने में तीन मास से परे उस तारीख को जिसको ऐसा संदाय देय था, असफल रहता है य

(पअ) इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी कर का संग्रह करता है लेकिन उसको सरकार को संदाय करने में तीन मास से परे उस तारीख को जिसको ऐसा संदाय देय था, करने में असफल रहता है य

(अ) धारा 51 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपनियम के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या उपधारा (2) के अधीन सरकार को इस कटौती की गई रकम को कर के रूप में संदाय करने में असफल रहता है य

(अप) धारा 52 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर संग्रह में असफल रहता है या

कोई रकम संग्रहीत करता है जो उक्त उपधारा के अधीन संग्रहीत किए जाने के लिए अपेक्षित रकम से कम रकम का संग्रहण है या जहां वह धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन कर के रूप में संग्रहीत रकम को सरकार को संदत्त करने में असफल रहता है य

(अपप) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के विपरीत चाहे पूर्णतः या आंशिक रूप से माल या सेवाओं या दोनों की वास्तविक रसीद के बिना इनपुट कर प्रत्यय को लेता या उपभोग करता है य

(अपपप) इस अधिनियम के अधीन कर की वापसी कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करता है य

(पग) धारा 20 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के विपरीत इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है या बांटता है य

(ग) इस अधिनियम के अधीन देय कर के संदाय से बचने के आशय से या वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झूठलाता है या फर्जी लेखाओं या दस्तावेजों या किसी झूठी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करता है य

(गप) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी तो है लेकिन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है य

(गपप) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करते समय या उसके बाद रजिस्ट्रीकरण के विवरण के संबंध में गलत सूचना देता है य

(गपपप) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी अधिकारी को रोकता है या प्रवारित करता है य

(गपअ) इस निमित यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना कराधेय किसी माल का परिवहन कराता है य

(गअ) इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन के लिए अपने टर्नओवर को छिपाता है य

(गअप) इस अधिनियम के या तद्धीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में लेखा की पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने या प्रतिधारित करने में असमर्थ रहता है य

(गअपप) इस अधिनियम के या तद्धीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान झूठी सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है य

(गअपपप) ऐसे किसी माल को पूर्ति, परिवहन या भंडारण करता है जिसके लिए उसको विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ये इस अधिनियम के अधीन जब्ती के लिए दायी हैं य

(गपग) अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का प्रयोग द्वारा किसी बीजक या दस्तावेज को जारी करता है य

(गग) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है य

(गगप) किसी माल को खुर्दबुर्द या छेड़छाड़ करता है जो इस अधिनियम के अधीन रोके, जब्त या कुर्क किया हुआ था य

दस हजार रुपए या अपवंचित कर या धारा 51 के अधीन कटौती न किए गए कर या कम कटौती किए गए कर या कटौती किए गए परन्तु सरकार को संदेय नहीं किए गए कर या धारा 52 के अधीन संगृहीत नहीं किए गए कर या कम संगृहीत या संग्रहीत परन्तु सरकार को संदत्त नहीं किए गए कर या इनपुट कर प्रत्यय पर लिए गए या अनियमित रूप से वितरित या पारित या कपटपूर्ण ढंग से दावा की गई वापसी जो भी उच्चतर हो, के समतुल्य रकम को शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा।

(2) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी माल की पूर्ति या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करता है जिन पर उसने कोई कर नहीं दिया है या कम संदत्त किया है या त्रुटिपूर्ण ढंग से वापस लिया या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत रूप से लिया है या किसी कारण से प्रयोग किया है :–

(क) कपट के कारण भिन्न या किसी जानबूझ कर गलत कथन करता या कर बचाने के लिए तथ्यों को छिपाता है, तो वह दस हजार रुपए या ऐसे व्यक्ति पर शोध्य कर का दस प्रतिशत जो उच्चतर हो, की शास्ति के लिए दायी होगा।

(ख) कपट के उद्देश्य से या कर अपवंचन के तथ्यों का जानबूझ कर गलत कथन या छिपाता है तो वह दस हजार रुपये या ऐसे व्यक्ति पर

शोध्य कर की शास्ति से, जो उच्चतर हो, दायी होगा।

(3) कोई व्यक्ति जो–

(क) उपधारा (1) के खंड (1) से खंड (गगप) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिए सहायता या दुष्प्रेरण करता है य

(ख) किसी ऐसे माल का कब्जा प्राप्त करता है या उसके परिवहन को हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, पूर्ति करने या विक्रय या अन्य किसी रीति में किसी प्रकार अपने को संबंद्ध करता है, जिसके विषय में यह जानता है या विश्वास करने का विश्वास रखता है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन जब्ती के लिए दायी य

(ग) किसी ऐसे माल को प्राप्त करता है या इसके पूर्ति से किसी प्रकार संबंद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा के किसी पूर्ति को करता है जिसके लिए वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है यह इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में हैय

(घ) किसी जांच में साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए हाजिरी हेतु सम्मन के जारी होने पर राज्य कर के अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता हैय

(ङ) इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है या अपनी

लेखा पुस्तकों में बीजक के लिए कैफियत देने में असमर्थ रहता हैय

ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी।

सूचना विवरणी देने में असफल रहने पर शास्ति

123–यदि कोई व्यक्ति जिससे धारा 150 के अधीन सूचना के अधीन सूचना विवरणी देना अपेक्षित है, वह उसकी उपधारा (3) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि देने में असफल रहता है तो उचित अधिकारी निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के प्रत्येक दिन के लिए जिसके लिए वह ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है, के लिए सौ रुपये प्रतिदिन की शास्ति के लिए दायी होगाय

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति पांच हजार से अधिक नहीं होगी।

आंकड़े देने में असमर्थ रहने पर जुर्माना

124–यदि किसी व्यक्ति से धारा 151 के अधीन सूचना या विवरणी देना अपेक्षित है,–

(क) इस धारा के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी सूचना या विवरणी देने में बिना युक्तियुक्त कारण देने में असमर्थ रहता है, या

(ख) कोई सूचना या विवरणी जिसे वह जानता है कि असत्य है, को जानबूझ कर प्रस्तुत करता है, वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार तक हो सकेगा और अपराध जारी रखने की दशा में और जुर्माने से जो ऐसे प्रथम दिन जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस हजार

रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन एक सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

साधारण शास्ति

125–कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित किन्हीं नियमों के किसी उपबंध जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक रूप से कोई शास्ति नहीं है, का उल्लंघन करता है, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी।

शास्ति से संबंधित साधारण विधाएं

126–(1) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी कर विनियमन या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के छोटे भंग और विशेषतः दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती जिसे आसानी से शुद्ध किया जा सकता है तथा बिना कपटपूर्ण आशय या समग्र लापरवाही के बिना किए गए हैं, के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए–

(क) यदि किसी भंग जिसमें पांच हजार रूपये से कम का कर अंतर्वलित है तो वह ''छोटा भंग'' माना जाएगा,

(ख) दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती आसानी से शुद्ध की जा सकने वाली मानी जा सकेगी जो अभिलेख पर एक प्रत्यक्ष त्रुटि है।

(2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति तथ्यों पर और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होगी तथा यह भंग की अवस्था और गंभीरता के अनुपात में होगी।

(3) किसी व्यक्ति पर बिना उसे सुनवाई का अवसर दिए शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(4) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी किसी विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षा के भंग के आदेश में शास्ति अधिरोपित करते समय भंग की प्रकृति और लागू विधि, विनियम या प्रक्रियाएं जिनके अधीन विनिर्दिष्ट भंग के लिए शास्ति की रकम विनिर्दिष्ट करेगा।

(5) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अधिकारी द्वारा भंग की खोज से पहले या विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के भंग की परिस्थितियां इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को स्वेच्छया प्रकट कर देता है तो समुचित अधिकारी उस व्यक्ति के लिए शास्ति की गणना करते समय इस तथ्य पर न्यूनकारी घटक के रूप में विचार करेगा।

(6) इस धारा के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट शास्ति या तो नियत राशि है या नियत प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त है।

कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने

127–जहां समुचित अधिकारी इस विचार का है कि व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन किसी कार्यवाही में नहीं आती है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उद्गृहीत करने का आदेश जारी कर सकेगा।

शास्ति या फीस **या दोनों के** अधित्यजन करने की शक्ति

128–सरकार, अधिसूचना द्वारा, कर दाता के ऐसे वर्ग के लिए धारा 122 या धारा 123 या धारा 125 में निर्दिष्ट किसी शास्ति या धारा 47 में निर्दिष्ट किसी विलंब फीस का भागतः या पूर्णतः

अभिरक्षा, अभिग्रहण और माल की निर्मुक्ति तथा अभिवहन में प्रवहण

और परिषद् की सिफारिशों पर उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी कम करने वाली परिस्थितियों के अधीन अधित्यजन कर सकेगी।

129–(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति किसी माल या परिवहन या माल का भंडारण करता है जब ये अभिवहन में इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है, तब सभी माल और अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त प्रवहण और ऐसे माल से संबंधित दस्तावेज और प्रवहण से सम्बन्धित दस्तावेज अभिरक्षा में लेने या अभिग्रहण के लिए दायी होंगे तथा अभिरक्षा या अभिग्रहण निर्मुक्त हो सकेगा–

(क) ऐसे माल पर लागू करके और संदेय करके 100 प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रूपए जो कम हो, के संदाय पर जहां माल का स्वामी ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता हैय

(ख) लागू करके और उस पर संदत्त कर रकम द्वारा कम करके माल के मूल्य का 50 प्रतिशत के बराबर शास्ति और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रूपए जो कम हो, के संदाय पर जहां माल का स्वामी ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता हैय

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति जो विहित की जाएं, में खंड (क) या खंड (ख) के अधीन संदेय रकम के समतुल्य प्रतिभूति को देने परय

परन्तु यह कि इस प्रकार का माल या अभिवहन माल का परिवहन करने के लिए व्यक्ति पर अभिरक्षा या अभिग्रहण के आदेश के तामील कराए बिना अभिरक्षा में या अभिग्रहण में नहीं लिया जाएगा।

(2) धारा 67 की उपधारा (6) के उपबंध माल की अभिरक्षा और अभिग्रहण और प्रवहण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(3) माल की अभिरक्षा या अभिग्रहण या प्रवहण करने वाला समुचित अधिकारी कर और संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात् खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन संदेय कर और शास्ति के लिए एक आदेश पारित करेगा।

(4) बिना संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए ब्याज या शास्ति उपधारा (3) के अधीन अवधारित नहीं की जाएगी।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम के संदाय पर उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट नोटिस की बाबत सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी।

(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी उपधारा (1) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का संदाय करने में ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण के सात दिन

में असफल रहता है तो अन्य कार्यवाहियां धारा 130 की शर्तों के अनुसार आरंभ की जाएंगी :

परन्तु यह कि जहां अभिरक्षा या अभिग्रहण का माल शीघ्र नष्ट होने योग्य या खतरनाक या समय के साथ मूल्य में हास की प्रकृति का है तो उक्त सात दिन की अवधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी।

माल की जब्ती या प्रवहण और शास्ति का उद्ग्रहण

130–(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति–

;पद्ध इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन निर्मित नियमों के किसी उल्लंघन में माल की पूर्ति या प्राप्ति कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता हैय या

;प्प्द्ध किसी माल के लिए लेखा नहीं रखता है जिस पर वह उस अधिनियम के अधीन कर संदाय के लिए दायी हैय या

;प्प्प्द्ध रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए बिना इस अधिनियम के अधीन कर योग्य किसी माल की पूर्तिय या

;टप्द्ध इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या तद्धीन बने नियमों का उल्लंघन कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता हैय या

;टद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में माल को ढोने के लिए परिवहन के रूप में किसी प्रवहण का प्रयोग करता है जब तक कि प्रवहण का प्रधान यह सिद्ध न कर दे कि उसका या उसके ऐजेंट की बिना जानकारी या

गठजोड़ के यह कार्य हुआ है, तब ऐसा सभी माल या प्रवहण जब्ती के लिए दायी होगा और वह व्यक्ति की धारा 122 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) जब कभी किसी माल या प्रवहण की जब्ती इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है तो उसको न्यायनिर्णयन करने वाला अधिकारी माल के स्वामी को जब्त माल के स्थान पर ऐसा जुर्माना जो उक्त अधिकारी ठीक समझे, संदाय करने का विकल्प दे सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसा उद्ग्रहणीय जुर्माना जब्त माल के बाजार मूल्य से उस पर प्रभारित कर घटाने पर प्राप्त मूल्य से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऐसा जुर्माना और उद्ग्रहणीय शास्ति धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम से कम नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि जहां माल को ढोने या भाड़े पर यात्रियों को ढोने में प्रयुक्त कोई ऐसा प्रवहण है वहां प्रवहण स्वामी को जब्त प्रवहण के स्थान पर उसमें परिवहन किए माल पर संदेय करके बराबर जुर्माना संदेय करने का विकल्प दिया जा सकेगा।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित माल या प्रवहण की जब्ती के स्थान पर जुर्माना किया गया है वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे माल का स्वामी या प्रवहण स्वामी या व्यक्ति इसके अतिरिक्त किसी ऐसे माल या प्रवहण की बाबत

किसी कर शास्ति और शोध्य प्रभारों के लिए दायी होगा।

(4) माल या प्रवहण की जब्ती या शास्ति का अधिरोपण का आदेश उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं जारी किया जाएगा।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी माल या प्रवहण को जब्त कर लिया गया है वहां ऐसे माल या प्रवहण का स्वामित्व सरकार में निहित हो जाएगा।

(6) जब्ती के न्यायनिर्णयन का समुचित अधिकारी जब्त वस्तुओं का कब्जा लेगा और धारण करेगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसे समुचित अधिकारी की अपेक्षा पर ऐसा कब्जा लेने और धारण करने में उसको सहयोग करेगा।

(7) समुचित अधिकारी स्वयं के समाधान के पश्चात् कि जब्त माल या प्रवहण इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाहियों में अपेक्षित नहीं है और जब्ती के स्थान पर जुर्माना देने के लिए तीन मास से अनधिक युक्तियुक्त समय देने के पश्चात् ऐसे माल या प्रवहण का निस्तारण करेगा और उसके विक्रय उत्पाद सरकार को जमा करेगा।

जब्ती या शास्ति अन्य दंडों से

131–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम और तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अधीन की गई जब्ती या अधिरोपित शास्ति किसी अन्य दंड जो

अधिनियम संख्या 2 सन् 1974

व्यतिरेक नहीं करेगा

उससे प्रभावित व्यक्ति को इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दायी है, के दंड से प्रवारित करेगा।

कतिपय अपराधों के लिए दंड

132–(1) जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है, अर्थात्–

(क) इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अपवंचन के आशय से करता हैय

(ख) इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में गलत प्राप्ति या निक्षेप कर प्रत्यय के प्रयोग या कर की वापसी के लिए माल या सेवा या दोनों की पूर्ति बिना बीजक या बिल के जारी करनाय

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल में प्रयोग का इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त करता हैय

(घ) कोई रकम कर के रूप में संगृहीत करता है किन्तु उसे उस तारीख से जिसको ऐसा संदाय देय हो जाता है, तीन मास की अवधि के पश्चात् तक सरकार को संदाय करने में असफल होता हैय

(ङ) कर अपवंचन, कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति या कपट से वापसी प्राप्त करना और जहां ऐसा अपराध खंड (क) से (घ) में नहीं

आताय

(च) इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय से अपवंचन के आशय से या तो वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झूठलाता है या झूठे लेखा या दस्तावेज प्रस्तुत करता है या किसी झूठी सूचना को प्रस्तुत करता हैय

(छ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकता है या प्रवारित करता हैय

(ज) किसी माल जिसे वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन जब्त करने के लिए दायी है, उसका कब्जा अर्जित करता है या परिवहन में स्वयं को किसी माध्यम से संबद्ध करता है, हटाता है या जमा करता है, रखता है, छिपाता है, पूर्ति करता है या विक्रय करता है या किसी अन्य रीति में निपटाता हैय

(झ) किसी माल को प्राप्त करता है या किसी अन्य प्रकार से उसके पूर्ति से संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा पूर्ति में लगा रहता है जिसको वह जानते हुए करता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में हैय

(ञ) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता हैय

(ट) किसी सूचना देने में असफल रहता है जिसे उसे इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन पूर्ति के लिए वह अपेक्षित है (बिना युक्तियुक्त विश्वास सहित, सिद्ध करने का भार जो उस पर है कि उसके द्वारा पूर्ति की गई सूचना सत्य है) या झूठी सूचना देता है, या।

(ठ) इस धारा के खंड (क) से खंड (ट) में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी के कारित करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता हैय

दंडनीय होगा–

(i) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई निवेश के प्रत्यय की रकम या प्रयोग की जा चुकी या वापस प्राप्त की गई रकम पांच सौ लाख रुपये से अधिक है ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने सेय

(ii) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई निवेश के प्रत्यय की रकम या प्रयोग की जा चुकी या वापस प्राप्त की गई रकम दो सौ लाख रूपए से अधिक है लेकिन पांच सौ लाख रुपये से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने सेय

(iii) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई निवेश के प्रत्यय की रकम या प्रयोग की जा चुकी या वापस प्राप्त की

गई रकम एक सौ लाख रूपए से अधिक लेकिन दो सौ लाख रुपये से अनिधक है तो ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने सेय

(iv) खंड (च) या खंड (छह) या खंड (ज) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करता है या अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का दोषसिद्ध है तथा पुनः इस धारा के अधीन दोषसिद्ध होता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से,

(3) उपधारा (1) के खंड ;पद्ध, ;पपद्ध और ;पपपद्ध और उपधारा (2) में निर्दिष्ट करावास विशेष और उचित कारण जिन्हें न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित की गई है की अनुपस्थिति में छह मास से कम अवधि का नहीं होगा।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1974

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध उपधारा (5) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय असंगेय और जमानतीय होगा।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट और उस

उपधारा के खंड ;पद्ध के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होगा।

(6) कोई व्यक्ति आयुक्त की पूर्व अनुमति बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा।

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017 अधिनियम संख्या 13 सन् 2017 अधिनियम संख्या 15 सन् 2017

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए पद ''कर'' में अपवंचित कर की रकम या गलत रूप से रखी गई कर प्रत्यय की रकम या प्रयुक्त की गई रकम या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गलत रूप से ली गई रकम केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम 2017 के अधीन उद्गृहित उपकर सम्मिलित है।

अधिकारियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों का दायित्व

133–(1) जहां कोई व्यक्ति जो धारा 151 के अधीन सांख्यिकियों के संग्रहण या समेकन या उनके कंप्यूटरीकरण या यदि धारा 150 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना तक पहुंच के लिए राज्य कर का कोई अधिकारी लगा हुआ है या समान पोर्टल पर सेवा के उपबंधों के संबंध में लगा कोई व्यक्ति या यदि समान पोर्टल के अभिकर्ता इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन किसी विवरणी के अंश उक्त धाराओं के अधीन उसके कर्तव्यों के निष्पादन से अन्यथा या इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के प्रयोजन से अन्यथा के लिए जानबूझकर सूचना का प्रकटीकरण करता है तो वह

ऐसे कारावास से जो छह मास तक का होगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रूपए या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति,–

(क) जो सरकारी सेवक है, इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सरकार की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जा सकेगाय

(ख) जो सरकार सेवक नहीं है, इस धारा के अधीन अपराध के लिए आयुक्त की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जा सकेगा।

अपराध का संज्ञान

134–न्यायालय इस अधिनियम का तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान बिना आयुक्त की पूर्व अनुमति के नहीं लेगा और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से कम का न्यायालय इस अपराध का विचारण नहीं करेगा।

आपराधिक मानसिक दशा का अनुमान

135–इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियोजन जो आपराधिक मानसिक दशा अभियुक्त के भाग पर अपेक्षित है, न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता को अनुमान लगाएगा लेकिन अभियुक्त के लिए यह तथ्य सिद्ध करने के लिए यह बचाव होगा कि वह इस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत इस मानसिक स्थित का नहीं था।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिये,–

;पद्ध ''आपराधिक मानसिक दशा'' पद में आशय, उद्देश्य, तथ्य का ज्ञान और उसमें

विश्वास या विश्वास करने का कारण, एक तथ्य हैय

;पपद्ध एक सिद्ध किया हुआ केवल तब कहा जाएगा जब न्यायालय इस पर बिना युक्तयुक्त संदेह के विश्वास करता है और केवल इसलिए जब इसकी विद्यमानता प्राथमिकता की संभाव्यता द्वारा स्थापित है।

कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथन की सुसंगतता

136–इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के दौरान धारा 70 के अधीन जारी किसी सम्मन के संदर्भ में हाजिर व्यक्ति द्वारा किया और हस्ताक्षरित कथन इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा, तथ्यों की सत्यता जिसमें अन्तर्विष्ट होगा–

(क) जब कोई व्यक्ति जिसने कथन किया था मर गया है या नही मिल पा रहा है या साक्ष्य देने में अक्षम है या विरोधी पक्ष द्वारा हटा दिया गया है या जिसकी देरी या व्यय के बिना उपस्थिति नहीं प्राप्त की जा सकती है, जिसे मामले की परिस्थितियों के अधीन न्यायालय अनौचित्यपूर्ण मानता हो या

(ख) जब किसी व्यक्ति जिसने कथन किया है और न्यायालय के समक्ष मामले में साक्षी के रूप में उसका परीक्षण किया गया है और न्यायालय का मत है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कथन को न्यायहित में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

कंपनियों द्वारा अपराध

137–(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी अपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी भागीदारी फर्म या किसी सीमित दायित्व भागीदारी या किसी हिन्दू अविभक्त परिवार या किसी न्यास के भागीदार या कर्ता या प्रबंध, न्यासी होने के कारण किया जाता है, उक्त अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही के लिए दायी होंगे तथा दण्डित किये

जायेंगे। ऐसे व्यक्तियों को उपधारा (2) के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसे ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

;पद्ध ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम हैय और

;पपद्ध फर्म के संबंध में, निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अपराधों का प्रशमन

138–(1) इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध या तो अभियोजन के संस्थित करने या उसके पश्चात् अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसे प्रशमन रकम को ऐसी रीति से संदाय पर, जो विहित की जाए, आयुक्त द्वारा प्रशमनीय होगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी–

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017
अधिनियम संख्या 13 सन् 2017

(क) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संदर्भ में प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया था और खंड (1) में विनिर्दिष्ट अपराध जिससे उक्त उपधारा के

खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट अपराध से संबंधित है :

(ख) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन या एक करोड़ रूपए से अत्यधिक मूल्य की पूर्ति के संबंध में, किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के उपबंधों के अधीन जो खंड (क) से भिन्न किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमन के लिए अनुज्ञात किया गया था

(ग) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने का अभियुक्त है, जिसने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध भी किया है

(घ) कोई व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका है

(ङ) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (छह) या खंड (ञ) या खंड (ट) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त है और

(च) कोई अन्य व्यक्तियों या अपराधों का वर्ग जो विनिर्दिष्ट किया जाए

परन्तु यह और कि इस धारा के उपबंधों के अधीन कोई प्रशमन अनुज्ञात होगा तो किसी अन्य

विधि के अधीन संस्थित कार्यवाहियों, यदि कोई हो, पर प्रभाव नहीं डालेगा।

परन्तु यह और भी कि ऐसे अपराधों में केवल अंतर्वलित कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करने के पश्चात् प्रशमन अनुज्ञात होगा।

(2) इस धारा के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए रकम, न्यूनतम रकम दस हजार रुपए या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रूपए या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

(3) आयुक्त द्वारा अवधारित ऐसे प्रशमन रकम के संदाय पर समान अपराध और किसी अन्य दांडिक कार्यवाहियों के संबंध में अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन संस्थित नहीं होगी, और यदि उक्त अपराध के संबंध में पहले से ही संस्थित है, समाप्त हो जाएगी।

अध्याय 20

संक्रमणकालीन उपबंध

विद्यमान करदाताओं का प्रवर्जन

139–(1) नियत दिन से ही विद्यमान विधियों में से किसी के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विधिमान्य स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अनंतिम आधार पर ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी होगा, जिसे जब तक कि उपधारा (2) के अधीन अंतिम

प्रमाण–पत्र द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता, रद्दकरण के लिए दायी होगा यदि इस प्रकार विहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है।

(2) रजिस्ट्रीकरण का अंतिम प्रमाण–पत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रदान किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उक्त रजिस्ट्रीकरण ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में निरस्त है कि वह धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था।

निवेष प्रतिदेय कर के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं

140–(1) धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाता में नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी जिसे उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत किया गया है, मूल्य संवर्धित कर और प्रवेश कर की रकम यदि कोई हो की रकम के प्रत्यय को अग्रनीत करने के लिए हकदार होगाः

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्यय लेने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा, अर्थात्ः–

;पद्ध जहां प्रत्यय की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं हैय या

;पपद्ध जहां वह नियत दिन के तत्काल पूर्व छह मास की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणी को नहीं देता है, या

औद्योगिक प्रोत्साहन रखने वाले राज्यों को लागू

अधिनियम संख्या 74 सन् 1956

परन्तु यह और कि उक्त प्रत्यय की उतनी रकम, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 धारा 3, या धारा 5 की उपधारा (3), धारा 6, धारा 6 क या धारा 8 की उपधारा (8)
से संबंधित किसी ऐसे दावे के कारण है, जिसे केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति और अवधि के भीतर सिद्ध नहीं किया गया है, इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किए जाने की पात्र नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की समतुल्य रकम का उस समय विद्यमान विधि के अधीन प्रतिदाय किया जाएगा जब उक्त दावों को केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति में सिद्ध कर दिया जाता है।

(2) धारा 10 के अधीन संदेय कर का विकल्प देने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूंजी माल के संबंध में अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय की जमा अपने इलेक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का, जो विवरणी में अग्रनीत नहीं की है, उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी विहित रीति में नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन लेने को समाप्ति अवधि के लिए हकदार होगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय उक्त जमा को जब तक जमा करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा और जब तक कि इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में भी अनुज्ञेय है।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए ''अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय'' पद से वह रकम अभिप्रेत है जो कि इनपुट कर प्रत्यय की रकम के घटाने के पश्चात् शेष रहती है जिसका उक्त व्यक्ति ने इनपुट कर प्रत्यय की औसत रकम से विद्यमान विधि के अधीन कराधेय व्यक्ति द्वारा पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय की रकम प्राप्त कर ली है जो विद्यमान विधि के अधीन उक्त पूंजी माल के संबंध में हकदार था :

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था। या जो किसी विद्यमान विधि के अधीन ऐसे छूट प्राप्त या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, या ऐसे मालों, जिन पर राज्य में उनके विक्रय के प्रथम बिन्दु पर कर लगाया गया है और उनके प्रश्चात्यवर्ती विक्रय राज्य में करके अधीन नहीं है, के विक्रय में लगा है, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं (या जहां व्यक्ति मालों के विक्रय के समय इनपुट कर प्रत्यय के लिए हकदार था), अपने इलेक्ट्रानिक जमा खातों में स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित अर्ध–निर्मित माल या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में नियत दिन को मूल्यसंवर्धित कर, यदि कोई हो,

के प्रत्यय के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हकदार होगा, अर्थात् :–

;पद्ध इस अधिनियम के अधीन कराधेय पूर्ति करने के लिए ऐसे निवेश या मालों के उपयोग या कराधेय पूर्ति करने के लिए उपयोग के आशयित हैय

;पपद्ध इस अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे निवेशों पर निवेश प्रतिदेय कर के लिए पात्र होगा

;पपपद्ध उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कब्जे में बीजक या ऐसे अन्य विहित दस्तावेज, जो ऐसे इनपुटों के संबंध मे विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य स्वरूप है, रखता है

;पअद्ध नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती बारह मासों से पूर्वतर जारी किए गए ऐसे बीजक या अन्य विहित दस्तावेज जारी नहीं किए गए थे :

परन्तु जहां किसी विनिर्माता या सेवाओं के प्रदाता से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इनपुटों के संबंध में कर के संदाय का साक्ष्य कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज नहीं रखता है तब ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, जिसके अन्तर्गत उक्त कराधेय व्यक्ति ऐसी जमा के लाभ हस्तांतरित करने को प्राप्तकर्ता को मूल्य की कमी के द्वारा ऐसे जमा को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसी दर पर जमा करने का अनुज्ञात होगा।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन ऐसे कराधेय मालों के साथ–साथ छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, किन्तु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं, के विनिर्माण में लगा है, अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा,–

(क) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी में अग्रनीत मूल्यवर्धित कर, यदि कोई हो, के जमा की रकम : और

(ख) उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के संबंध में नियत दिन को स्टाक में रखे गए इनपुटों और अर्ध–निर्मित या तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में मूल्य संवर्धित कर यदि कोई हो, के प्रत्यय की रकम।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुटों के संबंध मे अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में मूल्य संवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, की जमा को लेने का हकदार होगा, किन्तु जिसके सम्बन्ध में कर का संदाय विद्यमान विधि के अधीन पूर्तिकार द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके बीजक या किसी अन्य कर संदाय संबंधी दस्तावेज को, नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर

ऐसे व्यक्ति की लेखा बहियों में लेखबद्ध किया गया था :

परन्तु तीस दिन की अवधि पर्याप्त कारण दर्शित करने पर तीस दिन की और अधिक अवधि आयुक्त द्वारा विस्तारित होगीः

परन्तु यह और कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन जमा के सम्बन्ध में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विवरणी देगा।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय करता था या विद्यमान विधि के अधीन संदाय योग्य कर के बदले में नियत रकम का संदाय करता था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को अपने स्टाक में अंतर्विष्ट अर्ध–निर्मित या निर्मित मालों के निवेश को स्टाक में धारित स्टाक और निवेश के सम्बन्ध में पात्र शुल्क की जमा अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात् :–

;पद्ध इस अधिनियम के अधीन ऐसे निवेश या मालों जो प्रयोग किए गए हैं या कराधेय पूर्ति करने के लिए आशयित हैय

;पपद्ध उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय नहीं करता हैय

;पपपद्ध उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे निवेशों पर निवेशों पर निवेश प्रतिदेय कर के लिए पात्र हैय

;पअद्ध उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निवेश के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के

साक्ष्य के रूप में बीजक या अन्य विहित दस्तावेज कब्जे में हैंय और

(v) ऐसे बीजक और अन्य विहित दस्तावेज नियत तारीख के तत्काल पूर्ववर्ती बारह मास से पूर्व जारी नहीं किए गए थे।

(7) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (6) के अधीन प्रत्यय की रकम ऐसी रीति में प्रगणित होगी, जो विहित की जाए।

फुटकर काम के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध

141–(1) नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, जहां कोई इनपुट, कारबार के एक स्थान पर प्राप्त होता है और उसे उसी रूप में आगे और प्रसंस्करण, जांच, मरम्मत, पुनर्नुकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी कर्मकार को आंशिक रूप से प्रसंस्करण के प्रश्चात् प्रेषित कर दिया जाता है और ऐसे इनपुटों को उक्त स्थान पर नियत दिन को या उसके पश्चात् वापस भेजा जाता है तो उस समय कोई कर संदेय नहीं होगा, यदि ऐसे इनपुटों को फुटकर काम के पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर वापस भेज दिया जाता है।

परन्तु छह मास की अवधि पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए आयुक्त द्वारा बढ़ायी जा सकेगीः

परन्तु यह और कि यदि ऐसा निवेश इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142

की उपधारा (8) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किये जाने का दायी होगा :

(2) जहां कोई अर्द्ध तैयार माल कारबार के किसी स्थान से नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार कतिपय विनिर्माणकारी प्रक्रियाएं करने के लिए किसी अन्य परिसर को प्रेषित किया गया था और ऐसा माल (जिसे इसके पश्चात् इस उपधारा में उक्त माल कहा गया है) नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान को वापिस लौटाया जाता है तो कोई कर संदय नहीं होगा यदि उक्त माल, विनिर्माणकारी प्रक्रियाएं करने या अन्यथा के पश्चात् नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है:

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छह मास की अवधि को दो मास से अनधिक अवधि तक बढ़ाने के लिए आयुक्त द्वारा विस्तार किया जाएगाः

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल करने के लिये दायी होगा :

परन्तु यह भी कि मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, नियत दिन से भारत में कर के संदाय पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसरों में उक्त मालों को, वहां से आगे उनका कहीं और पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए या, यथास्थिति, छह मास के भीतर

या विस्तारित अवधि के भीतर या निर्यात के लिए कर के संदाय के बिना अंतरित कर सकेगा।

(3) जहां कारबार के स्थान पर कोई विनिर्मित किया गया उत्पाद–शुल्क योग्य माल विनिर्माता को बिना बताए किसी अन्य प्रक्रिया अथवा बाहर परीक्षण कराए जाने हेतु शुल्क के बिना संदाय के किसी अन्य परिसर में हटा दिया गया था विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में नियत की गई तारीख और ऐसे माल के लिए पूर्व में उक्त कारबार के स्थान पर अथवा नियत की गई तारीख के प्रश्चात् वापस किया जाता है, कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल परीक्षण के अधीन अथवा किसी अन्य प्रक्रिया से नियुक्त तारीख से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर वापस किया जाता है :

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छह मास की अवधि को, आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक की आगे और अवधि के लिए विस्तारित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में वसूल करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर से भारत में करके संदाय पर उक्त अन्य परिसरों में उक्त मालों को, वहां से आगे उनका कहीं और पूर्ति करने

के प्रयोजन के लिए या, निर्यात के लिए कर के संदाय के बिना अंतरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन कर उस समय संदेय नहीं होगा, यदि केवल विनिर्माता और कार्य–कर्मकार यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर और उस प्ररूप और रीति में नियत तारीख पर विनिर्माता की ओर से कार्य–कर्मकार द्वारा स्टाक में रखे माल अथवा निवेश के ब्यौरे में घोषणा करेगा।

प्रकीर्ण संक्रमण कालीन उपबंध

142–(1) जहां किसी माल पर कोई कर, यदि कोई है, उसके विक्रय के समय पर विद्यमान विधि के अधीन देय किया गया था, नियत तारीख से छह मास पूर्व का समय ना हुआ हो, नियत तारीख को अथवा उसके पश्चात् कारबार के स्थान पर वापिस किया जाता है, तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन देय शुल्क के वापस किए जाने के लिए पात्र होगा जहां ऐसा माल नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कारबार के उक्त स्थान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा वापस किया जाता है तथा ऐसे माल उचित अधिकारी के समाधान पर्यन्त पहचान योग्य है :

परन्तु यह कि उक्त माल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वापस किया जाता है, ऐसे माल की वापसी आपूर्ति के लिए समझी जाएगी।

(2) (क) जहां नियत तारीख से पूर्व में किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनों की कीमत नियत तारीख को या उसके

पश्चात् उससे पूर्व ऊपर की ओर पुनरीक्षित की जाती है, तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल का विक्रय किया है, ऐसे पुनरीक्षित कीमत की 30 दिन की अवधि के भीतर जैसा विहित किया जाए ऐसी विशिष्टियों में अंतर्विष्ट अनुपूरक बीजक अथवा डेबिट नोट प्राप्तिकर्ता को जारी करेगा तथा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा नामे नोट को इस नियम के अधीन की गई बाहरी आपूर्ति के संबंध में जारी किया समझा जाएगा।

(ख) जहां नियत तारीख से पूर्व में किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनों की कीमत नियत तारीख को अथवा उसके पश्चात् नीचे की ओर पुनरीक्षित की जाती है, तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसने मालों का विक्रय किया था, ऐसे पुनरीक्षित कीमत की 30 दिन की अवधि के भीतर जैसा विहित किया जाए ऐसी विशिष्टयों में अंतर्विष्ट अनुपूरक बीजक अथवा जमापत्र प्राप्तिकर्ता को जारी करेगा तथा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा जमा–पत्र को इस नियम के अधीन की गई बाहरी आपूर्ति के संबंध में जारी किया समझा जाएगा :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को केवल प्रत्यय नोट के जारी किए जाने पर दायी उसके कर को कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि प्रत्यय नोट के प्राप्तिकर्ता ने कर दायित्व की

ऐसी कटौती के अनुरूप अपना इनपुट कर प्रत्यय में कटौती कर दिया है।

(3) विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय, कर, ब्याज अथवा कोई अन्य रकम, के प्रतिदाय हेतु किसी व्यक्ति के द्वारा फाइल किए गए प्रतिदाय के लिए प्रत्येक दावा विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाया जाएगा और उसके लिए प्रोदभूत की गई पारिणामिक किसी रकम को विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी, नगद संदेय किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां इनपुट कर प्रत्यय की रकम के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार अस्वीकृत रकम व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है।

(4) नियुक्त तारीख के पश्चात् अथवा उसके पूर्व निर्यात किए गए किसी माल या सेवा के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन किसी संदत्त कर के प्रतिदाय हेतु नियत तारीख के पश्चात् फाइल किए गए प्रतिदाय हेतु प्रत्येक दावा, विद्यमान विधि के अनुसार निपटाया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार अस्वीकृत रकम व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है।

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नियत दिन से पूर्व उलट दिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कोई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर के प्रत्यय के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।

(6) (क) आशयित इनपुट कर प्रत्यय हेतु दावे के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनःर्विलोकन अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो तथा दावा करने के लिए स्वीकार की गई पायी जाने वाली प्रत्यय की कोई रकम विद्यमान विधि के अधीन नगद प्रतिदाय किया जाएगा और वह रकम अस्वीकार की जाएगी यदि कोई हो, जो इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की गयी है :

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है।

(ख) आशयित इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख को, उसके पश्चात् अथवा उसके पूर्व की गई हो विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाई जाएगी तथा यदि कोई प्रत्यय

की रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा या निदेश के परिणाम के रूप में वसूली योग्य है उसी रूप में विद्यमान विधि के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रूप में वसूली की जायेगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन निवेशकर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(7) (क) आशयित बाहरी शुल्क अथवा देय करके संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाई जाएगी तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा या निदेश के परिणाम के रूप में वसूल योग्य है उसी रूप में विद्यमान विधि के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन शुल्क अथवा कर के किसी बकाया के रूप में वसूली की जायेगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) आशयित आउटपुट कर दायित्व के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार निपटाई जाएगी तथा कोई दावाकृत रकम स्वीकार योग्य पाई जाती है तो विद्यमान विधि के उपबंधों के

अनुसार नगद प्रतिदाय किया जाएगा और वह अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(8) (क) जहां विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन को या उसके पश्चात् संस्थित निर्धारण या न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के अनुसरण में किसी कर, ब्याज, जुर्माना या शास्ति की रकम किसी व्यक्ति से वसूलनीय हो जाती है तो उस रकम को जब तक कि विद्यमान विधि के अधीन वसूल न की गई हो इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूला जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(ख) जहां विद्यमान विधि के अधीन नियम दिन को या उसके पश्चात् संस्थित निर्धारण या न्याय निर्णयन कार्यवाहियों के अनुसार में किसी कर, ब्याज, जुर्माना या शास्ति की रकम कराधेय व्यक्ति को प्रतिदेय हो जाती है तो उस रकम का उसे उक्त विधि के अधीन नकद में प्रतिदाय किया आएगा और अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(9) (क) जहां विद्यमान विधि के अधीन प्रस्तुत की गयी किसी विवरणी का नियत दिन के पश्चात् पुनरीक्षण किया जाता है और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम वसूलनीय पायी जाती है

अथवा इनपुट कर प्रत्यय की रकम अननुज्ञेय पायी जाती है तो उसको, यदि विद्यमान विधि के अधीन वसूल न कर लिया गया हो, तब उसकी वसूली इस अधिनियम के अन्तर्गत करके बकाया के रूप में की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गयी रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(ख) जहां कोई विवरणी विद्यमान विधि के अधीन तैयार की गई हो, नियत तारीख के पश्चात् परन्तु विद्यमान विधि के अधीन ऐसे पुनरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पुनरीक्षित की जाती है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम प्रतिदाय की जाती है अथवा इनपुट कर प्रत्यय किसी कर योग्य व्यक्ति के लिए स्वीकार्य पाई जाती है, विद्यमान विधि के अधीन इसे नगद प्रतिदाय किया जाएगा और वह रकम अस्वीकार की जाएगी यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(10) इस अध्याय में यथा उपबंधित के सिवाय नियत तारीख के पूर्व की गई किसी संविदा के अनुसरण में नियत तारीख के पश्चात् अथवा माल या सेवा अथवा दोनों आपूर्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के लिए दायी होगा।

(11) (क) धारा 12 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन मालों पर कोई कर उस विस्तार तक संदेय नहीं होगा जिस

अधिनियम संख्या 5 सन् 2008

अधिनियम संख्या 32 सन् 1994

अधिनियम संख्या 32 सन् 1994

तक उक्त मालों पर उत्तर प्रदेश मूल्य संबर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन उद्ग्रहीत किया गया था।

(ख) धारा 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सेवाओं पर कोई कर उस सीमा तक देय नहीं होगा जिस सीमा तक वह वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन उक्त सेवाओं पर उद्ग्रहीत किया गया था।

(ग) जहां उत्तर प्रदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2008 और वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन दोनों से किसी आपूर्ति पर कर देय था, ऐसा कर इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत किया जाएगा तथा कर योग्य व्यक्ति नियत तारीख के पश्चात् की गई पूर्तियों की सीमा तक विद्यमान विधि के अधीन मूल्यवर्धित कर या सेवा कर के प्रत्यय को लेने के लिए हकदार होगा तथा ऐसे प्रत्यय की उस रीति में जैसी विहित की जाए गणना की जाएगी।

(12) जहां कोई माल नियत तारीख के पूर्व छह मास से पूर्व अनधिक अवधि के अनुमोदन के आधार पर भेजा जाता है, वहां क्रेता द्वारा वापस किया जाता है अथवा अनुमोदन नहीं किया जाता है और नियत तारीख के पश्चात् अथवा उस तारीख को विक्रेता को वापस किया जाता है, उस पर कोई कर नहीं देय होगा यदि ऐसा माल नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर वापस किया जाता है :

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छह मास की अवधि को, दो मास से अनधिक अविध तक बढ़ाने के लिए आयुक्त द्वारा विस्तार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि कर माल के वापस किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा देय होगा यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर लिए दायी होता है तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् वापस किया जाता है :

परन्तु यह भी कि कर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा संदेय किया जाएगा जिसने अनुमोदन के आधार पर माल को भेजा है यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी है, तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008

(13) जहां पूर्तिकार ने ऐसे माल का कोई विक्रय किया है जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश मूल्य संबर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था और नियत तारीख के पूर्व बीजक भी जारी किया गया है, धारा 51 के अधीन स्रोत पर उक्त धारा के अधीन कटौतीकर्ता के द्वारा किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी जहां उक्त पूर्तिकार को संदाय नियत तारीख के पश्चात् किया जाता है।

(14) जहां प्रधान के कोई माल या पूंजी माल नियत दिन को अभिकर्ता के परिसरों में रखे हैं, वहां अभिकर्ता निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के

अधीन रहते हुए ऐसे मालों पर संदत्त कर का प्रत्यय लेने के लिए हकदार होगा, अर्थात् :–

;पद्ध अभिकर्ता इस अधिनियम के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति हैय

;पपद्ध प्रधान और अभिकर्ता, दोनों ही नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को ऐसे अभिकर्ता के पास रखे मालों या पूंजी मालों के स्टॉक के ब्यौरों की घोषणा ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर करते हैं। जो इस निमित्त विहित किया जाएय

;पपपद्ध ऐसे मालों या पूंजी मालों के लिए बीजक नियत दिन से ठीक पूर्व के बारह मासों की अवधि से पूर्व जारी नहीं किए गए थेय और

;पअद्ध प्रधान ने या तो ऐसे,–

(क) मालोंय या

(ख) पूंजी मालोंय

के संबंध में या तो इनपुट कर प्रत्यय को वापस कर दिया है या उसका फायदा नहीं लिया है या ऐसे प्रत्यय का फायदा ले लेने के पश्चात् उसे, उसके द्वारा लिए गए फायदे की सीमा तक वापस लौटा दिया है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008

स्पष्टीकरण–इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ''पूंजी माल'' पद का वही अर्थ होगा, जो उसका उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 में उसके लिए समनुदेशित है।

अध्याय 21

प्रकीर्ण

छुटपुट कार्य की प्रक्रिया

(1) 143–कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (इसके पश्चात् इस धारा में ''प्रधान'' के रूप में निवेशित किया गया है)। ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाए और सूचना के अधीन छुटपुट कार्य के लिए छुटपुट कार्यकर्ता को बिना कर के संदाय के कोई निवेश अथवा पूंजीमाल भेज सकता है तथा पश्चात्वर्ती रूप में अन्य छुटपुट कार्यकर्ता को भेज सकता है, और–

(क) छुटपुट कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात् या अन्यथा निवेष या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न पूंजी माल कर के संदाय के बिना, कारबार के उसके किसी स्थान को उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, वापस लाएगा :

(ख) छुटपुट कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात् या अन्यथा निवेश या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों से भिन्न पूंजी माल, भारत के भीतर कर के संदाय पर अथवा निर्यात के लिए कर संदाय के साथ या उसके बिना या जैसी स्थिति हो छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से उनके बाहर भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, आपूर्ति करेगा :

परन्तु यह कि प्रधान खंड (ख) के निबंधनों में छूटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से माल की आपूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक उक्त प्रधान उस दशा के सिवाए कारबार के अतिरिक्त स्थान की घोषणा नहीं करता है–

;पद्ध जहां छुटपुट कर्मकार धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैय अथवा

;पपद्ध जहां प्रधान ऐसे माल की आपूर्ति में लगा हुआ है जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(2) निवेश अथवा पूंजी माल के लिए लेखाओं का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व प्रधान पर होगा।

(3) जहां छुटपुट कार्य हेतु भेजा गया निवेश उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में छुटपुट कार्यों से भिन्न कार्य के पूरा होने के पश्चात् प्रधान द्वारा वापस नहीं लिया जाता है अथवा उसके बाहर भेजे जाने के एक वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से आपूर्ति नहीं की जाती है, इसे यह समझा जाएगा कि ऐसे निवेश की छुटपुट कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा आपूर्ति की गई थी उस दिन जब उक्त निवेश बाहर भेजे गए थे।

(4) जहां छुटपुट कार्य हेतु भेजे गए सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न पूंजी माल उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में प्रधान द्वारा वापस नहीं लिया जाता है अथवा उसके बाहर भेजे जाने की तीन वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से आपूर्ति नहीं की जाती है, इसे यह समझा जाएगा कि ऐसे पूंजी माल छुटपुट कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा आपूर्ति की गई थी उस दिन जब उक्त पूंजी माल बाहर भेजे गए थे।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अपशिष्ट और छुटपुट कार्य के दौरान उत्पादित स्क्रेप करके संदाय पर कारबार के उसके स्थान से सीधे छुटपुट कर्मकार के द्वारा आपूर्ति की जा सकती है, यदि ऐसा छुटपुट कर्मकार रजिस्ट्रीकृत है अथवा प्रधान द्वारा यदि छुटपुट कर्मकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है।

स्पष्टीकरण–छुटपुट कार्य के उद्देश्य हेतु निवेश में प्रधान या किसी छुटपुट कर्मकार द्वारा निवेश पर किये गए किसी उपाय या कार्रवाई से उद्भूत होने वाले मध्यवर्ती माल सम्मिलित है।

कतिपय मामलों में दस्तावेजों के लिए उपधारणा, छूट प्राप्त

144–जहां कोई दस्तावेज–

;पद्ध इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता हैय अथवा

;पपद्ध इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण से अभिग्रहण किया गया हैय अथवा

;पपपद्ध इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाही के क्रम में भारत के बाहर किसी स्थान से प्राप्त किया गया है, और ऐसा दस्तावेज उसके अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसने उससे संयुक्त होने का प्रयास किया हो, उसके विरुद्ध अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया हो, न्यायालय–

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, उपधारणा की जाएगी।

;पद्ध ऐसे दस्तावेज की अंतर्वस्तु की सत्यता :

;पपद्ध यह कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज का प्रत्येक अन्य भाग जिसका तात्पर्य किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा हस्तलिखित हो अथवा जिसे न्यायालय ने उचित कारणों के लिए हस्ताक्षर कराया हो अथवा किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा हस्तलिखित किया गया हो और ऐसे निष्पादित या अभिप्रमाणित दस्तावेज की दशा में इस प्रकार उसका तात्पर्य निष्पादन या अभिप्रमाणन किया गया होय

(ख) यह होते हुए भी कि यह सम्यकतः स्टांपित नहीं है, दस्तावेज साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगा, यदि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य के रूप में अन्यथा ग्राह्य है।

दस्तावेज के रूप में और साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों और कम्प्यूटर प्रिंट आउट की माईक्रो फिल्म, प्रतिकृति प्रतियों की ग्राह्यता

145–(1) तत्समयप्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए–

(क) ऐसे माईक्रोफिल्म में लगी हुई छाया या छायाओं के पुनर्उत्पादन या दस्तावेजों की माईक्रोफिल्म (चाहे वह बड़ी हो अथवा नहीं)य या

(ख) किसी दस्तावेज की प्रतिकृति प्रतिय या

(ग) किसी दस्तावेज में अन्तर्विष्ट कोई विवरण और जिसमें किसी कम्प्यूटर द्वारा जनित कोई मुद्रित सामग्री भी शामिल है, ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाएय या

(घ) किसी युक्ति या संचार माध्यम में इलैक्ट्रोनिक रूप से भंडारित कोई सूचना जिसमें ऐसी सूचना की हार्ड प्रतियां भी शामिल है, को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजन के लिए एक दस्तावेज के रूप में समझा जाएगा और उसके अधीन किसी कार्रवाई में, किसी और सबूत या मूल दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के बिना ही ऐसे ग्राह्य होगा जैसे मूल दस्तावेज की कोई विषय वस्तु के साक्ष्य के रूप में या उसमें कथित कोई तथ्य या साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में कथन करने की इच्छा की गयी है, कोई ऐसा प्रमाण–पत्र–

(क) जो ऐसे दस्तावेज को परिलक्षित करता है जिसमें कथन अन्तर्विष्ट है और उस रीति का वर्णन करता है जिसमें इसे लिया गया हैय

(ख) जो उस दस्तावेज को बनाने में शामिल किसी युक्ति की ऐसी विशिष्टियों को देता है जो यह प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि दस्तावेज को किसी कम्प्यूटर द्वारा बनाया गया था, प्रमाण–पत्र में कथित किसी मामलें का साक्ष्य होगा और इस उपधारा से प्रयोजन हेतु यह इसका कथन करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी और विश्वास से कहा गया कथन होने के मामले में पर्याप्त होगा।

सामान्य पोर्टल

146–सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकरण प्रसुविधा, करके संदाय, विवरणी के प्रस्तुतीकरण एकीकृत कर की संगणना और निपटान इलेक्ट्रोनिक वे बिल को सुकर बनाने के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाए के लिए सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल को अधिसूचित कर सकेगी।

निर्यात समझा जाना

147–सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर जहां पूर्ति किया गया माल भारत नहीं छोड़ता है और ऐसी पूर्ति के लिए संदाय भारतीय रूपए या संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो गया है, यदि ऐसा माल भारत में विर्निमित किया गया है, कतिपय माल की पूर्ति को निर्यात के रूप में समझा जाना अधिसूचित कर सकेगी।

कतिपय प्रक्रियाओं के लिए विशेष पद्धति

148–सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों और सुरक्षा के अधीन जो विहित किए जाए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्गों और ऐसे कराधेय व्यक्तियों, जिसमें रजिस्ट्रीकरण से संबंधित, विवरणी का प्रस्तुतीकरण कर का संदाय और ऐसे कराधेय व्यक्तियों का प्रशासन भी शामिल है, द्वारा अनुसरण की जाने वाली विशेष पद्धति को अधिसूचित कर सकेगी।

माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग

149–(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुपालन के उसके अभिलेख पर आधारित सरकार द्वारा एक माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग समानुदेशित कर सकेगी।

(2) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग गणना को ऐसे मानकों के आधार पर जो विहित किए जाए, अवधारित किया जा सकेगा।

(3) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग गणना को अवधारित अन्तरालों पर अद्यतन किया जा सकेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सूचित किया जा सकेगा तथा ऐसी रीति जो विहित की जाए पब्लिक डोमेन में भी रखी जा सकेगी।

सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता

150–(1) कोई व्यक्ति–

(क) कोई कराधेय व्यक्ति होने के कारणय या

(ख) कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य पब्लिक निकाय या संगम होने के कारणय या

(ग) मूल्य संवर्धित कर या विक्रय कर या राज्य उत्पाद कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार का कोई प्राधिकारी या उत्पाद–शुल्क या सीमा शुल्क के संग्रहण के लिए उत्तरायी केन्द्र सरकार का कोई प्राधिकारी होने के कारणय या

अधिनियम संख्या 43 सन् 1961

(घ) आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई आयकर प्राधिकारी होने के कारणय या

अधिनियम संख्या 2 सन् 1934

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क के खंड (क) के अर्थ के अन्तर्गत कोई बैंक कंपनीय या

अधिनियम संख्या 36 सन् 2003

(च) विद्युत अधिनियम, 2003 या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्यों से न्यस्त कोई इकाई के अधीन कोई राज्य विद्युत बोर्ड या कोई विद्युत वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारकय या

अधिनियम संख्या 16 सन् 1908

(छ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रारय या

अधिनियम संख्या–18 सन् 2013

(ज) कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थान्तर्गत कोई रजिस्टारय या

अधिनियम संख्या 59 सन् 1988

अधिनियम संख्या 30 सन् 2013

(झ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटर यान का रजिस्ट्रार करने को सशक्त करने वाला रजिस्टर करने वाला प्राधिकारीय या

(ञ) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कलेक्टरय या

अधिनियम संख्या 42 सन् 1956

(ट) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजय या

अधिनियम संख्या 22 सन् 1996

(ठ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) में निर्दिष्ट निक्षेपागारय या

अधिनियम संख्या 2 सन् 1934

(ड़) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन यथागठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारीय या

अधिनियम संख्या 18 सन् 2013

(ढ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कोई रजिस्टर्ड कंपनी, माल और सेवा कर नेटवर्कय या

(ण) धारा 25 की उपधारा (9) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया विशिष्ट पहचान संख्याय या

(त) सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्तिय

जो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, लेखा रजिस्ट्रीकरण या विवरण या कोई आवधिक विवरणी या कर और माल या सेवा के संव्यवहार के अन्य ब्यौरे के अंतर्विष्ट संदाय के दस्तावेज या दोनों या किसी बैंक खाता से संबंधित संव्यवहार या विद्युत खपत या क्रय या विक्रय के संव्यवहार या माल या संपत्ति का आदान प्रदान या किसी संपत्ति में अधिकार या हित के अभिलेख के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है ऐसी अवधि, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप या रीति में और यथाविनिर्दिष्ट, ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण को जैसा कि विहित किया जाए, उसकी सूचना विवरणी देगा।

(2) जहां आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना विवरणी में दी गई उस सूचना जो त्रुटिपूर्ण है, को विचार में लेगा, वह त्रुटिपूर्ण ऐसी सूचना विवरण भरने वाले उस व्यक्ति को सूचित करेगा और उसको ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या जो कि उसकी ओर से किए गए आवेदन पर ऐसी और अवधि के भीतर त्रुटिपूर्ण के परिशोधन करने का एक अवसर देगा, उक्त प्राधिकारी अनुज्ञात करेगा और यदि त्रुटि का परिशोधन उक्त तीस दिन की अवधि या उसे अनुज्ञात की गई अवधि के भीतर नहीं किया गया है तो, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना विवरणी भरी हुई नहीं समझी जाएगी और इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

(3) जहां कोई व्यक्ति, जिससे सूचना विवरणी दिया जाना अपेक्षित है उसे वह उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, तो उक्त प्राधिकारी उसे सूचना परिदान की तारीख से नब्बे दिनों की अनधिक अवधि के भीतर ऐसी सूचना विवरणी देने की अपेक्षा का नोटिस दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति सूचना विवरणी देगा।

सांख्यिकी संग्रहण की शक्ति

151–(1) आयुक्त, यदि यह विचार करता है कि इसे दिया जाना आवश्यक है, तो वह अधिसूचना द्वारा, उससे संबधित या इस अधिनियम के संबंध मे किसी मामले से संबंधित सांख्यिकी का संग्रहण करने को निदेश दे सकेगा।

(2) ऐसी सूचना जारी करने पर आयुक्त या उसकी ओर से या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यष्टि, यथा विहित, ऐसे प्ररूप और रीति में उन सांख्यिकियों के संग्रहण से संबंधित किसी मामले के संबंध में, ऐसी सूचना या विवरणी देने के लिए संबंधित व्यक्ति को बुला सकेगा।

सूचना के प्रकटन पर वर्जन

152–(1) धारा 150 या धारा 151 के प्रयोजनों के लिए दी गई किसी भी बात के संबंध में किसी व्यष्टि विवरणी या उसके भाग की सूचना, बिना सहमति के अनुरूप या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित सहमति के बिना ऐसी रीति से प्रकाशित की जाएगी ताकि विशिष्ट व्यक्ति के यथाविनिर्दिष्ट पहचान किए गए ऐसी विवरणी को सक्षम बना सके और ऐसी सूचना इस अधिनियम के अधीन किसी प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन को छोड़कर, कोई व्यक्ति ''जो कि इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण में या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए संकलन या उसके कंप्यूटरीकरण में नहीं लगा हुआ है, को, धारा 151 में निर्दिष्ट कोई सूचना या कोई व्यष्टि विवरणी को देखने या उसकी पंहुच तक को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(3) इस धारा की किसी बात का कराधेय व्यक्ति वर्ग या संव्यवहार वर्ग से संबंधित कोई सूचना के प्रकाशन पर लागू नहीं होगा, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना का प्रकाशन लोकहित में वांछहनीय है।

किसी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करना

153–सहायक आयुक्त से अनिम्न कोई अधिकारी, मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित के संबंध को ध्यान में रखते हुए, उसके समक्ष संविक्षा, जांच अन्वेषण या कोई अन्य प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त कर सकेगा।

नमूनों को प्राप्त करने की शक्ति

154–आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जहां वह यह आवश्यक समझे किसी कराधेय व्यक्ति के कब्जे से माल के नमूने ले सकेगा, और लिए गए किसी भी नमूनों की रसीद उपलब्ध कराएगा।

व्यक्ति लोक सेवक समझा जायेगा

155–जहां कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, ऐसे दावे को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा।

अधिनियम संख्या 45 सन् 1860

156–इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाले सभी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत आने वाले लोक सेवक समझे जाएंगे।

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण

157–(1) कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की गई कोई बात या सद्भाव में किए जाने को आशयित के लिए या अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या उक्त अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध नहीं की जाएगी।

(2) कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भाव में की गई कोई बात या किए जाने को आशयित के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरूद्ध नहीं की जाएगी।

लोक सेवक द्वारा सूचना का प्रकट किया जाना

158–(1) इस अधिनियम के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए विवरण, दी गई विवरणी या लेखा या दस्तावेजों या (दंड न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों से भिन्न) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के अनुक्रम में दिए गए साक्ष्य का कोई अभिलेख या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के किसी अभिलेखमें अंतर्विष्ट सभी विवरणों को उपधारा (3) में याथा उपबंधित के सिवाय प्रकट नहीं किया जाएगा।

अधिनियम संख्या 1 सन् 1872

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई

न्यायालय, उपधारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण के संबंध में अपने समक्ष पेश किए जाने या साक्ष्य दिए जाने हेतु इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी से अपेक्षा नहीं करेगा।

अधिनियम संख्या 45 सन् 1860

(3) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के,––

अधिनियम संख्या 49 सन् 1988

(क) भारतीय दंड संहिता या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजन के लिए किसी विवरण, विवरणी, लेखाओं, दस्तावेजों, साक्ष्य, शपथपत्र या अभिसाक्ष्य के संबंध में कोई विशिष्टियांय या

(ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के कार्यान्ययन में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कार्यकारी कोई व्यक्ति कोई विशिष्टयांय या

(ग) किसी नोटिस के तामिल या किसी मांग की वसूली के लिए कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्ण कार्य द्वारा जहां ऐसे प्रकटन के कारण कोई विशिष्टियांय या

(घ) किसी भी वाद या कार्यवाहियों में एक सिविल न्यायालय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन सरकार या कोई प्राधिकारी, एक पक्षकार है जो कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाहियों में उठने वाले किसी मामले से संबंधित है, इसके अधीन किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऐसा कोई प्राधिकारी को प्राधिकृत करता है की कोई विशिष्टियांय या

(ङ) इस अधिनियम द्वारा कर प्राप्ति की लेखापरीक्षा या अधिरोपित करके प्रतिदाय के प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अधिकारी की कोई विशिष्टियांय या

(च) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी जांच करने के प्रयोजन के लिए जहां ऐसे विवरण सुसंगत है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जांच अधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति या नियुक्त व्यक्ति के कोई विशिष्टियांय या

(छ) कर या शुल्क का उदग्रहण करने के लिए सरकार को सशक्त बनाने के प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी की कोई ऐसी विशिष्टियांय या

(ज) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन उसकी या उसकी शक्तियां कोई लोक सेवक या कोई अन्य कानूनी प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्ण कार्य द्वारा जब ऐसे प्रकटन के कारण कोई विशिष्टियांय या

(झ) यथास्थिति, किसी विधि व्यवसाय, किसी लागत लेखाकर, चार्टर्ड अकाउंटेट या कपंनी सचिव के व्यवसाय में व्यवसायरत सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकारी को सशक्त किए जाने के लिए विधि व्यवसाय अधिवक्ता, कर व्यवसायिक, लागत लेखाकार चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव के व्यवसाय में लगे हुए के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों

के संबंध में अवचार के आरोपों में की गई जांच से संबंधित कोई विशिष्टियांय या

(ञ) डाटा प्रविष्टि या स्वचालित प्रणाली के प्रयोजन के लिए या संचालन, उन्नत करने या किसी स्वचालित प्रणाली के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए जहां ऐसे अभिकरण पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए को छोड़ ऐसी विशिष्टियों के प्रयोग या प्रकट करने की संविदा आबद्ध नहीं है, किसी अभिकरण का नियुक्त किए जाने की कोई विशिष्टियांय या

(ट) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक सरकार के किसी अधिकारी की कोई विशिष्टियांय और

(ठ) प्रकाशन के लिए किसी कराधेय व्यक्तियों के प्रवर्ग या संव्यवहार के वर्ग की ऐसी सूचना का प्रकाशन यदि, आयुक्त की राय में यह लोकहित में वांछनीय है, से संबंधित कोई सूचना, को प्रकटन करने के लिये लागू नहीं होगी।

कतिपय मामलों में व्यक्ति के विषय में सूचना का प्रकाशन

159–(1) यदि आयुक्त, या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी की यह राय है कि ऐसे व्यक्तियों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों या अभियोजन से संबंधित किसी व्यक्ति का नाम और कोई अन्य विशिष्टियां का प्रकाशन लोकहित में आवश्यक या समीचीन है, जो वह ठीक समझे, ऐसी रीति में ऐसे नाम और विशिष्टियां का प्रकाशन कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा यदि इस अधिनियम के अधीन कोई

शास्ति अधिरोपित की जाती है जब तक धारा 107 के अधीन अपील प्राधिकारी को कोई अपील प्रस्तुत करने के लिए समय का किसी अपील को प्रस्तुत किए बिना अवसान हो जाता है या कोई अपील यदि प्रस्तुत की गयी है, तो उसका निपटारा हो गया है।

स्पष्टीकरण—यथास्थिति, फर्म, कंपनी या व्यक्तियों का संगम, फर्म के भागीदारों का नाम, कंपनी के निदेशकों, प्रबंधकीय अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों या प्रबंधकों या सदस्यों का संगम की दशा में, प्रकाशित किया जा सकेगा, यदि आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की राय में मामले की परिस्थिति न्यायोचित ठहराई गई है।

कतिपय स्तरों पर निर्धारण कार्यवाहियां, आदि का अविधिमान्य न किया जाना

160—(1) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कोई निर्धारण पुनःनिर्धारण, न्यायनिर्णयन, पुनःर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या की गई अन्य कार्यवाहियों, प्रतिग्रहण, बनाए गए, जारी किया गया, आरंभ किया गया अविधिमान्य या उसमें किसी गलती, त्रुटि या लोप होने के कारण अविधिमान्य समझा नहीं जाएगा, यदि ऐसे निर्धारण, पुनःनिर्धारण, न्याय निर्णयन, पुनःर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या अन्य कार्यवाहियां इस अधिनियम या विद्यमान किसी विधि के आशय, प्रयोजन और अपेक्षा अनुरूपता के अनुसरण में सार और प्रभाव है।

(2) कोई नोटिस, आदेश या संचार की तामील, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यदि यथास्थिति, नोटिस, आदेश या संचार पर उस व्यक्ति द्वारा पहले ही कार्यवाही कर ली गयी है जिसके नाम उसे जारी किया गया है या जहां ऐसे तामील को पूर्व में प्रश्नगत नहीं किया गया है या ऐसे नोटिस, आदेश या संचार के अनुसरण में कार्यवाहियां प्रारम्भ, चालू या पूर्ण कर ली गई हों।

अभिलेख पर प्रकट त्रुटि का परिशोध

161–धारा 160 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट

अधिनियम संख्या 12 सन् 2017

किसी अन्य बातों के होते हुए भी कोई प्राधिकारी, जो किसी पारित या जारी कोई विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज में किसी त्रुटि का परिशोधन कर सकेगा जिसमें ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज में अभिलेख को देखने से ही प्रकट होता है, या तो उसके स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर या जहां ऐसी त्रुटियां इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी द्वारा उसके संज्ञान में लाई जाती है या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या यथास्थिति ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि के दौरान प्रभावित व्यक्ति द्वारा उसकी जानकारी में लाई जाती है।

परन्तु यह कि ऐसे परिशोघन ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाण–पत्र या अन्य कोई दस्तावेज के जारी होने की तारीख से छह मास की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह और कि उक्त छह मास की अवधि ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां परिशोधन लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि, किसी घटनावश चूक या लोप से उद्भूत संशोधन के स्वरूप में शुद्धता की गई हो :

परन्तु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति ऐसे परिशोधन के प्रतिकूल प्रभावित है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का ऐसे परिशोधन किए जाने का प्राधिकारी द्वारा पालन किया गया हो।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता

162–धारा 117 और 118 में यथा उपबंधित के सिवाय किसी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन की गई या किये जाने हेतु तात्पर्यित किसी बात, से संबंधित कार्यवाही करने या किसी प्रश्न से उद्भूत होने वाले विनिश्चय की अधिकारिता नहीं होगी।

फीस उदग्रहण

163–जहां कहीं किसी आदेश या दस्तावेज की प्रति उस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है, वहां यथाविनिर्दिष्ट ऐसी फीस संदत्त की जाएगी।

नियमों को बनाने की सरकार की

164–(1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर साधारणतया प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार, सभी या इस अधिनियम द्वारा कोई भी मामले जो अपेक्षित हैं या विहित किया गया है या उन उपबंधों के संबंध में जो किए जाने हैं या नियमों द्वारा बनाए जा सके, नियम बना सकेगी।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति में या उनमें से किन्हीं को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी जो उस तारीख से पूर्ववर्ती तारीख नहीं होगी जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बनाए गए कोई नियमों का उल्लंघन करने पर दस हजार से अनाधिक शास्ति लगाए जाने के दायी का उपबंध कर सकेगा।

विनियम बनाने की शक्ति

165–सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने क लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ संगत विनियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना

166–इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम, सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम और सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसे बनाए जाने के पश्चात् राज्य विधान–मंडल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या अनुक्रमिक सत्रों से तुरंत पूर्व के सत्र के अवसान के पूर्व राज्य

विधान–मंडल नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या राज्य विधान–मडल इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि ऐसे नियम, विनियम या अधिसूचना को नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, विनियम या अधिसूचना उसके पश्चात् यथास्थिति केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावी रहेगी तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, इस नियम, विनियम या अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

167–आयुक्त, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई है, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या कार्यालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति, ऐसी अधिसूचना में जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये किसी और प्राधिकारी या कार्यालय द्वारा भी प्रयोग करने का निदेश कर सकेगा।

अनुदेशों या निदेशों को जारी करना

168–आयुक्त, यदि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समरूपता के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, राज्य कर अधिकारियों को जो उचित समझे ऐसा आदेश, अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा और इस अधिनियम के कार्यान्वयन में नियोजित सभी ऐसे अधिकारी और सभी अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों या निदेशों का संप्रेक्षण और पालन करेंगे।

कतिपय मामलों में नोटिस की तामील

169–(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी विनिश्चय,

आदेश, समन, नोटिस या अन्य संसूचना को निम्नलिखित किन्हीं पद्धतियों द्वारा तामील की जाएगी, अर्थात् :–

(क) प्रेषिती कराधेय व्यक्ति को या उसके प्रबंधक या प्राधिकृत प्रतिनिधि या अधिवक्ता या कर व्यवसायी जिसके पास कराधेय व्यक्ति की ओर से कार्यवाहियों में पेश होने का प्राधिकार है या कारबार के संबंध में उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति को या कराधेय व्यक्ति के साथ रह रहे किसी वयस्क व्यक्ति को सीधे देकर या सुपुर्द करके या संदेशवाहक जिसके अंतर्गत कुरियर भी है, के द्वाराय या

(ख) व्यक्ति, जिससे आशयित है या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि कोई है, उसके कारबार या निवास या अंतिम स्थान जो जानकारी में है, को जिससें अभिस्वीकृति देय है रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वाराय या

(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय–समय पर संशोधित उसके ई–मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वाराय या

(घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वाराय या

(ङ) परिक्षेत्र जहां, कराधेय व्यक्ति या व्यक्ति जिसे यह जारी किया गया था, इससे पहले रहता था, कारबार करता था या व्यैक्तिक तौर पर अभिलाभ के लिए कार्य करता था, समाचार पत्र में प्रकाशन करके प्रचालन द्वाराय या

(च) यदि उपर्युक्त कोई ढंग व्यवहारिक नहीं है, तो उसके निवास या कारबार के अंतिम स्थान पर किसी सहज दृश्य जगह चिपकाने के द्वारा और यदि किसी कारणवश ऐसी पद्धति भी व्यवहारिक नहीं होती है तो संबद्ध अधिकारी या प्राधिकारी जिसने या जिसके द्वारा ऐसा विनिश्चय या आदेश या समन या नोटिस जारी किया गया है, के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के द्वारा तामील की जाएगी।

(2) प्रत्येक विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना की उसी तारीख को तामील हुई समझी जाएगी जिस पर इसे सुपुर्द किया गया या प्रकाशित किया गया या उपधारा (1) में उपबंधित रीति से एक प्रति वहां चिपकाई गई।

(3) जब ऐसे विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया, तो सामान्यतः जितनी अवधि ऐसी डाक को पहुंचने में लगती है, के अनुसार प्रेषिती द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं होता।

कर का पूर्णांकन आदि

170–इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर की रकम, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य संदेय रकम और प्रतिदाय की रकम या कोई अन्य देय रकम निकटतम रुपए के लिए पूर्णांकित होगी और, इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम जिसमें रुपए का एक भाग पैसे के रूप में है, तब यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है, तो एक रुपए तक बढ़ाया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

मुनाफाखोरी निरोध उपाय

171–(1) किसी माल या सेवाओं के पूर्ति या ईनपुट कर प्रत्यय के फायदे पर कर की दर में किसी कमी को मूल्यों में अनुरूप कमी के तौर पर प्राप्तकर्ता को दे दी जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार यह परीक्षण करने के लिए कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग ईनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी से वास्तव में परिणामतः माल और सेवाओं या उसके द्वारा पूर्ति किए गए दोनों के मूल्यों में अनुरूप कमी हुई है, परिषद् की सिफारिशों पर, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिसूचना द्वारा, प्राधिकारी का गठन या किसी विद्यमान प्राधिकारी को सशक्त बना सकेगी।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी यथा विहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा।

कठिनाइयों को दूर करना

172–(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, किसी साधारण या किसी विशेष आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक समीचीन प्रतीत हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी/ऐसे उपबंध कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीध्र, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

कतिपय अधिनियमों का

173–इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,–

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959

;पद्ध उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 172 की उपधारा (2) का खंड (ज) तथा धारा, 192, 193 का लोप किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916

;पपद्ध उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 की उपधारा (2) का खंड (7) का लोप किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1975

;पपपद्ध उत्तर प्रदेश कराधान एवं भू–राजस्व, विधियां अधिनियम, 1975 का अध्याय 2 का लोप किया जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति

174–इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही निम्नलिखित अधिनियमों का निरसन किया जा है, अर्थातः–

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008

;पद्ध संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मलित मालों के सिवाय, उत्तर प्रदेश मूल्य संबंर्धित कर अधिनियम, 2008 य

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979

;पपद्ध उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007य

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1981

;पपपद्ध उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 य

;पअद्ध उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 य

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 10 सन् 1939

;अद्ध संयुक्त प्रान्त मोटर स्पिरिट, डीजल तथा अल्कोहल कराधान अधिनियम, 1939य

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1961

;अपद्ध उत्तर प्रदेश गन्ना क्रयकर अधिनियम, 1961 य

(जिन्हें इसमें इसकेपश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है।)

(2) धारा 173 या उपधारा (1) में उल्लिखित विस्तार तक उक्त अधिनियमों का निरसन और धारा 173 में विनिर्दिष्ट अधिनियमों का संशोधन (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् यथा स्थिति ''ऐसा संशोधन'' या ''संशोधन अधिनियम'' कहा गया है),–

(क) ऐसे संशोधन या निरसन के समय किसी भी प्रवृत्त या विद्यमान को पुनः प्रवर्तित नहीं करेगाय या

(ख) पूर्व प्रचालित संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम और आदेश या उसके अधीन सम्यक् रूप से किए गए या भुक्ती गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगाय या

(ग) ऐसे निरसित या संशोधित अधिनियमों के अधीन संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम या आदेश किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता,

या अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा :

परन्तु यह कि किसी अधिसूचना के द्वारा विनिवेश पर प्रोत्साहन के रूप में अनुदत्त कोई कर छूट, विशेषाधिकार के रूप में जारी नहीं रहेगी, यदि नियत दिन पर या उसके पश्चात् उक्त अधिसूचना विखंडित हो जाती है :

(घ) किसी कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज जो देय है या देय हो सकते हैं या कोई समपहरण या संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों के उपबंधों के खिलाफ किए गए किसी अपराध या उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में उपगत या दिए गए दंड को प्रभावित नहीं करेगा।

(ङ) किसी अन्वेषण, जांच, सत्यापन (समीक्षा एवं सम्परीक्षा सहित), निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य कोई विधिक कार्यवाही या बकायों की वसूली या यथा पूर्वोक्त किसी कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण या दंड के संबंध में उपचार और किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, सत्यापन (समीक्षा एवं सम्परीक्षा सहित), निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य विधिक कार्यवाहियों या बकायों की वसूली या उपचार को संस्थित, जारी या प्रवर्तित कर सकेगा और किसी ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, समपहरण या दंड उदग्रहीत या अधिरोपित हो सकेगा जैसे कि इन अधिनियमों को इस प्रकार से संशोधित या निरसित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगाय या

(च) कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत जिनका संबंध किसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश जिन्हें नियत दिन से पूर्व या उस दिन पर या उसके पश्चात् उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम के अधीन संस्थित किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी कार्यवाहियां उक्त संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों के अधीन जारी रहेंगी जैसे कि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियमों को संशोधित और निरसित न किया गया हो।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1904

(3) निरसन के प्रभाव के संदर्भ में उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 6 के साधारण उपयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने के लिए उपधारा (1) और (2) मे निर्दिष्ट विशिष्ट विषयों के उल्लेख को नहीं रखा जाएगा।

अनुसूची–1

धारा 7

क्रियाकलापों को पूर्ति के रूप मे माना जाए भले ही बिना प्रतिफल के किया गया हो

1–जहां ईनपुट कर प्रत्यय का ऐसी आस्तियों पर उपभोग किया गया है वहां कारबार आस्तियां का स्थाई अंतरण या निपटान।

2–जब कारबार के अनुक्रम या अग्रसर में किया गया, धारा 25 में यथा विनिर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों या सुभिन्न व्यक्तियों के बीच में माल या सेवाओं या दोनों का पूर्ति :

परन्तु यह कि किसी नियोजन द्वारा किसी कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष में पचास हजार से अनधिक मूल्य का दान दिया गया, को माल या सेवा या दोनों की पूर्ति नहीं माना जाएगा।

3–(क) किसी प्रधान द्वारा उसके अभिकर्ता को माल की पूर्ति, जहां अभिकर्ता प्रधान की ओर से ऐसे माल की पूर्ति करने का वचन देता है।

(ख) किसी अभिकर्ता द्वारा उसके प्रधान को माल की पूर्ति, जहां अभिकर्ता प्रधान की ओर से ऐसे माल को प्राप्त करने का वचन देता है।

4–कारबार के अग्रसर या अनुक्रम में, कराधेय व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर संबंधित व्यक्ति या उसके किसी अन्य स्थापन से सेवाओं का आयात।

अनुसूची–2

धारा 7

क्रियाकलापों को माल की पूर्ति या सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाए

1–अंतरण–

(क) माल में हक का कोई अंतरण, माल की पूर्ति है –

(ख) माल में अधिकार या माल में अविभाजित हिस्से का उसके हक के अंतरण के बिना, कोई अंतरण, सेवाओं की पूर्ति है य

(ग) कोई करार जो अनुबंध करता है कि माल में संपत्ति जैसी सहमति हुई है कि अनुसार पूर्ण प्रतिफल के संदाय पर भविष्य की तारीख को हस्तांरित होगा, माल की पूर्ति है।

2–भूमि और भवन–

(क) कोई पट्टा अभिधृति, सुखाचार, भूमि के अधिभोग की अनुज्ञप्ति, सेवाओं की पूर्ति है य

(ख) भवन जिसके अंतर्गत कारबार या वाणिज्य के लिए वाणिज्यिक, औद्योगिक या आवासीय प्रक्षेत्र पूर्णतः या अंशतः कोई पट्टा या किराए पर देना, सेवाओं की पूर्ति है।

3–व्यवहार या प्रक्रिया–

कोई व्यवहार या प्रक्रिया जो अन्य व्यक्ति के माल पर लागू की जाती है, सेवाओं की पूर्ति है।

4–कारबार आस्तियों का अंतरण–

(क) जहां माल जो कारबार की संपत्ति का भाग है, को व्यक्ति जो कारबार चला रहा है के निदेशों के अधीन या द्वारा अंतरित या व्ययनित किया जा रहा है जिससे कि वह उन आस्तियों का और हिस्सा न रहेय जो विचारणीय है या नहीं, ऐसे अंतरण या व्ययन, व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति हैरू

(ख) जहां कारबार करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या उसके निदेश के अधीन, कारबार के प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग किए गए माल को कारबार के प्रयोजनों से भिन्न किसी निजी उपयोग के लिए रखा गया है या उपयोग कर लिया गया है या किसी व्यक्ति को कारबार के प्रयोजन के सिवाय किसी प्रयोजन में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है, चाहे वह किसी प्रतिफल के लिए हो या न हो, ऐसे माल का उपयोग करना या उपलब्ध करवाना, सेवाओं की पूर्ति है।

(ग) जहां कोई व्यक्ति कराधेय व्यक्ति के रूप में प्रविरत हो जाता है, कोई माल जो उसके द्वारा चलाए गए कारबार की आस्तियों का हिस्सा है, उसके कराधेय व्यक्ति के रूप में प्रविरत होने से तुरंत पूर्व उसके कारबार के अनुक्रम या अग्रसर में उसके द्वारा पूर्ति किया गया समझा जाएगा, जब तक कि :–

;पद्ध अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में कारबार का अंतरण नहीं कर दिया जाता हैय या

;पपद्ध कारबार ऐसे वैयक्तिक प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता है जिसे कराधेय व्यक्ति समझा जायेगा।

(5) सेवाओं की पूर्ति–

निम्नलिखित को सेवा की पूर्ति माना जाएगा, अर्थात् :–

(क) स्थावर संपत्ति को किराए पर देनाय

(ख) समापन प्रमाण–पत्र के जारी होने के पश्चात् जहां पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो गया है, जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो या कब्जा मिलने के पश्चात् य जो भी पहले हो, के सिवाय प्रक्षेत्र का सन्निर्माण, भवन, सिविल संरचना या उसका कोई भाग, जिसके अंतर्गत क्रेता को विक्रय के लिए आशयित पूर्णतः या अंशतः प्रक्षेत्र या भवन।

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजन के लिए–

(1) पद ''सक्षम प्राधिकारी'' से सरकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन समापन प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई प्राधिकारी और ऐसे प्राधिकारी की ओर से ऐसा प्रमाण–पत्र गैर अपेक्षित होने की दशा में, निम्नलिखित किन्हीं में से, अर्थात्:–

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1972

;पद्ध वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन गठित वास्तुविद् परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई वास्तुविद्य या

;पपद्ध इंजीनियरी संस्थान (भारत) के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई चार्टर्ड इंजिनियरय या

;पपपद्ध क्रमशः शहर का स्थानीय निकाय या कस्बा या गांव या विकास या योजना प्राधिकारी का कोई अनुज्ञप्त सर्वेक्षक य

(2) पद ''सन्निर्माण'' जिसके अंतर्गत किसी विद्यमान सिविल संरचना में अतिरिक्त निर्माण परिवर्तन, प्रतिस्थापन या पुनः प्रतिरूपण हैय

(ग) किसी बौद्धिक संपत्ति अधिकार के उपयोग या उपभोग की अनुमति देना या अस्थाई अंतरण करना य

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर का विकास, डिजाइन, क्रमादेशन, अनुकूलन, उन्नति, वृद्धि, क्रियान्यन य

(ङ) किसी कार्य से विरत होने की बाध्यता को मंजूरी देना या किसी कार्य या किसी स्थिति को सहन करना या किसी कार्य का करना य और

(च) किसी प्रयोजन (किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या नहीं) नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल को उपयोग करने के अधिकार का अंतरण।

6–संयुक्त पूर्ति–

निम्नलिखित संयुक्त पूर्तियों को सेवाओं की पूर्ति माना जाएगा, अर्थात् :–

(क) धारा 2 के खंड (119) में यथा परिभाषित कार्य संविदा य और

(ख) किसी सेवा के द्वारा या हिस्से के रूप में या किसी अन्य रीति में जो भी हो, माल, खाद्य वस्तुएं या मानव उपभोग के लिए अन्य चीजें या कोई पेय (मानव उपयोग हेतु शराब द्रवण के अतिरिक्त) जहां ऐसा पूर्ति या सेवा नकद, विरत संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए होता है, की पूर्ति।

7–माल की पूर्ति–

निम्नलिखित को माल की पूर्ति के रूप में माना जाएगा, अर्थात् :–

किसी सदस्य को किसी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा नकद, विरत संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल की पूर्ति।

अनुसूची–3

धारा 7

क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल की पूर्ति माना जाएगा न ही सेवाओं की पूर्ति–

1–कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के संबंध में या उसके अनुक्रम में नियोजन को सेवाएं।

2–तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा सेवाएं।

3–(क) संसद सदस्यों, राज्य विधान सभा के सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों, नगरपालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा पालन किए गए कृत्य य

(ख) उस हैसियत में संविधान के उपबंधों के अनुसरण में किसी पद को धारण किए हुए किसी व्यक्ति द्वारा पालन किए गए कर्तव्य य या

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित निकाय में निदेशक द्वारा और जिसे इस खंड के प्रारंभ से पूर्ण किसी कर्मचारी के रुप में न समझा जाए, किये गये कर्तव्य।

4–अंतिम संस्कार, दफनाना, शवदाहगृह या मुर्दाघर जिसके अंतर्गत मृतक के परिवहन की सेवाएं।

5–भूमि का विक्रय और अनुसूची–2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अध्यधीन भवन का विक्रय।

6–लाटरी, दांव और द्युत से भिन्न के अनुयोज्य दावे।

स्पष्टीकरण–पैरा 2 के प्रयोजन के लिए शब्द ''न्यायालय'' के अंतर्गत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सम्मिलित है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–174 तक अनुसूची–1, 2 और 3 खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अब मद संख्या–9 माननीय डा0 अरूण कुमार।

श्री सुखदेव राजभर–

मा0 मुख्य मंत्री जी ने पहले विचार के लिए रखा कि इस पर विचार किया जाए। अब जो पारण का विषय है तो मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा इसको आपकी अनुज्ञा से प्रस्तुत करना चाहिए। मा0 मुख्यमंत्री जी पारण के लिए रखें, मा0 नेता सदन पारण के लिए अनुज्ञा मांगेंगे, इसके बाद पारित कर दिया जाएगा। ऐसे तो यह कार्यवाही में अधूरा रह जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री योगी आदित्यनाथ–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर विधेयक, 2017 पारित किया जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

[03.04] श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

डॉ0 अरुण कुमार–

मा0 अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। मा0 राज्यपाल श्री राम नाईक जी द्वारा दिए गए अभिभाषण का मैं सरकार की तरफ से समर्थन करता हूं। महोदय, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व बहुमत देकर त्यागी, तपस्वी, ईमानदार, संन्यासी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाई जिसने विकास का संदेश न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में दिया है। साथियों आपने यह लाइन सुनी होगी, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। हमारी सरकार ने वादा निभा दिया। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सकंल्प पत्र में वायदा किया था कि हम सरकार में आने पर किसानों का ऋण माफ करेंगे। मुझे यह कहते हुए गौरव है कि हमारी सरकार ने एक तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में एक लाख तक का किसानों का ऋण माफ किया। इस बात की फिक्र न करते हुए कि इससे सरकार पर 36000 करोड़ का भार आएगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अरूण कुमार जी को ध्यान से सुनिये माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा–

सुनने लायक कुछ मैटीरियल है ही नहीं, इसलिए लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

जो अब तक न किसी ने सुना न किसी ने देखा।

डा0 अरूण कुमार–

इस बात की फिक्र न करते हुए कि इससे सरकार पर 36000 करोड़ का बोझ पड़ेगा बल्कि ध्यान दिया कि इस कार्य से 86 लाख गरीब किसानों को लाभ पहुंचेगा।

श्री अध्यक्ष–

कुछ माननीय सदस्य सदन के भीतर खड़े होकर बात कर रहे हैं, यह उचित नही हैं।

डा0 अरूण कुमार–

साथियों हमारी सरकार ने न केवल सरकार का एक लाख का फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया। इसके साथ–ही–साथ किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

यदि इस तरह का कोई सीटी वाला उपकरण लेकर आता है तो इससे निश्चित ही हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जब हमारी भी गेट पर तलाशी कभी ली जा सकती है। मुझे लगता है कि यदि इस तरह का कोई उपकरण है तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मुझे भी आवाज सुनाई पड़ रही थी।

श्री अरूण कुमार–

एक लाख का किसानों का फसली ऋण माफ करने के अलावा उनकी उपज का लाभकारी मूल्य भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। गेहूं 1625 रूपये प्रतिक्विंटल किसानों से सीधा खरीद केन्द्रों पर खरीदा जा रहा है कोई बिचौलिया या आढ़तिया बीच में नहीं है। चेक से तुरन्त पेमेण्ट हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय डा0 अरूण कुमार जी एक मिनट के लिए बैठ जाएं। इधर एक माननीय सदस्य जिनके पास कोई उपकरण था और जिसकी ध्वनि हो गई थी। मेरा उनसे आग्रह है कि वह उपकरण लेकर बाहर जाकर रख आयें और उसके बाद हम आदरणीय सदन में बैठें, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आदरपूर्वक। मा0 अरूण कुमार जी आप बोलें।

डा0 अरूण कुमार–

गेहूं 1625 रूपये प्रति क्विंटल किसानों से सीधा खरीद केन्द्रों पर खरीदा जा रहा है कोई बिचौलिया या आढ़तिया बीच में नहीं है, चेक से तुरन्त पेमेण्ट है। इसको मैंने अपने बरेली के क्रय केन्द्र पर स्वयं जाकर देखा है। इसके साथ ही साथ गन्ना किसानों को सन् 2016 और 2017 का बकाया 18327 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। चीनी मिलों को गन्ने का मूल्य 15 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश है। किसानों को अब खाद आसानी से मिल रही है, जबकि एक समय था यूरिया लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी और लट्ठ चलते थे। आज आसानी से मिल रही है। किसानों को खेती के नई तरीकों की जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से यह प्रयास जारी है कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं ताकि उसका लाभ उठाते हुए वह अपनी खेती का उत्पादन बढ़ा सकें। दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। 300 कामधेनु डेयरी तथा 1500 मिनी कामधेनु डेयर

खोली जा रही हैं। बिजली आज हमारे लिए एक बेसिक आवश्यकता बनी हुई है। बिजली की स्थिति में अब पहले से बहुत सुधार है। अब कहीं अधिक विद्युत उपलब्ध हो रही है चाहे महानगर हो, शहर हो, कस्बा हो या गांव हो, सबको बिजली पहले से बहुत अधिक मिल रही है। गांवों में जहां बिजली बहुत थोड़ी देर आती थी, अब उनके घर के पंखे भी भीषण गर्मी में कहीं अधिक समय चल रहे हैं। गांवों में ट्रांसफार्मर जब पहले एक बार फुंक जाते थे तो 8–8 दिन नहीं बदले जाते थे। आज ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदलना तथा शहरी क्षेत्र में 24 घण्टे में बदलने के आदेश हैं और इस आदेश का पालन भी हो रहा है। हमारी सरकार हर घर को बिजली व अक्टूबर, 2018 तक 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है। साथियों, कुछ समय पहले तक हमारे प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों के यहां बिजली नहीं आती थी या बहुत कम देर आती थी लेकिन अक्टूबर 2018 के बाद हमारे प्रदेश में हर जगह 24 घण्टे बिजली मिलेगी। तब लोग यही कहेंगे पहले तो बिजती आती नहीं थी और अब बिजली जाती ही नहीं है। वैकल्पिक ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं शहरों में आई0पी0डी0एस0 योजना के अंतर्गत विद्युत व्यवस्था में और सुधार किया जा रहा है। गांवों में हर गांव को बिजली और हर नलकूप तक बिजली दी जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति पिछली सरकार में अच्छी नहीं रही। चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, जमीनों पर कब्जे बहुत हुए। शाम ढलते ही माताएं–बहने घर से निकलने से डरती थीं। लड़कियां बहुत सी जगह स्कूल जाने से घबराती थी, आपराधिक प्रवृत्ति के शोहदों की छेड़खानी से परेशान थीं लेकिन अब एण्टी रोमियों स्क्वायड के गठन व प्रभावी कार्यवाही से महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागी है तथा अब वह निर्भीक हो कर निकलती है अब

गुण्डे व मवालियों में खौफ है। सरकारी व निजी भूमि पर से अवैध कब्जे को हटाए जाने के लिए एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले, पटरी दुकानदारों के हितों के लिए एक कार्य योजना फेरी नीति बनायी जा रही है जिससे लाइसेंस प्राप्त कर सम्मानजनक रूप से वह अपना व्यवसाय कर सकेंगे और परिवार का भरण–पोषण कर सकेंगे। केन्द्र सरकार के सहयोग से चल रहे स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन और तेज किया जा रहा है। दिसम्बर, 2018 तक प्रदेश के समस्त जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित करने का हमारी प्रदेश सरकार ने संकल्प तय किया है। स्वच्छ भारत से ही स्वस्थ भारत एवं सम्पन्न भारत बनेगा। आज ग्रामीण क्षेत्र में अस्वस्थता का सबसे बड़ा कारण है खून की कमी या एनीमिया। जिसकी प्रमुख वजह है पेट में कीड़े जो खुले में शौच की वजह से ही एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचते हैं। 50 प्रतिशत बीमारियां सफाई से रोकी जा सकती हैं तथा 25 प्रतिशत बीमारियां योग से रोकी जा सकती हैं। हमारी केन्द्र एवं प्रदेश सरकार इस बात को समझती है तथा इन दोनों को ही बढ़ावा दे रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य रूप से मनाया जायेगा। मैं इस मौके पर हर विधायक से प्रार्थना करूंगा कि सरकार के साथ–साथ आप भी इस बात को देखें कि आपका विधान सभा क्षेत्र शीघ्र ही खुले में शौचमुक्त घोषित हो और इसके लिए आप अपनी विधायक निधि का भी इस्तेमाल करें। नगर विकास में अमृत योजना वास्तव में अमृत का कार्य कर रही है। शुद्ध जलापूर्ति, जल निकासी एवं सीवर का काम इस योजना से काफी हद तक किया जा सकता है। प्रदेश सरकार एवं स्थानीय निकायों को इनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। 15 जून, 2017 तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। जिस

पर तेजी से काम हो रहा है तथा परिणाम भी दिखने लगे हैं। दबंगई एवं भ्रष्टाचार से ठेके लेने वालों से बचने के लिए पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, ई–टेण्डर की व्यवस्था की गयी है। भव्य पर्यटन स्थलों, लखनऊ, मथुरा, वृंदावन, प्रयाग, चित्रकूट, नैमिषारण्य आदि को 4 लेन से जोड़ा जा रहा है। स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी कुछ गांव पक्के मार्ग से नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ना प्रस्तावित है। समाज कल्याण के क्षेत्र में हमारी सरकार की विशेष रूचि है। वृद्धाश्रम, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, शादी–ब्याह पुरस्कार योजना, दुकान निर्माण छात्रवृत्ति आदि में हमारी सरकार ने अपना बजट काफी बढ़ाया है, शादी अनुदान जो विकलांगों को शिड्यूल कास्ट, ओबीसी तथा निर्धन गरीबों को, सामान्य वर्ग के निर्धन गरीबों को दिया जायेगा और यह बीपीएल कटेगरी जो अब पहले से बढ़ गयी है 56,460 रुपये शहरों के लिए तथा 26,080 रूपये रूरल एरिया के लिए है। सबका साथ सबका विकास, हमारे प्रधान मंत्री जी ने अल्पसंख्यकों के लिए भी छात्रवृत्तियां निर्धन अभिभावकों के बच्चों की शादी तथा अन्य कार्यों में, पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति आदि के लिए विशेष बजट रखा है। कुपोषण से मुक्ति, उत्तर प्रदेश के अन्दर बच्चे हों या गर्भवती महिलायें हों उनमें कुपोषण अधिक पाया जाता है उनसे मुक्ति का प्रयास किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कौशल विकास के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के योग्य बनाने का लक्ष्य है। प्रदेश सरकार प्रदेश में 25 मेडिकल कालेज एक 6 एम्स स्तर के संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रही है। पीजी की सीट्स बढ़ाई जा रही हैं। प्राइवेट कालेजेज की फीस भी निर्धारित की जा रही

है। शहरों में नये अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर, प्राइमरी हेल्थसेन्टर, ट्रामा सेन्टर और बनाये जायेंगे। टी0बी0 तथा अन्य बीमारियों, विशेषकर बुजुर्गों के लिए विशेष इलाज की व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत गरीबों को सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों एवं सूचित प्राइवेट अस्पतालों में 30 हजार तक के इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। वैक्सीनेशन स्टेट्स बच्चों में बढ़ाया जा रहा है। 9 बीमारियों के विरुद्व रोग निरोधक टीके लगाये जा रहे है। प्रेगनेन्ट वीमेन को टिटनेस आदि के टीके लगाये जा रहे हैं।

उद्योग के बारे में मैं यही कहूंगा विगत कई वर्षों से हमारे उत्तर प्रदेश में नये उद्योग नहीं लगे बल्कि जो लगे, जो थे वह भी बन्द हो गये, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत बढ़ी। उत्तर प्रदेश की बड़ी समस्याओं में एक समस्या मैं मानता हूं नौजवानों में बेरोजगारी। कोई भी उद्योगपति यहां उद्योग नहीं लगाना चाहता था जिसकी वजह रही खराब कानून–व्यवस्था, अपर्याप्त अवस्थापना सुविधायें, अपर्याप्त विद्युत व्यवस्था, सरकार का पूरा समर्थन उद्योगपतियों को न प्राप्त होना आदि इस सबसे बेरोजगारी बहुत बढ़ी। उद्योगों को बढ़ाने के लिए नई नीति बहुत शीघ्र ही आ रही है जिसमें प्रमुख होगी सिंगिल विन्डो क्लीयरेंस, एनओसी के लिए आपको 8–8 जगह नहीं भागना पड़ेगा एक ही जगह आपको सब चीज मिल जायेगी।

यातायात समस्या के सुधार के लिए लखनऊ के अतिरिक्त गोरखपुर, बनारस, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, झांसी में भी मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट डीपीआर तैयार किये जा रहे हैं। सिंचाई के लिए हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है, बुन्देलखण्ड के लिए विशेष योजनाओं का पैकेज सिंचाई के लिए ठप पड़ी योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा रहा है। 50 लाख किसानों को ड्रिप एण्ड स्प्रिंकलर सिंचाई योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जायेगा, 2000 नये राजकीय नलकूप बनाये

जायेंगे। वर्तमान में यूपी में 8.9 प्रतिशत वन हैं इसको और बढ़ाया जायेगा खास तौर से सामाजिक वानिकी से। पर्यावरण हमारे लिए आवश्यक है प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत से कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं खेती के अवशेषों को खेत में ही जलाने पर रोक लगाई गयी है। फूड सप्लाई के बारे में मैं यही कहूंगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो केन्द्र सरकार की योजना है और प्रदेश सरकार चला रही है, के माध्यम से सस्ते गल्ले की दुकानों पर अनाज 3 रूपये किलो चावल और 2 रूपये किलो गेहूं मिलता है उसके जो कार्ड बनाये गये थे उसमें बहुत सी जगह कमियां पाई गयीं। अपात्रों के कार्ड बन गये और पात्रों के कार्ड रह गये उनको भी सही करने के निर्देश दिये गये हैं। गोकशी बन्द की गयी, सरकारी कार्य समय से हों इसके लिए छुट्टियों की समीक्षा की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नई कार्य संस्कृति की शुरूआत की है उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश सबका स्वास्थ्य सबका विकास नारे के साथ चौमुखी विकास कर रहा है। तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा देखा गया सपना साकार होगा, समाज के आखिरी पायदान पर दरिद्रनारायण के चेहरे पर भी मुस्कान आयेगी। अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री पंकज सिंह–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री अरूण कुमार जी द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है, इसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। बहुत धीरे–धीरे ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे अभिभाषण का सार उन्होंने हम लोगों के सामने रख दिया है इसलिये मैं बहुत सारे उन मुद्दों पर उन प्वाइंट को टच नहीं करूंगा बल्कि टच करते हुये बहुत जल्दी संक्षेप में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। आज जब सरकार बदली

है सरकार दूसरी प्रदेश में बनी है तो बहुत सारे प्रश्न जनता के सामने खड़े हैं और लोगों को सरकार से उम्मीदें भी बहुत हैं लोग जवाब भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रश्न जो 1947 में थे और आज 2017 आते–आते सभी प्रश्न बदल गये हों या सभी नये प्रश्न हम सब लोगों के सामने खड़े हो गये हों। बल्कि मैं यह मानता हूं कि प्रश्न आज भी बहुत सारे वही पुराने हैं जो आज भी हम लोगों के सामने मुंह खोलकर खड़े हैं। लेकिन उसका आज के अनुसार जनता जवाब चाहती है और उस जवाब को देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मान्यवर, अल्बर्ट आईस्टीन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे और जब छात्रों को उन्होंने क्वेश्चन पेपर दिया तो छात्रों ने क्वेश्चन पेपर देखने के बाद उनसे कहा कि साहब यह तो वही प्रश्न पत्र है जो पिछले साल हम लोगों को मिला था या प्रश्न ज्यादातर तो वैसे ही है। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को यही जवाब दिया था कि प्रश्न भले ही पिछले साल जेसे क्यों न हों, लेकिन जवाब आपको आज के अनुसार इस पर देना है, आज की प्रांसगिकता जो सवाल की है उसके अनुसार आपको इसका जवाब देना है, वैसे ही जवाब की अपेक्षा आज की सरकार से जनता करती है। उत्तर प्रदेश का यह सदन, जिसमें कि आज मैं पहली बार बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने पहले भी कहा कि यहां पर गोविन्द बल्लभ पंत, सम्पूर्णानन्द जी और चौधरी चरण सिंह जी ऐसी महान विभूतियों ने इस सदन में खड़े होकर बोलने का काम किया है, इसको गौरवान्वित करने का काम किया है, अपनी बोलने की शैली से, अपने काम करने की शैली से उन्होंने इस सदन को तो गौरान्वित किया ही है, लेकिन इस सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं को भी सुलझाने की कोशिश उन्होंने की थी और यहां पर आकर उस इतिहास को और ऐसे महापुरूषों को अगर मैं प्रणाम न करूं तो सच में यह भी ठीक नहीं होगा, इसलिए आज मैं इस अवसर पर

उनको भी याद करना चाहता हूं। यह भगवान राम की, भगवान कृष्ण की धरती है जहां से सर्वसमाज के हित की बात कही गयी है, सत्य की स्थापना की बात कही गयी, न्याय की स्थापना की बात कही गयी, बंद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन भी यहीं से मिला, रैदास और कबीर की धरती हमारी उत्तर प्रदेश है और यहां पर किसी व्यक्ति को अगर राज करने का, शासन करने का, उसका नेतृत्व करने का यदि मौका मिलता है तो यह कोई साधारण बात नहीं है बल्कि यह कोई ईश्वर की बड़ी अनुकम्पा होती है तब जाकर वह अवसर मिलता है और वह अवसर आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता योगी जी, जो मुख्यमंत्री हम सभी के हैं, उनको यह अवसर मिला है और मैं यह कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में त्याग, तपस्या, समर्पण इन सबके योग के साथ ही जब सरकार आगे चलेगी तो उसको सफलता मिल सकती है और कल जब मैं अभिभाषण को पूरा पढ़ रहा था तो मैं बहुत विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि वही त्याग, तपस्या, परिश्रम, समर्पण इनके योग से ही यह सरकार यदि चल सकती है तो हम सब लोगों का यह गर्व है कि उसी त्याग, तपस्या, समर्पण के योग से चलाने के लिये हमारे बीच में ही, हमारा नेतृत्व ही एक योगी के हाथ में है, यह हम सब लोगों का परम् सौभाग्य है अध्यक्ष महोदय, यह भी तय है, मैं सदन मे पहली बार आया हूं लेकिन मैं लम्बे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहा हूं। मैं यह कह सकता हूं कि सरकारें यदि चलती हैं तो सिर्फ लड़कों के लड़क्पन से सरकार नहीं चला करती बल्कि उसमें बहुत ही त्याग, तपस्या और समर्पण की आवश्यकता होती है, जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करने की आवश्यकता होती है, मन में उस पीड़ा को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है यह मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं।

सबका साथ और सबका विकास की बात को स्वीकार करके यह सरकार आगे बढ़ रही है और जनता ने भी जब यह परिवर्तन किया है तो यह परिवर्तन मात्र सरकारों का परिवर्तन नहीं किया है बल्कि यह एक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए सरकार में परिवर्तन किया है और हम सब लोगों के लिए संकेत है चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों, यह सभी के लिए संकेत है कि विचारों में परिवर्तन लाने के लिए यह बड़ा परिवर्तन मिला है। अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाने का संकेत जनता ने इस बार 2017 के चुनाव में हम सब लोगों को दिया है। यह बहुत बड़ी जीत है लेकिन उतनी ही बड़ी जीत के साथ यह बड़ा दायित्व भी सरकार का सत्तापक्ष का हो जाता है। इस दायित्व के निर्वहन की सफलता का मापदण्ड यदि कुछ हो सकता है तो वह सबके साथ न्याय, सबका साथ और सबका विकास मात्र यही एक मापदण्ड हो सकता है, इसे मैं बहुत विश्वास के साथ यहां पर कह सकता हूं। यह परिवर्तन सिर्फ क्वान्टिटेटिव परिवर्तन नहीं है सिर्फ संख्यात्मक परिवर्तन नहीं है कि हम लोग 50 सीटों के आसपास थे और हम पहुंच गये 325 पर, जो कल को 225 के आसपास थे वह खिसककर आ गये 47 पर, सिर्फ यह संख्यात्मक परिवर्तन नहीं है बल्कि इस बार गुणात्मक परिवर्तन का संकेत भी उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। यह क्वालिटेटिव परिवर्तन का संकेत उत्तर प्रदेश की जनता ने हम सब लोगों के सामने रखा है और मैं कह सकता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा संकेत है और यह संकेत अगले डेढ़ सौ साल के लिए भी है, मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा काम यह सरकार करके दिखायेगी कि अगले वर्षों–वर्षों तक इन कामों को याद रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का, नया वैभव दिलाने का काम यह सरकार करेगी, मैं इस अभिभाषण को देखने के बाद, सरकार की दिशा समझने के बाद बहुत विश्वास के साथ यह

कह सकता हूं। बुनियादी सुविधाओं पर जिस प्रकार से जोर दिया गया है, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था हो और सभी वर्गों के लोगों के साथ इंसाफ हो, न्याय हो, जो भूमिहीन किसान है उनकी भी चिन्ता की गई है, दिव्यांगजन हैं उनकी भी चिन्ता की गई है,तीन सौ से बढ़ाकर पांच सौ रूपए पेंशन कर दी गई है, किसानों की चिन्ता हुई है, व्यापारियों की चिन्ता है, इन सभी चीजों को मैंने देखा है मैं ज्यादा उस पर नहीं जा रहा हूं। किसी भी सरकार से अपेक्षा यह होती है कि वह सिर्फ दाता के रूप में काम न करे उसे इनेब्लर के रूप में काम करना चाहिए लोगों के अन्दर जो क्षमता है उस क्षमता को निखारने का काम किसी भी सरकार का होना चाहिए और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी भी सरकार के सामने होती है। लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, प्रदेश की जनता में आत्मनिर्भरता का भाव लाना, सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फीडेंस का भाव लाना, यह एक चुनौती जब आत्मनिर्भर बनाने की होती है तो सबके सामने होती है। मैं यह मानता हूं कि आत्मनिर्भर बनाने की चुनौती सरकार के पास तभी तक होती है जब तक सरकारें लोगों के मन में उनकी ताकत का एहसास न करा दें, उनकी क्षमता और उनकी दक्षता का एहसास न करा दें तब तक ही यह चुनौती सरकारों के सामने रहती है और जिस दिन हमने जनता के सामने, जनता के मन में अगर सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फीडेंस का भाव उभारने का काम कर दिया तो अपने आप वह समाज, वह राष्ट्र, वह क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे चला जाता है। किसी भी व्यक्ति को जीं के लिए पानी की आवश्यकता होती है और अगर उसकी रचना, उसके केमिकल फार्मेशन की बात करते हैं तो एच–2 ओ के रूप में पानी की संरचना होती है, दो हाईड्रोजन और एक आंक्सीजन मिलकर पानी बनता है। मैं समझता हूं कि जब मैं इनेब्लर की बात करता हूं एक इनेब्लिंग स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश के डेवलप होने की बात करता हूं। तो साथ–साथ

'एच टू ओ' के बारे में सोचा। तो मैं आज जो आवश्यकता है, वैसे ही सरकार की भी आवश्यकता है कि सभी लोग जिनकी अपेक्षा सरकार से होती है उनके लिए भी एच टू ओ' के रूप में काम करेगी। इसमें एक 'एच' है ऑनेस्टी, एक 'एच' है जिसको मैं हार्डवर्क से जोड़कर देखता हूं और 'ओ' मतलब–ओवर ऑल डेवलेपमेण्ट, ऑनेस्टी, हार्डवर्क और ओवरआंल डेवलेमपेण्ट के संयोजन से ही, हम अपने प्रदेश को आगे के रास्ते पर ले जा सकते हैं। सरकार का पूरा विश्वास है, पूरा मत है, यह सरकार अट–मोस्ट ऑनेस्टी के साथ–साथ, पूरी ईमानदारी के साथ–साथ, पूरी मेहनत के साथ और उत्तर प्रदेश में जो भी मानव संसाधन हों, चाहे प्राकृतिक संसाधन हों, उन सबका उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश को एक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम यह सरकार करेगी, मैं यह कह सकता हूं। किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी समाज के लिए अच्छे दिन उससे दूर तब चले जाते हैं जब वह अपनी शक्ति को तो समझ लेता है लेकिन अपनी दक्षता, अपनी योग्यता को समझ नहीं पाता है, उसको पीछे और किनारे कर देता है तो उस समाज का, उस व्यक्ति का, उस क्षेत्र के अच्छे दिन उससे कोसों दूर चले जाते है। लेकिन यही इसके विपरीत अगर किसी समाज ने, किसी व्यक्ति ने, अगर अपनी योग्यता को समझ लिया और उसी योग्यता के आधार पर अपनी शक्ति, अपनी दक्षता, अपनी कौशल, क्षमता जो है उसको अगर साथ लेकर चलता है तो उस व्यक्ति की भी कैपिबिलटी बिल्डिंग होती है और उसकी कैपिबिलटी बिल्डिंग अगर होती है तो अपने आप वह फिर राष्ट्र की भी उन्नति उस पर होती है, यह सर्वविदित है। मैं समझता हूं कि सभी लोग इस बात को समझते हैं। आज उत्तर प्रदेश को आवश्यकता है तो सिर्फ घोषणाओं के कागजों की आवश्यकता नहीं है बल्कि आज उत्तर प्रदेश को आवश्यकता है तो संकल्प और समर्पण के ठोस, दस्तावेज की आवश्यकता है।

आज अगर आप इस महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण को पढ़ेंगे तो अपने–आप समझ जायेंगे कि यह सरकार, यह कोई घोषणाओं का पुलिन्दा लेकर लोगों के सामने नहीं गयी है बल्कि समर्पण के भाव से और संकल्पों का एक ठोस और मजबूत दस्तावेज तैयार करके जनता के सामने जाने का काम यह सरकार कर रही है। मैंने कहा कि आज बहुत सारी चीजों में मैं अभी नहीं जाऊंगा, किसी भी जगह पर नौजवानों के हाथ में, युवाओं के कंधे पर बहुत बड़ा भार होता है, उस क्षेत्र, उस देश को आगे ले जाने के लिए, और नौजवानो के बारे में मैंने कहा कि उनका स्किल डेवलेपमेण्ट, उनको स्टार्टअप के माध्यम से उनको अवसर देना, सरकार की तरफ से बैंकों के माध्यम से योजनायें लाकर उनकी क्षमता का विकास करना, उनको अवसर देना ताकि वह किसी के सामने नौकरी मांगने के लिए या बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए हाथ फैलाने की उनको आवश्यकता न पड़े बल्कि वह अपने पैरों पर मजबूती के साथ स्वयं खड़े होकर वह खुद को भी उस लायक बनाये और लोगों के लिए भी नौकरी जनरेट करने का काम करें, नौकरी बनाने का काम करें, ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में लाने की आवश्यकता यहां पर है और मैं समझता हूं कि कोई ऐसा एक अक्षर नहीं है जिसका अगर सही से उपभोग किया जाए, पूरे मन से उसका उच्चारण किया जाए तो किसी मंत्र की ताकत उसमें न हो, कोई भी ऐसा जड़ नहीं है जिसमें किसी औषधि की उसमें खूबियों न हों। उसी प्रकार से व्यक्ति चाहे कोई कितना भी आयोग्य क्यों न हो, उसके अंदर थोड़ी सी भी योग्यता न हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन आवश्यकता है तो सिर्फ उसकी योग्यता, उसकी क्षमता को समझने की और उसकी योग्यता और क्षमता को समझने के बाद उसको वह अवसर देने की कि वह उस रास्ते वह आगे बढ़कर दक्षता हासिल कर ले। यह काम सरकार को करना होता है और यह मैं यह देख करके के समझ

रहा हूं इस तरीके की स्टार्टअप इन्क्यूवेटर्स स्टार्ट करने की बात की गयी है। अनेक योजनाएं लाकर नौजवानों के हाथों को मजबूत करने की कोशिश इस सरकार के द्वारा की जा रही है। मैं यह देखकर कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इस तरफ भी सरकार काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। यह लखनऊ हमारा उत्तर प्रदेश, इसका महत्व दिल्ली में भी जाइये चाहे देश के किसी भी कोने में जाइये तो उत्तर प्रदेश का एक अलग महत्व होता है। और यह उत्तर प्रदेश सिर्फ राजनीति का ही एक केन्द्र नहीं है। बल्कि उत्तर प्रदेश यहां पर एक राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केन्द्र भी हमारे देश का है तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपके माध्यम से यह अनुरोध मैं करना चाहता हूं कि यहां पर हम लोग या यह सरकार गरीबों के सामने नतमस्तक होने का काम तो करे, यह सरकार बुजुर्गों और महिलाओं के सामने नतमस्तक होने का काम तो करे, उनकी रक्षा का काम तो करे लेकिन इस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर चलने वाले, कानून का पालन न करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी करे यह भी इस सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। (मेजों की थपथपाहट) और इस पर मुझे एक ही बात ध्यान आती है कि परित्राणाय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हम दूसरों की जो सज्जन हैं, साधु हैं, संत हैं, अच्छे लोग हैं, हम उनकी रक्षा करने का काम तो करेंगे ही करेंगे लेकिन हम जो दुष्ट हैं जो कानून को हाथ में लेकर चलने का सीना चौड़ा करके चलने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को दंड देने का काम भी यह सरकार करेगी। यह भी सुनिश्चित करना होगा। (मेजों की थपथपाहट) पहले भी सरकारें यहां पर चलती आईं। आज मैं पहली बार बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं अगर किसी को कुछ बुरा भी लगे तो उस पर मुझे क्षमा करियेगा। बहुत सारे वाद, चाहे वह फिर परिवारवाद, अल्पसंख्यकवाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद,

जातिवाद हर प्रकार के वाद हमारे उत्तर प्रदेश ने देखे थे बस एक वाद अगर नहीं दिखाई देता था तो राष्ट्रवाद हम सब लोगों को नहीं दिखाई देता था। (मेजों की थपथपाहट) आज इस सरकार के साथ–साथ में मैंने कहा कि हमारा उत्तर प्रदेश सिर्फ राजनैतिक केन्द्र ही नहीं है बल्कि इस देश का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक केन्द्र भी है। तो इस चीज की रक्षा करना भी राष्ट्रवाद की रक्षा करना भी इस सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहां पर होती है। भ्रष्टाचार के ऊपर भी लगाम लगाने की नितान्त आवश्यकता यहां पर उत्तर प्रदेश की जनता महसूस करती है और मैं जिस तरीके से देख रहा हूं सरकार को काम करते हुए मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कोई भी भ्रष्टाचारी यहां पर घूमता हुआ नजर नहीं आयेगा ऐसे लोगों की जगह होगी तो जेल की सलाखों के पीछे होगी। मैं यह बहुत विश्वास के साथ सवा महीने डेढ़ महीने के कार्यकाल को देखकर मैं कह सकता हूं।

आज कार्यालयों में बायोमेट्रिक डिवाइसेस लग रहे हैं। जिलों में अधिकारी 9 से 11 बजे तक बैठकर अपने काम को पूरा कर रहे हैं, लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं और उन्हें यह पता है कि राज्य में मुख्यमंत्री जी के आवास पर भी जनता दर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। अगर वहां पर काम नहीं किया तो अगर जनता यहां पर आकर शिकायत करेगी तो यहां वह नप जायेंगे, वह भी दंड के भागी होंगे। यह भी लोग देख रहे हैं। भ्रष्टाचार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था को दीमक की तरह खोखला करने का काम किया था इसको समाप्त करने की नितान्त आवश्यकता है और इस तरफ कदम बढ़ाते हुए सरकार ने जैसे ''भू–माफियाओं'' के विरोध में एक एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन किया। भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये स्पेशल टास्क फोर्स की बात सामने आई। ग्रेड–3 और ग्रेड–4 की नौकरियों में इन्टरव्यू समाप्त करके एक

भ्रष्टाचार के बहुत बड़े जड़ को समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। कान्ट्रेक्ट में, ठेकेदारी में, सरकारी कामों में ई–टेन्डरिंग की व्यवस्था करके सरकार ने एक बार फिर से ईमानदारी के रास्ते पर आगे चलने की अपनी प्रतिबद्धता को निश्चित रूप से व्यक्त किया है मैं यह कह सकता हूं। सिटिजन चार्टर के माध्यम से लोगों में कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी भावना अगर होती है उसके मन में तो उसके सम्मान की तो उसके सम्मान की उसके स्वाभिमान की होती है कोई भी व्यक्ति किसी अधिकारी के सामने, किसी नेता के सामने जाकर अपने छोटे से काम के लिए, जो कि लोकतंत्र में उसका अधिकार है वह जाकर किसी लाइन में नहीं लगना चाहता है, अगर वह लगता है तो सच में उसको भी कहीं न कहीं लगता होगा कि यह क्या व्यवस्था है, आजादी के इतने वर्ष होने के बाद भी बी0पी0एल0 कार्ड के लिए अन्त्योदय कार्ड के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए, नेताओं के पास जाकर, अधिकारियों के पास जाकर गुहार लगानी पड़ती है, लाइन लगानी पड़ती है स्वभाविक रूप से हम सब समझ सकते हैं ज्यादातर लोग यहां पर खेती और किसानों के बैकग्राउन्ड से गांव से आए हुए हैं। कितना मन उसका दुख से भरा होता होगा, कितना दर्द होता होगा, इन सब चीजों को समझते हुए मैं देख रहा हूं कि सरकार ने सारे कदम इस पर तेजी से बढ़ाए हैं। गरीब कल्याण कार्ड के माध्यम से, बहुत सारी योजनायें बी0पी0एल0 कार्ड होल्डर्स को, गरीबों को मजदूरों को, श्रमिको को, अनआर्गनाइज्ड सेक्टर के श्रमिकों को, यह सुविधायें देने का काम और उस तरफ प्रतिबद्धता सरकार ने जाहिर की है। मैं इसके लिए भी अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार को और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्योंकि लैंड लॉक स्टेट हमारा है कोई पोर्ट नहीं है, हमारा स्टेट कई राज्यों से

घिरा हुआ है इसलिए इसको लैंड लॉक स्टेट के रूप में देखा जाता है लेकिन जैसे अभी जी0एस0टी0 की चर्चा हो रही थी तो आ रहा था यहा पर उपभोक्ता बहुत है वैसे ही यहां पर लैंड लॉक स्टेट होने के नाते यहां पर मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है और उस दिशा में भी मैं देख रहा हूं कि सरकार तेजी के साथ इस दिशा में भी अपने कदम आगे बढ़ा रही है चाहे वह सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, पी0डब्लू0डी0 का क्षेत्र हो, हेल्थ सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, बिजली का क्षेत्र हो सभी विभागों में तेजी से काम हो रहे हैं। बिजली की उपलब्धता 24 घंटे कैसे पहुंच जाए। तेजी के साथ सरकार इस पर भी काम कर रही है। जिला मुख्यालयों पर, तहसीलों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 24,20,18 घंटे बिजली मिले और अक्टूबर 2018 से 24 धंटे बिजली सभी जगह, सभी घरों में पहुंच जाए यह कोशिश है कई करोड़ एल0ई0डी0 लाइट लगाकर, बिजली को कैसे बचाया जाए और जरूरतमंद लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए बिजली की चोरी रोकी जाए, इन सब चीजों की तरफ तेजी से सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है और बच्चों के लिए भी, चिन्ता यहां तक है कि बच्चे भी अगर स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो उनको भी कैसे एक सोलर आरो वाटर भी, एक तरफ तो बिजती भी बचाई जाए और बच्चों को साफ पानी पीने के लिए भी मिल जाए तो सोलर आरो वाटर की भी स्थापना की जाए यहां तक सरकार चिन्ता कर रही है। (मेजे थपथपाई गईं) किसानों को अनुदान पर सिंचाई के लिए दस हजार सोलर पम्प की भी स्थापना करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है सरकार को मैं इसके लिए भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस तरीके से यहां पर विकलांग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में होता था हमारे केन्द्र में भी नाम परिवर्तित हुआ और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसका नाम परिवर्तित करके दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग रखने का काम किया है यह

भी सच में बहुत भावुक, भावनाओं से भरा हुआ और एक बहुत ही अच्छा कदम है मैं इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी को आपके माध्यम से इस पर बधाई देना चाहता हूं। और दिव्यांगों के लिए भी अलग से कई व्यवस्था है 300 से बढ़ाकर 500 पेंशन करना और उत्तर प्रदेश की राज्य परिवहन निगम की बसों में भी सिर्फ अब राज्य की सीमा के अन्तर्गत ही नहीं उनका डेस्टिनेशन चाहे राज्य के बाहर ही क्यों न हो वहां तक वह अपनी निःशुल्क यात्रा कर पायेंगे यह भी चिन्ता हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। इसके लिए भी मै बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप कर दें। अब बिन्दुवार अपनी बात रख दें।

श्री पंकज सिंह–

अध्यक्ष जी मैं बस समाप्त कर रहा हूं। इन सभी चीजों पर बहुत कुशलता के साथ और इसमें भी एक बड़ी उपलब्धि जो उत्तर प्रदेश सरकार की दिशा ही नहीं बल्कि मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में बहुत अच्छे काम होंगे भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों पर कैसे नकेल कसी जाएगी खत्म किया जाएगा यह तो है ही गुण्डे माफियाओं के मनोबल को ध्वस्त करने का काम किया जाएगा यह तो है ही लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग 25 हजार 196 करोड़ रुपए जो गन्ना किसानों का बकाया था उसमें से अभी 21 हजार 497 करोड़ रुपए से अधिक बकाया दे दिया है यह सबसे बड़ी उपलब्धि अभी मैं कह सकता हूं कि सवा महीने में हो गई है। और तीन हजार 709 करोड़ बचे हैं वह भी आने वाले समय में वह जल्दी हो जाएगा। लेकिन इन सब चीजों के साथ मैं बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी क्योंकि एक ऐसे मुख्यमंत्री एक ऐसा योगी के रूप में मुख्यमंत्री जो कि हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया के सपने को भी साकार करने का काम करेंगे।

बहुत विश्वास के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय इसी के साथ–साथ मैं यह भी चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तो कार्यवाही खूब अच्छे से हो रही है लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के मन में इस सरकार से बहुत सारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं जैसे कि मैं नोएडा से चुनकर आया हूं कई एथारिटी की जांच कैग को दे दी गई है लेकिन गौतम बुद्ध नगर के लोगों की वहां की जनता की वहां के किसानों की यह इच्छा होती है कि कैसे यह नोयडा एथारिटी में पिछले कई वर्षों में जो घाटाले हुए हैं उसकी जांच भी अगर जल्दी से जल्दी करा ली जाए तो यह भी लोगों के मन में ठण्डक पहुंचाने का काम करेगी। फीस हाईक को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है यहां पर बहुत सारे लोगों के छोटे–छोटे बच्चे होंगे फीस हाईक को लेकर लगातार हर साल चर्चा आती रहती है लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई रेगुलेटरी एथारिटी नहीं है सी0बी0एस0ई0 के पास जाओ तो वह अपनी बात कहते हैं राज्यों के पास जाओ तो वह अपनी बात कहते हैं स्वाभाविक रूप से अगर कोई कानून नहीं है कोई एथारिटी नहीं है तो करेंगे भी क्या लेकिन अपने मनमाने तरीके से जो प्राइवेट स्कूल्स अपनी फीस में हर साल बढ़ोत्तरी करते हैं 15 प्रतिशत 18 प्रतिशत कहीं–कहीं पर 20 प्रतिशत 22 प्रतिशत वृद्धि करते हैं इस पर भी कैसे रोक लगाई जाए मैंने इसका अनुरोध भी माननीय मुख्यमंत्री जी से किया था लिखित पत्र देकर भी इस पर भी अगर इस साल एक रेगुलेटरी एथारिटी बना दी जाए तो सच में यह एक बड़ा कदम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यहां के बच्चों के लिए होगा। हमारे नोएडा के बिल्डर्स और बायर्स के बहुत बड़े इसूज हैं पिछले 10–10 साल से लोगों ने अपनी पूरी कमाई लगाकर यहीं तक नहीं हम लोगों के सामने जो शिकायतें आती हैं जिसमें लोग अपने रिटायर्ड माता–पिता के प्राविडेंट फण्ड में से पैसा निकालकर अपार्टमेंट

और प्लाट्स बुक कराए हैं लेकिन उसके बाद भी 10–10 साल से उनको अपार्टमेंट, फ्लैट मिल नहीं रहे हैं बुजुर्ग आते हैं महिलाएं आती हैं आंख से अश्रु निकल रहे होते हैं इस पर भी जल्दी से जल्दी कार्यवाही होनी चाहिए हालांकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिलने के बाद बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को दिए हैं कि इसमें बायर्स के हितों की रक्षा होनी चाहिए इसके लिए भी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और ज्यादा न कहते हुए मैं यह सब विषय जो सामने आए अभिभाषण के रूप में हालांकि अध्यक्ष जी मैंने पहले ही कहा कि यह सब कल हम लोग बैठे–बैठे सुन सकते थे लेकिन कल अभिभाषण सुनने का मौका नहीं मिला सीटियां सुनने का अवसर हम लोगों को मिला लेकिन जाकर अभिभाषण पढ़ा इसीलिए मैं यह सब देखकर कह सकता हूं कि हमारे सरकार की दिशा जनता के हित में काम करने की है गरीबों की और गरीबों के कल्याण में मजदूरों के किसानों के हित में काम करने की है जी0एस0टी0 भी जो इस सदन ने पास किया है जी0एस0टी0 के माध्यम से इस उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा व्यापारियों को भी इससे लाभ मिलेगा इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने जब सदन में अपना भाषण शुरू किया था तो उन्होंने इसको बहुत साफ तरीके से कहा था कि यह किसी एक सरकार की उपलब्धि नहीं है बल्कि यह तो पिछले कई वर्षों में जो सरकारें रही हैं उन सबके कामों का प्रयास है। सबके डिबेट का आज यह प्रयास है कि जी0एस0टी0 आज इस रूप में हम सब लोगों के सामने निकल कर आ रहा है। यह सभी के हित के लिये काम है। जी0एस0टी0 गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स तो है ही, लेकिन जी0एस0टी0 को उन्होंने फुल फार्म दिया 'ग्रेट स्टेप्स टुवर्ड्स ट्रांसपरेंसी', पारदर्शिता की तरफ यह हमारा बड़ा कदम है। ग्रेट स्टेप बाई टीम इण्डिया। इस तरीके से उसको

परिभाषित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी किया था। इसीलिये मैने कहा कि एक योगी जी के हाथ में एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने का एक बड़ा अवसर है और मैं यह सब देखकर कह सकता हूं कि निश्चित रूप से यह सरकार हमारे उत्तर प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेगी और लोगों के सपनो को पूरा करने का काम करेगी। एक बार फिर से आप सबका का बहुत आभार व्यक्त करते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में प्राप्त संशोधन

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता विरोधी दल, आपने संशोधन के प्रस्ताव दिये हैं जो कि कार्यसूची में उल्लिखित हैं इनको आप प्रस्तुत करना चाहेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल के अभिभाषण में अपने निम्नलिखित संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रस्ताव में अंत में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–किसानों को खाद एवं बीज क्रय में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में,

2–किसानों के लिये सिंचाई मुफ्त करने के सम्बन्ध में,

3–किसानों को कृषक उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

4–पशुधन विकास हेतु छोटे किसानों को उन्नत किसान किस्म के दुधारू पशु क्रय करने हेतु ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

5–कुक्कुट नीति के सम्बन्ध में,

6–आवारा पशु एवं नील गायों से फसल की सुरक्षा व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

7–सिंचाई हेतु किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

8–प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे बलात्कार/डकैती/चोरी/

लूट/हत्या/जातीय हिंसा आदि को रोकने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

9–महिलाओं की सुरक्षा हेतु संचालित 1090 की योजना के सम्बन्ध में,

10–महिलाओं की सूरक्षा हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

11–महिलाओं और युवतियों के लिए बेहतर जीवन और स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना के सम्बन्ध में,

12–निरन्तर बढ़ रहे साइबर क्राइम की रोकथाम के सम्बन्ध में,

13–समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे का कार्य पूर्ण कर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

14–बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

श्री पंकज सिंह–

मान्यवर, यह काफी सारे हैं, इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(अन्य सदस्यों द्वारा दिये गये संशोधन प्रस्तुत किये हुये माने गये)

[15–प्रतिभावान साहित्यकारों, कवियों, खिलाड़ियों, उद्यमियों, किसानों, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में

16–प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुदृढ़ अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

17–निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में,

18–ग्रामीण क्षेत्रों में शत–प्रतिशत राशन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

19–ग्रामीण चिकित्सालयों में चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

20–सरकार द्वारा अपने घोषणा–पत्र में किसानों के सम्पूर्ण कर्जा माफी के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है,

21–सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली दिये जाने के लिए भी कोई उल्लेख नहीं किया है,

22–जनपद सहारनपुर में दलितों पर जो अत्याचार हुये हैं उसके दोषियों पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

23–पूर्व सरकार में संचालित समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत एक करोड़ उपभोक्ताओं को प्रति माह एक हजार रुपया दिये जाने के सम्बन्ध में,

24–कानून को अपने हिसाब से चलाने वाले हिन्दु युवा वाहिनी, बजरंग दल जैसे अराजक संगठनों पर कोई प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

25–निरन्तर बढ़ रहे बलात्कार/दुराचार, लूट, हत्या की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

26–समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे के अन्तर्गत गाजीपुर होते हुये बलिया तक एक्सप्रेस–वे बनाये जाने के सम्बन्ध में]

(प्राप्त संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0 254–291 पर।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

27–पूर्व सरकार में स्मार्ट फोन योजना के अन्तर्गत जिन लगभग डेढ़ करोड़ लोगों द्वारा आवेदन किया गया है उनको स्मार्ट फोन दिये जाने के सम्बन्ध में,

28–पूर्व सरकार द्वारा जो जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही थीं उनको प्रभावी ढंग से पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

29–बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में,

30–प्रदेश में गिरते हुये भू–गर्भ जल स्तर के सम्बन्ध में किसी योजना का उल्लेख नहीं है,

31–बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में,

32–शिक्षा का अधिकार को सुचारू रूप से चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

33–प्रदेश में उच्च शिक्षा के संवर्धन हेतु छात्रों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए प्रदेश के नौ मण्डलों में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

34–प्रदेश में बढ़ते हुये साम्प्रदायिक एवं जातीय हिंसा पर प्रभावी रोक लगाकर आपसी सौहार्द बनाये जाने के सम्बन्ध में,

35–डा0 राममनोहर लोहिया समग्र विकास योजना के अन्तर्गत पूरे प्रदेश के ग्रामों का विकास एवं गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

36–जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत गांवों का विकास कराये जाने के सम्बन्ध में,

37–जो आलू किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनको मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में,

38–गौ–रक्षा के नाम पर प्रदेश में मुस्लिमों पर जो अत्याचार किये जा रहे हैं, उनको बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,

39–उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा जिन 18 पिछड़ी जातियों को अनु0 जाति का दर्जा दिये जाने का प्रस्ताव रखा था, उन 18 जातियों को अनु0 जाति का प्रमाण–पत्र देते हुये सम्बन्धित सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

40–व्यापारियों का उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में,

41–कृषकों को उनके उत्पादन का दुगना दाम दिये जाने के सम्बन्ध में,

42–जो किसान स्वयं अपने पम्पों से सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं उनको डीजल में अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में,

43–गन्ना किसानों को तत्काल भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,

44–तथाकथित गौ–रक्षकों द्वारा निर्दोष लोगों की पिटाई तथा जान से मार देने के बाद भी उन पर कोई प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

45–एन्टी रोमियों स्क्वाड की आड़ में युवाओं का उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में,

46–सामान्य, पिछड़े तथा अनु0 जाति के अभ्यर्थियों को अभी तक छात्रवृत्ति नही मिल सकी है उनको तत्काल छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में,

47–पूर्वान्चल व बुन्देलखण्ड के विकास हेतु विशेष सहायता पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में,

48–उ0प्र0 में जितने भी ट्यूबवेल जो नीचे जल स्तर के कारण बन्द पड़े हैं, उनकी मरम्मत अथवा नये ट्यूबवेल लगवाने के सम्बन्ध में,

49–गोरखपुर के खाद कारखाने को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

50–पूर्वान्चल में समस्त चीनी मिलों का पुनः निर्माण कराये जाने से सम्बन्ध में,

51–उ0प्र0 में जितने भी कताई मिलें बंद पड़ी हैं उनको पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

52–प्रदेश में समस्त जिलों में एक–एक मेडिकल कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

53–प्रदेश में समस्त बेसिक शिक्षा स्तर के बच्चों व कालेजों को टाट मुक्त किये जाने हेतु मेज–कुर्सी तथा बच्चों को मुफ्त यूनीफार्म दिये जाने के सम्बन्ध में, तथा

54–समस्त अस्पतालों में जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र स्थापित दवाओं की दुकानें हैं उन दुकानों को न खोलते हुये, मुफ्त दवाई व इलाज की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में'',

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का मेरा व्यक्तिगत मत है कि यह कार्यवाही का अंग नहीं होना चाहिये। यह सदन की कार्यवाही का अंग नहीं होना चाहिये, क्योंकि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सत्र का क्यों

आह्वान किया है इसके विषय में उन्होंने एक शब्द न कहीं कहा और न लिखित रूप में कहा। संविधान में आपके कार्य संचालन नियमावली में यह साफ व्यवस्था है कि जब दोनों सदनों का समवेत सदन हो, अभिभाषण देने की बात हो या किसी सत्र में, बजट सत्र में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का प्रश्न हो, हम सदन क्यों आहूत कर रहे हैं, हमने सदन का आह्वान क्यों किया है संविधान में इसका कारण उल्लेख करने का प्राविधान है वह तो कहीं कुछ आया ही नहीं। मा0 सदस्य ने जो प्रस्ताव किया और जिन मा0 सदस्य ने उसका समर्थन किया या जिन मा0 सदस्य ने आपके समक्ष नियम–300 के अन्तर्गत प्रश्न रखा, उन सभी मा0 सदस्यों ने आपसे इस बात की शिकायत की कि कल मा0 राज्यपाल जी का अभिभाषण हम लोग सुन नहीं सके। श्रीमन्, उसके बाद आपका भी तो वाचन हुआ, वह भी आप पूरा नहीं पढ़ पाए। इसलिए यह संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है कि हम महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को सदन की कार्यवाही का अंग माने या न माने। मैं इतना ही कहूंगा इस पर चर्चा जारी रखिए कल मैं पूरी बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो भाषण शुरू किया है उसमें से एक बात मुझे लगता है हंसी मजाक में कही है आपने स्वयं ही जब मैं रख रहा था तो कहा था इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए एक और दूसरी अभी जब आप इसका संशोधन प्रस्तुत कर रहे थे तो अपने वाले को भी कहा इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए तो क्या जो आपने संशोधन रखा उसको हम ये माने कि नहीं रखा गया है किसी ने सुना तो है नहीं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैंने अध्यक्ष जी मैंने कभी नहीं कहा पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

अभी कहा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैंने अपने वाले को कहा है मैंने जो संशोधन दिया है उसको मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

हां ठीक है उसमें आपने कहा है ना तो आप वाले को कैसे मान लिया जाए? वह तो हमारे निर्देश से होगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आपने कृपापूर्वक निर्देश दिया है कि उसको मान लिया जाए। वही कृपापूर्वक निर्देश देते तो मैं पढ़ता इसको पूरा।

श्री अध्यक्ष–

बिल्कुल वैसे ही मैंने उस दिन दिया था तो बातें दोनो एक ही हैं या तो उसका ना माना जाए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जो अभी इसका उदाहरण मत दीजिए अभी इस पर कोई व्यवस्था मत दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

नहीं व्यवस्था नहीं दे रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

तो मैंने स्वयं कह दिया कि कल चालू रहेगा। मैं अपना प्रवचन चालू रखूंगा। संशोधन मैंने रख दिया है।

श्री अध्यक्ष–

बिल्कुल हम दोनों चालू रहेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

ठीक है।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

[03.52] नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब हम नियम 51 लेते हैं। आज दिनांक 16–05–2017 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के टाउन एरिया लालगंज अझारा में राष्ट्रीय राजमार्ग 231 पर अधूरे ट्रामा सेण्टर का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में विद्युत के जर्जर खम्भों व तारों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के तहसील मार्टिनगंज के ग्राम महुजा नेवादा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के संबंध में है, चौथी सूचना डा0 नीरज बोरा जनपद लखनऊ में पक्का पुल से आई0आई0एम0 रोड तक बन्धा बाईपास निर्माण में आ रहे अवरोध को दूर किये जाने के संबंध में है, पांचवी सूचना श्री अजय कुमार सिंह 'अजय सिंह' की प्रदेश के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित चैकडैमों में हुये घोटाले की जांच कराये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। छठी सूचना डा0 आर0के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ के वि0स0 क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत मानधाता के ग्राम सभा पूरे तोरई के पास बकुलाही नदी पर प्रस्तावित चैकडैम का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ललई की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के गौरवाह में स्वीकृत 400/220/132

के0वी0ए0 का विद्युत सबस्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मा0 अध्यक्ष जी मेरा अनुरोध है कि मेरी सूचना को वक्तव्य हेतु स्वीकृत कर लें।

श्री अध्यक्ष–

आठवीं सूचना श्री पवन कुमार की जनपद कुशीनगर के हाटा परिक्षेत्र में नहरों की सफाई व टेल तक पानी पहुंचाये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है, नवीं सूचना श्री रामअचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में सुखारीगंज से मंशापुर तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, दसवी सूचना श्री रोशनलाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के कतिपय ग्रामों में 11000 वोल्टेज के तारों के लटकने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

श्री अध्यक्ष–

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं–श्री अजय कुमार लल्लू, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री रितेश पाण्डेय, श्री लालजी वर्मा, श्री अनिल सिंह, श्री आजाद अरिमर्दन, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा।

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 55 मिनट पर बुधवार दिनांक 17 मई, 2017 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ : (प्रदीप कुमार दुबे)

दिनांक 16 मई, 2017

प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये संशोधन प्रस्तुत पीछे पृष्ठ सं0 249 पर)

2–श्री लाल जी वर्मा, श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजाद अरिमर्दन, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री उमाशंकर सिंह, श्री रितेश पाण्डेय, श्री विनय शंकर तिवारी, श्री हरिगोविन्द भार्गव, श्री अनिल सिंह, श्री सुखदेव राजभर तथा श्री राम अचल राजभर–

[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–उत्तर प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था के नियन्त्रण के सम्बन्ध में,

2–भगवा बिग्रेड की गुण्डागर्दी को रोकने के सम्बन्ध में,

3–दंगा पर प्रभावी नियन्त्रण के सम्बन्ध में,

4–बढ़ते बलात्कार की घटनाओं एवं महिलाओं के उत्पीड़न को रोके जाने के सम्बन्ध में,

5–गो–रक्षा के नाम पर हो रही गुण्डागर्दी को प्रभावी ढंग से रोके जाने के सम्बन्ध में,

6–किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने के सम्बन्ध में,

7–दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोके जाने के सम्बन्ध में,

8–डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

9–मा0 श्री कांशीराम शहरी आवास योजना के सम्बन्ध में,

10–गन्ना की कीमतों में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में,

11–गन्ना मूल्य के बकाये के सम्पूर्ण भुगतान के सम्बन्ध में]

[ ] नोटः– यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

12–बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

13–माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के सम्बन्ध में,

14–प्रदेश में भयंकर पेयजल की समस्या के निदान के सम्बन्ध में,

15–प्रदेश में नौजवानों के खेलकूद की सुविधा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

16–महामाया राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर में पी0 जी0 की कक्षायें चलाये जाने के सम्बन्ध में,

17–गरीबों को आवास देने के सम्बन्ध में,

18–कटेहरी जनपद अम्बेडकर नगर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में,

19–बुनकर बाहुल्य क्षेत्र मुबारकपुर, अकबरपुर, टाण्डा एवं जलालपुर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने एवं 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

20–लालगंज विधान सभा क्षेत्र में ग्राम फेटी बेलऊ होते हुए सड़क मरम्मत के सम्बन्ध में,

21–अग्नि से पीड़ित व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

22–जाति के आधार पर किये जा रहे भेदभाव को रोके जाने के सम्बन्ध में,

23–अकबरपुर–आजमगढ़ मार्ग से सिबलीपुर मार्ग को हाट मिक्स से बनवाने के सम्बन्ध में,

24–प्रदेश में राशन कार्डों की जांच कराकर पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

25–अम्बेडकर नगर में सर्किट हाउस के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में,

26–खाद्य वितरण प्रणाली में हो रही अनियमितता को रोके जाने के सम्बन्ध में,

27–किसानों एवं ईंट के भट्ठों पर जे0सी0बी0 के प्रयोग में पुलिस के उत्पीड़न को रोके जाने के सम्बन्ध में।''

28–महामाया बालिका आशीर्वाद योजना को पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,

3–श्री विनय शंकर तिवारी–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में धुरियापार चीनी मिल को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में,

2–जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में सरयू नदी पर ब्योरी पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

3–जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार की तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4–जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार की तहसील गोला में दीवानी न्यायालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

5–जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार उरूबा बाजार को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में।''

4–श्री संजय गर्ग–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रदेश में 15 मार्च के पश्चात् बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में,

2–प्रदेश में बढ़ती साम्प्रदायिक एवं जातिवादी हिंसा को रोककर समाज के सभी वर्गों एवं समुदाय में समन्वय तथा सौहार्द बनाने के सम्बन्ध में,

3–पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्थानीय निवासियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त होने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खंडपीठ की स्थापना के सम्बन्ध में,

4–उत्तर प्रदेश में आदिवासियों को वनाधिकार, 2006 के अन्तर्गत मिलने वाले अधिकारों को दिये जाने के सम्बन्ध में,

5–प्रदेश में निरन्तर गिरते हुए भू–गर्भ जल का स्तर बढ़ाने हेतु वर्षा ऋतु के पानी के संचयन के सम्बन्ध में,

6–गंगा बेसिन में भू–गर्भ जल में पाये जाने वाले जहरीले पदार्थ आर्सेनिक एवं फ्लोराइड संक्रमित क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

7–प्रदेश के किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम दिये जाने के सम्बन्ध में,

8–प्रदेश में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर रोक लगाये जाने की योजना के सम्बन्ध में,

9–प्रदेश में ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन की प्रदेश स्तरीय नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में,

10–उत्तर प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले समाज विरोधी सिथेंटिक दूध के व्यापार की रोकथाम के सम्बन्ध में,

11–जनपद सहारनपुर में 20 अप्रैल, 2017 को सड़क दूधली कांड में अल्पसंख्यक समुदाय के घायल व्यक्तियों तथा जिनकी दुकानों एवं मकानों में आगजनी एवं तोड़–फोड़ हुयी, उन्हें उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में,

12–जनपद सहारनपुर के शब्बीरपुर में 5 मई, 2017 को जातिवादी उन्माद से उत्पन्न हुयी हिंसा के उपरान्त मृतक सुमित एवं दलितों के जलाये गये दर्जनों मकानों के उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में,

13–जनपद सहारनपुर में 9 मई, 2017 को शब्बीरपुर की जातिवादी हिंसा में न्याय की मांग कर रहे दलितों के हिंसक प्रदर्शन में पत्रकारों एवं अन्य नागरिकों के जलाये गये वाहनों के उचित मुआवजे के सम्बन्ध में,

14–सहारनपुर मण्डल के छात्र–छात्राओं की व्यवस्थित शैक्षिक, प्रशासकीय और परीक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों को सम्पन्न कराने हेतु सहारनपुर मण्डल मुख्यालय पर एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में,

15–जाम की समस्या से निपटने के लिए जनपद सहारनपुर के मुख्यालय महानगर सहारनपुर में बीचों–बीच जा रहे रूड़की पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 के बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में,

16–जाम की समस्या से निपटने के लिए जनपद सहारनपुर के मुख्यालय महानगर सहारनपुर में बीचों–बीच जा रहे दिल्ली यमुनोत्री राजकीय राज्य मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

17–पेपर मिल रोड पर रेलवे क्रासिंग पर जाम की समस्या से निपटने के लिए रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में,

18–सुप्रीम कोर्ट के रिट संख्या 202/1995 (सिविल) में पारित आदेश दिनांक 05 अक्टूबर, 2015 के अनुपालन हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु प्रवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2016 व गजट संख्या 2693 भारत सरकार दिनांक 16 नवम्बर, 2016 के परिप्रेक्ष्य में सहारनपुर के विश्व प्रसिद्ध वुडकार्विंग उद्योग (कुटीर उद्योग) को बचाने एवं इसकी बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में,

19–सहारनपुर के कम्पनी बाग को उत्तर प्रदेश के एकमात्र हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में,

20–सुप्रीम कोर्ट के रिट संख्या 202/1995 (सिविल) में पारित आदेश दिनांक 05 अक्टूबर, 2015 के अनुपालन हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु प्रवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2016 व गजट संख्या 2693 भारत सरकार दिनांक 16 नवम्बर, 2016 के परिप्रेक्ष्य में सहारनपुर में वीनियर एवं प्लाईवुड उद्योग की स्थापना हेतु प्रत्यावेदन,

21–सहारनपुर में प्रसिद्ध लकड़ी की नक्काशी के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वुडकार्विंग सिटी बनाने के सम्बन्ध में,

22–सहारनपुर महानगर में ट्रैफिक के अत्यधिक बोझ को देखते हुए जर्जर एवं पुराने खुमरान पुल, दाल मण्डी पुल एवं जोगियान पुल के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में,

23–सहारनपुर महानगर में मातागढ़ की पुलिया के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में,

24–सहारनपुर स्थित शेखुल हिन्द मौलाना महमूदुल हसन राजकीय मेडिकल कालेज में उच्च स्तरीय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

25–प्रदेश में वनों के अवैध कटान एवं वन तस्करी को रोके जाने के सम्बन्ध में,

26–सहारनपुर महानगर में जाम की स्थिति से निपटने के लिए बस अड्डों को शहर से बाहर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

27–मल्टी सेक्टोरियल स्कीम के अन्तर्गत सहारनपुर महानगर, नकुड़, देवबंद व मुजफ्फराबाद में बने विद्यालयों को शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में।''

5–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–महमूदाबाद, सीतापुर को नया जिला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

2–दि किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद में डिस्टेलरी की स्थापना के सम्बन्ध में,

3–तम्बौर महमूदाबाद, महमूदाबाद सिधौली निर्माणाधीन सड़क को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में,

4–महमूदाबाद, सीतापुर में पेयजल के गम्भीर संकट को देखते हुए नलों का रि–बोर व नये नल लगाये जाने के सम्बन्ध में,

5–आलू के गिरे हुए मूल्य 2/– रु0 प्रति किलो से किसान के हुए घाटे को प्रतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में,

6–महमूदाबाद, सीतापुर में गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों के साथ हो रहे शोषण को रोके जाने के सम्बन्ध में,

7–प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में,

8–पोखरा कला, मीरानगर, खपूरा आई स्पर्श स्मार्ट गांवों में कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में,

9–सैर, नियामतपुर लबरहा, बजेहरा में स्वीकृत पानी की टंकियों का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में,

10–तहसील महमूदाबाद, सीतापुर में अघोषित विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

11–अवारा पशुओं से प्रदेश में किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई किये जाने के सम्बन्ध में।''

6–श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–विधान सभा क्षेत्र बाराबंकी अन्तर्गत उ0 प्र0 राज्य कताई मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

2–बाराबंकी शहरी भाग को टाउन एरिया बंकी से जोड़ने हेतु रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण।''

7–श्री मनोज कुमार पारस–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत नगर पालिका, कीरतपुर के पास मौजा मधुसूदनपुर देवीदास में पूर्व में स्वीकृत मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

2–जनपद बिजनौर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नगीना को डार्क जोन घोषित किये जाने की वजह से पेयजल की समस्या हेतु इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प कम से कम 1000 लगाये जाने के सम्बन्ध में,

3–जनपद बिजनौर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नगीना से कीरतपुर मार्ग को चौड़ीकरण करने के सम्बन्ध में,

4–जनपद बिजनौर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नगीना को जिला बनाने के सम्बन्ध में,

5–जनपद बिजनौर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नगीना में नगर पालिका, कीरतपुर से ग्राम शादीपुर, कुम्हेड़ा होते हुए नगर पालिका, नेहटौर के मार्ग को चौड़ा कराने के सम्बन्ध में,

6–जनपद बिजनौर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा नगीना में पूर्व में स्वीकृत राजकीय कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कराने के सम्बन्ध में, तथा

7–जनपद बिजनौर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा नगीना में सहकारी कताई मिल को पुनः चलाने के सम्बन्ध में पूर्व में कैबिनेट में स्वीकृत मिल को चलाने के सम्बन्ध में।''

8–श्री अमन मणि त्रिपाठी–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–विधान सभा क्षेत्र सिसवां में मेरी गौसदन को बाबा दिग्विजय नाथ पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में,

2–विधान सभा क्षेत्र सदर में चेहरी फार्म को बाबा अवैद्यनाथ कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में,

3–लक्ष्मीपुर ब्लाक को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में,

4–तहसील नौतनवां एवं तहसील आनन्दनगर (फरेन्दा) को मिलाकर आनन्दनगर जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में,

5–ट्यूबवेल सुचारु रूप से पानी नहीं दे रहे हैं एवं आपरेटर समय से नहीं आ रहे हैं। जल निगम से ट्यूबवेल सुचारु रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में,

6–नगर पालिका परिषद्, नौतनवां में कोई भी सफाई कर्मी समय से कार्य नहीं कर रहे हैं,

7–सी0एच0सी0, नौतनवां में गंदगी के सम्बन्ध में,

8–अस्पताल में दवाई नहीं बंट रहा है एवं महिला डाक्टर नहीं बैठ रही हैं, जिसके कारण डिलीवरी नहीं हो पाने के सम्बन्ध में,

9–सी0एच0सी0 अड्डा बाजार सालों से बन्द पड़ा है, न कोई डाक्टर है, न कोई कम्पाउण्डर है, जिसकी वजह से मरीजों को असुविधा का सामना किये जाने के सम्बन्ध में,

10–बाबू पैसिया, बरगदवा सी0एच0सी0 कई सालों से बन्द रहने के सम्बन्ध में,

11–बार्डर डेवलपमेंट रोड सालों से ठप रहने के सम्बन्ध में,

12–रोहिन हेड मिश्रवलिया से निर्माण कार्य सालों से ठप रहने के सम्बन्ध में,

13–ग्राम सभा धोतियहवा, कजरी, हनुमानगढ़िया, सिंहपुर कला में कार्य की हेरा–फेरी एवं भू–माफिया द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में,

14–गत दिनों ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसके वजह से किसानों का व्यापक नुकसान हुआ है। अभी तक कोई राहत कार्य नहीं होने के सम्बन्ध में,

15–सभी सड़कें टूटी–फूटी हैं। उनके मरम्मत कार्य नहीं किये जाने के सम्बन्ध में,

16–स्कूलों में शिक्षा कार्य नहीं हो पा रहा है न ही नियमानुसार मिड–डे–मील एवं न ही ड्रेस का वितरण होने के सम्बन्ध में,

17–सिंचाई विभाग द्वारा बांधों पर मरम्मत का कार्य नहीं किये जाने के सम्बन्ध में,

18–गांव में कोटेदार द्वारा मानक से राशन का वितरण नहीं हो पा रहा है। गांव में 25 प्रतिशत लोगों को ही राशन वितरण कर रहे हैं। उचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

19–रोहिण नदी से अवैध खनन बालू माफिया द्वारा पुलिस की मदद से जोरों पर किये जाने के सम्बन्ध में,

20–सोनौली बस टैक्सी स्टैण्ड पर गुण्डों द्वारा अवैध वसूली किये जाने के सम्बन्ध में,

21–सोनौली में ग्राम समाज खलिहान माफिया द्वारा अवैध कब्जा तत्काल खाली कराये जाने के सम्बन्ध में,

22–रतनपुर चिकित्सा अधीक्षक द्वारा आशा बहुओं की नियुक्ति में पैसा लेकर नियुक्त करके धांधली के सम्बन्ध में,

23–महाव नदी का नेपाल बार्डर से जंगल तक सिल्ट सफाई एवं तटबन्धों का मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

24–सोनिया नाले की सिल्ट सफाई एवं तटबन्ध का मरम्मत कार्य देवघट्टी से नेबुवहवा तक कराये जाने के सम्बन्ध में,

25–नौतनवां ब्लाक के ग्राम सभा बेलहिया ताल सेगनेशपुर होते हुए चकनाला की खुदाई कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

26–बघैला नदी पर नेपाल बार्डर से जंगल तक तटबन्ध मरम्मत एवं निर्माण और सिल्ट सफाई का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

27–ग्राम सभा चकदह में लालपुर से शाहपुर तक रोहिणी नदी के दोनों छोर पर तटबन्ध कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

28–ग्राम पंचायत, श्यामकाट के उत्तर रोहिणी नदी पर तेजी से कटान होने के कारण ठोकर लगवाये जाने के सम्बन्ध में,

29–गोरखपुर, कचहरी, रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड घाट, कस्या, देवरिया, कनौली, निचलौल, शाहपुर, दोहरी घाट, बड़हलगंज, बस्ती, पडरौना, नौगढ़, बांसी, डुमरियागंज, नौतनवां, बस स्टैण्डों को (आई0एस0बी0टी0) आलमबाग, रामपुर बस स्टैण्डों के तर्ज पर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

30–गोरखपुर जिला अस्पताल एवं जिला महिला अस्पताल 100 वर्षों से अधिक पुराने हैं, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। जिसके भवनों के नव निर्माण आधुनिक संयंत्रों, आपरेशन थियेटर एवं जांच व पैथालॉजी की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

31–गोरखपुर के कैम्पियरगंज में स्थित वन पौधशाला एवं शोध संस्था को भारतीय शोध वन संस्थान बनाये जाने के सम्बन्ध में,

32–जनपद गोरखपुर में हावर्ड तटबन्ध को ग्राम मानीराम तक फोर लेन बनाये जाने के सम्बन्ध में,

33–जनपद गोरखपुर में महेसरा ताल, चिलुआताल, गोरधोइया नाला, रामगढ़ताल, सुमेर सागर जटाशंकर एवं विभिन्न तालाबों को तालाब विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गोरखपुर के द्वितीय जल स्तर को रोकने के लिए खुदाई एवं सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

34–जमुहनिया–सिरसियां घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

35–लालपुर–खेरिया घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

36–दो मोहान (सिंहामार) घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

37–लक्ष्मीनगर–हनुमान गढ़िया घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

38–टेढ़ी घाट, कौआहवां घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

39–चखनी–सेमरहवां घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

40–अड्डा बाजार को ब्लाक एवं नगर पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

41–कोलही बाजार को नगर पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

42–बरगदवा बाजार को नगर पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

43–लक्ष्मीपुर को नगर पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

44–नौतनवां विधान सभा में एक हजार इण्डिया मार्का हैण्डपम्प खराब पड़े हैं जिसकी रिबोर की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

45–नौतनवां विधान सभा में पेयजल की व्यवस्था के लिए तीन हजार हैण्डपम्प की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

46–ग्राम सभा पड़ौली में ओवर हेड टैंक बनवाने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

47–ग्राम सभा भगवानपुर में ओवर हेड टैंक बनवाने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

48–ग्राम सभा मोहनापुर में ओवर हेड टैंक बनवाने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

49–ग्राम सभा मुगलहा में ओवर हेड टैंक बनवाने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

50–ग्राम सभा बैरिहवां में ओवर हेड टैंक बनवाने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

51–ग्राम सभा लक्ष्मीपुर में ओवर हेड टैंक बनवाने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

52–ग्राम सभा गनवरीया में ओवर हेड टैंक बनवाने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

53–ग्राम सभा समरधीरा में ओवर हेड टैंक बनवाने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

54–ग्राम सभा खौरिया में ओवर हेड टैंक बनवाने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

55–निम्न पक्की सड़क व मिट्टी का कार्य लक्ष्मीपुर ब्लाक में कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्र0सं0	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम
1	परसौनी	परसौनी से रुदलापुर 2 किमी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
2	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर ब्लाक के पिदे से बटईडिहा 2 किमी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
3	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर एकमा बाई पास 2 किमी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
4	हथियागढ़	हथियागढ़ से मदरसा होते हुए मोहनापुर 2 किमी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
5	मेहनापुर	कोल्हुआ ढाला से मोहनापुर 6 किमी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
6	एकमा	एकमा से कोल्हुआ 3 किमी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
7	एकमा	एकमा से कोटकम्हरिया पक्का कार्य 8 किमी0,
8	परसा पाण्डेय	परसा पाण्डेय से विशुनपुर तक 1 किमी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
9	सोनबरसा	सोनबरसा से सोहरवलिया 1 किमी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
10	बनकटवा	चुडिहारी टोला से बनकटवा 1 किमी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
11	लक्ष्मीपुर	ब्लाक लक्ष्मीपुर से पैसिया 1 किमी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
12	बटईडीहा	बटईडीहा चकरोड से पैसिया चकरोड तक

		500 मीटर मिट्टी एवं पिच मार्ग,
13	बटईडीहा	भैरी पिपरी रोड से बगहिया 700 मीटर मिट्टी एवं पिच मार्ग,
14	हरैया खुर्द	पी0डब्ल्यू0डी विश्व बैंक रोड से हरैया खुर्द 1 किमी0 पिच मार्ग,
15	मोहनापुर	मोहनापुर से सूरपार प्रधान गली सड़क 7 किमी0 पिच कार्य,
16	पैसिया	पैसिया प्रकाश गौड़ के घर से अजय चौरसिया के घर तक टोला चौतरवा 1 किमी0 पिच मार्ग,
17	पैसिया	लालपुर पोखरी से गांव के पूरब जुगल किशोर के घर तक 1 किमी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
18	जंगल गुलहरिया	जंगल गुलहरिया दक्षिण डीह से बडकाडीह तक 1 किमी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
19	जंगल गुलहरिया	जंगल गुलहरिया तुलसी घर से मोती सागर टावर तक 1 किमी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
20	बेलहा खुर्द	पचपेड़वा से स्कूल तक 1 किमी0 बेलवा खुर्द तक मिट्टी एवं पिच मार्ग,
21	बेलवा खुर्द	नहर से स्कूल तक 1 किमी0 बेलवा खुर्द तक मिट्टी एवं पिच मार्ग,
22	बनवाटारी	नहर ईदगाह से कब्रिस्तान तक 1 किमी0 बनवाटारी तक मिट्टी एवं पिच मार्ग,
23	बहोरपुर	फारेस्ट रोड से रेलवे लाईन तक पिच कार्य बहोरपुर 700 मीटर,
24	सोन्धी	सड़क पी0डब्ल्यू0डी0 से सरदार पटेल

	लक्ष्मीपुर	इण्टर कालेज सोन्धी लक्ष्मीपुर होते हुए 1 किमी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,

क्र0सं0	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम
25	मठिया इदू	मठिया इदू हरिजन बस्ती से पी0डब्ल्यू0डी0 मार्ग तक पिच कार्य 500 मीटर,
26	बटईडीहा	पुरैनवा बढ़वा से दक्षिण बटईडीहा चकरोड तक 500 मी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
27	एकमा	एकमा बटईडीहा से पैसिया तक 1500 मी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
28	एकमा	एकमा मोड से पोखरा तक 700 मी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
29	बेलवा जंगल	मदरहना प्रा0 विद्यालय से बेलवा जंगल तक 2 किमी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
30	मझौली	मझौली से फुलवरिया पिच कार्य 1 किमी0,
31	सोन्धी लक्ष्मीपुर	पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क से सरदार पटेल इण्टर कालेज सोन्धी लक्ष्मीपुर मिट्टी एवं पिच मार्ग 1 किमी0,
32	मझौली	जवाहिर हरिजन के घर से खलिहान तक मझौली 100 मी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
33	मझौली	दुधाई के घर से गुरुदयाल के घर तक 100 मी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
34	मझौली	बद्री नारायण के घर से पश्चिम खेत तक

		100 मी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
35	बरगदवा विशुनपुर	पुलिया से मकबूल के घर तक मिट्टी एवं पिच मार्ग,
36	समरधीरा	चौधरी के घर से समरधीरा पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क तक 1.5 किमी0 मिट्टी एवं पिच मार्ग,
37	भगवानपुर	बरगदवा टोले से दक्षिण पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क तक पिचरोड निर्माण कार्य,
38	भगवानपुर	भगवानपुर से रघुनाथपुर मंदिर तक पिच रोड निर्माण कार्य,
39	रजापुर	रामपुर झुलवा पुल होते हुए रजापुर तक पिच रोड निर्माण कार्य,
40	लालपुर कल्यानपुर	बकैनिया प्राथमिक विद्यालय से बकैनिहा चौराहा तक पक्की सड़क का कार्य,
41	लालपुर कल्यानपुर	बकैनिया नहर से रामवरन यादव के घर तक पक्की सड़क का कार्य,
42	बकैनिया हरैया	प्रा0 पा0 बकैनिया हरैया से बकैनिया चौराहे तक पिच रोड निर्माण कार्य 1 किमी0,
43	बकैनिया हरैया	बकैनिया चौराहे से बडहरा रेलवे ढाला तक पिच मरम्मत कार्य 1500 मीटर,
44	चैयनपुर	पक्की सड़क से रेलवे लाईन तक पिच रोड 1800 मी0 तक कार्य,
45	चैयनपुर	राधेश्याम के घर से काली मंदिर तक 300 मी0 इण्टर लाकिंग का कार्य,
46	गुजरवलीय शंकर मिश्र	रेलवे लाईन से सेमरहवा पोखरा वाले टोला तक 600 मी0 इण्टर लाकिंग कार्य।

51 निम्न पक्की सड़क व इण्टर लाकिंग का कार्य नौतनवां ब्लाक में कराये जाने के सम्बन्ध में–

क्र0सं0	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम
1	2	3
1	मणि चौराहा	मणि चौराहा से चमार टोला से मगरभौली तक पिच कार्य 1 किमी0 रोड,
2	बैरवा बनकटवा	महुआरी टोला प्रयाग सहानी के घर से खटिक के घर तक 100 मीटर पिच रोड,
3	बैरवा बनकटवा	महुआरी टोला से दक्षिण पिच रोड तक पिच कार्य 500 मीटर,
4	अड्डा बजार	अड्डा बजार डबरा से पूरब सूर्यपुरा गांव तक 2 किमी0 पिच रोड,
5	पैसिया बाबू	मेन रोड राष्ट्रीय राजमार्ग पंजाब नेशनल बैंक के दक्षिण किनारे से गांव के पीछे होते हुए बैरिया बाजार के प्रेम के घर तक पक्की सड़क 1100 मीटर का कार्य,
6	जंगल गुलरिहा	अंगद के घर से तुलसीपुर चौराहा तक पिच रोड 700 मीटर लम्बा,
7	जंगल गुलरिहा	विश्व बैंक से काली मन्दिर तक पिच रोड 350 मीटर,
8	लुठहवा	पूर्णमासी यादव के घर से 1000 मी0 अगर्दी के घर तक पिच रोड,
9	लुठहवा	बघेला से सटे गनेश पासवान के खेत से झारनी नाला से मेन रोड तक 800

		मी0 पक्की रोड,
10	जसवल	जसवल से मैनिहवा की ल0 100 मी0 पक्की सड़क का कार्य,
11	महदेईया	सुखराज के घर से रामकेश के घर तक उगरपुरवा पक्की सड़क का कार्य 600 मी0,
12	अहिरौली	परसौनी मस्जिद से अनवर के घर तक 500 मीटर पक्की सड़क का कार्य,
13	भगवानपुर	मुण्डाडीह से कब्रस्तान से होते हुए इस्लामपुर से रघुनाथपुर की दूरी 2 किमी0 पिच कार्य,
14	हनुमानगढ़िया	हनुमानगढ़िया सोहनी नदी तक 175 मी0 पिच रोड का कार्य,
15	हनुमानगढ़िया	सोहनी स्कूल से रोहीन नदी तक 500 मी0 पक्की सड़क,
16	असुरैना	असुरैना चौराहा से पक्की रोड जो विशुनपुरा के तरफ गया है 600 मी0 पक्की सड़क का कार्य,
17	कौलही	छितरापार सिवान से बरवां कला भट्ठे तक पक्की रोड ल0 900 मी0,
18	केवटलिया	लेकपुरवा में डन्डा नहर पुलिया से पी0डब्ल्यू0डी0 रोड तक पक्की सड़क ल0 300 मी0 का कार्य,
19	केवटलिया	राजकुमार पासवान के घर से दक्षिण नया मकान राजाराम यादव के घर तक 1000 मी0 इण्टर लाकिंग का कार्य,

1	2	3
20	कौलही	धर्मराज के खेत से श्मशान घाट तक इण्टर लाकिंग 400 मी0 का कार्य,
21	शिवपुरी	अर्जुन थारु के घर के पीछे से सेखुआनी परसा पिच मार्ग तक 300 मी0 इण्टर लाकिंग,
22	सेखुआनी	छोटे भर के घर से 120 मी0 इण्टर लाकिंग विरेन्द्र के गड्ढे तक का कार्य,
23	जसवल	जसवल से रघुनाथपुर तक 200 मी0 इण्टर लाकिंग का कार्य,
24	हनुमानगढ़िया	नरेश सहानी के घर से काली स्थान तक ल0 15 मी0 इण्टर लाकिंग का कार्य,
25	हडहवा	बगेदू के घर से विजय मद्धेशिया के घर तक 200 मी0 इण्टर लाकिंग का कार्य,
26	महदईया	महदेईया वंजल टोला से पच्छुडीहवा होते हुए पथरहवा तक 1.5 किमी0 इण्टर लाकिंग का कार्य,
27	महरी	धनई यादव के घर से पूरब लालचन्द पासवान के घर तक 300 मी0 इण्टर लाकिंग का कार्य,
28	महरी	सजन टोला पर भग्गन के घर से दक्षिण पोखरी तक 400 मी0 इण्टर लाकिंग का कार्य,
29	देवघट्टी	हरखपुरा पी0डब्ल्यू0डी0 से मंगलापुर सिवान तक इण्टर लाकिंग का कार्य 500 मी0,
30	बभनी	बाल गोविन्द मिश्रा के घर से शिवनाथ हरिजन के घर तक पिच रोड 1500 मी0

		का कार्य,
31	हथियहवा	फत्तेपुर राजू के घर से राममिलन के घर तक इण्टर लाकिंग 160 मी0 का कार्य,
32	अड्डा बाजार	रामशुभग के घर से नहर पिच तक खड़न्जा कार्य 500 मी0,
33	अड्डा बाजार	नरेन्द्र सिंह के घर से नहर पिच तक खड़न्जा कार्य 500 मी0,
34	अड्डा बाजार	सुरेश जायसवाल के घर से रामजानकी मंदिर तक 500 मी0 इण्टर लाकिंग,
35	अड्डा बाजार	अनिरुद्ध के घर से नहर पिच तक खड़न्जा कार्य 500 मी0,
36	सुकरौली उर्फ अरघा	नूरमोहम्मद के घर से होते हुए तक इण्टर लाकिंग नदी तक 500 मी0,
37	सुकरौली उर्फ अरघा	संतराम लोध के घर से होते हुए श्मशान घाट तक इण्टर लाकिंग 1000 मी0,
38	महुअवा	रामनयन यादव के घर से पक्की सड़क अरघा तक जिसकी दूरी लगभग 2000 मी0 पिच रोड का कार्य,

1	2	3
39	महुअवा	विश्वनाथ के घर से चिनकान के घर तक इण्टर लाकिंग 800 मी0 का कार्य,
40	महुअवा	फागू के घर से कोटही माई के स्थान तक इण्टर लाकिंग 700 मी0 का कार्य,
41	महरी	वकील साहब के दक्षिण राइस मिल होते हुए तीन पोखरी तक 1500 मी0 पक्की सड़क का कार्य,
42	महरी	किशोर गुप्ता के घर के पूरब दयानन्द यादव

		के घर तक पिच रोड व मरम्मत का कार्य 300 मी0,
43	महुलानी	महुलानी मेन रोड से बघेला पुल तक 950 मीटर पक्की रोड का कार्य,
44	शिवपुरी	शिवपुर गांव से बघेला पुल तक 1400 मीटर पिच रोड का कार्य,
45	चकदह	वि0डी0सी0 के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य 800 मीटर,
46	भगवानपुर	रघुनाथपुर वाले रोड से जगदीश गुप्ता के पोखरे तक इण्टर लाकिंग 600 मी0 का कार्य,
47	भगवानपुर	खलंगा टोले में माली के घर से उत्तर हरिजन बस्ती तक इण्टर लाकिंग 400 मी0 का कार्य,
48	बभनी	हिरामन पाण्डेय के घर से बब्लू तिवारी के घर तक 300 मी0 इण्टर लाकिंग का कार्य,
49	बभनी	चन्नर यादव के घर से जगदीश चौधरी के घर तक 300 मी0 इण्टर लाकिंग का कार्य।

57–निम्न आर0सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य नौतनवां ब्लाक में कराये जाने के सम्बन्ध में–

क्र0सं0	**ग्राम पंचायत का नाम**	**कार्य का नाम**
1	**2**	**3**
1	कोहडवल	मुख्य सड़क से काली के स्थान तक आर0सी0सी0 रोड 300 मीटर का कार्य,
2	सिहोरवा	शिवाला से स्कूल के उत्तर बस्ती तक 800 मी0 आर0सी0सी0 रोड का कार्य,

3	धौरहरा	छेदी के घर से 250 मी0 पप्पू खान के घर तक आर0सी0सी0 रोड का कार्य,
4	धौरहरा	बहादुर यादव के घर से 400 मी0 आर0सी0सी0 रोड नहर पुलिया तक का कार्य,
5	अराजी सरकार उर्फ बैरियहा	खडग बहादुर के घर से इण्टर लाकिंग का कार्य मदन बहादुर थापा के घर तक 100 मी0,
6	अराजी सरकार उर्फ बैरियहा	दीपक के घर से चन्नीमाई के स्थान तक इण्टर लाकिंग का कार्य 60 मी0,
1	**2**	**3**
7	अराजी सरकार उर्फ बैरियहा	नौसडिया टोला में नाली का कार्य 160 मी0 का कार्य,
8	अराजी सरकार उर्फ बैरियहा	नौसडिया टोला में 200 मी0 का इण्टर लाकिंग का कार्य,
9	भगवानपुर	भगवानपुर बाजार में नाली बार्डर से लेकर हसामुतदीन के घर तक 400 मी0,
10	भगवानपुर	सेराज अहमद के घर से पूरब पुलिया तक 250 मी0 नाली का कार्य,
11	महदेइया	शिवशंकर यादव के घर से जसराज के

		घर तक पक्की नाली का कार्य 200 मी0,
12	विषखोप	पेडारी टोला पर वृजलाल के घर से पोखरी तक आर0सी0सी0 रोड का कार्य 500 मी0,
13	विषखोप	विषखोप में विनोद के घर से पिच रोड तक 300 मी0 आर0सी0सी0 रोड का कार्य 500 मी0,
14	सगरहवा	वकील के घर से शंकर के घर तक पक्की नाली 100 मी0 का कार्य,
15	खनुआ	मंगल यादव के घर से नोमेन्स लैण्ड तक आर0सी0सी0 रोड का कार्य 500 मीटर,
16	परसासुमाली	नौडिहवा पेट्रोल पम्प के पास से रामदास के घर तक 200 मी0 आर0सी0सी0 रोड का कार्य,
17	चकदह	शाहपुर मोड़ से लल्ला सिंह के घर तक आर0सी0सी0 रोड का कार्य 400 मी0,
18	देवघट्टी	शम्भू वर्मा के घर से पंचायत भवन होते हुए 500 मी0 तक पक्का नाला निर्माण,
19	देवघट्टी	दिनेश लाल के घर से शिवपूजन हरिजन के घर होते हुए पोखरे तक पक्का नाला निर्माण 500 मी0,
20	सुकरौली उर्फ अरघा	नूरमोहम्मद के घर से होते हुए आर0सी0सी0 रोड का कार्य नदी तक 500 मी0,
21	सुकरौली उर्फ अरघा	संतराम लोध के घर से होते हुए श्मशान घाट तक आर0सी0सी0 रोड का कार्य 1000 मी0,
22	महुअवा	विश्वनाथ के घर से चिनकान के घर तक

		आर0सी0सी0 रोड का कार्य 800 मी0 का कार्य,
23	महुअवा	फागू के घर से कोटही माई के स्थान तक आर0सी0सी0 रोड 700 मी0 का कार्य,
24	बभनी	हिरामन पाण्डेय के घर से बब्लू तिवारी के घर तक 300 मी0 आर0सी0सी0 रोड का कार्य,

1	2	3
25	बभनी	चन्नर यादव के घर से जगदीश चौधरी के घर तक 300 मी0 आर0सी0सी0 रोड का कार्य,
26	पैसिया बाबू	रमाशंकर चौधरी के घर के रास्ते मकन्चु हरिजन से रामप्रीत के घर तक आर0सी0सी0 रोड का कार्य 200 मी0 का कार्य,
27	महरी	महरी खास टोला पर अनिल यादव के घर से पूरब मेन रोड तक आर0सी0सी0 रोड का कार्य 400 मी0,
28	महरी	वाढू कहार के घर से दक्षिण शिवधर पंडित के घर तक आर0सी0सी0 रोड का कार्य 500 मी0,
29	सेखुआनी	हरिराम यादव के घर से हरिश चन्द यादव के घर तक 100 मी0 आर0सी0सी0 रोड का कार्य,
30	सेखुआनी	सेखुआनी मेन रोड से हरिराम कहार के घर तक 250 मी0 आर0सी0सी0 रोड का कार्य,

31	शिवपुरी	राम सरन यादव के घर से जीत बहादुर चौधरी के घर तक 50 मी0 आर0सी0सी0 रोड का कार्य,
32	सेखुआनी	छोटे भर के घर से 120 मी0 आर0सी0सी0 रोड विरेन्द्र के गड्ढे तक का कार्य,
33	जसवल	जसवल से रघुनाथपुर तक 200 मी0 आर0सी0सी0 रोड का कार्य,
34	हनुमानगढिया	नरेश सहानी के घर से काली स्थान तक ल0 15 मी0 आर0सी0सी0 रोड का कार्य,
35	हडहवा	बगेदू के घर से विजय मद्धेशिया के घर तक 200 मी0 आर0सी0सी0 रोड का कार्य,
36	महदेईया	महदेईया वंजल टोला से पच्छुडीहवा होते हुए पथरहवा तक 1.5 किमी0 आर0सी0सी0 रोड का कार्य,
37	महरी	धनई यादव के घर से पूरब लालचन्द पासवान के घर तक 300 मी0 का आर0सी0सी0 रोड का कार्य,
38	महरी	सजन टोला पर भग्गन के घर से दक्षिण पोखरी तक 400 मी0 का आर0सी0सी0 रोड का कार्य 500 मी0,
39	देवघट्टी	हरखपुरा पी0डब्ल्यू0डी0 से मंगलापुर सिवान तक का आर0सी0सी0 रोड का कार्य,
40	लुठहवा	वघेला से सटे गनेश पासवान के खेत से झरनी नाला तक 800 मी0 का आर0सी0सी0 रोड का कार्य,

41	असुरैना	असुरैना गांव में मेन रोड से कंचन चमार के घर से हद्दीश तेली के घर तक का आर0सी0सी0 रोड का कार्य 400 मी0
42	सुकरौली उर्फ अरघा	राम आसरे के घर से नदी तक का आर0सी0सी0 रोड का कार्य 600 मी0,
1	**2**	**3**
43	जिगिना	मिश्रा टोला से गंगापुर गंगवलिया होते हुए लुठहवा तक 3 किमी0 का आर0सी0सी0 रोड का कार्य,
44	जिगिना	समय माता के स्थान पर मेन रोड से का आर0सी0सी0 रोड 200 मी0,
45	जिगिना	मिश्रा टोला पर पिच रोड से प्रमोद चन्द्र के घर तक 100 मी0 आर0सी0सी0 रोड,
46	सिर्सीया मशर्की	नौरंगा पिच रोड से पंडितपुर होते हुए पेडारी पिपरवास रोड तक 400 मी0 का आर0सी0सी0 रोड।

58–निम्न इण्टर लाकिंग सड़क व मिट्टी का कार्य एवं आर0सी0सी0 का कार्य लक्ष्मीपुर ब्लाक में किये जाने के सम्बन्ध में–

क्र0सं0	**ग्राम पंचायत का नाम**	**कार्य का नाम**
1	परसौनी	परसौनी से रुदलापुर 2 किमी0 मिट्टी का कार्य,
2	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर ब्लाक के पिदे से बटईडिहा 2 किमी0 मिट्टी का कार्य,

3	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर एकमा बाई पास 2 किमी0 मिट्टी का कार्य,
4	हथियागढ़	हथियागढ़ से मदरसा होते हुए मोहनापुर 2 किमी0 मिट्टी का कार्य,
5	मेहनापुर	कोल्हुआ ढाला से मोहनापुर 6 किमी0 मिट्टी का कार्य,
6	एकमा	एकमा से कोल्हुआ 3 किमी0 मिट्टी का कार्य,
7	परसा पाण्डेय	परसा पाण्डेय से विषुनपुर तक 1 किमी0 मिट्टी का कार्य,
8	सोनबरसा	सोनबरसा से सोहरवलिया 1 किमी0 मिट्टी का कार्य,
9	बनकटवा	चुडिहारी टोला से बनकटवा 1 किमी0 मिट्टी का कार्य,
10	लक्ष्मीपुर	ब्लाक लक्ष्मीपुर से पैसिया 1 किमी0 मिट्टी का कार्य,
11	बटईडीहा	बटईडीहा चकरोड से पैसिया चकरोड तक 500 मी0 मिट्टी का कार्य,
12	बटईडीहा	भैरी पिपरी रोड से बगहिया 700 मी0 मिट्टी का कार्य,
13	पैसिया	लालपुर पोखरी से गांव के पूरब जुगल किशोर के घर तक 1 किमी0 मिट्टी का कार्य,
14	जंगल गुल्हरिया	जंगल गुल्हरिया दक्षिण डी से बडकाडीह तक 1 किमी0 मिट्टी का कार्य,
15	जंगल गुल्हरिया	जंगल गुल्हरिया तुलसी घर से मोती सागर टावर तक 1 किमी0 का कार्य,

16	बेलवा खुर्द	पचपेडवा से स्कूल तक बेलवा खुर्द 2 किमी0 मिट्टी का कार्य,
17	बेलवा खुर्द	नहर से स्कूल तक 1 किमी0 बेलवा खुर्द तक मिट्टी का कार्य,
18	बनवाटारी	नहर ईदगाह से कब्रिस्तान तक 1 किमी0 बनवाटारी तक मिट्टी का कार्य,

1	2	3
19	बहोरपुर	फारेस्ट रोड से रेलवे लाइन तक आर0सी0सी0 कार्य बहोरपुर 700 मी0,
20	सोन्धी लक्ष्मीपुर	सड़क पी0डब्ल्यू0डी0 से सरदार पटेल इण्टर कालेज, सोन्धी, लक्ष्मीपुर होते हुए 1 किमी0 मिट्टी का कार्य,
21	बटईडीहा	पुरैनवा बढ़वा से दक्षिण बटईडीहा चकरोड तक 500 मी0 मिट्टी का कार्य,
22	एकमा	एकमा बटईडीहा से पैसिया तक 1500 मी0 मिट्टी का कार्य,
23	एकमा	एकमा मोड़ से पोखरा तक 700 मी0 मिट्टी का कार्य,
24	बेलवा जंगल	मदरहना प्राविधालय से बेलवा जंगल तक 2 किमी0 मिट्टी का कार्य,
25	सोन्धी लक्ष्मीपुर	पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क से सरदार पटेल इण्टर कालेज, सोन्धी, लक्ष्मीपुर मिट्टी का कार्य 1 किमी0,
26	मझौली	जवाहिर हरिजन के घर से खलिहान तक मझौली 100 मी0 मिट्टी का कार्य,
27	मझौली	दुधाई के घर से गुरुदयाल के घर तक

		100 मी0 मिट्टी का कार्य,
28	मझौली	बद्री नारायण के घर से पश्चिम खेत तक 100 मी0 मिट्टी का कार्य,
29	बरगदवा विशुनपुर	पुलिया से मकबूल के घर तक मिट्टी का कार्य,
30	समरधीरा	चौधरी के घर से समरधीरा पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क तक 1.5 किमी0 मिट्टी का कार्य,
31	चैयनपुर	राधेश्याम के घर से काली मन्दिर तक 300 मी0 इण्टर लाकिंग का कार्य,
32	गुजरवलीय शंकर मिश्र	रेलवे लाइन से सेमरहवा पोखरा वाले टोला तक 600 मी0 इण्टर लाकिंग का कार्य,
33	नई कोट	रघुनाथ के घर से समय माता के मन्दिर तक 300 मी0 आर0सी0सी0 सड़क का कार्य,
34	नई कोट	नन्द किशोर के घर पोखरी तक तक 300 मी0 आर0सी0सी0 सड़क का कार्य,
35	जंगलगुलरिहा	पक्का से कृष्ण मोहन के घर तक 350 मी0 आर0सी0सी0 सड़क का कार्य,
36	बहोरपुर	ताहिर के खेत से फारेस्ट रोड तक इण्टर लाकिंग का कार्य 450 मी0 का कार्य,
37	बहोरपुर	महगू के घर से मोहिउद्दीन के घर तक इण्टर लाकिंग का कार्य 150 मी0 का कार्य,
38	बरगदवा	कासिम के घर से बारात घर तक होते

	विशुनपुर	हुए भागीरथी के घर तक इण्टर लाकिंग का कार्य 250 मी0 का कार्य,

1	2	3
39	बरगदवा विशुनपुर	पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से हरिजन बस्ती होते हुए सौखन के घर तक आर0सी0सी0 सड़क का कार्य 350 मी0,
40	करमहवा खुर्द	पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क से अशोक के खेत से मस्जिद तक आर0सी0सी0 रोड लगभग 1000 मी0 का कार्य,
41	मल्हनी फुलवरिया	मल्हनी पिपल के पेड़ से मदरसा तक 500 मी0 आर0सी0सी0 रोड का कार्य,
42	पिपरा सोहट	राम औतार के घर से पक्की सड़क तक आर0सी0सी0 रोड का कार्य 500 मी0,
43	भगवानपुर	लालसे के घर से परदेशी के घर तक आर0सी0सी0 रोड का कार्य 200 मी0,
44	भगवानपुर	सांवर के घर से श्याम बिहारी के घर तक आर0सी0सी0 रोड का कार्य 100 मी0,
45	बकैनिहा	शिव मन्दिर से सुक्खू के घर तक आर0सी0सी0 रोड का कार्य 100 मी0,
46	अराजी सुबाईन	पी0डब्ल्यू0डी0 से पूरे हरिजन बस्ती में आर0सी0सी0 रोड का कार्य 150 मी0,

59–निम्न हैण्डपम्प एवं सोलरलाइट का कार्य नौतनवां ब्लाक में किये जाने के सम्बन्ध में–

क्र0सं0	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम

1	2	3
1	पुरुषोत्तमपुर	राममगन पुत्र चुनमुन के घर पर हैण्डपम्प,
2	जमुहानी	त्रियोगी पुत्र शोभा के घर पर हैण्डपम्प,
3	पुरुषोत्तमपुर	दीपू पुत्र महातम के घर पर हैण्डपम्प,
4	जमुहानी	इन्द्रजीत पुत्र भारत के घर पर सोलरलाइट,
5	पुरुषोत्तमपुर	अमरेश पुत्र हुबराज के घर पर सोलरलाइट,
6	पुरुषोत्तमपुर	रामकुण्डा पुत्र बदल के घर पर सोलरलाइट,
7	बरवाखुर्द	योगेन्द्र नारायण शुक्ला के घर पर सोलरलाइट,
8	बरवाखुर्द	काली मन्दिर के स्थान पर सोलरलाइट,
9	परसौनी कला	मतई कहार के घर पर सोलरलाइट,
10	मुडेहरा	योगेन्द्र पाण्डेय के घर पर सोलरलाइट,
11	बरवाखुर्द	काली मां के स्थान के पास हैण्डपम्प,
12	नई कोट	हरिश्चन्द्र चौहान के घर पर हैण्डपम्प,
13	परसौनी कला	छोटे कहार के घर पर हैण्डपम्प,

1	2	3
14	महुआरी	समय माता के स्थान पर हैण्डपम्प,
15	भगवानपुर	हकीम मोहम्मद मास्टर के घर पर हैण्डपम्प,

16	अराजी सरकार उर्फ बैरीयहवां	ललीत बहादुर के घर पर हैण्डपम्प,
17	अराजी सरकार उर्फ बैरीयहवां	समय माता के स्थान पर हैण्डपम्प,
18	अराजी सरकार उर्फ बैरीयहवां	मोहन थापा के घर पर सोलरलाइट,
19	अराजी सरकार उर्फ बैरीयहवां	इशु अंसारी के घर पर सोलरलाइट,
20	गजरहा	शिव मन्दिर के पास हैण्डपम्प,
21	छितरापार	राजेन्द्र यादव के घर पर हैण्डपम्प,
22	चडलहा	सुनील सिंह के घर पर सोलरलाइट,
23	चडलहा	सुनील के घर पर हैण्डपम्प,
24	चकदह	शिवकुमार के घर पर हैण्डपम्प,
25	चकदह	राजकुमार के घर पर हैण्डपम्प,
26	चकदह	किसमत्तुल्लाह के घर पर हैण्डपम्प,
27	चकदह	रामसुमेर पुत्र कल्पनाथ के घर पर हैण्डपम्प,
28	लोधसी	संजय पासी के घर के सामने हैण्डपम्प,
29	लोधसी	राजेन्द्र दूबे के घर के सामने हैण्डपम्प,
30	खैराटी	विजय पुत्र रमौती के घर के सामने हैण्डपम्प,
31	खैराटी	मकबूल के घर हैण्डपम्प।

क्र0सं0	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	
1	2	3	
1	ग्राम पंचायत महुअवा, नौतनवा	छठ माता घाट से राममुनि यादव के घर तक	600 मी0 तक कार्य,
2	ग्राम पंचायत महुअवा, नौतनवा	रामनयन यादव के घर फेराडा अली के घर तक	1 किमी0 तक कार्य,
3	ग्राम पंचायत महुअवा, नौतनवा	ग्राम सभा में	हैण्डपम्प नया 3 पीस
4	ग्राम पंचायत लोहसी, नौतनवा	धर्मशाला लोहसी	
5	ग्राम पंचायत लोहसी, नौतनवा	पुरैनिहा चौराहा सुन्दरीकरण	
6	ग्राम पंचायत लोहसी, नौतनवा	नवा के खेत से पुरैनिहा रोड तक	1000 मी0 रोड
1	2	3	
7	ग्राम पंचायत लोहसी, नौतनवा	रामसुभव के खेत से डूडी नाला तक	600 मी0 रोड
8	ग्राम पंचायत	निपनिया उत्तर टोला से	1.5 कि0मी0

	निपनिया, नौतनवा	मधुपुर अहिरौली	मिट्टी
9	ग्राम पंचायत निपनिया, नौतनवा	निपनिया गांव से रूद्रनारायण के बाग तक	1 कि0मी0 मिट्टी
10	ग्राम पंचायत पुरैनिहा, नौतनवा	विरेन्द्र चौधरी के घर के सामने	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
11	ग्राम पंचायत पुरैनिहा, नौतनवा	चन्द्रप्रकाश शर्मा के घर के सामने	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
12	ग्राम पंचायत पुरैनिहा, नौतनवा	सूर्यनारायन के घर के सामने	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
13	ग्राम पंचायत पुरैनिहा, नौतनवा	मंजू के घर के सामने	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
14	ग्राम पंचायत हथियहवा, नौतनवा	रामदेव प्रधान के घर के सामने	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
15	ग्राम पंचायत हथियहवा, नौतनवा	शिवपूजन के घर के सामने	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
16	ग्राम पंचायत हथियहवा, नौतनवा	जगजीवन के घर के सामने	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
17	ग्राम पंचायत रामनगर,	दिलीप पुत्र रसियावन के घर के सामने	इण्डिया मार्का हैण्ड

	नौतनवा		पाइप
18	ग्राम पंचायत रामनगर, नौतनवा	विनोद पुत्र हरिप्रसाद के घर के सामने	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
19	ग्राम पंचायत रामनगर, नौतनवा	जालन्धर पुत्र सुदामा के घर के सामने	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
20	ग्राम पंचायत रामनगर, नौतनवा	शिवमन्दिर ग्रामसभा रामनगर टोला, मरचहवा	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
21	ग्राम पंचायत रामनगर, नौतनवा	भीखु पुत्र लाले के घर के सामने	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
22	ग्राम सभा बड़हरा, नौतनवा	घिरियावन चौधरी के दुकान के बगल में	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
23	ग्राम सभा बड़हरा, नौतनवा	रमेश प्रधान जी के घर के आगे	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
24	ग्राम सभा बड़हरा, नौतनवा	भेल्लर प्रधान जी के घर के आगे	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप

1	2	3	
25	ग्राम सभा बड़हरा, नौतनवा	सुदामा पासवान के घर के आगे	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
26	ग्राम सभा	रामबहाल यादव के	इण्डिया

	बड़हरा, नौतनवा	दरवाजे पर	मार्का हैण्ड पाइप
27	ग्राम सभा बड़हरा, नौतनवा	मुस्तकीम और बुद्धू के घर के बीच में	सोलर लाईट
28	ग्राम सभा बड़हरा, नौतनवा	शिवप्रसाद और शिकारी के घर के सामने	सोलर लाईट
29	ग्राम सभा बड़हरा, नौतनवा	ब्रह्मचारी पासवान के घर के सामने	सोलर लाईट
30	ग्राम सभा बड़हरा, नौतनवा	बीहड़ यादव के घर के आगे	सोलर लाईट
31	ग्राम पंचायत महदेईया, नौतनवा	जैस पासवान पुत्र महगू पासवान टावर टोला	सोलर लाईट
32	ग्राम पंचायत महदेईया, नौतनवा	महेन्द्र यादव पुत्र बबुन्ना यादव	सोलर लाईट
33	ग्राम पंचायत महदेईया, नौतनवा	मजनू पुत्र रतन पासवान महदेईया	सोलर लाईट
34	ग्राम पंचायत महदेईया, नौतनवा	अनिरूद्ध पुत्र अवधराम के घर के सामने	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
35	ग्राम पंचायत महदेईया,	शिवलाल रामनरेश महदेईया चौराहा	इण्डिया मार्का हैण्ड

	नौतनवा		पाइप
36	ग्राम पंचायत महदेईया, नौतनवा	दिलीप चौहान रामदास चौहान	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
37	ग्राम सभा बेलहिया, खजहिया	विश्राम वर्मा के घर के पास	सोलर लाईट
38	ग्राम सभा बेलहिया, खजहिया	गोरख चौधरी के घर के पास	सोलर लाईट
39	ग्राम सभा बेलहिया, खजहिया	चौथी प्रसाद के घर के पास	सोलर लाईट
40	ग्राम सभा बेलहिया, खजहिया	रामरतन प्रजापति के घर के पास	सोलर लाईट
41	ग्राम सभा बेलहिया, खजहिया	रामधनी के घर के पास	सोलर लाईट
42	ग्राम सभा बेलहिया, बड़हरा	गोरख पुत्र रामचन्दर के घर के पास	सोलर लाईट

1	2	3	
43	ग्राम सभा बेलहिया, बड़हरा	राम कुण्डल यादव	सोलर लाईट
44	ग्राम सभा	सूर्यभान यादव	सोलर लाईट

	बेलहिया, बड़हरा		
45	ग्राम सभा बेलहिया, बड़हरा	रामकिशुन पुत्र रूदल	सोलर लाईट
46	ग्राम सभा बेलहिया, बड़हरा	रामचन्दर पुत्र रामकेवल के घर के पास	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
47	ग्राम सभा बेलहिया, पोस्ट मनकापुर	रूद्रनारायण चौधरी	सोलर लाईट
48	ग्राम सभा बेलहिया, पोस्ट मनकापुर	राजाराम कोटेदार पुत्र चन्द्रिका	सोलर लाईट
49	ग्राम सभा बेलहिया, पोस्ट मनकापुर	नाथूप्रसाद पुत्र लक्ष्मन	सोलर लाईट
50	ग्राम सभा बेलहिया, पोस्ट मनकापुर	मेवालाल पुत्र पारस सेठ	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
51	ग्राम सभा बेलहिया, पोस्ट मनकापुर	बुद्धिसागर यादव पुत्र रामरतन यादव	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप

52	ग्रामसभा चैनपुर, नौतनवा	पूरे गांव में 8 नल	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
53	ग्रामसभा चैनपुर, नौतनवा	पूरे गांव में 5 पीस	सोलर लाईट
54	खनुआ, नौतनवा	5 पीस	सोलर लाईट
55	खनुआ, नौतनवा	4 पीस	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
56	ग्रामसभा परसा तिवारी, नौतनवा	10 पीस	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
57	ग्रामसभा परसा तिवारी, नौतनवा	15 पीस	सोलर लाईट
58	ग्रामपंचायत सिंहोरवा, नौतनवा	5 पीस	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
59	ग्रामपंचायत सिंहोरवा, नौतनवा	15 पीस	सोलर लाईट
60	ग्रामपंचायत धौरहरा, नौतनवा	5 पीस	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप

1	2	3	
61	ग्रामपंचायत धौरहरा, नौतनवा	5 पीस	सोलर लाईट
62	ग्रामसभा अराजी सरकार बैरिहवा	5 पीस	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
63	ग्रामसभा अराजी सरकार बैरिहवा	15 पीस	सोलर लाईट
64	ग्रामसभा बेलहिया, सेमरहना	सितई पुत्र लालमन	सोलर लाईट
65	ग्रामसभा बेलहिया, सेमरहना	उत्तरीचन्द्र पुत्र रामदयाल	सोलर लाईट
66	ग्रामसभा बेलहिया, सेमरहना	रामलखन पुत्र तीरथ	सोलर लाईट
67	ग्रामसभा बेलहिया, सेमरहना	रामप्रीत पुत्र रामप्यारे	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
68	ग्रामसभा बेलहिया, सेमरहना	रामसतन पुत्र घुम्मन	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
69	ग्रामसभा	अनिल प्रकाश पुत्र	इण्डिया

	जंगल गुलरिहा	रमाकान्त	मार्का हैण्ड पाइप
70	ग्रामसभा जंगल गुलरिहा	महेश पासवान पुत्र सीताराम	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
71	ग्रामसभा जंगल गुलरिहा	रामजनम पुत्र गगई	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
72	ग्रामसभा जंगल गुलरिहा	राजू चौहान पुत्र स्व0 सन्नेद	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
73	ग्रामसभा जंगल गुलरिहा	हाकिम रजा पुत्र मुंशिरजा	इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप
74	ग्रामसभा जंगल गुलरिहा	झिनकू चौबे	सोलर लाईट
75	ग्रामसभा जंगल गुलरिहा	शिवमन्दिर गोविन्द चौहान पुत्र स्व0 मोलहू	सोलर लाईट

ग्राम सभा मनिकापुर के कार्य–

1–रामदत्त के खेत से जंगल बार्डर तक 1 कि0मी0 मिट्टी, खड़ण्जा व पुलिया का कार्य।

2–स्कूल से तेलरिया पोखरी तक नाली निर्माण कार्य लगभग 1000 मीटर।

3–राम सेवक के खेत से श्रीपति के घर तक पिच कार्य।

4–नेवास के घर से जगल बार्डर तक पिच का कार्य 500 मी0 व पुलिया।

5–गांधी के घर से रामकेवल के घर तक आर0सी0सी0 कार्य।

6–रामानन्द के घर से जंगल बार्डर तक नाली का कार्य 2000 मीटर।

7–मातादीन के घर से पारस के घर तक आर0सी0सी0 कार्य 220 मीटर।

8–जैकरन के घर से संतकल के घर तक आर0सी0सी0 कार्य 150 मीटर।

9–दीपचन्द के घर से जनार्दन के घर तक आर0सी0सी0 कार्य 50 मीटर।

10–पन्ना के घर से पोखरा तक आर0सी0सी0 800 मीटर।

11–पोखरा सुन्दरीकरण कार्य।

12–मटेलू के खेत से कन्हई के खेत तक मिट्टी, खड़ण्जा का कार्य।

13–कन्हई के घर से भल्लू के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य 100 मीटर।

14–चौके के घर से नेकअहवा तक इण्टरलाकिंग का कार्य 1000 मीटर।

15–एक धर्मशाला का निर्माण।

ग्राम सभा सिसहनिया उर्फ शीशमहल के कार्य–

1–मुख्य सड़क से गांव होते हुए गांव के दक्षिण सड़क तक सी0सी0 रोड लम्बाई 120 मीटर।

2–गांव की सड़क से वीरेन्द्र तिवारी के घर तक सी0सी0 रोड लम्बाई 200 मीटर।

3–शीशमहल टोला नेट आडिह में गांव की सड़क सी0सी0 रोड या इण्टरलाकिंग लम्बाई 500 मीटर।

4–कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए रोड व बाउण्ड्रीवाल पक्की लम्बाई 300 मी0।

5–25 अदद हैण्ड पम्प।

6–30 अदद सौर्य ऊर्जा।

7–शीशमहल टोला कल्याणपुर में नाली निर्माण कार्य लम्बाई 900 मी0।

ग्रामसभा निपनिया के कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में–

1–रामललित के खेत से हनुमान सिंह के मकान तक 500 मी0 लम्बा इण्टरलाकिंग।

2–श्री नेवास के घर से 200 मी0 लम्बा हरिराम यादव के घर तक इण्टरलाकिंग।

3–रामकिशुन के घर से जुगुल के घर तक 200 मी0 इण्टरलाकिंग।

4–बिफन के मकान से काली मन्दिर तक 400 मी0 इण्टरलाकिंग।

5–दशरथ के घर से समय माता के स्थान तक 1 कि0मी0 लम्बा।

6–राम समुझ के घर से कुला तक दोनों तरफ नाली 200 मी0।

7–शिव मन्दिर से नाला तक 100 मी0 लम्बी नाली दोनों तरफ।

8–लक्ष्मन मौर्य के घर कुला तक 100 मी0 लम्बी नाली।

9–चौबे जी के मकान से पोखरे तक नाली 100 मी0।

ग्राम सभा सेवतरी के कार्य कराने के सम्बन्ध में–

1–सबेतरी ग्राम के परसा टोले पर रामजानकी मन्दिर घुईधर, सन्तनिवास व जगशाला निर्माण/ मन्दिर निर्माण हेतु आराजी नं0 लगभग 2.00 एकड़ भूमि सुरक्षित।

2–प्रकाश के घर से उमा शंकर यादव एवं राम अवध के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण 400 मी0।

3–नरसिंह के घर से काली स्थान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य 200 मी0।

4–विवाह भवन निर्माण।

5–परसा टोले पर पोखरी के किनारे बाउण्ड्रीवाल चन्दबदन के बगल में लगभग 60 मी0 एवं निर्माण कार्य।

6–गुलाम जैस के घर वार्ड तक पिन्च कराना लगभग 1200 मी0 है।

9–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–उ0 प्र0 में कानून व्यवस्था खराब होने के सम्बन्ध में,

2–समाजवादी पेंशन जो रोक दी गयी है। उसको दिये जाने के सम्बन्ध में,

3–पूर्व सरकार में जो भी योजनायें चालू थी उसको पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

4–पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे लखनऊ–आजमगढ़–बलिया तक जो भी स्वीकृत है उसको तत्काल शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में,

5–मेरे विधान सभा क्षेत्र, आजमगढ़ सदर में ग्राम ककरहा–मुबारकपुर मार्ग पर ग्राम कोल्हपुर के करीब टौंस नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

6–जनपद आजमगढ़ के मतौलीपुर और हरैया पिच मार्ग पर टौंस नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

7–मेरे विधान सभा क्षेत्र, आजमगढ़ ग्राम चडई ब्लाक रानी की सराय में 33 के0वी0ए0 का सब–स्टेशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,

8–जनपद आजमगढ़ सदर वि0 स0 क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मनचोका, ब्लाक पलहनी में 33 के0वी0ए0 का सब–स्टेशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,

9–जिला अस्पतालों में पूर्व सरकार द्वारा दवायें मिलती थी, पर वर्तमान सरकार में दवाइयों पर कटौती की गई है, पुनः पूरी दवाइयां दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

10–जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में मरीजों की संख्या को देखते हुए एम0आर0आई0 मशीन लगवाये जाने के सम्बन्ध में,

11–आजमगढ़ सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक रानी की सराय में बालिका महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में क्योंकि उक्त ब्लाक में कोई सरकारी विद्यालय नहीं है,

12–आजगढ़ सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक रानी की सराय में स्वास्थ्य सी0एच0सी0 को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,

13–किसानों और व्यापारियों के हित को देखते हुए 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

14–किसानों के हित को देखते हुए नहरों में पूर्ण रूप से पानी दिये जाने के सम्बन्ध में, तथा

15–जनपद आजमगढ़ जो अति पिछड़ा क्षेत्र है वहां पर पानी की समस्या को देखते हुए 2000 हैण्डपम्प इण्डिया मार्का उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।''

10–श्रीमती सुषमा पटेल–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जिला जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर में मछली शहर–सुजानगंज–कुण्डहा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

2–जिला जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाह में सुजानगंज से जौनपुर तक परिवहन निगम की बसों के संचालन के सम्बन्ध में,

3–जिला जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर में वि0 खं0 सुजानगंज में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

4–जिला जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के मुंगरा बादशाहपुर कस्बे में बाईपास निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

5–जिला जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर में वि0 खं0 मुंगरा बादशाहपुर के ग्राम गोधुआ सरोज बस्ती के पास की नहर पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।''

11–श्री प्रभु नारायण सिंह यादव–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–चन्दौली–सकलडीहा–सैदपुर घाट सम्पर्क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

2–मुगलसराय–भूपौली–चहनिया मार्ग चौड़ीकरण करके निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3–बलुआ–चहनिया–धानापुर–जमानिया मार्ग का निर्माण कार्य अविलम्ब कराये जाने के सम्बन्ध में,

4–अमिलाई नहर की पटरी का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

5–पपौरा–रामगढ़ मार्ग के विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

6–कैली–चन्दौली मार्ग से बसली–सदलपुर सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

7–सदलपुरा–कन्टामा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

8–चन्दौली–सकलडीहा–सैदपुर मार्ग से बंशीपुर मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

9–पड़ाव–पचपेड़वा मार्ग से आनमपुर सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

10–हाइवे से खेल घूस मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

11–रमौली विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

12–वि0 खं0 चहनिया एवं वि0 खं0 सकलडीहा में विद्युत वितरण व्यवस्था को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,

13–उ0 प्र0 कानून व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,

14–महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में,

15–किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए भूपौली कैनाल (चन्दौली नहर) की पटरी को पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

16–पंडित कमलापति चिकित्सालय, चन्दौली को आधुनिकीकरण की सुविधा को प्रदान करने के सम्बन्ध में, तथा

17–पी0जी0 डिप्लोमा एवं नर्सरी एजूकेशन डिप्लोमा डिग्रीधारकों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में।''

12–श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में बन्द पड़ी चीनी मिल को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में,

2–जनपद जौनपुर के शाहगंज (गैरवॉह) में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर चुके प्रस्तावित 400/220/132 के0वी0ए0 के विद्युत सब स्टेशन का यथाशीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3–शाहगंज दुग्ध उत्पादन का बड़ा केन्द्र है, जिसके चलते वहां दुग्ध उत्पादन से सम्बन्धित बड़ी इकाई लगाये जाने के सम्बन्ध में,

4–शाहगंज तहसील को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में,

5–शाहगंज पुरुष अस्पताल को 100 बेड का अस्पताल तथा महिला चिकित्सालय को 50 बेड का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में।''

13–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। प्रदेश में प्रतिदिन हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, साम्प्रदायिक दंगा, चोरी, चेन स्नेचिंग आदि की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। प्रदेश की जनता भयाक्रांत है, को रोकने के सम्बन्ध में,

2–कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई प्रभावी कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

3–प्रदेश में वर्तमान में तेजी से बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में,

4–प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान कराने, चीनी मिलों द्वारा किसानों का उत्पीड़न रोके जाने तथा उनका भुगतान समय से किये जाने हेतु एक स्पष्ट व पारदर्शी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में,

5–प्रदेश के गन्ना किसानों को उनके लागत व महंगाई को देखते हुए रु0 400/– प्रति कुन्तल की दर से गन्ना मूल्य प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

6–प्रदेश की बन्द चीनी मिलों को चालू किये जाने तथा प्रदेश में चीनी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यकतानुसार नई एवं आधुनिक चीनी मिलें स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

7–प्रदेश को बिजली कटौती से मुक्त करते हुए 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

8–बिजली विभाग द्वारा बिल भुगतान में करोड़ों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में,

9–बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को समय पर बिल न उपलब्ध कराने तथा बार–बार लेट फीस व सरचार्ज लगाकर बिल देने की शिकायत को दृष्टिगत रखते हुए बिल भुगतान की एक पारदर्शी व्यवस्था सभी जनपदों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

10–प्रदेश के किसानों की उपज को बढ़ावा देने हेतु उन्हें प्रसंस्कृत व हाईब्रिड किस्म के बीज सब्सिडी पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

11–प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु राज्य परामर्शी समिति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

12–प्रदेशवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्धता हेतु जनपदवार मानिटरिंग सेल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

13–प्रदेश में शराब को पूरी तरह से प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में,

14–प्रदेश में मिलावटखोरी को रोकने हेतु कठोर दण्ड का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में,

15–प्रदेश के पहाड़ी एवं डार्कजोन क्षेत्रों में समुचित पेयजल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

16–प्रदेश की नदियों को प्रदूषणमुक्त किये जाने हेतु एक प्रभावी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में,

17–प्रदेश के सभी महानगरों एवं नगरों में सफाई की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

18–प्रदेश के महानगरों, नगरों एवं नगर पालिकाओं में बरसात के दिन में फैलने वाले संक्रामक रोगों को रोकने हेतु पर्याप्त फागिंग कराने के सम्बन्ध में,

19–प्रदेश में जानलेवा बीमारी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस, स्वाइन फ्लू, डेंगू, कालाज्वर, दीमागी बुखार के बढ़ते प्रकोप को रोके जाने तथा उन्मूलन के सम्बन्ध में,

20–प्रदेश के सभी सामुदायिक चिकित्सालयों में सभी प्रकार की जांच एवं दवाइयां उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

21–प्रदेश के सभी राजमार्गों, मार्गों व ग्रामीण मुख्य मार्गों को गड्ढामुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

22–प्रदेश में अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों व शिक्षकों को पुरानी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,

23–प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुये नवीन रोजगार सृजित कर नव–युवकों का पलायन रोकने के सम्बन्ध में,

24–प्रदेश में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु न्याय पंचायत स्तर पर एक मिनी क्रिकेट स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में,

25–प्रदेश में समुचित शिक्षा हेतु न्याय पंचायत स्तर पर एक राजकीय डिग्री कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

26–प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की दशा सुधारने, उनके भवन मरम्मत कराने, बच्चों की पढ़ाई हेतु कुर्सी, मेज उपलब्ध कराने, बच्चों को समुचित पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

27–प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में,

28–प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, डिग्री कालेजों, विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों पर प्रतिभावान व योग्य शिक्षकों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में,

29–बी0एम0सी0टी0 मार्ग जो जिला मुख्यालय, पडरौना से तमकुहीराज तहसील मुख्यालय को जोड़ती है, पिछले कई वर्षों से अधूरी गोडरिया से तमकुहीराज तक पड़ी है, उसे पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

30–लोहिया ग्राम गौरी जगदीश से गौरी घाट पर पुल निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

31–लोहिया ग्राम पिपराघाट के गोलाघाट बांसी नदी पर पुल निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

32–जवही दयाल बुढ़ी गण्डक नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

33–अमवा दीगर बूढ़ी गण्डक नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

34–तमकुहीराज जो एन0एच0–28 पर स्थित है, में ट्रामा सेण्टर का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

35–तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में एक पालिटेक्निक कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

36–तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

37–तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

38–तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के दोमाठ गांव में एक शुगर फैक्ट्री का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

39–तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के दोमाठ गांव मेंएक महाविद्यालय का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

40–तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के दोमाठ गांव में एक आई0टी0आई कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

41–तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के दोमाठ गांव में एक हास्पिटल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

42–समऊर खानगी व सलेमगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सी0एच0सी0 का दर्जा देने का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

43–गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान केन्द्र को कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा देने का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

44–तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में तमकुहीराज तहसील मुख्यालय से अहिरौलीदान तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

45–सेवरही से जीरो होते हुए अहिरौलीदान तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

46–विधान सभा क्षेत्र में तमकुही रोड से दाहुगंज होते हुए बिहार बार्डर नैनुपहरू तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

47–दुदही से बरवापट्टी तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

48–तमकुहीराज से समऊर तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

49–समऊर बिहार बार्डर से फाजिल नगर तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

50–तमकुही मार्ग अगरवां से झड़वां होते हुए राजपुर तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

51–जीरो बांध से अहिरौलीदान तक बंधे का अस्तित्व वर्तमान में खतरे में है, को बचाने के सम्बन्ध में,

52–जीरो बांध से पिपराघाट, नरवाजोत बंधे का अस्तित्व को बचाने के सम्बन्ध में,

53–तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में,

54–शिव सरया में स्थित शिव मंदिर तथा तमकुहीराज में स्थित शिव मंदिर व सेवरही में स्थित विष्णु मंदिर को पर्यटक क्षेत्र में लेते हुए सुन्दरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

55–दोमाठ को पर्यटक क्षेत्र में लेते हुए सुन्दरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

56–दोमाठ में एक स्पोर्ट कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

57–सेवरही तथा तमकुहीराज में एक–एक ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेन्टर का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

58–दाहुगंज बाजार से मथौली तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

59–सेवरही में 100 बेड का हास्पिटल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

60–तमकुहीराज में महिला अस्पताल व 100 बेड के हास्पिटल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

61–सेवरही से कुशल श्रमिकों को ट्रेनिंग हेतु सेंटर का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

62–तीरथराम पेट्रोल पम्प से अहिरौली मिश्र होते हुए तमकुहीराज तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

63–तमकुहीराज व दुदही को नगर पंचायत का दर्जा देने के सम्बन्ध में,

64–तमकुहीराज में श्रम विभाग का कार्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

65–मनझरिया स्केप से निकलने वाले पानी, जो बूढ़ी गण्डक में चैन पट्टी के सामने आकर मिलती है, उसे पक्की नहर के रूप में बनाये जाने के सम्बन्ध में।''

14–श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रतापगढ़ जनपद में अठेहा–संग्रामगढ़ मार्ग को ''राजमार्ग'' घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

2–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में,

3–राष्ट्रीय एकता महोत्सव घुइसरनाथ, प्रतापगढ़ की धनराशि रु0 15.00 लाख (पन्द्रह लाख रुपये) से बढ़ाकर रु0 25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये) किये जाने के सम्बन्ध में,

4–प्रतापगढ़ में मेडिकल कालेज की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,

5–जनपद प्रतापगढ़ में 20 घण्टे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

6–किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में,

7–राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33ः आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

8–राज्य सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग को 15ः आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

9–अफसरशाही बेलगाम हो गयी है। सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन नहीं हो पाने के सम्बन्ध में,

10–जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है के सम्बन्ध में,

11–प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह बन्द पड़े हैं। विकास कार्यों में तेजी लाये जाने के सम्बन्ध में,

12–अधूरे कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

13–पूर्वान्चल के पिछड़ेपन को देखते हुए बन्द बड़े उद्योगों को चलाने के लिए ''स्पेशल पैकेज'' दिये जाने के सम्बन्ध में,

14–बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं पश्चिमांचल के चतुर्मुखी विकास हेतु ''स्पेशल पैकेज'' दिया जाना चाहिए,

15–गन्ना किसानों के बकाये का शीघ्र भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,

16–बन्द पड़ी गन्ना मिलों को चालू किया जाये तथा गन्ने की आखिरी पेराई की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

17–प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, कानून व्यवस्था की स्थिति 'जंगलराज' जैसी हो गयी है। अतः कानून व्यवस्था में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में,

18–प्रदेश में बिजली का उत्पादन न होने से, उत्पादन एवं उपलब्धता के बीच काफी अन्तर आ गया है जिसके कारण प्रदेश अभूतपूर्व बिजली संकट से गुजर रहा है। अतः विद्युत परियोजनाओं को पूरी क्षमता के साथ चलाये जाने के सम्बन्ध में,

19–जनपद अमेठी, रायबरेली एवं प्रतापगढ़ आदि जनपदों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

20–प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से दलालों एवं बिचौलियों के नियन्त्रण में आ गयी है। कन्ट्रोल रेट पर चीनी एवं केरोसीन का तेल उपलब्ध नहीं है और ब्लैक/कालाबाजारी में धड़ल्ले से सामान बेचे जाने के सम्बन्ध में,

21–किसानों को उत्पादन की उचित कीमत नहीं मिल रही है। किसानों को बिजली, सिंचाई, उर्वरक तथा श्रम की कीमत के मद्देनजर इसके लाभ को निर्धारित करते हुए समर्थन मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में,

22–प्रदेश में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगायी जाये, के सम्बन्ध में,

23–सरकारी नियुक्तियों एवं नौकरियों में धांधली और भ्रष्टाचार को देखते हुये पारदर्शिता लाये जाने के सम्बन्ध में,

24–बुनकरों को सस्ते दर पर सूत उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बकाया कर्ज माफ किये जाने के सम्बन्ध में,

25–25 वर्ष के ऊपर के प्रत्येक बेरोजगार नवजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया जाय, चाहे वह किसी भी वर्ग, धर्म या आर्थिक स्थिति का हो, के सम्बन्ध में,

26–प्रदेश के सभी किसानों के कर्जे माफ किये जाने के सम्बन्ध में,

27–राजनैतिक द्वैष से दर्ज कराये गये झूठे राजनैतिक मुकदमें वापस लिये जाने के सम्बन्ध में,

28–उत्तर प्रदेश में गुण्डागर्दी करने वाले, गुण्डा टैक्स वसूलने वाले, मकान, दुकान एवं जमीन पर कब्जा करने वाले अराजकतत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाने के सम्बन्ध में,

29–जनपद रायबरेली एवं जनपद अमेठी में केन्द्र सरकार की प्रस्तावित योजनाओं के लिए एम्स सहित केन्द्रीय प्रस्तावों के लिए आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध करायी जाने के सम्बन्ध में,

30–विधान सभा क्षेत्र विकास निधि की राशि बढ़ाकर रु0 5. 00 करोड़ (पांच करोड़ रुपये) की जाने के सम्बन्ध में,

31–पेयजल की समस्या के समाधान हेतु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगाये जाने हेतु प्रत्येक मा0 विधायक को पांच–पांच सौ इण्डिया मार्का–2 हैण्डपाइप प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

32–प्रत्येक मा0 विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में 10–10 ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

33–नहरों एवं माइनरों की सफाई करायी जाये और उन्हें सिंचाई के लिए समयबद्ध ढंग से पूरी क्षमता के साथ चलाये जाने के सम्बन्ध में,

34–केन्द्र एवं प्रदेश सरकार से पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त प्रसिद्ध पर्यटन एवं धार्मिक स्थल घुइसरनाथ धाम की अस्थाई

पुलिस चौकी को ''स्थाई पुलिस चौकी'' बनाये जाने के सम्बन्ध में, तथा

35–लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग–231 पर स्थित थाना कोतवाली लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस कर्मियों के आवास के लिए नये भवन का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।''

15–श्री मसूद अख्तर–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में,

2–सहारनपुर शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बाईपास जल्द से जल्द बनाये जाने के सम्बन्ध में,

3–सहारनपुर को डार्क जोन से बाहर किये जाने तथा डार्क जोन के कारण बिजली का कनेक्शन न होने के कारण किसानों की सिंचाई की समस्या को देखते हुए उसे बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

4–सहारनपुर शहर में पुराना कनानिया मार्ग दोबारा से बनाये जाने के सम्बन्ध में,

5–विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर के खादर मार्ग विश्वास कालोनी से हसनपुर कालोनी तक लम्बाई 2.00 कि0मी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6–विधान सभा क्षेत्र 04, सहारनपुर देहात में बड़े गांव में पानी की टंकिया बनाये जाने के सम्बन्ध में,

7–जनपद सहारनपुर के ब्लाक मुजफ्फराबाद के ग्राम दतौली मुगल में नागादेव नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

8–जनपद सहारनपुर बेहट रोड शाकम्भरी कालोनी से जनता रोड गांव खुर्द अड्डे तक मिट्टी व सड़क निर्माण कार्य लम्बाई 1300 मीटर का निर्माण कराने तथा ढमोला नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

9–जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवार के ग्राम सलेमपुर भूखडी राजबाहे के पुल से ग्राम पीकी तक मिट्टी व सड़क निर्माण लम्बाई लगभग 1200 मीटर व ढमोला नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10–जिला सहारनपुर ब्लाक पुवारका के बेहट रोड से शंकरपुर होते हुए सलेमपुर भूखडी से तेलीपुरा तक लेपन कार्य मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में,

11–जिला सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम रसूलपुर पापडे की से बेरीजमा तक मिट्टी व सड़क निर्माण कार्य लम्बाई लगभग डेढ़ किमी0 किये जाने के सम्बन्ध में,

12–जिला सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम मानकमऊ से ग्राम ककराला तक लेपन कार्य मरम्मत लम्बाई 03 किमी0 तक कराये जाने के सम्बन्ध में,

13–जिला सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के गांव खनपुरा से खजूरी अकबरपुर से भाभरी के मध्य तक लेपन कार्य मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

14–जिला सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के खजूरी अकबरपुर के उग्राहू वाले रास्ते पर हिण्डन नदी पर रप्टा पुल निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

15–जिला सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम उग्राहू से खनपुरा तक मिट्टी व सड़क निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 2. 5 किमी0 व हिण्डन नदी पर रप्टा पुल निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

16–जिला सहारनपुर के ब्लाक पुवारका के ग्राम मुगल माजरा से निवादा तक लेपन सड़क मरम्मत कार्य लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

17–जिला सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम नौजली से सुनेहटी खडखडी के रेलवे फाटक तक लेपन कार्य लम्बाई लगभग 01 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

18–जिला सहारनपुर के ब्लाक पुवारका के ग्राम लखनोती खुर्द से ग्राम दतौली मुगल तक लेपन सड़क मरम्मत कार्य लम्बाई लगभग 250 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

19–जिला सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम खनपुरा से देरीजमा रोड ईंट भट्ठे तक लेपन कार्य लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

20–जिला सहारनपुर में ब्लाक मुजफ्फराबाद के ग्राम दतौली मुगल से ग्राम बेहटा सन्दल सिंह तक लेपन सड़क निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 01 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

21–जिला सहारनपुर में ब्लाक मुजफ्फराबाद के ग्राम दतौली मुगल से ग्राम अल्हेडी तक लेपन सड़क निर्माण कार्य मरम्मत लम्बाई लगभग 01 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

22–जिला सहारनपुर में ब्लाक पुवारका के ग्राम चमारीखेडा में उपदेश के बाद मेन सड़क से पट्टनवाला तक लेपन सड़क लम्बाई लगभग 01 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

23–जिला सहारनपुर में ब्लाक पुवारका के ग्राम धनकरपुर में देहरादून रोड से ग्राम धनकरपुर तक लेपन सड़क मरम्मत कार्य लम्बाई लगभग 01 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

24–जिला सहारनपुर में अम्बाला रोड पर गांव भाउपुर से दाबकी गुर्जर होते चिलकाना रोड तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

25–चिलकाना रोड से दतौली रांघड टोपरी होते हुए छोटी माहेश्वरी तक की सड़क का निर्माण लम्बाई 5.00 किमी0 के सम्बन्ध में,

26–छोटी माहेश्वरी से तेलीपुरा होते हुए हसनवाली तक लम्बाई लगभग 4.00 किमी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

27–जिला सहारनपुर के ग्राम कुतुबपुर कुसैनी से होते हुए ग्राम नेवादा तक की सड़क लम्बाई लगभग 2.00 किमी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

28–जिला सहारनपुर के सहारनपुर वि0 स0 क्षेत्र के अधिकांश ग्रामसभाओं में जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने व ओवर लोड ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में,

29–जिला सहारनपुर के सहारनपुर वि0 स0 क्षेत्र में विवादित कब्रिस्तानों के दीवार को बाउण्ड्रीवाल बनाकर विवाद खत्म कराने के सम्बन्ध में,

30–सहारनपुर वि0 स0 क्षेत्र में स्थित श्मशान घाटों में टिन शेड व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

31–सहारनपुर वि0 स0 क्षेत्र में स्थित माइनरों, ग्राम कोलकी रांघड से सरकडी खुमार होते हुए अजीज कालोनी तक की सफाई व कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में,

32–सहारनपुर वि0 स0 क्षेत्र में स्थित शकलापुरी छोटा राजबाहा होते हुए कम्पनी बाग तक जाने वाली राजबाहा की सफाई व कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में,

33–सहारनपुर वि0 स0 क्षेत्र में स्थित श्मशान घाट व कब्रिस्तान के रास्तों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,

34–सहारनपुर वि0 स0 क्षेत्र में स्थित जनता रोड चखरौती से ग्राम जमालपुर तक सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,

35–सहारनपुर वि0 स0 क्षेत्र के ग्राम चाटका में पानी की टंकी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

36–सहारनपुर वि0 स0 क्षेत्र में ग्राम रीढ़ी मोहिउद्दीनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

37–सहारनपुर वि0 स0 क्षेत्र में बेहट रोड पर एक राजकीय गर्ल्स डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में।''

16–श्री नरेश सैनी–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में,

2–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर में स्पोर्ट कालेज वर्ष 2007 में बना है, किन्तु अधूरा पड़ा है, को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर में पेयजल की समस्या को देखते हुए सभी क्षेत्र में पानी की टंकी से जलापूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में,

4–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर में जहानपुर में अभिनव इण्टर कालेज बना है, उसमें पूरा स्टाफ अभी तक नहीं तैनात किये गये हैं, में स्टाफ तैनात किये जाने के सम्बन्ध में,

5–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर नदियों का क्षेत्र है, इसमें गंगेरू नदी, मस्करा, चाचा राव इत्यादि पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

6–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर एक पिछड़ा क्षेत्र है, यहां अक्सर आग लगने को दृष्टिगत रखते हुए बेहट तहसील में फायर ब्रिगेड स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में,

7–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर में स्थापित पानी की टंकियों में जेनरेटर की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

8–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर में शाकम्भरी शुगर फैक्ट्री, टोडरपुर 4 साल से बन्द पड़ी है, को चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

9–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र से जुड़े वन क्षेत्र में अवैध पेड़ों की कटान को रोके जाने तथा नये वृक्षारोपण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर में यमुना नदी में भारी मात्रा में चल रहे अवैध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में, तथा

11–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर डार्क जोन घोषित है, किन्तु कुछ क्षेत्र जो यमुना नदी से सटे हुए हैं तथा जहां जलस्तर बहुत ऊपर है, में बिजली का कनेक्शन किसानों को दिये जाने के सम्बन्ध में।''

17–श्री राकेश सिंह–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था के कारण हत्या, बलात्कार, वाहन चोरी, लूट–पाट, गुण्डई, मारपीट की घटनायें दिन दहाड़े हो रही हैं कानून के रक्षक अर्थात् पुलिस व थाने भी सुरक्षित नहीं हैं। खराब हो रही कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कठोर नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2–पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना खाद्य सुरक्षा कानून को प्रदेश में लागू हो जाने के बाद भी उक्त

योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से अभी तक नहीं हो रहा है, को प्रभावी ढंग से लागू कर गरीबों/मजदूरों को निःशुल्क दो वक्त का भोजन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

3–प्रदेश में जानलेवा बीमारी स्वाइन फ्लू, इन्सेफेलाटिस, डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण प्रति वर्ष सैकड़ों व्यक्तियों की जान चली जाती है, को जड़ से समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

4–रायबरेली जनपद के अन्तर्गत पुरवा ब्रांच (नहर) में पानी न आने के कारण चार विधान सभाओं के किसानों की फसल प्रभावित हो रही है परती भूमि पड़ी रहती है, बुन्देलखण्ड से भी बदतर हालत में चारों विधान सभायें हैं, उक्त ब्रांच में पानी की सप्लाई निरन्तर जारी बनाये रखने के सम्बन्ध में,

5–रायबरेली–सेमरी मार्ग जिसकी लम्बाई 30 किमी0 है विगत डेढ़ वर्ष से खुदी पड़ी है, जिसके निर्माण न हो पाने के कारण कई लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, को जनहित में तत्काल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6–जनपद रायबरेली में कई लाख लोग जो वृद्धावस्था व विधवा पेंशन पाने के हकदार हैं परन्तु उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है उन पात्र व्यक्तियों को वृद्धा/विधवा पेंशन का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

7–जनपद रायबरेली में 6 विधान सभा व 5 तहसील हैं जिसमें हरचन्दपुर विधान सभा 03 तहसीलों में बंटी हुई है, विधान सभा हरचन्दपुर को अन्य तहसीलों की भांति नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में,

8–जनपद रायबरेली में पानी की टंकी बनी है परन्तु उन टंकियों में खराबी के कारण पीने के लिए जनता को पेयजल की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, सर्वे कराकर बन्द पड़ी पानी की टंकियों को ठीक कराकर जनता को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

9–जनपद रायबरेली में किसानों की फसल की सिंचाई हेतु सिंचाई विभाग द्वारा राजकीय नलकूप लगवाये गये थे, परन्तु उक्त नलकूप काफी समय से खराब पड़े हैं, को ठीक कराकर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

10–जनपद रायबरेली में निर्माणाधीन मार्गों के लिए बोल्डर डाल दिये गये हैं किन्तु निर्मित न किये जाने के कारण आवागमन में जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, को समयबद्ध निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11–प्रदेश सरकार द्वारा बिना किसी लिखित आदेश के 21 मार्च, 2017 को यू0पी0एस0सी0 के रोके गये परिणाम को घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

12–प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (पी0एच0सी0/सी0एच0सी0) स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों/ पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरकर जनता को समुचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

13–जनपद रायबरेली के विकास खण्ड खीरों, सतॉव, हरचन्दपुर में लो–बोल्टेज की समस्या के निदान हेतु मांग/क्षमता के अनुरूप ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में।''

18–सुश्री अदिति सिंह–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में,

2–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली में नये सड़कों के निर्माण के लिए किसी योजना का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में,

3–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली की पुरानी सड़कें, जो कि लोक निर्माण विभाग के अलावा अन्य कार्यदायी संस्थाओं से बनी हैं, की वर्तमान जर्जर दशा को देखते हुए, पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली के शहरी हिस्से में सी0सी0 रोड व नालियां न बने होने से हो रही जनसमस्याओं को देखते हुए सी0सी0 रोड, नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

5–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली में जलभराव को देखते हुए पानी के निकासी की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है, में उक्त कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

6–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली की नयी विकसित बस्तियों में शहरी नगरपालिका क्षेत्र में जोड़ते हुए विद्युतीकरण कराये जाने तथा उसी के अनुरूप विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

7–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली में महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए राजकीय महिला इण्टर कालेज व डिग्री कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

8–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली में बेरोजगार युवक, युवतियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किय जाने के सम्बन्ध में,

9–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली के जिन अध्यापकों को जनपद के सुदूर क्षेत्र में पोस्टिंग मिली है तथा जनपद के बाहर दूसरे जनपद में तैनाती मिली है, को जनपद में उनके घर के पास तैनात किये जाने के सम्बन्ध में,

10–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली में हैण्डपम्प प्रतिस्थापित किये गये थे, वे जलस्तर काफी नीचे चले जाने के

कारण सूख गये हैं, को गहरा रि–बोर कर प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

11–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली में महिलाओं के सुरक्षा के लिए एक अलग से पुलिस सेल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

12–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली में स्थापित सदर जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन 11 वर्ष पुरानी होने तथा उसकी रिपोर्ट सही न आने को देखते हुए यहां पर नये सिटी स्कैन व अन्य जांच उपकरण स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

13–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली के जिला अस्पताल में 22 स्वीकृत पदों में से 17 पद रिक्त होने को देखते हुए, इन पदों पर शीघ्र चिकित्सकों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में,

14–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली में ग्राम सभा बसाढ़, पोस्ट सनहीं, ब्लाक राही, तहसील सदर में 2014 में माडल स्कूल की स्थापना किये जाने के उपरान्त अभी तक अध्यापकों की तैनाती न होने से बाधित शिक्षण कार्य को देखते हुए शीघ्र अध्यापकों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में,

15–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली में स्थित सरकारी विद्यालयों में विद्युतीकरण अभी तक न होने को दृष्टिगत रखते हुए यहां शत–प्रतिशत विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

16–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु लड़कियों को शहर तक जाने हेतु सरकारी बसों की सुविधा अथवा वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

17–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली में स्कूलों के लिए मेण्टीनेंस एवं विकास अनुदान को पिछले 10 वर्ष से न बढ़ाने तथा वर्तमान महंगाई को देखते हुए जिसमें वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में,

18–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली में नव स्थापित सरकारी विद्यालयों में गहरी बोरिंग कराते हुए समरसिबल पम्प व ओवर हेड पानी की टंकी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में,

19–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली में स्थित पार्कों का सौन्दर्यीकरण जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में,

20–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली के रायबरेली शहर में स्मैक, शराब व अन्य नशीले पदार्थों के बढ़ रहे सेवन तथा हाई–वे के किनारे से इनको हटाने के उपरान्त ऐसी दुकानों को दुकानदारों को रिहाशी क्षेत्र में स्थापित कर चलाने को देखते हुए तथा इससे स्थानीय महिलाओं, बच्चों को हो रही अत्यधिक परेशानी को देखते हुए शराब व नशीली वस्तुओं पर पाबन्दी लगाये जाने के सम्बन्ध में, तथा

21–सदर विधान सभा क्षेत्र, जनपद रायबरेली में प्लास्टिक रि–साइक्लिंग प्लांट लगाये जाने के सम्बन्ध में।''

19–श्री सोहिल अख्तर अंसारी–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में,

2–कानपुर कैण्टोमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर में लड़कियों का 1 इण्टर कालेज व 1 डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

3–कानपुर कैण्टोमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर में पेयजल संकट के निदान हेतु 200 रि–बोर हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में,

4–कानपुर कैण्टोमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर में कोई भी सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां इमरजेन्सी सेवायें उपलब्ध हों। अतः सरकारी स्तर पर कम से कम 300 बेड का सरकारी अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

5–कानपुर कैण्टोमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर में गरीब लोगों के विवाह एवं अन्य पारिवारिक समारोहों हेतु सरकारी बारातशालायें बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

6–कानपुर कैण्टोमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर में पेयजल सप्लाई हेतु सरकारी नलकूपों के निर्माण हेतु अतिरिक्त सरकारी धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

7–कानपुर कैण्टोमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर में सीवर जलभराव के निदान हेतु सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र में वर्षों पुरानी सीवर लाइनों के स्थान पर नये सीवर लाइन निर्माण हेतु अतिरिक्त धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

8–कानपुर कैण्टोमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर में टूटी–फूटी गड्ढायुक्त सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु अतिरिक्त सरकारी धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

9–विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि रु0 3.00 करोड़ प्रतिवर्ष किये जाने के सम्बन्ध में,

10–कानपुर कैण्टोमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर की विद्युत आपूर्ति की समस्या के समाधान तथा ओवर लोडिंग के समाधान हेतु नये विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

11–कानपुर कैण्टोमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर के अन्तर्गत मौजूद सोसाइटी क्षेत्रों में सीवर, सड़क व विद्युत समस्या के निदान हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों का विकास कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

12–कानपुर कैण्टोमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर में घनी बस्तियों में जो कि अत्यधिक संख्या में हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में।''

20–श्री उमाशंकर सिंह–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में निष्प्रयोज्य पड़ी कताई मिल की जमीन पर मेडिकल कालेज अथवा एम्स की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

2–रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में सुचारु रूप से विद्युत संचालन हेतु चोगड़ा चट्टी पर एवं सिसवार में विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

3–ग्राम सभा हजौली जिसकी आबादी लगभग 20,000 है पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

4–ग्राम सभा मुड़ेरा, डेहरी, डुमरी, कोटवारी, बछईपुर, सलेमपुर, बर्रेबोझ, रेकुवा, उरैनी, सोनापाली, सुल्तानपुर रसड़ा में ओवर हेड/पानी टंकी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

5–विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के निम्न स्थानों को विकसित करते हुए पर्यटन के रूप में घोषित किये जाने के सम्बन्ध में–

अ–श्री नाथ बाबा, रसड़ा,

ब–श्री विष्णु जी, मुडेरा,

स–श्री खाकी बाबा मंदिर खनवर,

द–श्री तिलेश्वर नाथ धाम,

6–विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में स्टेडियम का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

7–रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास महिला चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

8–रसड़ा बस स्टेशन का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।'',

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0एस0यू0पी0–168 विधान सभा–16.10.2017–813 प्रतियां (डी0टी0पी0 / आफसेट)।